इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा

तौहीद ख़ालिस

The fundamentals of Touheed
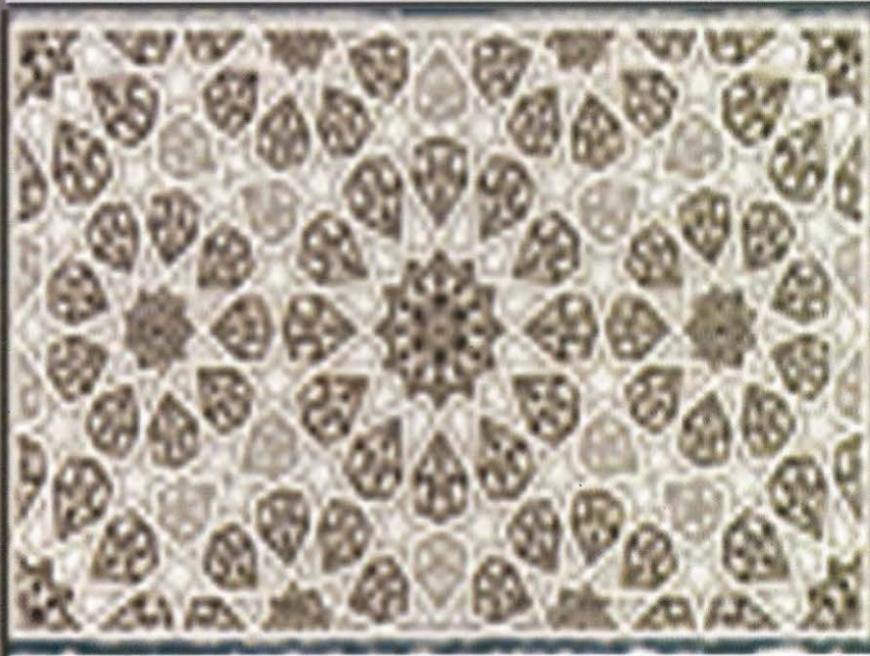
लेखक
अबू अमीना बिलाल फ़िलिप्स

अनुवाद
इब्ने अहमद नक़वी

इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा

तौहीद ख़ालिस

लेखक
अबू अमीना बिलाल फ़िलिप्स

अनुवाद
इब्ने अहमद नक़वी

अल किताब इंटरनेशनल
मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर,
नई दिल्ली-110025

पुस्तक का नाम : इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा
तौहीद ख़ालिस

लेखक : अबु अमीना बिलाल फ़िलिप्स

अनुवाद : इब्ने अहमद नक़वी

प्रकाशन वर्ष : 2009

मूल्य : CURRENT PRICE
Rs. 100/-
S.N. PUBLISHERS

प्रकाशक : **अल-किताब इन्टर नेशनल**
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025

मिलने का पता :

1 मक्तबा तरजुमान उर्दू बाज़ार दिल्ली 6
2 हकीम सिद्दीक़ मेमोरियल ट्रस्ट जोधपुर राजस्थान
3 दारुल कुतुबुस्सलफ़िया मटिया महल दिल्ली 6
4 मक्तबा मुस्लिम बरबरशाह श्रीनगर कशमीर

बिस्मिल्लाहिर्रहमार्रिहीम

लेखक की आत्म कथा

अबू अमीना बिलाल फ़िलिप्स अगरचे जमाइका में पैदा हुए लेकिन उनकी परवरिश केनैडा में हुई जहां उन्होंने 1972 ई० में इस्लाम क़ुबूल किया। मदीना मुनव्वरा में उन्होंने अरबी में डिप्लोमा हासिल किया, उसके बाद 1979 ई० में जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से बी. ए. और 1985 ई० में रियाज़ यूनीवर्सिटी से इस्लामी दीनियात में मास्टर ऑफ़ आर्टस (एम. ए.) की डिग्री हासिल की। 1979 ई० से 1987 ई० तक वह मिनारा स्कूल में जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल की सतह पर इस्लामियात के टीचर के तौर पर काम करते रहे। इस समय वह यूनीवर्सिटी ऑफ़ वेल्ज़ में इस्लामी अध्ययन के डॉक्टोरल प्रोग्राम से जुड़े हैं। उनकी किताबों में जिन्नात पर इब्ने तैमिया के मज़ामीन का अनुवाद, मुसव्विदात में अरबी ख़त्ताती, ख़ुमैनी एक सन्तुलित या अतिवादी शीआ, शीओं को शैतान का बहकावा, ईरान में सराब और इस्लाम में बहुपत्नि विवाह नामी किताब के भी लेखक हैं। इसके अलावा क़ुरआन के आदादी मोजिज़े फ़रेब और बिदअत, मज़हब का इरतिक़ा, तफ़्सीर सूरह हुजुरात, अंसार का मसलक, तौहीद के बुनियादी उसूल, हज और उमरा (किताब व सुन्नत के मुताबिक़) इस्लामी मुतालेआत (भाग 1) और तौबा के द्वारा मग़फ़िरत आदि शामिल हैं।

विषय सूची

लेखक की आत्म कथा 3

प्रकाशक की ओर से 7

दो बातें 10

अध्याय (1) तौहीद की क़िस्में 15

तौहीद बनाम पालनहार 19

तौहीद अस्मा व सिफ़ात 23

तौहीद इबादत 29

अध्याय (2) शिर्क की क़िस्में 39

तौहीद पालन क्रिया के दायरे में शिर्क 39

(अ) किसी को अल्लाह का शरीक बनाना 40

गुणों व नामों से शिर्क 46

मनुष्य के अस्तित्व का शिर्क 46

(ब) बुतों को उपास्य बनाना 47

उपासना में शिर्क 49

(1) शिर्क अकबर 49

(2) शिर्क असग़र (छोटा शिर्क) 52

अर्रिया (दिखावा) 53

अध्याय (3) आदम स अल्लाह के वचन के बार में 55

उत्पत्ति से पूर्व 57

फ़ितरत (प्रकृति) 61

पैदाइशी मुसलमान 64

मीसाक़ (वचन) 65

अध्याय (4) तावीज़ और शगुन के बारे में 68

तावीज़ 69

जादू टोना मंतर आदि के बारे में हुक्म 73

ख़रगोश का पांव 73

घोड़े की नाल 74

क़ुरआनी आयात से तावीज़ बनाना 75

	शगुन	77
	अच्छी फ़ाल व बदशगून	82
	शगुन के बारे में इस्लामी फ़ैसला (हुक्म)	83
	पेड़ों पर हाथ मारना	83
	आईना टूट जाना	84
	काली बिल्ली	84
	13 का अदद (अंक)	85
अध्याय	(5) क़िस्मत का हाल बताना	88
	आलमे जिन्नात (जिन्नात की दुनिया)	89
	क़िस्मत का हाल बताने के विषय में शरीअत का हुक्म	97
	क़िस्मत का हाल बताने वालों से सम्पर्क	98
	क़िस्मत का हाल बताने वालों का श्रद्धालु होना	99
अध्याय	(6) इल्म नुजूम के विषय में	102
	मुसलमान नुजूमियों के तर्क	107
	जन्म पतरी बनाने के बारे में शरीअत का हुक्म	109
अध्याय	(7) सहर (जादू) के बारे में	112
	जादू (सहर) की हक़ीक़त	113
	झाड़ फूंक करना	122
	सहर (जादू) के बारे में शरअी हुक़्म	127
अध्याय	: 8 अल्लाह के अलावा कुछ नहीं	130
	महत्व	132
	अल्लाह तआला का हर जगह होना के अक़ीदे की खराबियां	135
	स्पष्ट सुबूत	137
	2. उपासना का सुबूत	138
	मेराज का सुबूत	139
	4. क़ुरआन से सुबूत	140
	अहादीस से सुबूत	142
	6. मंतक़ी सुबूत	145
	7. पूर्व उलमा की सहमति	146

सारांश	147
अध्याय (9) अल्लाह का दीदार	151
ज़ाते बारी (अल्लाह तआला की आकृति)	156
शैतान अल्लाह तआला का रूप धारता है	158
सूरह नज्म के मायना	159
अल्लाह का दीदार न होने के पीछे क्या रहस्य है?	159
आख़िरत में दीदारे इलाही	159
दीदारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम	162
अध्याय (10) औलिया की पूजा	165
अल्लाह की कृपा व दया	165
वली या सेंट	171
फ़ना—इंसान का ज़ाते बारी से समन्वय	173
इंसान का अल्लाह तआला से मिलाप होना	178
रूहुल्लाह	181
अध्याय (11) क़ब्रपरस्ती	188
मुर्दों से दुआएं मांगना	189
मज़हब का प्रगतिशील नमूना	194
मज़हब का ख़राब नमूना	196
शिर्क का आरंभ	198
सदाचारी लोगों की हद से ज़्यादा प्रशंसा करना	201
कब्रों की ज़ियारत की शर्तें	202
कब्रों को पूजा स्थल समझना	207
कब्रों के साथ मस्जिदें	209
हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की क़ब्र	210
मस्जिदे नबवी (सल्ल०) में नमाज़ अदा करना	212
समापन	213

प्रकाशक की ओर से

इस्लाम के बुनियादी अरकान पांच हैं : कलिमा तौहीद, नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज। ईमान की बुनियाद कलिमा तौहीद है। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति कलिमा तौहीद पर ईमान न लाए (अल्लाह तआला की वहदत और वास्तविक उपास्य होने का ज़बान और दिल से इक़रार करना) उस समय तक न तो वह साहिबे ईमान (मुसलमान) हो सकता है और न दूसरे अरकान नमाज़, रोज़ा, ज़कात की अदाएगी का अहल क़रार पा सकता है। इसलिए कि कलिमा तौहीद ही ईमान की बुनियाद पेश करता है और जब तक बुनियाद मज़बूत व पक्की न हो उस पर इमारत खड़ी नहीं की जा सकती, लेकिन बदक़िस्मती से मुसलमानों ने इस मर्कज़ी और बुनियादी नुकते को फ़रामोश कर दिया है। वह दीन के उसूलों की पाबन्दी तो करते हैं लेकिन तौहीद ख़ालिस पर उनका ईमान व यक़ीन पक्का नहीं होता। सूफ़िया, औलिया, मुर्शिदीन, बुज़ुर्गाने दीन आदि आदि की अक़ीदत में अतिश्योक्ति करते हैं, उन्हें साहिवे करामात मानते हैं, उनकी क़ब्रों पर हाज़िरी को सौभाग्य समझने में और शऊरी या ग़ैर शऊरी तौर पर उन्हें हाजतरवा भी समझने लगते हैं। ज़ाहिर है ये सब बातें इस्लाम के मर्कज़ी और बुनियादी अक़ीदा तौहीद को घायल करती हैं और ईमान के ख़ुशनुमा दामन पर शिर्क के बदनुमा दाग़ नज़र आने लगते हैं।

हिन्दुस्तान में मौलाना शाह मुहम्मद इस्माईल शहीद रह० ने सबसे पहले तक़्वियतुल ईमान लिखकर अक़ीदा तौहीद पर एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब पेश की। यह किताब हर एतेबार से बेहतर है। इसने हिन्द व पाक के मुसलमानों को तौहीद ख़ालिस से आशना कराया। मुसलमान रस्मी अक़ाइद को छोड़कर किताब व सुन्नत की तालीमात पर कारबन्द हुए और दीने ख़ालिस से वाबस्तगी का शऊर बेदार हुआ। अलहम्दु लिल्लाह आज

हिन्द व पाक में सल्फ़ी या अहले हदीस मुसलमानों की तादाद करोड़ों में है जो केवल किताब व सुन्नत को ही दीन का पमाना समझते हैं और शिर्क व बिदआत और तक़लीद को सख़्ती से निरस्त करते हैं।

जैसा कि लेखक जनाब अबू अमीना बिलाल फ़िलिप्स ने "दो बातें" में तहरीर फ़रमाया हैं। अंग्रेज़ी में तौहीद के विषय पर बहुत कम लिट्रेचर मौजूद हैं और इससे बहुत से पाठक इस भगम का शिकार हो जाते हैं कि (दूसरे मज़ाहिब की तरह) इस्लाम में भी तौहीद की कोई ख़ास एहमियत नहीं है। इसी को देखते हुए उन्होंने यह अंग्रेज़ी किताब The Fundamentals of Tauheed (तौहीद के बुनियाद उसूल) लिखी। जैसा कि पाठकों को अंदाज़ा होगा कि किताब अपने विषय पर जामेअ है अंदाज़े बयान सरल और आसानी से समझ में आने वाला है। लेखक तौहीद के विषय पर हर पहलू को ज़ेरे बहस लाए हैं और क़ुरआन व हदीस के हवालों से साबित किया है कि तौहीद का मफ़्हूम और मतलब को किस तरह समझा जा सकता है। आज के दौर में जबकि अक़ीदा के बिगाड़ ने मुसलमानों को असल इस्लाम और तौहीद ख़ासिल की धारणा से बहुत दूर कर दिया है यह किताब चिराग़े हिदायत साबित होगी।

किताब की अहमियत को सामने रखते हुए अलकिताब इंटरनेशनल ने इसका हिन्दी अनुवाद पेश करने का फ़ैसला किया ताकि हिन्दी पढ़ने वाले भी इस बेश क़ीमत किताब से फ़ायदा हासिल कर सकें। और अक़ीदा तौहीद के बारे में विस्तार से जान सकें।

अलकिताब इंटरनेशनल जामिया नगर नई दिल्ली हिन्दुस्तान में दीनी ख़ास कर सल्फ़ी अक़ाइद की किताबों की इशाअत का एक अहम मर्कज़ है। उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी, अरबी की अहम किताबें यहां मिलती हैं। सल्फ़ी उलमा व विद्वानों की किताबें ख़ास तौर से हम प्रकाशित करते हैं ताकि तौहीद ख़ालिस का शऊर बेदार होने और मसलक किताब व सुन्नत की इशाअत में अल्लाह तआला की तौफ़ीक़ से हम अपना फ़र्ज़ अदा कर

सकें। हमें ख़ुशी है और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे मोहसिनीन अर्थात पाठकगण इन किताबों की ख़रीदारी के ज़रिए हमारी सरपरस्ती और हौसलाअंफ़ज़ाई करते हैं। अल्लाह तआला उन्हें दीने ख़ालिस की इशाअत में सरगर्म होने की तौफ़ीक़ प्रदान फ़रमाए (आमीन) कि एक मोमिन की ज़िंदगी का प्रथम मक़सद दीने ख़ालिस की इशाअत और किताब व सुन्नत की तब्लीग़ ही है।

हमें उम्मीद है कि दीनी हल्क़ों में यह अहम और मुफ़ीद किताब लोकप्रियता हासिल करेगी। वे लोग जो तौहीद के विषय पर एक बेहतर किताब के इच्छुक हैं उनके लिए यह किताब ख़ास तोहफ़ा साबित होगी।

सय्यद शौकत सलीम

दो बातें

इस बात से सब वाक़िफ़ हैं कि इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है जिसे कलिमा तय्यिबा ला इला-ह इल्लल्लाहु में बहुत सार में मगर जामेअ अंदाज़ में पेश किया गया है। अर्थात अल्लाह ही एक और सच्चा उपास्य है और वही इसका हक़दार है कि उसकी इबादत की जाए। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक़ यही कलिमा ईमान और कुफ़्र के बीच सीमा है। इसी उसूल अर्थात तौहीद को सामने रखते हुए इस्लाम अल्लाह तआला के बारे में वहदानी (तौहीद) अक़ीदा रखता है और दुनिया के दूसरे मज़ाहिब अर्थात यहूदियत और ईसाइयत के साथ तौहीद परस्त दीनों में माना जाता है लेकिन इस्लाम के अक़ीदा नौहीद की रौशनी में ईसाइयत शिर्क करती है जबकि यहूदियत में एक तरह की मूर्ति पूजा है।

तौहीद का उसूल बहुत व्यापक व गहरा है और मुसलमानों के लिए भी उसकी व्याख्या की ज़रूरत है। इस नुकते की वज़ाहत इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ मुसलमान जैसे इब्ने अरबी[1] ने तौहीद की यह ताबीर पेश की कि कायनात में केवल अल्लाह की ज़ात है और हर चीज़ में अल्लाह का जलवा है (वहदतुल वजूद) लेकिन इस्लाम इस नज़रिये (वहदतुल वजूद) को रद्द करता है और इसे कुफ़्र ठहराता है। दूसरे

---

1. मुहम्मद इब्ने अली इब्ने अरबी 1165 ई० में स्पैन में पैदा हुए और 1240 ई० में दमिश्क़ में वफ़ात पाई। उनका दावा था कि वह बातिनी नूर वाले हैं और अल्लाह तआला के इस्मे आज़म का ज्ञान रखते हैं। वह अपने आपको ख़ातिमुस्सूफ़िया कहते थे। एक तरह से उनके नज़दीक यह मक़ाम रिसालत से भी बुलन्द था। उनकी वफ़ात के कुछ सदियों बाद उनके मानने वालों ने उन्हें मुर्शिद क़रार देकर शैख़ अकबर का लक़ब प्रदान किया लेकिन मुस्लिम फ़ुक़हा की अधिसंख्या उन्हें बिदअती क़रार देती है। उनकी यादगार किताबें फ़ुतुहातुल अल मक्किया और फ़सूस अल हकम हैं।

(मुख़्तसर इंसाइकिलोपेडिया ऑफ़ इस्लाम)

मुसलमानों जैसे मोतज़िला ने[1] अल्लाह तआला की बारी गुणों का इंकार किया और यह नज़रिया पेश किया कि अल्लाह तआला हर जगह और हर चीज़ में मौजूद है लेकिन इस्लाम की सही शिक्षाओं पर चलने वाले उलमा ने इस नज़रिये को भी निरस्त कर दिया और इसे बिदअत क़रार दिया। हक़ीक़त यह है कि तक़रीबन तमाम मसालिक बिदअत जो इस्लाम की बुनियादी तालीम तौहीद से फिर गए (ख़ैरुल क़ुरून से आज तक) उन तमाम सम्प्रदायों ने इस्लाम की तस्वीर बिगाड़ने, इस्लाम के अनुयायियों को गुमराह करने के लिए इस्लाम के अक़ीदा तौहीद को बेअसर करने की कोशिश की क्योंकि यही नुकता (तौहीद) इस पैग़ाम का असल जौहर है जो सारे अंबिया के ज़रिए आसमानों से नाज़िल किया गया। उन मसालिक ने अल्लाह के बारे में ऐसे नज़रियात पेश किए हैं जो इस्लाम की तालीम से यकसर भिन्न हैं और इंसान को अल्लाह से दूर ले जाते हैं। जब इंसान उन मूर्ति पूजा जैसे नज़रियात से प्रभावित होता है तो फिर वह दूसरे बहुत से ऐसे नज़रियात के जाल में फंस जाता है जो एक अल्लाह की इबादत के नाम पर सृष्टि की इबादत की तरफ़ ले जाते हैं। इसी लिए हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने उम्मत को नसीहत फ़रमाई कि वह ऐसे अक़ीदों व नज़रियात से होशियार रहें जिनकी वजह से उनसे पहले की क़ौमें गुमराही का शिकार हो गईं। आप सल्ल० ने ताकीद की कि मुसलमान इस रास्ते (सुन्नत) पर सख़्ती से अमल करे जो उनका रास्ता है। एक दिन जब आप सल्ल० सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ फ़रमा थे तो आप सल्ल० ने ज़मीन पर एक सीधी लकीर खींची फिर उसी के बराबर कई दूसरी लकीरें खींचीं। सहाबा ने अर्ज़ किया कि इससे क्या

1. यह बुद्धि पर आधारित फ़लसफ़ा का मक्तबे फ़िक्र था जो उमवी अहद (आठवीं सदी ईसवी के आरंभ) में वासिल इब्ने अता और अम्र बिन उबैद ने क़ायम किया। अब्बासी दौरे ख़िलाफ़त में इसे बढ़ावा मिला और एक सदी तक यह ज़ेहनों पर हावी रहा और 12वीं सदी ईसवी तक इसके प्रभाव बाक़ी रहे। (मुख़्तसर इंसाइकिलोपेडिया ऑफ़ इस्लाम)

मुराद है तो हुज़ूर अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि एक सीधी लकीर (सीधा रास्ता) है और दूसरी लकीरें गुमराही की राह पर ले जाती हैं। आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि हर गुमराही की राह के सिरे पर एक शैतान बैठा है जो लोगों को उस राह की तरफ़ बुलाता है। फिर सीधी लकीर की तरफ़ इरशारा करते हुए फ़रमाया कि यह अल्लाह तआला की राह है। जब सहाबा किराम ने और व्याख्या चाही तो आप सल्ल० ने फ़रमाया कि यह मेरी राह है। इसके बाद आप सल्ल० ने यह आयत तिलावत फ़रमाई :

यह मेरा सीधा रास्ता है। तो इसी राह का अनुसरण करो, दूसरे रास्तों पर मत चलो वरना तुम अल्लाह के रास्ते से दूर हो जाओगे।

अतः यह बात बड़ी अहमियत वाली है कि तौहीद के मतलब और मफ़्हूम को इसी नहज और अंदाज़ में समझा जाए जैसा कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने उम्मत को सिखाया है वरना वह इस्लाम के उसूल व अरकान नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात पर ईमान व अमल के बावजूद दूसरे रास्तों पर चलकर सिराते मुस्तक़ीम से भटक जाएगा जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है :

इनमें से बहुत से अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करते हैं लेकिन असल में वे लोग मुश्रिक हैं।

जब अंग्रेज़ी का कोई पाठक नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में अंग्रेज़ी में उपलब्ध लिट्रेचर को पढ़ता है और तौहीद के शीर्षक पर कुछ रिसाले या पुस्तिकाएं उसकी नज़र से गुज़रती हैं तो निश्चय ही वह इस ग़लतफ़हमी का शिकार हो जाता है कि इस्लाम में तौहीद की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। यह ग़लतफ़हमी उस समय और भी गहरी हो जाती है जब पाठक इस्लाम पर प्रमाणित और आधारित किताबों का अध्ययन करता है। उनमें तौहीद पर तो एक पृष्ठ या आधा पृष्ठ का मैटर होता है जबकि सारी बड़ी किताब इस्लाम के दूसरे बुनियादी सुतूनों की व्याख्या के

लिए रिज़र्व होती है हालांकि तौहीद इस्लाम का बुनियादी और मर्कज़ी सुतून है जिस पर दूसरे तमाम सुतून टिके हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति तौहीद के अक़ीदे में पक्का नहीं है तो उसके दूसरे तमाम अरकान व उसूलों की अदाएगी एक रस्म बनकर रह जाएगी और वह मात्र एक मज़ार परस्त की तरह हो जाएगा। इसलिए यह बड़ा ज़रूरी है कि तौहीद के विषय पर और अनुवाद पेश किए जाएं ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके जो इस शीषर्क पर लिट्रेचर न होने के कारण पैदा हो गया है। और तौहीद के बारे में मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम लोगों के उन बिगड़े अक़ीदों व विचारों का सुधार किया जा सके जो आजकल आम तौर पर फैले हुए हैं।

यह किताब अंग्रेज़ी लिट्रेचर के पाठकों की सेवा में इस्लाम के अक़ीदा तौहीद के बुनियादी विशलेषण पर एक तुच्छ सी पेशकश के तौर पर लिखी गई है। इस किताब की तैयारी में प्राचीन अरबी स्क्रिप्ट को जो तौहीद के विषय पर मौजूद है बुनियाद बनाया गया है। जैसे अक़ीदतुत्तहाविया (इब्ने अबी अज़्ज़ हनफ़ी शरह अक़ीदतुत्तहाविया बेरूत) मैं शऊरी तौर पर दीनियात के विषय पर उन बहसों से अलग रहा हूं जो प्राचीन अरबी कुतुब में मौजूद हैं क्योंकि आधुनिक दौर के अंग्रेज़ी ज़बान के पाठकों के लिए उनकी कोई हैसियत नहीं है।

इस किताब का बहुत सा मैटर मैंने तौहीद के विषय पर उन पाठों से लिया है जो मैं मिनारतुर्रियाज़ इंगलिश मीडियम इस्लामिक स्कूल के दर्जा सात से दर्जा ग्यारह के छात्रों को पढ़ाता रहा हूं। अतः ज़बान बहुत सादा है। उनमें से अनेक पाठ और फ़िक़्ह, हदीस और तफ़्सीर के विषयों पर दूसरे पाठ अमेरिका और वेस्टइंडीज़ के मुसलमानों में प्रकाशित हो चुके हैं। पाठकों की सकारात्मक प्रक्रिया और इस क़िस्म के लिट्रेचर के मुतालबे को देखते हुए तौहीद के पाठों के संकलन और अधिक संबंधित विषयों की वृद्धि करके मैंने यह किताब तैयार की है। मेरी दुआ है कि

अल्लाह तआला मेरी इस काविश को क़ुबूल फ़रमाए और पाठकों को इससे लाभ उठाने का सौभाग्य दे। क्योंकि यह केवल अल्लाह के सौभाग्य और क़ुबूलियत है जो काम आती है और असल कामयाबी अल्लाह की प्रसन्नता और प्रदान करने से ही हासिल होती है।

अबू अमीना बिलाल फ़िलिप्स

रियाज़ सऊदी अरब

(कुछ समाजी और आर्थिक कारणों की वजह से मैं यह किताब 1989 ई० से पहले प्रकाशित नहीं कर सका लेकिन मसविदा को प्रकाशन के लिए तैयार करने के दौरान उसमें कुछ और वृद्धि व सुधार का मौक़ा भी मिला। इससे इंशाअल्लाह किताब की महत्ता में वृद्धि होगी।)

अध्याय : 1

तौहीद की क़िस्में

तौहीद के शाब्दिक मायना वहदत के हैं अर्थात वहदत का ऐलान करना, यह अरबी शब्द वहद से बना है जिसका मतलब है मुत्तहिद करना, इत्तिहाद, इज्तिमा।[1] (मिलाकर एक कर देना) लेकिन जब यह परिभाषा अल्लाह तआला के हवाले से इस्तेमाल की जाती है तो इसका मतलब तौहीद[2] अल्लाह अर्थात अल्लाह तआला की वहदत को मानना और उस पर जम जाना होता है। अर्थात इंसान के उन तमाम मामलों में तौहीद की धारणा और एहसास को बरक़रार रखना जिनका सीधा ताल्लुक़ ज़ाते बारी से है। यह रुबूबियत का अक़ीदा है कि अल्लाह की ज़ात वाहिद या उसके अधिकार और दायरा अमल में कोई उसका शरीक नहीं है। वहदत जिसमें न कोई उसका साथी है न उस जैसी विशेषता वाला है (तौहीद असमा व सिफ़ात) तौहीद उलूहियत व इबादत अर्थात न कोई उसका मुक़ाबिल है न इबादत में कोई उसका शरीक हो सकता है। यह तीन पहलू हैं जिनसे तौहीद की क़िस्में तैयार होती हैं और इन्हीं तीनों पर अक़ीदा तौहीद निर्भर है। ये तीनों क़िस्में एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक क़िस्म को भी छोड़ दे तो उसका अक़ीदा तौहीद बाक़ी नहीं रहेगा। अक़ीदा तौहीद की इन तीनों क़िस्मों में से किसी एक को भी छोड़

---

1. जदीद अरबी डिक्शनरी अज़ जे. एम. क्राउन।

2. तौहीद का शब्द क़ुरआन पाक या हदीस नबवी सल्ल० में कहीं नहीं आया है लेकिन जब नबी सल्ल० ने मुआज़ बिन जबल रज़ि० को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा (9 हिजरी) तो इरशाद फ़रमाया, तुम ईसाइयों और यहूदियों (अहले किताब) की तरफ़ जा रहे हो तो पहला काम जो तुम्हें करना है वह यह है कि उन्हें तौहीद की दावत दो। इसे बुख़ारी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से रिवायत किया है।

देने का शिर्क कहा जाएगा अर्थात अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना और इस्लामीं परिभाषा में यह मूर्ति पूजा के जैसे है तौहीद की इन तीनों क़िस्मों के लिए निम्न परिभाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं।

1. तौहीद रुबूबियत : अर्थात वहदत हाकिमियत बारी तआला

2. तौहीद असमा व सिफ़ात : असमा व सिफ़ात में अल्लाह तआला की समानता।

3. तौहीद इबादत : अल्लाह तआला का ही इबादत का हक़दार होना।

तौहीद की यह तक़्सीम रसूलुल्लाह सल्ल० या सहाबा किराम रज़ि० में से किसी ने नहीं की क्योंकि उस समय इस्लाम के इस बुनियादी अक़ीदे के इस क़िस्म के विशलेषण की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। लेकिन तौहीद की ये तीनों क़िस्में बुनियादी तौर पर क़ुरआन पाक की आयात हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की अहादीस और रिवायात, सहाबा किराम रज़ि० के यहां मिल जाती हैं। अगले पृष्ठों में इन क़िस्मों की व्याख्या के तहत उसका स्पष्टीकरण किया जाएगा। जब इस्लाम मिस्र बाज़नतीन, ईरान और हिन्दुस्तान में पहुंचा और यहां के लोगों के विचार व अक़ीदे इसमें दाख़िल होने लगे तब तौहीद की यह क़िस्में स्पष्ट करने की ज़रूरत पेश आई। यह एक बिल्कुल फ़ितरी बात थी कि जब इन देशों के लोग इस्लाम लाए तो अपने पूर्व मज़हब के कुछ अक़ीदे भी साथ लाए। जब उन नवमुस्लिम विद्वानों ने ज़ाते खुदावंदी के बारे में विभिन्न फ़लसफ़ियाना धारणाओं पर बहस व लिखाई का आरंभ किया तो उससे इस्लाम के रौशन और विशुद्ध अक़ीदा तौहीद को ख़तरा सामने आया। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने प्रत्यक्ष में इस्लाम क़ुबूल कर लिया था लेकिन अप्रत्यक्ष वह अंदर रहकर मज़हब को ध्वस्त करने में प्रयासरत थे क्योंकि वे ताक़त के ज़ोर पर इस्लाम का विरोध नहीं कर सकते थे। इस वर्ग ने ज़ाते इलाही के बारे में लोगों में ख़राब अक़ीदों का प्रचार शुरू किया और इस तरह

इस्लाम और ईमान के सबसे पहले रुक्न को घायल करने और इस्लाम को सख़्त नुक़्सान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की।

इस्लामी इतिहासकार की व्याख्याओं के मुताबिक़ पहला व्यक्ति जिसने इंसान के मुख़्तार होने का और तक़दीर का इंकार किया वह एक इराक़ी ईसाई नवमुस्लिम सासिन नामी था। सासिन बाद को मुरतद होकर ईसाई हो गया लेकिन उससे पहले वह अपने शागिर्द माबद इब्ने ख़ालिद जुहनी बसरी के ज़ेहन को ख़राब कर चुका था। माबद अपने उस्ताद के विचार व अक़ाइद का प्रचार करता रहा ताकि उमवी ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक बिन मरवान (705-685) के हुक्म से 700 ई० में उसे सूली दे दी गई।[1] नव उम्र सहाबा जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (मृत्यु 692 ई०) और अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ (मृत्यु 705 ई०) लोगों को नसीहत करते थे कि वे उन लोगों को जो तक़्दीर का इंकार करते हैं सलाम न करें न उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ें अर्थात वह उन्हें काफ़िर समझते थे।[2]

लेकिन इंसान के मुख़्तार होने की बाबत नसरानी फ़लसफ़ा की दलीलों को नए तौहीद परस्त मिलते रहे। ग़ीलान बिन मुस्लिम दमिश्क़ी जो माबद का शागिर्द था और अक़ीदा जब्र व इख़्तियार का प्रचार करता था उसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के सामने पेश किया गया। उसने सबके सामने अपने अक़ाइद से तौबा की लेकिन ख़लीफ़ा राशिद की वफ़ात के बाद उसने फिर अपने अक़ीदा (इंसान का मुख़्तार होना) का प्रचार शुरू कर दिया। ख़लीफ़ा हिशाम बिन अब्दुल मलिक (724-743 ई०) जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद ख़लीफ़ा हुआ उसने उसे गिरफ़्तार कराया उस पर मुक़दमा चलाया गया और सज़ाए मौत दी गई। इस सिलसिले की एक और प्रमुख और विवादित शख़्सियत जअद बिन दरहम थी जो अक़ीदा इख़्तियार का प्रचार करता था। उसने अल्लाह की

1. इब्ने हजर तहज़ीबुत्तहज़ीब।
2. अब्दुल क़ादिर बिन ताहिर बग़दादी अलफ़र्क़ बैनुल फ़ुरूक़।

विशेषताओं के बारे में क़ुरआनी आयात की अफ़लातूनी फ़लसफ़ा के मुताबिक़ टीका करने की कोशिश भी की। एक ज़माने में जअद उमवी शहज़ादे मरवान बिन मुहम्मद का उस्ताद भी रहा जो उमवी ख़ानदान का चौदहवां ख़लीफ़ा (744-750 ई०) बना। दमिश्क़ में अपने एक ख़िताब के दौरान उसने ऐलानिया तौर पर अल्लाह तआला की कुछ विशेषताओं जैसे समीअ (सुनने वाला) व बसीर (देखने वाला) आदि का इंकार किया[1] आख़िरकार उमवी गवर्नर ने उसे शहर बदर कर दिया। यहां से वह कूफ़ा चला गया और अपने नज़रियात का प्रचार करता रहा। वहां भी उसके अनेक शागिर्द पैदा हो गए तब उमवी गवर्नर ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने 736 ई० में उसे सरे आम सूली पर लटका दिया। लेकिन जहम इब्ने सफ़वान जो इसका ख़ास शागिर्द था तिर्मिज़ और बल्ख़ के फ़लासफ़ा वालों में उसके नज़रियात का बचाव करता रहा। जब उसके अधर्मी विचारों की बड़े पैमाने पर इशाअत होने लगी तो उमवी गवर्नर नसर बिन सियार ने 743 ई० में उसे मौत की सज़ा दी। शुरू दौर के ख़ुल्फ़ा और गवर्नर इस्लाम के उसूलों से क़रीब थे और लोगों में भी दीनी समझ ज़्यादा जागरुक थी क्योंकि सहाबा किराम और ताबईन उनके बीच मौजूद थे। अतएव इस प्रकार के विचारों के मुतालबे पर शासकों की तरफ़ से तुरन्त कार्रवाई की जाती थी। लेकिन बाद के उमवी ख़लीफ़ा ज़्यादा ख़राब थे और उन मज़हबी मामलों के बारे में संवेदनशील नहीं थे। लोगों में भी पहले जैसी दीनी समझ बाक़ी नहीं रह गयी थी और वह ऐसे अधर्मी नज़रियात को बरदाश्त कर लेते थे क्योंकि लोग बड़ी तादाद में इस्लाम क़ुबूल कर रहे थे और पराजित क़ौमों के इल्मी नज़रियात का दख़ल इस्लामी समाज में बढ़ रहा था इसलिए नास्तिकों को सज़ाए मौत दिए जाने के बावजूद इस प्रकार के नज़रियात का तूफ़ान रुक नहीं पा रहा था। अतः उन नास्तिक नज़रियात का मुक़ाबला करने का बोझ उस दौर के

1. मुहम्मद बिन अब्दुल करीम, शहरिस्तानी अल मलल वन्नहल।

मुस्लिम उलमा के कांधों पर आया जिन्होंने उस चैलेंज का वैचारिक और इल्मी अंदाज़ से मुक़ाबला किया। उन्होंने मुख़्तलिफ़ ख़ारजी फ़लसफ़ा और मक्तबों का रद्द किया और क़ुरआन व सुन्नत से उसूलों का विशलेषण करके उन नज़रियात का ख़ात्मा किया। इसी तरीक़े की एक शाख़ के तौर पर इल्म तौहीद का इसकी नियमित व्याख्याओं व क़िस्मों व अंशों के साथ फ़रोग़ हुआ। सुधार का यह अमल उलूम इस्लामी के दूसरे विभागों में भी एक साथ शुरू हुआ जैसा कि आधुनिक उलूम के विभिन्न विभागों में ऐसा ही अमल हुआ है। अतः तौहीद की क़िस्मों का अध्ययन अलेहदा और ज़्यादा गहरी नज़र से किया जाता है। यह बात फ़रामोश नहीं की जानी चाहिए कि यह सब एक बुनियादी समग्र के हिस्से हैं जोकि एक महानतम समग्र अर्थात स्वयं इस्लाम की बुनियाद है।

तौहीद बनाम पालनहार

तौहीद की इस क़िस्म की बुनियाद इस अक़ीदे पर है कि जब कायनात में कुछ नहीं था तो अल्लाह तआला ने हर चीज़ को पैदा किया वह अपनी तमाम स्रष्टि की परवरिश करता है और वह उनमें से किसी का मोहताज नहीं है वह कायनात और स्रष्टि का मुख़्तार कुल है और उसके इख़्तियारात का कोई मुक़ाबिल नहीं है न उसके शासन को कोई ख़तरा है। अरबी ज़बान में स्रष्टा व राज़िक़ की उन विशेषताओं की ताबीर व व्याख्या के लिए रुबूबियत का शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसकी असल रब (आक़ा) है इस प्रकार (क़िस्म) के मुताबिक़ क्योंकि अल्लाह तआला ही असल ख़ालिक़ व मालिक है उसी ने सारी चीज़ों को हरकत व चलत फिरत की सलाहियत प्रदान की है, कोई वस्तु वजूद में नहीं आती जब तक कि उसकी मर्ज़ी उसमें शामिल न हो। इस हक़ीक़त के एतेराफ़ में नबी सल्ल० अधिकता से ला हवला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहि का विर्द किया करते थे।

रुबूबियत की धारणा की बुनियाद क़ुरआन अज़ीम की अनेक आयात में देखी जा सकती है। जैसे :

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ (الزمر ٦٢-٣٩)

अल्लाह ने ही तमाम चीज़ों को पैदा किया और वही हर चीज़ का निगहबान है। (सूरह ज़ुमर 39 : 62)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ. (الصفات: ٩٦-٣٧)

अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और वह तमाम कामों को जो तुम करते हो। (सूरह साफ़्फ़ात, 37 : 96)

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى. (سورة الانفال: ١٧-٨)

यह मिट्टी फेंकने वाले तुम नहीं थे बल्कि यह अल्लाह था जिसने फेंकी।[1] (सूरह अनफ़ाल, 8 : 17)

وَمَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. (التغابن: ١١-٦٤)

और कोई भी मुसीबत अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं आती। (सूरह तग़ाबुन, 64 : 11)

हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इसका स्पष्टीकरण फ़रमाया :

अगर तमाम मानव जाति तुम्हारे हक़ में कुछ करने के लिए इकट्ठा हो जाएं तब भी वे उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे जो अल्लाह तआला ने पहले ही तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दिया है। इसी तरह अगर तमाम मानव जाति तुम्हें नुक़्सान पहुंचाने के लिए इकट्ठा हो जाएं तब भी वे उससे ज़्यादा कुछ भी तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं कर सकेंगे जो पहले ही अल्लाह तआला ने तुम्हारी तक़दीर में लिख दिया है।

तो इंसान जिसे ख़ुश क़िस्मती या बदक़िसमती क़रार देता है वह

1. यह घटना ग़ज़वा बदर के दौरान पेश आई। नबी सल्ल० ने अपने हाथ में कुछ मिट्टी लेकर कुफ़्फ़ार की तरफ़ फेंकी यद्यपि दुश्मन काफ़ी फ़ासले पर था लेकिन अल्लाह तआला ने उस मिट्टी से उन (कुफ़्फ़ार) के चेहरे धूल मिट्टी से आलूदा कर दिए।

केवल वही बातें हैं जो अल्लाह तआला ने पहले ही उसकी तक़दीर में लिख दी हैं और अपने समय पर प्रकट होती हैं। जैसा कि अल्लाह ने मुक़द्दर कर दिया है।[1] अल्लाह तआला क़ुरआन अज़ीम में इरशाद फ़रमाता है :

يَـا اَيُّهَـا الَّـذِيْنَ اٰمَـنُـوْا اِنَّ مِـنْ اَزْوَاجِـكُـمْ وَاَوْلَادِكُـمْ عَـدُوًّالَّـكُـمْ فَاحْذَرُوْهُمْ. (التغابن: ۱۴-۶۴)

ऐ ईमान वालो! तुम्हारी पत्नियां व औलाद में तुम्हारे दुश्मन मौजूद हैं तो तुम उनसे ख़बरदार रहो। (सूरह तग़ाबुन, 64 : 14) इसका मतलब यह है कि नबी सल्ल० के जीवन की कुछ अच्छी चीज़ें भी अल्लाह की तरफ़ से आज़माइश का दर्जा रखती हैं। इसी तरह कुछ दुखद और भयानक घटनाएं भी एक प्रकार की आज़माइश होती हैं जैसा कि इरशाद है :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ. (البقره: ۱۰۵-۲)

यक़ीनन हम तुम्हें माल व जान और पैदावार का नुक़्सान देकर भय और अकाल का शिकार करके तुम्हारी आज़माइश करेंगे। अतः बशारत है सब्र करने वालों के लिए। (सूरह बक़रा, 2 : 105)

कभी मिसालें स्पष्ट होती हैं। जैसा कि तर्क व प्रमाण का ताल्लुक़। कभी ऐसा नहीं भी होता जैसा कि कभी कभी बुराइयों से प्रत्यक्ष में बेहतर नताइज हासिल हो जाते हैं और कभी कभी सही क़दम से भी ग़लत नताइज स्पष्ट होते हैं। क़ुरआन अज़ीम में अल्लाह तआला ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए फ़रमाया कि उन प्रत्यक्ष में अनियमिताओं के पीछे जो रहस्य काम कर रहे हैं इसांनी अक़्ल अपनी सीमित सलाहियत के सबब उनको तत्काल समझने से क़ासिर रहती है।

---

1. तिर्मिज़ी में इसे इब्ने अब्बास से रिवायत किया गया है।

وَعَسىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئاً وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسىٰ اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئاً وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ. (البقرہ: ٢١٦-٢)

तुम्हें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं यद्यपि उनमें तुम्हारे लिए ख़ैर (भलाई) है। कुछ चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं जबकि उनमें तुम्हारे लिए बुराई है। अल्लाह उसे जानता है तुम नहीं जानते। (सूरह बक़रा, 2: 216)

देखने में इंसानी ज़िंदगी में कुछ कष्टदायक घटनाएं पेश आती हैं लेकिन नतीजे के हिसाब से वह बहुत ही लाभदायक मालूम होने लगते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वे चीज़ें इंसान जिनका तलबगार होता है वे उसके लिए हानिकारक बन जाती हैं। नतीजे के तौर पर उन मसाइल में जो इंसानी ज़िंदगी पर प्रभावी होते हैं, उसका सोचने का ढंग उन पसन्दीदा कामों व चीज़ों में जो उसके सामने हों सीमित होकर रह जाता है और उसकी नज़र उस पसन्दीदगी के असल नतीजे तक नहीं पहुंच पाती। दूसरे शब्दों में इंसान मंसूबे बनाता है और क़ुदरत उन्हें काटकर रख देती है। इसी तरह खुशक़िस्मती या बदक़िस्मती के नाम पर पेश आने वाले हालात व घटनाएं भी सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ़ से ही सादिर होती हैं उनमें अलामतों जादू, टोने, टोटके मुबारक आदाद शगून जैसेः तेरहवीं तारीख़ का जुमा, आईना टूट जाना, काली बिल्ली का रास्ता काटना आदि का कोई अमल दख़ल नहीं होता हक़ीक़त में शगून, तावीज़ गन्डों आदि में अक़ीदत रखना शिर्क की अलामत है।

नबी सल्ल० के एक सहाबी उक़बा से रिवायत है कि एक बार कुछ लोग आप सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुए और आपके दस्ते मुबारक पर बैअत की, हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने उनमें से नौ (9) लोगों की बैअत क़ुबूल कर ली लेकिन दसवें व्यक्ति की बैअत लेने से इंकार कर दिया। लोगों ने कारण मालूम किया तो रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि उस व्यक्ति ने तावीज़ पहन रखा है। उसने फ़ौरन तावीज़ उतार कर उसे

काट दिया। तब हुज़ूर अकरम सल्ल० ने उससे बैअत ली फिर आप सल्ल० ने फ़रमाया, जिस व्यक्ति ने तावीज़ पहना वह शिर्क का करने वाला हुआ। (मुसनद)

जहां तक क़ुरआनी आयात को तावीज़ के तौर पर या गंडा इस्तेमाल करना, कपड़े में लपेट कर या नाज़ुक सी ज़ंजीर में सजा करके पहनने का सवाल है ताकि बरकत हासिल हो और दुर्घटनाओं से हिफ़ाज़त रहे तो इस क़िस्म के काम व अक़ाइद और मुश्रिकीन अरब के अक़ाइद में कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं है। न तो स्वयं नबी सल्ल० और न आपके सहाबा रज़ि० ने कभी क़ुरआनी आयात का इस अंदाज़ से इस्तेमाल किया। हुज़ूर सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : जिसने दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जो उसका हिस्सा नहीं है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। (यह हज़रत आइशा रज़ि० की रिवायत है जिसे बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाऊद ने नक़ल किया है) यह सही है कि सूरह नास और सूरह फ़लक़ जादू का असर दूर करने के लिए नाज़िल की गई थीं। लेकिन नबी सल्ल० ने उनके इस्तेमाल का सही तरीक़ा भी बता दिया। एक मौक़े पर जब उनपर जादू का असर था आपने अली इब्ने अबी तालिब रज़ि० से फ़रमाया कि इन दोनों सूरतों की तिलावत करें और जब आप स्वयं बीमार हुए तो उन्हीं सूरतों को पढ़ा करते थे। (हज़रत आइशा रज़ि० से मरवी है जिसे बुख़ारी, मुस्लिम ने नक़ल किया है) आप सल्ल० ने इन सूरतों को लिखकर उन्हें नहीं दिया कि वह गले में लटकाएं बाज़ू या कलाई पर बांधें या कमर के चारों ओर पहन लें।

तौहीद असमा व सिफ़ात
(अल्लाह तआला के पाक नाम व विशेषताओं की वहदत)

तौहीद की इस क़िस्म के पांच अहम पहलू हैं : एक यह कि अल्लाह तआला के पाक नाम और गुणों की वहदत पर ईमान होना। अल्लाह को इसी तौर से पुकारा जाए जैसा कि स्वयं अल्लाह ने क़ुरआन पाक में

इरशाद फ़रमाया है और अल्लाह के रसूल सल्ल० ने तालीम दी है उनमें अल्लाह तआला के पाक नाम व गुणों को उनके ज़ाहिरी मायना के सिवा और कोई मतलब नहीं दिया गया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तआला ने क़ुरआन पाक में इरशाद फ़रमाया है कि वह कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन से अप्रसन्न है।

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ والْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّلَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا. (الفتح ٦ - ٤٨)

अल्लाह तआला मुश्रिक और कपटी मर्द और औरतों को अज़ाब देगा जो उसके बारे में अच्छी भावना रखते हैं। बुराई का दायरा उन पर सवार है। अल्लाह उनसे नाराज़ है उन पर लानत करता है और उनके लिए बहुत बुरा अंजाम है।

इस तरह प्रकोप (नाराज़गी) भी अल्लाह के गुणों में से एक गुण है। यह कहना सही नहीं है कि प्रकोप से तात्पर्य अज़ाब होना चाहिए क्योंकि ग़ुस्सा इंसान में कमज़ोरी की अलामत समझा जाता है अतः यह अल्लाह के शायाने शान नहीं है। जो कुछ अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया है उसे उसी तरह मानना चाहिए इस शर्त के साथ कि उसका ग़ुस्सा इंसानी ग़ुस्से की तरह नहीं है। अल्लाह तआला का इरशाद है कि कोई चीज़ उसकी तरह नहीं है। (सूरह शूरा, 42 : 11)

अगर तथा कथित बुद्धिमानों पसन्दों की ताबीर को उसके मंतक़ी अंजाम तक ले जाया जाए तो यह स्वयं अल्लाह तआला के वजूद के इंकार तक पहुंचती है। क्योंकि अल्लाह तआला ने स्वयं को हय्य (ज़िंदा) कहा है और इंसान भी ज़िंदा रहता है अतः बुद्धि जीवियों के विवेचन के मुताबिक़ अल्लाह तआला न ज़िंदा है न बाक़ी है। हक़ीक़त यह है कि अल्लाह तआला की विशेषताओं और इंसानी विशेषताओं के बीच जो समानता है वह मात्र नाम की हद तक है दर्जे के हिसाब से नहीं है। जब

अल्लाह तआला की विशेषताओं का ज़िक्र आए तो उन्हें उनके सर्वथा अर्थों में समझा जाना चाहिए जो इंसानी कमज़ोरियों से मुक्त हैं।

2. तौहीद असमा व सिफ़ात का दूसरा पहलू, अल्लाह को इस तरीक़े से पुकारना है जैसा कि उसने अपने बारे में कहा है। उसमें नए मायना और भावार्थ या नाम को शामिल नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अल्लाह तआला को प्रकोप (ग़ुस्सा करने वाला) नहीं कहना चाहिए यद्यपि स्वयं अल्लाह ने फ़रमाया कि उसे ग़ुस्सा आता है। न अल्लाह तआला ने न उसके रसूल सल्ल० ने यह नाम इस्तेमाल किया है। यह यूं एक लतीफ़ नुकता मालूम होता है लेकिन अल्लाह तआला की विशेषताओं की ग़लत ताबीर से बचने के लिए उसे सामने रखना चाहिए अर्थात नष्ट होने वाला इंसान अल्लाह हय्य व क़य्यूम और ख़ालिक़ अकबर के गुणों की मुकम्मल ताबीर व व्याख्या नहीं कर सकता।

3. तौहीद असमा व सिफ़ात के तीसरे ख़ाने के तहत अल्लाह तआला को उसकी स्रष्टि के हवाले के बिना पुकारा जाए। जैसे : तौरात और इंजील में कहा गया है कि अल्लाह तआला ने पहले छः दिन कायनात के निर्माण में गुज़ारे फिर सातवें दिन वह सो गया उस काम से फ़ारिग हुआ[1] जिसे वह कर चुका था। इसी लिए यहूदी और ईसाई सबत या इतवार के दिन को छुट्टी का दिन क़रार देते हैं और उस दिन काम करना गुनाह समझा जाता है। इस क़िस्म का दावा करना मानो अल्लाह तआला को उसकी स्रष्टि के गुण से संवारना है यह इंसान की विशेषता है कि वह मेहनत के काम से थक जाता है और उसे आराम की ज़रूरत होती है ताकि वह ताज़ा दम हो सके।[2]

---

1. पैदाइश (2-2) और सातवें दिन ख़ुदा ने अपना वह काम पूरा कर लिया जिसे वह कर रहा था और सातवें दिन उसने आराम किया।

(इंजील मुक़द्दस, नज़र सानी शुदा ऐडीशन)

2. इसके विपरीत अल्लाह तआला का इरशाद है : "न उसे थकान होती है न वह सोता है।" (बक़रा)

एक और जगह तौरात और इंजील में ख़ुदा को अपने ग़लत विचारों पर लज्जित होते दिखाया गया है।[1]

जैसा कि इंसान जब उसे अपनी ग़लती का एहसास होता है तो वह लज्जित होने का शिकार हो जाता है। इसी तरह यह अक़ीदा कि अल्लाह तआला रूह है या उसमें रूह है। यह अक़ीदा तौहीद के उस पहलू को पूरी तरह विनष्ट कर देता है। अल्लाह तआला ने क़ुरआन अज़ीम में कहीं भी स्वयं को रूह से ताबीर नहीं किया है न रसूलुल्लाह सल्ल० की किसी हदीस से इस तरह की कोई बात साबित होती है। असल में अल्लाह तआला ने रूह को अपनी स्रष्टि का हिस्सा क़रार दिया है।[2]

अल्लाह तआला की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए जो उसूल अपनाया जाए वह यह है : "कोई चीज़ उसके जैसी नहीं और वह सुनने और देखने वाला है।" (सूरह शूरा, 42 : 11)

सुनने व देखने का संबंध इंसानी गुणों से भी है लेकिन जब ज़ाते बारी के संबंध से इन गुणों को बयान किया जाता है तो उनके कमाल को किसी दूसरे के गुणों के समान नहीं समझा जा सकता। जब इंसान की देखने व सुनने की शक्ति का ज़िक्र किया जाता है तो उनके साथ आंख और कान का वजूद भी लाज़मी है जबकि अल्लाह तआला के गुणों के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं है। स्रष्टा के बारे में इंसान जो कुछ थोड़ा बहुत जानता है वह मात्र इतना ही है जो उसने अपने रसूलों के ज़रिए बतलाया है। अतः इंसान को अपने इल्म के इसी सीमित दायरे के अंदर रहना चाहिए। जब गुणों के ताल्लुक़ से इंसान अपनी अक़्ल को बेलगाम छोड़ देता है तो वह स्रष्टा की विशेषताओं को स्रष्टि की विशेषताओं के जैसा ठहराकर

---

1. ख़ुरूज 22 और जब ख़ुदा को उस बुराई का ख़्याल आया जो वह अपने बन्दों से करने वाला था तो वह लज्जित हुआ। (इंजील मुक़द्दस नज़रसानी शुदा ऐडीशन)

2. अल्लाह तआला ने स्पष्ट रूप से फ़रमाया : "वह आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं कह दीजिए कि रूह मेरे रब का फ़रमान है।" (सूरह इसरा, 17 : 83)

गुमराही का शिकार हो जाता है।

ख़ुदा को तम्सीली तौर पर पेश करने के शौक़ में ईसाइयों ने तस्वीरें, तराशी हुई मूर्तियों के ज़रिए इंसानी शक्ल व सूरत जैसी असंख्य तस्वीरें और मूर्तियां बना डाली और उन्हें वह ख़ुदा की तरह क़रार देते हैं। इसी से ईसाई जनता में ईसा मसीह की ईश्वरत्व के अक़ीदे को मक़्बूलियत हासिल हुई। जब उन्होंने स्रष्टा को इंसानी रूप में बतौर अक़ीदा तस्लीम कर लिया फिर ईसा को ख़ुदा तस्लीम करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई।

4. तौहीद असमा व सिफ़ात का तीसरा पहलू यह है कि इंसान को ईश्वरीय गुणों वाला न माना जाए। मिसाल के तौर पर आधुनिक स्टेटमेन्ट (इंजील) में पॉल ने तौरात से शाह सालिम मेलीनी ज़ेदक का किरदार लेकर उसे और ईसा मसीह को ईश्वरी गुणों वाला क़रार दिया है जिनका न आरंभ है न अन्त। शाह सालिम, ख़ुदाए अज़ीम के रब्बी अबराहाम से मिला उसने उसे बरकत दी और अबराहाम ने हर चीज़ में से दसवां हिस्सा उसे प्रदान किया। अपने नाम की ताबीर से वह पहले है भले लोगों का बादशाह और फिर वह सालिम का बादशाह भी है। अर्थात अम्न का बादशाह उसके न बाप है न मां न उसका कोई शजरा है और न उसके दिन का आरंभ है और न जीवन का अंजाम लेकिन ख़ुदावंद के फ़रज़न्द की एक रूपता से वह सदा का काहिन रहेगा।

5. यसूअ ने स्वयं को काहिन नहीं बनाया लेकिन उसने उसे काहिन बनाया जिसने उससे कहा कि तू मेरा फ़रज़न्द है। आज मैंने तुझे पैदा किया।

6. जैसा कि वह एक दूसरे स्थान पर कहता है मासकी ज़ीदक के हुक्म के बाद तू सदा के लिए काहिन रहेगा।

शीओं के अधिकांश सम्प्रदाय (यमन के ज़ेदियों को छोड़कर) अपने इमामों को मासूम और आसमानी गुणों वाला क़रार देते हैं। (2) अतीत

व भविष्य के हालात और परोक्ष का ज्ञान व तक़दीर बदल देने की ताक़त और निर्मित भागों पर कंट्रोल। इस तरह वह उन्हें अल्लाह तआला का शरीक बना देते हैं जिन्हें ईश्वरीय गुण हासिल हैं और जो हक़ीक़त में ख़ुदा के साथ ख़ुदा की हैसियत इख़्तियार कर लेते हैं।[1]

6. अल्लाह के पाक नामों की वहदत को लाज़मी रखना, उससे तात्पर्य यह भी है कि अल्लाह तआला के नाम एक स्पष्ट सूरत में स्रष्टि को नहीं दिए जा सकते जब तक उनके साथ वास्ता न हो। अब्द के मायना हैं किसी का ग़ुलाम या ख़ादिम। अल्लाह तआला के अनेक नाम अपनी असीमित शक्ल में जैसे रऊफ़ और रहीम, रखना लोगों के लिए जाइज़ है क्योंकि अल्लाह तआला ने उन नामों को इस असीमित शक्ल में अपने रसूल के लिए इस्तेमाल किया है।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. (التوبه ١٢٨-٩)

---

1. मुहम्मद रज़ा मुज़फ़्फ़र अपनी किताब शीई़ इस्लाम का अक़ीदा (अमेरिका, बरतानिया का मुहम्मदी ट्रस्ट) हमारा अक़ीदा यह है कि रसूल की तरह इमाम भी मासूम होता है अर्थात वह कोई ग़लती नहीं कर सकता न कोई ग़लत काम कर सकता है चाहे प्रत्यक्ष में हो या अप्रत्यक्ष में अपनी पैदाइश से वफ़ात तक शऊरी या ग़ैर शऊरी तौर पर उससे कोई ग़लती नहीं हो सकती। क्योंकि इमाम इस्लाम के मुहाफ़िज़ होते हैं और यह उन्हीं की हिफ़ाज़त में है। (पृ० 32)

और देखिए : असलम, नहरान, अज़ सय्यद सईद अख़तर रिज़वी मुज़फ़्फ़र आगे लिखते हैं हमारा अक़ीदा है कि इल्हाम पाने की इमामों की ताक़त कमाल के ऊंचे दर्जे को पहुंची होती है हमारे अक़ीदे के मुताबिक़ उन्हें यह क़ुदरत आसमानों से मिली है उसका मतलब यह है कि इमाम को कहीं भी किसी समय और किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान की क़ुदरत है और ख़ुदाए तआला की तरफ़ से दी गई क़ुदरत के तहत वह बिना किसी तौर तरीक़े व दलील या किसी अध्यापक की रहनुमाई के बिना वह अविलम्ब उसे समझ सकता है।

अलखुमैनी का कथन है निःसन्देह इमाम का दर्जा बहुत बुलन्द है एक अज़ीम दर्जा तख़्लीक़ी ख़िलाफ़त और तख़्लीक़ के तमाम भागों पर क़ुदरत और कमाल। आयतुल्लाह मूसवी अल ख़मैनी हुकूमतुल इस्लामिया, प्रकाशन बैरूत।

तुम ही में से एक रसूल आया है जो चीज़ तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाए वह उस पर भारी गुज़रती वह तुम्हारे बारे में बहुत संवेदनशील है वह हमदर्दी व रहमत की मूर्ति है।

लेकिन किसी व्यक्ति को रऊफ़ या रहीम कहना केवल इसी सूरत में जाइज़ होगा जबकि उसके साथ अब्द का शब्द शामिल किया जाए अब्दुर्रऊफ़, अब्दुर्रहीम क्योंकि अपनी असल शक्ल में यह सिफ़ाती नाम कमाल के उस दर्जे को स्पष्ट करते हैं जो केवल अल्लाह तआला की ज़ात के लिए ही ख़ास है।

इसी तरह ऐसे नाम जिनसे बन्दे की निस्बत अब्दियत ग़ैरुल्लाह से संबंधित की जाती है जैसे अब्दुर्रसूल, अब्दुन्नबी या अब्दुल हुसैन आदि भी शरअन मना हैं। इसी उसूल के अन्तर्गत हुज़ूर अकरम सल्ल० ने मुसलमानों को मनाही की कि वे अपने ग़ुलामों को अब्दी (मेरे ग़ुलाम) या उम्मती (मेरी कनीज़) कहकर बुलाएं।

तौहीद इबादत

तौहीद की पहली दो क़िस्मों के व्यापक मतलब के गुण रहित तौहीद के तक़ाज़ों को पूरा करने के लिए उनमें पक्का अक़ीदा होना ही काफ़ी नहीं है। तौहीद रुबूबिया और तौहीद असमा व सिफ़ात की पूर्ति के लिए यह ज़रूरी है कि तौहीद इबादत पर भी कामिल ईमान होता कि इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक़ तौहीद पर ईमान कामिल हो। इस नुकते को इस बात से साबित किया जा सकता है कि अल्लाह तआला ने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर किया है कि रसूले अकरम सल्ल० के अहद के मुशिरक (बुतपरस्त) तौहीद की पहली दो क़िस्मों के अनेक पहलुओं पर यक़ीन रखते थे। क़ुरआन पाक में अल्लाह तआला ने अपने रसूल को हिदायत की कि वह मुशिरकों से पूछें :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ. (يونس ۳۱-۱۰)

"इन मुश्रिकों से पूछिए वह कौन है जो तुम्हें आसमान व ज़मीन से आजीविका प्रदान करता है जो सुनने व देखने का मालिक है जो बेजान चीज़ को ज़ानदार चीज़ से निकालता है और जानदार चीज़ से बेजान को बाहर लाता है और इंसानों के मामलों की तदबीर करता है तो वे सब कहेंगे कि अल्लाह।" (सूरह यूनुस, 10 : 31)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ. (الزخرف: ۸۷-۴۳)

"अगर इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया तो निःसन्देह वे कहेंगे कि अल्लाह ने।" (सूरह ज़ुख़रुफ़, 43 : 87)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ. (العنكبوت: ۶۳-۲۹)

"अगर इनसे पूछा जाए कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है जिससे मुर्दा ज़मीन दोबारा जी उठती है (हरी भरी व शादाब हो जाती है) तो निश्चय ही वे कहेंगे कि अल्लाह।" (सूरह अनकबूत, 29 : 63)

तमाम मुश्रिकीने मक्का अल्लाह तआला को स्रष्टा राज़िक़ और मालिक (पालनहार) समझते थे लेकिन उस ज्ञान और अक़ीदे के बावजूद मुसलमान नहीं समझे गए।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ. (يوسف: ۱۰۶-۱۲)

"उनमें से अधिकांश अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर यह कि वे उसका शरीक ठहराते थे।" (सूरह यूसुफ़, 12 : 106)

मुजाहिद ने इस आयत की टीका इस तरह की है अल्लाह के बारे में उन मुश्रिकीन का अक़ीदा यह था कि अल्लाह ने हमें पैदा किया वही हमें आजीविका देता है और वही हमें मौत देता है। लेकिन उनका यह अक़ीदा अल्लाह के साथ असत्य उपास्यों की पूजा से उन्हें रोक नहीं

सका। ऊपर वाली आयाते क़ुरआनी से स्पष्ट होता है कि कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन अल्लाह की प्रभुसत्ता और शक्ति को जानते और मानते थे। हक़ीक़त में वह निष्ठा के साथ कई तरह से अल्लाह की इबादत भी करते थे। जैसे : हज करना, क़ुरबानी करना, सदक़ा करना, मन्नत मानना और सख़्त परेशानी और विरोध के समय उपासना भी करते थे बल्कि वह यह दावा भी करते थे कि वे दीने इबराहीमी के अनुयायी हैं। उनके इस दावे के बारे में यह आयाते क़ुरआनी अवतरित हुई :

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (ال عمران: ٦٧-٣٠)

"इबराहीम यहूदी या ईसाई नहीं थे बल्कि वे तो सच्चे मुसलमान थे वह अल्लाह के साथ किसी को साझी नहीं ठहराते थे।"

(सूरह आले इमरान, 30 : 67)

कुछ मुश्रिकीन क़ियामत हिसाब किताब और भाग्य पर भी अक़ीदा रखते थे। अज्ञानता की शायरी में इसकी अनेक मिसालें तलाश की जा सकती हैं मिसाल के तौर पर ज़ुहैर का यह शेअर :

या तो इसमें देरी कर दी गई है और हिसाब के दिन के लिए किताब में सुरक्षित कर दिया गया है या जल्दी की गई हैं और इंतिज़ाम लिया गया है। (क़सीदा सुलैमान बिन अब्दुल वहाब, तैसीरुल अज़ीज़िल हमीद)

अन्तरा का एक शेअर है :

ऐ बाबील तुम मौत से कहां भाग सकोगे अगर आसमान के पालनहार ने उसे मुक़द्दर कर दिया है। तौहीद और अल्लाह तआला के बारे में मुश्रिकीन मक्का के ज्ञान के बावजूद अल्लाह ने उन्हें काफ़िर व मुश्रिक ही क़रार दिया क्योंकि उन्होंने इबादत में अल्लाह के साथ ग़ैरों को शरीक बना लिया था।

अतः अक़ीदा तौहीद का सबसे अहम हिस्सा तौहीद इबादत है अर्थात

केवल अल्लाह की इबादत करना। हर इबादत का मर्कज़ अल्लाह तआला की ज़ात ही होनी चाहिए क्योंकि वही इबादत का हक़दार है और वही इबादत करने वालों को उनकी इबादत का बदला प्रदान कर सकता है। इसके अलावा अल्लाह और उसके बन्दों के बीच किसी वसीला या सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तआला ने ताकीद फ़रमाई है कि हर इबादत उसी के लिए ख़ास की जाए। इंसान की पैदाइश का मक़्सद भी केवल यही है और तमाम अंबिया की शिक्षा व प्रचार का उद्देश्य भी यह सन्देश था :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ. (الذاريات٥٦-٥)

"मैंने जिन्न व इंसान को मात्र इस लिए पैदा किया है कि वे मेरी इबादत करें।" (सूरह ज़ारियात, 56 : 5)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

"हमने हर क़ौम में रसूल भेजे उनका सन्देश यही था कि अल्लाह की इबादत करो और ताग़ूत (असत्य उपास्यों) से दूर रहो।"

(सूरह, नह्ल 16 : 36)

पैदाइश के उद्देश्य को मुकम्मल तौर पर समझ लेना इंसान की प्राकृतिक सलाहियतों से परे है। इंसान समाप्त होने वाला और सीमित क्षमताओं वाली स्त्रष्टि है वह इस स्त्रष्टा की क़ुदरत व पैदाइश के उद्देश्य को पूरी तरह नहीं समझ सकता जो मौजूद व ज़िंदा है और आदि काल व हमेशा से बेनियाज़ है। अतः अल्लाह तआला ने उसे इंसानी फ़िरत का एक अंश बना दिया कि वह उसी की इबादत करे। उसने आसमानी सहीफ़े नाज़िल किए और अंबिया को भेजा ताकि वह पैदाइश के उद्देश्य का इस तरह स्पष्टीकरण करें कि इंसानी बुद्धि उसे समझ सके जैसा कि ऊपर बयान किया गया। मक़्सद यही था कि अल्लाह की इबादत की जाए अंबिया के सन्देश की असल रूह भी यही थी कि केवल एक अल्लाह की इबादत करो। तौहीद इबादत, अतः शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है अर्थात

अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना या इबादत में अल्लाह के साथ किसी ग़ैर को भी शामिल करना। सूरह फ़ातिहा जिसे हर मोमिन मर्द औरत दिन रात में सतरह बार पढ़ता है उसकी चौथी आयत में कहा गया है, "इय्या-क नाबुदू व इय्या-क नसतईन" हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इसका खुला और स्पष्ट मतलब यह है कि इबादत केवल उसी की की जाए जो इंसान की पुकार व हाजात को सुने और उसे क़ुबूलियत प्रदान फ़रमाए अर्थात अल्लाह तआला। हज़रत रसूल अकरम सल्ल० ने तौहीद इबादत का स्पष्टीकरण करते हुए फ़रमाया : अगर तुम इबादत में कुछ मांगो तो केवल अल्लाह से मांगो अगर तुम मदद मांगते हो तो भी अल्लाह से ही मांगो। (यह इब्ने अब्बास की रिवायत है जिसे तिर्मिज़ी ने नक़ल किया है) वसीला या सिफ़ारिश को बातिल क़रार देते हुए अनेक आयात में यह बताया गया है कि अल्लाह तआला अपने बन्दों से बहुत क़रीब है।[1]

وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ
فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ. (البقره ۱۸۶-۳)

"जब मेरे बन्दे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें (तो कह दो) कि मैं उनसे क़रीब हूं उनकी दुआओं को सुनता हूं जो भी मुझे पुकारता है अतः उन्हें मेरी तरफ़ पलटना चाहिए और मुझ पर ईमान रखना चाहिए ताकि वे हिदायत पाएं।" (सूरह बक़रा, 2 : 186)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِیْدِ.

"हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि उसके नफ़्स में क्या भ्रम पैदा होते हैं क्योंकि हम उसकी शह रग से भी ज़्यादा क़रीब हैं।"

1. मुजाहिद इब्ने ज़ुबैर मक्की (642-722) इब्ने अब्बास के प्रमुख शागिर्दों में से थे उनकी क़ुरआन की टीका को अब्दुर्रहमान अलताहिर ने सम्पादित की है और दो भागों में तफ़्सीर मुजाहिद के नाम से प्रकाशित हुई। (इस्लामाबाद)

तौहीद इबादत की पुष्टि इसलिए भी ज़रूरी है ताकि शिर्क और ग़ैरुल्लाह से शफ़ाअत की क़िस्में विस्तार से सामने आ जाएं और उसका सही रुख़ स्पष्ट हो जाए। अगर कोई व्यक्ति मज़ारों पर जाकर दुआ करता है ताकि उसे बरकत हासिल हो या उसके मरहूम रिश्तेदारों को मज़ार वाले के वसीले से रहमत व मग़फ़िरत की उम्मीद हो तो उस व्यक्ति ने शिर्क किया क्योंकि उसने इबादत (दुआ) में स्रष्टा के साथ स्रष्टि को भी शरीक कर दिया। रसूलुल्लाह सल्ल० का स्पष्ट इरशाद है कि दुआ इबादत है। (सुनन अबू दाऊद)

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ.

"क्या तुम अल्लाह के सिवा ग़ैरुल्लाह की पूजा करते हो जो न तुम्हें लाभ पहुंचा सकते हैं न हानि।" (सूरह अंबिया, 21 : 66)

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ. (الاعراف: ۱۷۴-۷)

"अल्लाह के सिवा तुम जिन्हें पुकारते हो वे भी तुम्हारी तरह बन्दे ही हैं।" (सूरह आराफ़, 7 : 174)

अगर कोई व्यक्ति रसूलुल्लाह सल्ल० या तथा कथित औलिया जिन्नात या फ़रिश्तों से दुआ मांगता है कि वह उसकी मदद करें, या अल्लाह से उसके लिए मदद मांगे तो यह भी शिर्क है। शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी को ग़ौसे आज़म कहकर पुकारना अक़ीदा तौहीद की रू से शिर्क है। ग़ौसे आज़म का मतलब सबसे बड़ा सहारा देने वाला या सबसे बड़े ख़तरों से बचाने वाला। ज़ाहिर है यह गुण अल्लाह तआला का है वही सबसे बड़ा मददगार और ख़तरों से बचाने वाला है। जब कोई मुसीबत आती है तो जाहिल लोग शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी को ग़ौसे आज़म कहकर मदद के लिए पुकारते हैं। यद्यपि अल्लाह तआला का इरशाद है :

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ. (الانعام ۱۷ : ۶)

"अगर अल्लाह की मर्ज़ी से तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो सिवाए अल्लाह के कोई दूसरा उससे बचाने वाला नहीं।" (सूरह अनआम, 6 : 17) क़ुरआन हकीम बताता है जब मुश्रिकीन मक्का से सवाल किया जाता कि वे बुतों की पूजा क्यों करते हैं तो वे जवाब देते "हम इसलिए उनकी पूजा करते हैं ताकि उनके माध्यम से अल्लाह की समीपता हासिल हो।" (सूरह ज़ुमर, 39 : 3)

मुश्रिकीने मक्का इन बुतों को सिर्फ़ माध्यम क़रार देते थे लेकिन अल्लाह तआला ने उनकी इस रविश पर भी उन्हें काफ़िर क़रार दिया। वे मुसलमान जो अल्लाह के सिवा ग़ैरों से मदद के तालिब होते हैं उन्हें उपरोक्त आयत की रौशनी में अपने अमल पर सोच विचार करना चाहिए।

ईसाइयों ने तारसस के एक व्यक्ति साल (जो बाद को सेंट पॉल के नाम से मशहूर हुआ) के प्रभाव में हज़रत ईसा अलैहि० की शिक्षाओं से मुंह मोड़ा। उन्होंने हज़रत ईसा और उनकी मां हज़रत मरयम को उपास्य बना लिया। ईसाइयों में जो कैथोलिक सम्प्रदाय है उनके यहां हर अवसर के लिए सेंट (औलिया) मौजूद हैं जिनकी वे पूजा करते हैं और उससे दुआएं मांगते हैं। उनका अक़ीदा है कि यह सेंट दुनिया के हालात व मामलों पर प्रत्यक्ष में प्रभाव डालते हैं। कैथोलिक ईसाई अपने पादरियों को शफ़ाअत के लिए वसीला मानते हैं। उनका अक़ीदा यह है कि अपने ब्रह्मचर्य और तक़वा के सबब यह पादरी अल्लाह से समीप हैं और अल्लाह तआला इनकी सिफ़ारिश क़ुबूल करेगा। अधिकांश शीआ सम्प्रदाय के लोगों ने हफ़्ता के दौरान कुछ दिनों या दिनों के कुछ घंटों को ख़ास कर लिया है इस दौरान वे अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन से दुआएं मांगते हैं। यह शफ़ाअत के बारे में उनका ग़लत अक़ीदा है।

इस्लामी अक़ीदे के तहत इबादत केवल नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात और जानवरों की क़ुरबानी तक ही सीमित नहीं है इसमें मुहब्बत, विश्वास,

उम्मीद और भय आदि की भावना भी शामिल हैं और सख़्ती में इनके दर्जात भी हैं। ये तमाम भावनाएं सिर्फ़ अल्लाह तआला से ही जुड़ी होनी चाहिएं।

अल्लाह तआला ने इन आभासों व भावनाओं का ज़िक्र किया है और उनमें अतिश्योक्ति के ख़िलाफ़ सचेत भी किया है।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَاداً يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ. (البقره: ١٦٥-٢)

"ऐसे लोग भी जो ग़ैरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और वे उनसे ऐसी मुहब्बत (आस्था) रखते हैं जैसी कि अल्लाह से रखनी चाहिए। जो ईमान वाले हैं अल्लाह से उनकी मुहब्बत बहुत सख़्त (ज़्यादा) है।"
(सूरह बक़रा, 2 : 165)

اَلاَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْا اَيْمٰنَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"क्या तुम उन लोगों से नहीं लड़ोगे जिन्होंने वचन तोड़ा और रसूल को निकालने की साज़िश की और तुम पर हमला करने में पहल की। क्या तुम उनसे डरते हो अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह उसका सबसे ज़्यादा हक़दार है कि उससे डरा जाए।" (सूरह तौबा, 9 : 13) अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पर ही भरोसा करो क्योंकि इबादत का मतलब अल्लाह के समक्ष पूरी तरह स्वयं को हवाले करना आज्ञा पालन है और अल्लाह को आख़िरी क़ानून बनाने वाला समझना भी है। अतः वह निज़ामे क़ानून जो शरीअत पर आधारित नहीं है वह एक तरह से क़ानून शरीअत के विरुद्ध है और इस दुनियावी निज़ामे क़ानून को सही समझना यह भी शिर्क की एक क़िस्म ही है। क़ुरआन अज़ीम में इरशाद बारी है :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ. (المائده: ٤٤-٥)

"जो लोग अल्लाह के भेजे गए आदेशों के मुताबिक़ फ़ैसला नहीं करते वे काफ़िर हैं।" (सूरह माइदा, 5 : 44)

एक मौक़े पर सहाबी रसूल हज़रत अदी बिन हातिम ने जो (ईसाई से मुसलमान हुए थे) रसूलुल्लाह सल्ल० को यह आयत तिलावत फ़रमाते हुए सुना : "उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और राहिबों को अपना पालनहार बना लिया है।" (सूरह तौबा, 31) उन्होंने अर्ज़ किया, निःसन्देह उनकी इबादत नहीं करते। इस पर हुज़ूर अकरम सल्ल० उनकी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया, क्या वे लोग अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को हलाल नहीं ठहराते और तुम उसे क़ुबूल करते हो और वे अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम क़रार देते हैं और तुम उन्हें हराम समझते हो। उन्होंने कहा, जी हां ऐसा ही होता है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया, इस तरह तुम उनकी इबादत करते हो।[1]

अतः तौहीद इबादत का अंश विशेषकर ऐसे देशों में जहां मुसलमान अधिसंख्या में हैं शरीअत के लागू करने से संबंधित है उन तमाम तथा

अब्दुल क़ादिर (1077-1166 ई०) फ़िक़्ह हंबली के एक मदरसे में सदर मुदर्रिस (प्रिंसिपल) थे और बग़दाद की एक अबात से भी संबंधित थे। उनके उपदेश फ़त्हुल बारी के नाम से क़ाहिरा (1302) में प्रकाशित हुए जिनमें अत्यन्त प्राचीनता और कुछ सूफ़ीवाद के रंग में क़ुरआन अज़ीम का अनुवाद शामिल है। इब्ने अरबी (जन्म 1165) ने उन्हें अपने समय का क़ुतुब क़रार दिया और कहा कि वह उस दर्जे पर पहुंचे हुए मैं जो अल्लाह के बाद सबसे बुलन्द दर्जा है। अली बिन यूसुफ़ शतानवी (मृत्यु 1304 ई०) ने एक किताब बहजतुल इसरार के नाम से लिखी (प्रकाशन क़ाहिरा 1304 हि०) इसमें बहुत सी करामात शैख़ अब्दुल क़ादिर से मंसूब की गई हैं। सूफ़ीवाद के सिलसिला क़ादरिया की निस्बत उन्हीं से है और उससे रूहानी सुलूक व मदारिज भी उन पर उतरते हैं।

(मुख़्तसर इंसाइकिलोपेडिया ऑफ़ इस्लाम, पृ० 5-7 20-202)

1. ईसाई पादरियों ने एक से ज़्यादा शादी को और चचेरे रिश्तेदारों से शादी को हराम ठहराया। रोमन कैथोलिक अक़ीदे के तहत पादरियों के लिए शादी करना मना है और आम हालात में तलाक़ की इजाज़त भी नहीं है।

मसीही कलीसा ने सुअर का मांस, ख़ून और शराब को हलाल क़रार दे दिया। कुछ ने तस्वीर और मूर्ति बनाकर ख़ुदा को इंसानी शक्ल में पेश किया।

कथित मुस्लिम अधिसंख्यक देशों में निज़ाम शरीअत के दोबारा लागू होने की ज़रूरत है जहां पूंजीवादी या साम्यवादी निज़ाम के मूल्यों को स्थापित किया जाता है और निज़ामे शरीअत या तो बिल्कुल थोड़ा है या उसे सिर्फ़ कुछ भागों तक सीमित कर दिया गया है। इसी तरह वे मुस्लिम देश जहां इस्लामी निज़ाम किताबों में तो मौजूद है लेकिन व्यवहार में वहां सेक्युलर क़वानीन लागू हैं। वहां भी क़वानीन शरीअत लागू होना चाहिए क्योंकि यह ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की पाबन्दी करते हैं। मुस्लिम देशों में शरअी क़वानीन के बजाए ग़ैर इस्लामी क़वानीन लागू होने शिर्क है और कुफ्र के दायरे में आता है जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें निज़ामे शरअी को लागू करने के काम करने चाहिए और जो उसके ख़िलाफ़ ज़बान खोलने का हौसला रखते हैं उन्हें तत्काल इसे व्यक्त करना चाहिए कि कुफ्र को छोड़कर शरीअत को इख़्तियार किया जाए। लेकिन अगर ऐसा करना संभव न हो तो भी ग़ैर इस्लामी निज़ामे हुकूमत को नापसन्द करना चाहिए और उससे अलग रहना चाहिए ताकि अल्लाह की प्रसन्नता हासिल हो।

अध्याय : 2

शिर्क की क़िस्में

शिर्क की क़िस्मों को जाने बिना तौहीद की धारणा पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकती। पिछले अध्याय में हमने शिर्क की अनेक क़िस्मों की व्याख्या की और अधिक स्पष्टीकरण के लिए मिसालें भी पेश कीं कि शिर्क किस तरह अक़ीदा तौहीद को पामाल करता है। इस अध्याय में विशेष रूप से शिर्क का अवलोकन किया जाएगा जिसके बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है :

"अल्लाह तआला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। उसके अलावा जिन दूसरे गुनाहों को वह चाहेगा माफ़ कर देता है।" (सूरह निसा, 4 : 48) क्योंकि शिर्क इंसान की पैदाइश के बुनियादी उद्देश्य का इन्कार करता है। अतः अल्लाह के निकट यह सबसे बड़ा गुनाह है जो नाक़ाबिले माफ़ी है।

शिर्क के शाब्दिक मायना शरीक बनाना, हिस्सेदार या साथी बनाना हैं। लेकिन इस्लामी शरीअत की परिभाषा में इससे तात्पर्य किसी को अल्लाह का शरीक ठहराना है चाहे किसी शक्ल या अंदाज़ में हो। निम्न में शिर्क का जो विशलेषण पेश किया गया है वह तौहीद की तीन बड़ी क़िस्मों के परिपेक्ष्य में है। अतः हम सबसे पहले इस पर नज़र डालेंगे कि शिर्क तौहीद की क़िस्में तौहीद पालनक्रिया, तौहीद असमा व सिफ़ात और तौहीद इबादत के दायरे में किस तरह दाख़िल होता है।

तौहीद पालन क्रिया के दायरे में शिर्क

शिर्क की इस क़िस्म से तात्पर्य यह अक़ीदा है कि अल्लाह के सिवा दूसरे (ग़ैरुल्लाह) भी इसके समान शरीक या लगभग बराबर हैं और स्रष्टि पर इसकी तरह ग़लबा रखते हैं, या यह अक़ीदा कि स्रष्टि का कोई स्रष्टा

व मालिक ही नहीं है। अधिकांश धर्म पालनक्रिया वाला शिर्क करते हैं जबकि दूसरा अक़ीदा फ़लॉसफ़ा और उनके गढ़े हुए फ़लसफ़ा से संबंध रखता है।

(अ) किसी को अल्लाह का शरीक बनाना

इस शीर्षक के तहत यह अक़ीदा है कि एक सबसे बड़ा स्रष्टा व मालिक है लेकिन इसी के साथ दूसरे छोटे दर्जे के उपास्य (देवता) प्रेत आसमानी व ज़मीनी जो नष्ट होने वाली चीज़ें या ताक़तें भी हैं। इन अक़ाइद को उलमा तौहीद (एक अल्लाह की धारणा) या शिर्क (एक से ज़्यादा उपास्यों का अक़ीदा) का नाम देते हैं। इस्लामी नज़रिये के मुताबिक़ ये तमाम दीनी निज़ाम शिर्क से लिप्त हैं उनमें केवल दर्जे का फ़र्क़ है। अर्थात किसी हद तक उन्होंने आसमानी धर्मों को अपने ख़राब अक़ाइद से गन्दा किया यद्यपि उन सबकी शिक्षा तौहीद पर आधारित थी।

हिन्दू व मज़हब में ब्रह्मा को सबसे उच्च (सर्वथा शासक) समझा जाता है वह रूह में समाया हुआ, सर्वशक्तिमान और अन्तर्यामी है जो हर निराकार सर्वथा, हर चीज़ की शुरुआत और समाप्ती उसी से है। जबकि ब्रह्मा इस कायनात का सर्वथा स्रष्टा है जो दूसरे देवता विष्णु (हिफ़ाज़त करने वाला) और शिवा (बर्बाद करने वाला) के साथ मिलकर एक त्रीश्वरवाद बनाता है। (डिक्शनरी ऑफ़ फ़लासफ़ी एण्ड रिलीजन डब्ल्यू. एल. ए. सी.) इस तरह अल्लाह तआला की क़ुदरत पैदाइश, दंड और गुण सदैव रहना को दूसरे देवताओं से मंसूब करके हिन्दू मज़हब में शिर्क पालन क्रिया का काम किया गया है।

ईसाई अक़ीदा इस पर आधारित है कि एक ईश्वर ने स्वयं को अक़ानीम सलासा (बाप, बेटा, यसूअ मसीह) और रूहुल क़ुदुस में स्पष्ट किया। ये तीनों अक़्नूम एक वहदत तस्लीम किए जाते हैं जो एक ही तत्व का हिस्सा हैं। (डिक्शनरी ऑफ़ रिलीजन, पृ० 337) पैग़म्बर यसूअ मसीह को ईश्वरत्व के दर्जे पर पहुंचा दिया गया, वह ख़ुदा के दाएं तरफ़ बैठ कर

दुनिया के मामलों का फ़ैसला करते हैं। रूहुल क़ुदुस जिसे इबरानी बाइबिल में वह किरदार बताया गया है जिसके द्वारा खुदा अपनी क़ुदरत उत्पत्ति को काम में लाता है। नसरानी अक़ीदा के तहत वह मुक़द्दस त्रीश्वरवाद का एक अंश (अक़्नूम) बन जाता है। पॉल ने रूहुल क़ुदुस को यसूअ की विकल्प ज़ात बना दिया जो ईसाइयों की रहनुमा और मददगार है जिसने पहली बार पबनी कास्त के दिन स्वयं को प्रकट किया। (डिक्शनरी ऑफ़ फ़लासफ़ी एण्ड रिलीजन) इस तरह ईसाइयों ने यसूअ और रूहुल क़ुदुस को खुदा के तमाम कामों में उसका शरीक ठहरा कर शिर्क पालन क्रिया का काम किया। उनका यह अक़ीदा है कि यसूअ दुनिया के तमाम कामों में फ़ैसले करते हैं और रूहुल क़ुदुस ईसाइयों की रहबरी और मदद करता है।

ज़ुरतुश्ती (पारसी) अक़ीदा के मुताबिक़ खुदा आहोरा मजदाख़ीर का स्त्रष्टा है और उसका हक़दार है कि केवल उसी की पूजा की जाए। आग आहोरा मजदाखीर की सात स्रष्टिओं में से एक है और उसे उसका बेटा या प्रतिनिधि माना जाता है। इस तरह वह शिर्क पालन क्रिया का काम करते हैं क्योंकि उनका अक़ीदा है कि बुराई हिंसा और मौत का स्त्रष्टा एक दूसरा खुदा अंग्रामेनू है जिसे वह सांकेतिक रूप से अंधेरे से संज्ञा देते हैं। (डिक्शनरी ऑफ़ रिलीजन) स्त्रष्टि पर अल्लाह के सर्वथा शासन में उन्होंने एक शिर्की क़ुव्वत को शरीक कर दिया है और उस शिर्क की नकारात्मक ताक़त को खुदा के दर्जे तक पहुंचा दिया है क्योंकि इंसान की इच्छा होती है कि वह बुराई और बदी को अल्लाह से मंसूब न करे।

यरोबा मज़हब के अनुयायी पश्चिमी अफ़्रीक़ा (ख़ास कर नाईजीरिया) में एक करोड़ से भी ज़्यादा हैं इसमें एक ईश्वर ओलोरियस (Olorius) रब्बे समावात, या ओलोदोमार (Olodumare) की धारणा है लेकिन यरोबा मज़हब की आधुनिक सूरत यह है कि इसमें अधिकता से ओड़ीशा (Orisha) की पूजा की जाती है। इस तरह यह मज़हब भी अनेश्वरवादी

अक़ाइद से भरा हुआ है। इस तरह दीन यरोबा के अनुयायी ईश्वरीय गुणों को दूसरे उपास्यों में विभाजित करके शिर्क पालन क्रिया का काम करते हैं।

दक्षिणी अफ़्रीक़ा में क़बीला ज़ूलू के लोगों में एक ख़ुदा की धारणा मौजूद है। अन कलन कोलो (Un kalan kulo) अर्थात प्राचीन, प्रथम और पवित्रतम। इसमें ख़ुदा के लिए जो ख़ास नाम हैं उनमें नकूसी याफ़े ज़ूलू (Nkose yaphe zulu) रब्बुस्समावात और यू. एम. वेलिंग क़न्क़ी (U M Veling qanqe) (सबसे पहले प्रकट होने वाला) शामिल हैं। उनके अक़ीदा में स्रष्टा श्रेष्ठ और पुल्लिंग है जो ज़मीन स्त्रीलिंग के साथ मिलकर इस दुनिया अर्थात स्रष्टि को वजूद बख़्शता है ज़ूलू अक़ीदा के मुताबिक़ बिजली कड़क (बादल गरजना, बिजली चमकना) काम ख़ुदा से मंसूब हैं जबकि बीमारियां और दूसरी तकालीफ़ उनके पूर्वजों जैसे इडलोज़ी (Idlozi) या अबाफ़ांसी (Aba phansi) जो (ज़मीन के अन्दर हैं) के कारण प्रकट होती हैं। यह पूर्वज ज़िंदा लोगों की हिफ़ाज़त करते हैं खाना तलब करते हैं क़ुरबानी और रुसूम की अदाएगी से ख़ुश होते हैं। अगर ग़फ़लत बरती जाए तो सज़ा देते हैं और ज्योतिषियों (In yanga) में लुप्त हो जाते हैं। (डिक्शनरी ऑफ़ रिलीजन) इस तरह से देखें तो ज़ूलू अक़ीदों में शिर्क पालन क्रिया है जैसा कि वह दुनिया और मानव जाति की उत्पत्ति की बाबत अक़ीदा रखते हैं और नेकी और बदी को दूसरे उपास्यों (पूर्वजों की आत्माओं) से मंसूब करते हैं।

कुछ मुसलमानों का यह अक़ीदा भी शिर्क पालन क्रिया है कि औलिया व सालिहीन की रूहें दुनिया के कामों पर प्रभावी होती हैं और उनके मरने के बाद भी उनका यह अमल जारी रहता है उन मुसलमानों का यह अक़ीदा है कि सालिहीन की रूहें, उनकी तमन्नाएं पूरी कर सकती हैं मुसीबतों को टाल सकती हैं और जो कोई उनसे मदद का तालिब हो वह उसकी मदद करती हैं। इस तरह क़ब्रपरस्त इंसानी रूह से वह गुण

व हैसियत मंसूब करते हैं जो केवल अल्लाह तआला की ज़ात के लिए ख़ास हैं। सूफ़िया में रिजालुल ग़ैब[1] का अक़ीदा बहुत आम है इसमें सबसे अहम दर्जा क़ुतुब का है जिसके द्वारा इस दुनिया के काम अंजाम पाते हैं।

शिर्क सलबी (अधर्मवाद) इस क़िस्म का संबंध उन विभिन्न फ़लसफ़ियाना विचारों और नज़रियात से है जो प्रत्यक्ष वास्ता या अप्रत्यक्ष में वजूद हक़ तआला का इंकार करते हैं। अर्थात या तो अल्लाह तआला का इंकार किया जाता है (नास्तिकता) या उसके वजूद का इंकार तो नहीं किया जाता लेकिन जैसा कि असल में इसका वजूद है उससे इंकार किया जाता है। (वहदतुल वजूद)

कुछ प्राचीन धर्म ऐसे भी हैं जिनके अक़ीदे में ख़ुदा का वजूद नहीं है, उन धर्मों में बुद्ध धर्म प्रमुख है। यह धर्म हिन्दू धर्म में एक इस्लाही तहरीक के तौर पर उभरा।

छठी सदी पहले मसीह में इसका आरंभ हुआ। जैन धर्म भी बुद्ध धर्म का समकालीन था, गौतम बुद्ध ने ज़ात पात को तस्लीम करने से इंकार कर दिया। क़दीम हिन्दुस्तान में इसे बड़ा विकास हासिल हुआ और तीसरी सदी पूर्व मसीह में यह सरकारी मज़हब बन गया। लेकिन अंजाम कार हिन्दू धर्म ने इसे अपने वजूद में समो लिया और गौतम बुद्ध हिन्दू धर्म में एक अवतार बना दिए गए। हिन्दुस्तान में इसका वजूद ख़त्म हो गया लेकिन चीन और दूसरी पूर्वी क़ौमों में इसका चलन क़ायम रहा।

गौतम बुद्ध की वफ़ात के बाद बुद्ध धर्म दो मसलकों में विभाजित हो गया। इसके एक मसलक हीनयान (250-400 पूर्व मसीह) की

---

1. इसके शाब्दिक मायना परोक्षज्ञाता के लोग है। सूफ़िया के अक़ीदे के मुताबिक़ यह दुनिया औलियाए दाफ़ेअ की बरकतों के सहारे क़ायम है उन औलिया (बुज़ुर्ग सूफ़िया) का एक क्रमवार सिलसिला (हाई आरकी) है जब उनमें से किसी एक की वफ़ात हो जाती है तो फ़ौरन दूसरा उसके मक़ाम पर पदासीन हो जाता है और उस जगह को भर देता है। (शारत इंसाइकिलोपेडिया ऑफ़ इस्लाम 582)

व्याख्याओं के मुताबिक़ ख़ुदा का कोई वजूद नहीं है। अतः निजात व्यक्ति (व्यक्तिगत उपासना) पर निर्भर है। अतएव बुद्ध धर्म के इस प्राचीन मसलक व अक़ीदा को भी शिर्क पालन क्रिया की एक मिसाल क़रार दिया जा सकता है जिसमें बारी तआला का खुला इन्कार है।

इसी तरह चीन मत की शिक्षाओं में जो वर्धमान ने तैयार कीं ख़ुदा का कोई वजूद नहीं है लेकिन निजात पाने वाली रूहें इसी क़िस्म का कोई मक़ाम हासिल कर लेती हैं वह अमर और कमाल मारफ़त वाली होती हैं। जैन मत के अनुयायी उन निजात वाली रूहों को ख़ुदा की तरह मानते हैं, उनके नाम पर मन्दिर बनाते हैं और उनकी मूर्तियों से अक़ीदत व्यक्त करते हैं। (डिक्शनरी ऑफ़ फ़लासफ़ी एण्ड रिलीजन, पृ० 63-262)

इसी की एक बहुत पुरानी मिसाल उस फ़िरऔन मिस्र की है जो हज़रत मूसा अलैहि० का समकालीन था। क़ुरआन अज़ीम में अल्लाह तआला ने उसका उल्लेख किया है कि वह वजूद हक़ तआला का इन्कारी था और उसने हज़रत मूसा और मिस्रियों के सामने दावा किया कि वह अर्थात फ़िरऔन मिस्र ही तमाम लोगों का असली स्रष्टा व मालिक है। क़ुरआन अज़ीम बताता है कि उसने हज़रत मूसा से कहा कि अगर तुम मेरे सिवा किसी और को ख़ुदा मानोगे तो तुम्हें क़ैद कर दिया जाएगा। मिस्रियों से उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा पालनहार सबसे उच्च हूं।

उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में पश्चिम में अनेक ऐसे फ़लॉस्फ़र पैदा हुए जिन्होंने ख़ुदा के वजूद का इंकार किया और उनके इस नज़रिया फ़लसफ़ा की ख़ुदा की मौत से संज्ञा दी गई। जर्मन फ़लसफ़ी फ़िलिप में लैंडर (1841-1876) ने अपनी अहम किताब फ़लसफ़ा, निजात (1876 ई०) में लिखा कि ख़ुदा की मौत से दुनिया का आरंभ होता है क्योंकि यह एक ऐसा वहदानी उसूल है जो दुनिया की आबादी में बिखर कर रह गया और एक ऐसा सुखदायी उसूल है जिसे उन क़वानीन दुख व मुसीबत में वर्जित क़रार दिया गया जो मानव जाति पर ग़लबा पा चुके हैं। (डिक्शनरी

ऑफ़ फ़लॉस्फ़ी एण्ड रिलीजन, पृ० 327) यरोशिया (जर्मनी) में फ्रेडरिक नितशे (1844-1900) ने भी ख़ुदा की मौत के नज़रिये की पुष्टि की और कहा कि ख़ुदा की धारणा इंसान के परेशान ज़ेहन की रचना के सिवा कुछ भी नहीं। और यह कि मौजूदा इंसान भविष्य के अमानवी के बीच एक पुल है। (हवाला पूर्व, पृ० 327)

बीसवीं सदी के फ्रांसीसी फ़लसफ़ी जॉन पॉल सारतरे के नज़रियात में ख़ुदा की मौत के फ़लसफ़े की प्रत्यागमन सुनाई देती है। उसने कहा कि ख़ुदा का वजूद नहीं हो सकता क्योंकि वह एक क़िस्म का विरोधाभास है उसके कथानुसार ख़ुदा के वजूद का नज़रिया एक कल्पना है जिसे इंसान अपने विचारों के मुताबिक़ निर्माण करता है।

डार्विन (मृत्यु 1881 ई०) ने यह नज़रिया पेश किया कि इंसान बन्दर की प्रगतिशील शक्ल है।

उन्नीसवीं सदी के फ़लसफ़ियों और सामाजिक ज्ञान के विशारदो में उसे लोकप्रियता हासिल हुई क्योंकि उसमें साइंसी बुनियाद पर ख़ुदा के वजूद का इंकार किया गया है। उनके नज़दीक मज़हब ने मज़ाहिर क़ुदरत में रूह के प्राचीन अक़ीदे से विकास पाकर तौहीद की शक्ल इख़्तियार की। इस दौरान इंसान विकास के चरण तै करते हुए बन्दर से मौजूदा इंसानी रूप में आ गया। इसी के साथ इंसान वैकल्पिक सामाजिक विकास के साथ एक व्यक्ति के दर्जे से गुज़र कर एक क़ौमी रियासत में जुड़ गया। विकास के ये सारे चरण साथ साथ तै होते रहे।

उन्होंने कायनात की उत्पत्ति से जुड़े सवालात से बचने की कोशिश की और नज़रिया उत्पत्ति का भी इंकार किया। उन्होंने अल्लाह की विशेषताओं जो आरंभ व अन्त से परे हैं, का भी इंकार किया और उन्हें उस तत्व से जोड़ा है जो उस (अल्लाह तआला) ने पैदा किया। मौजूदा दौर में इस नज़रिये के ध्वजावाहक कारल मार्क्स के अनुयायी हैं। कम्यूनिस्ट और वैज्ञानिक, उनका दावा है कि एक प्रेरित पदार्थ हर जानदार वस्तु की

बुनियाद है। उनका यह भी दावा है कि ख़ुदा इंसान की कल्पना की रचना है उसे शासक वर्ग ने ईजाद किया ताकि मज़्लूम और दबे कुचले लोगों का ध्यान उनकी बदहाती से हटाया जाए और इस तरह शासकों की ख़ानदानी हुकूमत बरक़रार रहे।

मुसलमानों में इस अंदाज़ के शिर्क की एक मिसाल इब्ने अरबी जैसे अनेक सूफ़िया का यह अक़ीदा है कि कायनात में केवल अल्लाह तआला का वजूद है। (वहदतुल वजूद) वह अल्लाह तआला के अलग से वजूद के इन्कारी हैं और इस तरह व्यवहार में उसके वजूद का इंकार करते हैं। सतरहवीं सदी के एक विलन्दीज़ी यहूदी फ़लसफ़ी बारूख़ स्पीनूज़ा ने भी यही नज़रिया पेश किया। उसका कहना था कि कायनात के तमाम अंश इंसान सहित का संग्रह ही ख़ुदा की ज़ात है।

गुणों व नामों से शिर्क

शिर्क की इस क़िस्म के तहत मुश्रिकीन का यह अक़ीदा है कि वह अल्लाह से इंसानी गुणों को मंसूब करते हैं और अल्लाह की स्रष्टि को उन गुणों से निस्बत देते हैं जो अल्लाह के लिए ख़ास हैं।

मनुष्य के अस्तित्व का शिर्क

इस अक़ीदे के तहत गुणों व नामों के शिर्क का अंदाज़ा यह है कि ख़ुदा को इंसानी और जानवरों की शक्ल और गुणों के साथ पेश किया जाता है। क्योंकि इंसान को अन्य प्राणियों जानवरों आदि पर बरतरी हासिल है इसलिए मूर्ति पूजक आम तौर पर ख़ुदा को इंसानी रूप में ही पेश करते हैं। तस्वीरों, मुजस्समों और तराशी हुई मूर्तियों को इंसानी अंगों के समान बनाकर स्रष्टा को स्रष्टि के रूप में तराशा जाता है। मिसाल के तौर पर हिन्दू और बुद्ध धर्म में ऐसे असंख्य देवता हैं जिनकी शक्ल ऐशियाई इंसान जैसी होती है। ये लोग उनकी पूजा करते हैं और उन बुतों को ख़ुदा का अवतार मानते हैं। वर्तमान दौर के ईसाई भी यसूअ को ख़ुदा

का अवतार मानते हैं। इस अक़ीदे के मुताबिक़ स्रष्टा को स्रष्टि बना दिया गया और यह भी शिर्क की स्पष्ट मिसाल है। अनेक ऐसे तथा कथित महान यूरोपियन चित्रकार हुए हैं जैसे माइकल एंजलू (मृत्यु 1565 ई०) जिन्होंने ख़ुदा की एक बूढ़े नंगे यूरोपीय इंसान की शक्ल में तस्वीर बनाई जिसके सफ़ेद दाढ़ी और लम्बे लम्बे बाल हैं। वेटिकन के सीस्तान कलीसा की अंदरूनी दीवार पर यह चित्रकारी की गई है। ईसाई दुनिया में इन तस्वीरों को बड़ी अक़ीदत व सम्मान से देखा जाता है।

(ब) बुतों को उपास्य बनाना

गुणों व नामों के शिर्क की यह क़िस्म उन मुश्रिकीन अरब की तरह है जो अपने बुतों को अल्लाह के नामों और गुणों से जोड़ते थे। उनके तीन बड़े बुत थे जिन्हें वे पूजते थे। उनके नाम अल्लाह के नामों से लिए हुए थे। लात-इस बुत का नाम अल्लाह के नाम इलाहुल्लाह से लिया था। उज़्ज़ा-अल्लाह के नाम अज़ीज़ से लिया गया था और मनात अल्लाह के नाम मन्नान से लिया गया था। नबी सल्ल० के मुबारक दौर में एक स्थान यमामा में एक झूठा नबी था जिसने अपना नाम रहमान रखा था जोकि केवल अल्लाह तआाल का ही नाम है।

शाम में शीओं का एक सम्प्रदाय नसीरिया है जो इस अक़ीदे को मानता है कि अली इब्ने तालिब रज़ि० अपनी ज़ात में अल्लाह का द्योतक थे। ये लोग अल्लाह की बहुत सी विशेषताओं को उनसे जोड़ते हैं। उन्हीं में एक सम्प्रदाय इस्माईलिया है जो आग़ाख़ानी के नाम से प्रसिद्ध है। उस सम्प्रदाय के अक़ीदे के मुताबिक़ आग़ाख़ां (जो उनका रूहानी नेता होता है) ख़ुदा का अवतार है। लेबनान का दरोज़ी सम्प्रदाय यह अक़ीदा रखता है कि फ़ातिमी ख़लीफ़ा अल हाकिम बि अमरिल्लाह इंसानों के बीच अल्लाह का आख़िरी अवतार था।

इस शिर्क के तहत सूफ़िया, जैसे हल्लाज के इस दावे को भी लिया

जा सकता है कि वह अल्लाह की स्रष्टि में रहते हुए भी अल्लाह के वजूद में विलीन हो गए थे। और इस तरह स्रष्टि खुदा की ज़ात का मज़हब बन गई। आधुनिक दौर में रूहानियत के दावेदारों में शरले मेकलीन और जे. ज़ेड. नाइट आदि हैं जो प्रायः अपने बारे में और अन्य इंसानों के बारे में ईश्वरत्व का दावा करते हैं। आईन स्टाइन का नज़रिया इज़ाफ़त जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वह भी असल में नामों व गुणों वाले शिर्क की एक सूरत है। इस नज़रिये के मुताबिक़ शक्ति (ऐनर्जी) की न उत्पत्ति की जा सकती है न उसे नष्ट किया जा सकता है, यह सिर्फ़ पदार्थ में तब्दील हो जाती है या पदार्थ शक्ति में बदल जाता है यद्यपि पदार्थ और शक्ति दोनों ही अल्लाह की उत्पत्ति हैं और नष्ट होने वाली हैं जैसा कि अल्लाह ने स्पष्ट रूप से फ़रमाया है :

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ. (الزمر ٦٢-٣٩)

"अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है और हर चीज़ का निगहबान है।" (सूरह ज़ुमर, 39 : 62)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (الرحمن)

"इस दुनिया की हर चीज़ नष्ट हो जाएगी।" (सूरह रहमान)

इस नज़रिये का यह मतलब भी होता है कि शक्ति और पदार्थ दोनों अमर हैं और आरंभ व अन्त से परे, ग़ैर मख़्लूक़ जो एक दूसरे में परिवर्तित होने की योग्यता रखते हैं यद्यपि ये दोनों गुण अल्लाह तआला के हैं जिसका न आरंभ है न अन्त।

डार्विन का नज़रिया इरतिक़ा भी यह बात साबित करने की कोशिश है कि ज़िंदगी का विकास और बेजान पदार्थ से उसका आकार में होना इसमें खुदा की उत्पत्ति की ताक़त का कोई किरदार नहीं था। उस दौर में डार्विन का सबसे प्रमुख व्याख्याकार सर ऐलडोस हक्सले इस विचार की वजह यूं बताता है।

डार्विन की व्याख्याओं ने वाद विवाद से सामूहिक आकृति के स्रष्टा के तौर पर ख़ुदा के वजूद को बिल्कुल नकार दिया। (फ्रांसिस हैजनिक की किताब ज़राफ़ा की गर्दन से साभार)

उपासना में शिर्क

शिर्क की इस क़िस्म के तहत ग़ैरुल्लाह की पूजा की जाती है और उनसे ही सवाब की आशा की जाती है। इस तरह स्रष्टा की जगह स्रष्टि को उपास्य बनाया जाता है। पूर्व क़िस्मों की तरह इसकी भी दो क़िस्में हैं :

(1) शिर्क अकबर

इस क़िस्म की सूरत यह है कि अल्लाह के सिवा किसी को उपास्य क़रार दिया जाए। यह शिर्क की वह सबसे बुरी शक्ल है जिसे मिटाने के लिए अंबिया भेजे गए ताकि वे लोगों को ग़ैरुल्लाह की उपासना से रोकें। क़ुरआन अज़ीम में इरशाद बारी है :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُ اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

(النحل ٣٦-١٦)

"बेशक हमने हर क़ौम में अंबिया भेजे ताकि वे लोगों को नसीहत करें कि केवल अल्लाह की उपासना करो और बुतों से दूर रहो।"

(सूरह नह्ल, 16 : 36)

ताग़ूत असल में हर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी अल्लाह के साथ पूजा की जाए या अल्लाह के सिवा उसकी उपासना की जाए। मिसाल के तौर पर मुहब्बत एक ऐसी भावना है जो उपासना की एक शक्ल है लेकिन उसकी पूर्ति इस तरह होनी चाहिए कि केवल अल्लाह की उपासना की जाए। यहें मुहब्बत या संबंध व उत्सुकता वह सूरत नहीं है जो इंसान को दूसरे इंसान से होती है। मां बाप को बच्चों से, खाने पीने से आदि। उपास्य से इस प्रकार की मुहब्बत की भावना रखना मानो स्रष्टा को स्रष्टि

के दर्जे पर ले आना है और यह शिर्क है। अर्थात नामों व गुणों का शिर्क। मुहब्बत जो उपासना की सूरत इख़्तियार कर ले उसका तक़ाज़ा यह है कि अपनी भावना को अल्लाह के अधीन कर दिया जाए। अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्ल० से फ़रमाया :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ. (ال عمران ۳۱-۳)

"ऐ रसूल! उनसे कह दो कि अगर तुमको अल्लाह से मुहब्बत है तो मेरा आज्ञा पालन करो अल्लाह तुमसे मुहब्बत करेगा।"

(सूरह आले इमरान, 3 : 31)

हुज़ूर अकरम सल्ल० ने भी सहाबा से इरशाद फ़रमाया :

तुममें से कोई उस समय तक मोमिन (कामिल) नहीं हो सकता जब तक उसके नज़दीक मैं (मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उसके मां बाप, बाल बच्चों और तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। (इसे बुख़ारी में हज़रत अनस से रिवायत किया गया है) रसूलुल्लाह सल्ल० से मुहब्बत उनकी मनुष्य होने की बिना पर नहीं बल्कि उनके सन्देश की बिना पर है जिसके साथ उन्हें भेजा गया। अतः अल्लाह की मुहब्बत की तरह रसूल से मुहब्बत का तक़ाज़ा भी यही है कि उनके हर हुक्म का सच्चे दिल से पालन किया जाए।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ. (النساء: ۸۰)

"जिसने रसूल का आज्ञा पालन किया उसने अल्लाह का आज्ञा पालन किया।" (सूरह निसा, 80)

قُلْ اَطِيْعُو اللهَ وَالرَّسُوْلَ. (آل عمران)

"कह दो अल्लाह का और उसके रसूल का आज्ञा पालन करो।"

(सूरह आले इमरान)

अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की मुहब्बत को

उसकी और अल्लाह की मुहब्बत के बीच आने देता है तो मानो उसने उस वस्तु या उस हस्ती को अपना उपास्य बना लिया। जैसे कुछ लोगों के लिए उनका हाल या उनकी इच्छाएं उपास्य का दर्जा हासिल कर लेती हैं।

रसूलुल्लाह सल्ल० का इरशाद है : जिसने दिरहम (माल) को उपास्य बना लिया वह सदा मुसीबत में रहेगा। (बुख़ारी)

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ (الفرقان: ۴۳)

"क्या तुमने उसको नहीं देखा जिसने अपनी इच्छाओं को अपना उपास्य बना लिया।" (सूरह फ़ुरक़ान, 43)

उपासना में शिर्क की बुराइयों को बहुत ज़्यादा उजागर किया गया है क्योंकि उसके करने से इंसान की उत्पत्ति का उद्देश्य ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह तआला का इरशाद है :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ. (الذّريت: ۵۶)

"मैंने जिन्न व इंसान को मात्र इसलिए पैदा किया है कि वे मेरी उपासना करें।" (सूरह ज़ारियात, 56)

बड़ा शिर्क स्रष्टा के ख़िलाफ़ स्रष्टि की सबसे संगीन बग़ावत है और इस तरह यह गुनाह कबीरा है। यह एक ऐसा गुनाह है जिससे बन्दे की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और जहन्नम उसका सदैव का ठिकाना बन जाती है। असत्य धर्म बुनियादी तौर पर ऐसे ही अक़ाइद पर भरोसा करते हैं। इंसान के बनाए हुए जितने मत व धर्म हैं वे सब किसी न किसी अंदाज़ में स्रष्टि की पूजा सिखाते हैं। ईसाइयों को नसीहत की जाती है कि वे एक इंसान (यसूअ मसीह अलैहि०) की पूजा करें वे अल्लाह के पैग़म्बर थे लेकिन उनके मानने वालों ने उन्हें ख़ुदा का दर्जा दे दिया। कैथोलिक ईसाई हज़रत मरयम को ख़ुदा की मां क़रार देकर उनकी पूजा करते हैं। इसी के साथ वे फ़रिश्तों की पूजा भी करते हैं। मीकाईल फ़रिश्ते

के नाम पर 8 मई और 29 सितम्बर को उत्सव आयोजित किए जाते हैं उसे यौमे मीकाईल कहा जाता है। अर्थात सुन्नते मीकाईल की पूजा का दिन (विलियम हैल्सी, कार्ल्ज़ इंसाईकिलोपेडिया) इसी तरह वह इंसान वलियों की पूजा भी करते हैं चाहे वे हक़ीक़ी हों या फ़र्ज़ी।

मुसलमानों में शिर्क का यह तरीक़ा प्रचलित है कि वे हज़रत रसूले अकरम सल्ल० से या अन्य सूफ़िया के मज़ारों पर दुआएं मांगते हैं और यह अक़ीदा रखते हैं कि उनकी दुआ क़ुबूल होगी। यद्यपि क़ुरआन अज़ीम में अल्लाह तआला का इरशाद है :

قُلْ اَرَاَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ. (الانعام: ٤٠-٦)

"कह दो, तुम यह सोचो कि अगर अल्लाह तुम पर अज़ाब भेजे या क़यामत की घड़ी आ जाए तो क्या उस समय भी तुम ग़ैरुल्लाह को पुकारोगे अगर तुम सच्चाई पर हो।" (सूरह अनआम, 6 : 40)

(2) शिर्क असग़र (छोटा शिर्क)

महमूद इब्ने लुबैद से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : मैं तुम्हारे बारे में जिस बात से सबसे ज़्यादा डरता हूं वह छोटा शिर्क है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्ल० छोटा शिर्क क्या है? इरशाद हुआ : रिया (दिखावा)। निःसन्देह हश्र के दिन जब अल्लाह तआला हिसाब फ़रमाएगा और लोगों को बदला दिया जाएगा तो वे दिखावा करने वालों से कहेगा उन्हीं के पास जाओ जिनकी ख़ातिर तुम दुनिया में दिखावा करते थे और देखो वे तुम्हें क्या सवाब देते हैं। (बैहेक़ी और तबरानी ने इसे अहमद से रिवायत किया है)

महमूद बिन लुबैद से मज़ीद रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० तशरीफ़ लाए और फ़रमाया : लोगो! छोटे शिर्क से बचो। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्ल० यह शिर्क क्या है? फ़रमाया : एक

व्यक्ति इबादत के लिए खड़ा होता है और उसमें हुस्न और कशिश पैदा करने की कोशिश करता है क्योंकि लोग उसे देख रहे हैं तो यह छोटा शिर्क है। (इब्ने खुज़ैमा के मज्मूआ से साभार)

अर्रिया (दिखावा)

रिया उसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी किस्म की इबादत इस भावना से करे कि लोग उसे देखें और उसकी प्रशंसा करें। उससे सदकर्मों का तमाम सवाब बर्बाद हो जाता है, और रियाकार उसके बदले सख़्त अज़ाब का हक़दार हो जाता है। यह अमल ख़ास इसलिए भी बेहद ख़तरनाक है कि हर इंसान की फ़ितरी तौर पर यह इच्छा होती है कि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें। दिखावे की भावना से मज़हबी अरकान की अदाएगी एक बुराई है जिसको करने से हर मोमिन को बचना चाहिए। ख़ास कर इसलिए भी कि इबादत से मोमिन की असल नीयत अल्लाह तआला की प्रसन्नता हासिल करना होता है और इबादत के लिए निष्ठा और एकाग्रता पहली शर्त है। हक़ीक़त में एक मोमिन सादिक़ जो इल्मे दीन से परिचित हो उसके बारे में यह गुमान नहीं किया जा सकता कि वह दिखावा या छोटा शिर्क करेगा क्योंकि यह ऐसे छोटे छोटे गढ़ें हैं जिनको एक समझदार मोमिन भली प्रकार देख सकता है लेकिन एक मोमिन सादिक़ (जो आलिम नहीं है) उसके बारे में यह डर पैदा हो सकता है कि ग़ैरों की तरह वह भी उसको कर जाए क्योंकि उसकी नज़र में उसके चिन्ह स्पष्ट नहीं हैं। उसके लिए एक आसान नुस्ख़ा यह है कि अपनी नीयत को रोक कर रखा जाए, छोटा शिर्क के पीछे जो चीज़ उभारती हैं वे भी बहुत ताक़तवर होती हैं क्योंकि यह इंसान के बातिन से उभरती हैं। हज़रत इब्ने अब्बास ने इसकी व्याख्या इन शब्दों में कीः छोटा शिर्क अमावस की रात में एक काले पत्थर पर चलने वाली काली चींटी से भी ज़्यादा नाक़ाबिले शनाख़्त है। (इसे इब्ने अबी हातिम ने रिवायत किया है और तैसीरुल अज़ीज़िल हमीद में नक़ल किया है।)

अतः हर मोमिन को इसकी पूरी सावधानी करनी चाहिए कि उसकी नीयत पाक और ख़ालिस हो और जो भी मज़हबी काम व उपासना हों वह सच्ची नीयत के साथ हों और इस बात को हमेशा सामने रखा जाए कि हर अहम काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लिया जाए। हज़रत रसूले अकरम सल्ल० से बहुत सी ऐसी दुआएं मंक़ूल हैं जो इंसान के हर फ़ितरी अमल से पहले पढ़ी जानी चाहिएं अर्थात खाना पीना, सोना, जागना, जिन्सी काम यहां तक कि पेशाब पाख़ाना के लिए जाने पर भी दुआ की ताकीद की गई है। यह इसलिए है ताकि बन्दे की हर आदत एक इबादत बन जाए और अल्लाह की प्रशंसा व स्तुति के लिए मोमिन का ज़ेहन हर समय और हर क़दम और हर अमल पर बेदार रहे। एहसास की इस बेदारी का नाम तक़वा है और यही बाद में इख़्लासे नीयत तक पहुंचाता है।

हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने ऐसी दुआएं भी बताई हैं जो शिर्क करने से महफ़ूज़ रखती हैं। ये ऐसी दुआएं हैं जिन्हें किसी भी समय पढ़ा जा सकता है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक ख़ुतबे में इरशाद फ़रमाया : लोगो! शिर्क से बचो क्योंकि यह चींटी के रेंगने से ज़्यादा छोटा होता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्ल० हम इससे कैसे बच सकते हैं जबकि यह चींटी के रेंगने से भी ज़्यादा ग़ैर महसूस है। आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया, इस दुआ का विर्द करो :

اللهم انا نعوذ بک ان نشرک شيئاً نعلمهٗ ونستغفرک لما لا نعلمهٗ.

"ऐ अल्लाह हम इससे तेरी पनाह मांगते हैं कि जानते बूझते किसी बात में शिर्क न करें और ऐसे शिर्क से भी मग़फ़िरत के तलबगार हैं जो अज्ञानता में हमसे हुआ हो।" (अहमद और तबरानी ने इससे नक़ल किया है)

अगले अध्यायों में इसका और स्पष्टीकरण आएगा कि वे कौन से विभाग हैं जिनमें शिर्क की ये तीनों क़िस्में सामान्य रूप से मौजूद होती हैं।

अध्याय : 3

आदम से अल्लाह के वचन के बारे में

इस्लाम में हिन्दुओं के अवतार के अक़ीदे की कोई गुंजाइश नहीं है और न आत्माओं के आवगमन को इस्लाम मानता है। इस अक़ीदे के मुताबिक़ जब इंसान मरता है तो उसकी रूह किसी दूसरे जिस्म में मुंतक़िल हो जाती है।[1] इस अक़ीदे के लोग कर्म[2] (आमाल) के बारे में इस नज़रिये वाले हैं कि इंसान ज़िंदगी में जैसे कर्म करता है उसका दूसरा जन्म उन्हीं की बुनियाद पर होता है। अगर वह बुरे कर्म करता होता है तो अगले जन्म में वह एक अछूत औरत के पेट से पैदा होगा और उस नए जन्म में उसे सद कर्म अंजाम देने होंगे ताकि उससे अगले जन्म में वह ऊंची ज़ात में पैदा हो सके। अगर वह सद कर्म करता है तो उसका अगला जन्म किसी उच्च जाति की महिला के पेट से होगा और वह सम्मान पाएगा। इसी तरह सद कर्म का सिलसिला जारी रखते हुए वह अगले जन्म लेता रहेगा ताकि वह दर्जा कमाल को पहुंच कर किसी ब्राहम्मण के ख़ानदान में जन्म ले। जब वह कमाल हासिल कर लेता है तो आवागमन (सिलसिला पैदाइश) से रिहाई हासिल करके उसकी रूह

1. शीओं के कुछ सम्प्रदायों जैसे इस्माईली, लबनान के दरोज़ी और शाम के नसीरी (अलवी) ने भी इस अक़ीदे को क़ुबूल कर लिया है। (देखिए मुख़्तसर इंसाईकिलोपेडिया ऑफ़ इस्लाम)

2. करमा (कर्म) से तात्पर्य करनी व कथनी हैं। दूसरे मायना में इससे तात्पर्य किसी कर्म का नतीजा या उत्तर (फल) या पिछले जन्म के कर्म का पूर्ण नतीजा (अमल) है। कहा जाता है कि जन्दोगिया उपनिषद (वेद) में लिखा हुआ है जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म (आमाल) करेगा वह अगले जन्म में ब्रहम्मण औरत के पेट से जन्म लेगा जो बुरे कर्म करेगा उसका अगला जन्म अछूत (नीच ज़ात) औरत के पेट से होगा। (डिक्शनरी ऑफ़ रिलीजन, पृ० 180)

ब्रहम्मा (आत्म लोक) में विलीन हो जाती है इस अमल को नरवान कहा जाता है।

इस्लाम और दूसरे आसमानी धर्मों के अक़ीदे के मुताबिक़ जब एक इंसान इस ज़मीन पर मरता है तो क़ियामत से पहले वह दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा। क़यामत घटित होने के बाद सबको फिर ज़िंदा किया जाएगा और अल्लाह तआला जो सबसे बड़ा शासक और उपासना योग्य है वह उनकें सद कर्म व बुरे कामों के मुताबिक़ उनके बारे में फ़ैसला करेगा। अपनी मौत से दोबारा ज़िंदा किए जाने तक इंसान एक ऐसे स्थान पर रहता है जिसे अरबी में बरज़ख़[1] कहते हैं। यह कोई अचरज की बात नहीं है कि एक व्यक्ति जो हज़ारों साल पहले मर गया वह हज़ारों साल और इंतिज़ार के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा ताकि सद कर्म व बुरे कर्म का हिसाब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद हैं कि हर व्यक्ति की मौत उसके हश्र व नशर का आरंभ है। समय (सुबह शाम का होना) उनके लिए है जो इस ज़मीन पर ज़िंदा हैं। जब एक इंसान मर जाता है तो वह समय की सीमा से बाहर हो जाता है उसके लिए हज़ार साल का समय भी पलक झपकने के बराबर होता है। अल्लाह तआला ने सूरह बक़रा में इसकी व्याख्या एक हिकायत में बयान की है कि एक व्यक्ति को इस बात में सन्देह था कि अल्लाह तआला किस तरह एक इलाक़े के मुर्दा लोगों को दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह तआला नें उस पर सौ साल के लिए मौत सवार कर दी। जब उसे दोबारा ज़िंदा किया गया तो उससे पूछा गया कि वह कितनी देर तक सोता रहा? उसने जवाब दिया

---

1. इसके शाब्दिक मायना विभाजन (पार्टीशन) के हैं। अल्लाह फ़रमाता है: (वे लोग भ्रम में रहेंगे) जब उनमें से किसी को मौत आएगी तो वह कहेगा पालनहार मुझे फिर दुनिया में भेज दे ताकि मैं सद कर्म जो मैंने अब तक नहीं किए करूं लेकिन यह केवल उनकी ज़बानी बातें हैं अब उनके लिए बरज़ख़ है यहां तक कि दोबारा ज़िंदा किए जाएं। (सूरह मोमिन, 23 : 99-100)

एक या दो दिन तक। इसी तरह जो लोग लम्बे कॉमा के शिकार होते हैं होश आने पर यही समझते हैं कि बहुत थोड़ा समय गुज़रा या बिल्कुल नहीं गुज़रा। कभी कभी आदमी घंटों सोया रहता है और फिर जब नींद से जागता है तो उसे यही महसूस होता है कि वह अभी सोया था अतः उसका कोई महत्व नहीं कि कोई व्यक्ति यह सोचता रहे कि बरज़ख़ में सैकड़ों साल का समय कैसे गुज़रता है क्योंकि वहां समय की कोई वास्तविकता नहीं है।

उत्पत्ति से पूर्व

यद्यपि इस्लाम दूसरे जन्म के अक़ीदे (आवागमन) को निरस्त करता है फिर भी इस बात को निःसन्देह मानता है कि किसी बच्चे के इस दुनिया में वजूद में आने से पहले उसकी रूह मौजूद थी।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जब अल्लाह तआला ने आदम को पैदा किया तो अरफ़ा के दिन उनसे एक वचन लिया। उसने उन तमाम आत्माओं को जमा किया जो आदम की नस्ल से पुश्त दर पुश्त क़यामत तक पैदा होती रहेंगी ताकि उनसे भी यह वचन लिया जाए। अल्लाह तआला ने सीधे सीधे उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूं? उन सब (रूहों) ने जवाब दिया निःसन्देह आप हमारे पालनहार हैं हम इसकी गवाही देते हैं। तब अल्लाह तआला ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि यह वचन इसलिए लिया गया है ताकि क़ियामत के दिन तुम (औलादे आदम) बहाना पेश न कर सको कि हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हमें किसी ने नहीं बताया कि सिर्फ़ अल्लाह ही उपासना के योग्य है और उसी की उपासना मानव जाति पर फ़र्ज़ है। अल्लाह तआला ने और कहा, यह इसलिए भी है ताकि तुम यह न कहो कि हमारे पूर्वजों ने ग़ैरुल्लाह की पूजा की (शिर्क में लिप्त हुए) हम तो केवल उनकी औलाद हैं। क्या आप उन झूठों की वजह से हमें अज़ाब का शिकार करेंगे। यह उन आयाते क़ुरआनी की टीका है जो

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाई। आयाते करीमा ये हैं :

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِیْ اٰدَمَ مِنْ ظُھُوْرِھِمْ ذُرِّیَتَھُمْ وَ اَشْھَدَھُمْ عَلٰی اَنْفُسِھِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوْا بَلٰی شَھِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا یَوْمَ الْقِیَامَۃِ اِنَّا کُنَّا عَنْ ھٰذَا غٰفِلِیْنَ ۝ اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَشْرَکَ آبَاءُ نَا مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا ذُرِّیَّۃً مِّنْ بَعْدِھِمْ اَفَتُھْلِکُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ (الاعراف ۷۳-۷۲-۱۷۲-۷)

"जब तेरे पालनहार ने आदम की नस्लों (रूहों) से वचन लिया और कहा, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूं? उन्होंने जवाब दिया, निःसन्देह हम इसकी गवाही देते हैं। (यह वचन इसलिए लिया गया है ताकि) तुम हिसाब के दिन यह न कहो कि हमें इस बारे में पता नहीं था या तुम यह कहो कि वह हमारे पूर्वज थे जो शिर्क करते थे हम तो केवल उनकी औलाद हैं क्या आप उनकी गुमराही की सज़ा में हमें अज़ाब देंगे।"

(सूरह आराफ़, 7 : 72-73)

इन आयाते क़ुरआनी और रसूले अकरम सल्ल० की टीका से स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति इस बात का पाबन्द है कि वह अल्लाह को अपना सच्चा उपास्य माने और बदले के दिन इस बारे में किसी का कोई बहाना नहीं होगा। हर इंसानी रूह में अल्लाह के सच्चे उपास्य होने का नक़्श अंकित है और अल्लाह तआला मूर्तिपूजकों को उनकी ज़िंदगी में ही ऐसे चिन्ह व निशानियां ज़ाहिर कर देता है जिससे स्पष्ट हो जाए कि बुत उनके उपास्य नहीं हैं। अतः हर समझदार इंसान पर फ़र्ज़ है कि वह अल्लाह तआला को उसकी उत्पत्ति से अलग हटकर अपना उपास्य माने और किसी चीज़ को उसका द्योतक न माने।

रसूले अकरम सल्ल० ने और इरशाद फ़रमाया, फिर अल्लाह तआला ने उनकी दोनों आंखों के बीच नूर ज़ाहिर किया जिसमें उन्होंने अपने ईमान का मुशाहिदा किया और यह सब आदम को दिखाया। नूर

के उन असंख्य अंशों से आदम स्तब्ध हो गए। उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया, पालनहार ये कौन लोग हैं? उन्हें बताया गया कि ये सब तुम्हारी औलाद हैं। तब आदम ने एक नूर के एक अंश को क़रीब से देखना शुरू किया जिसकी चमक ने उन्हें सम्मोहन कर दिया था। उन्होंने पूछा, यह कौन है? बताया गया कि यह दाऊद है जो तुम्हारी क़ौम के लोगों में से होगा। तब आदम ने पूछा, इसकी उम्र कितनी है बताया गया 60 साल। तब आदम ने कहा, पालनहार मेरी उम्र से चालीस साल इसे देकर इसकी उम्र में वृद्धि कर दे। लेकिन जब आदम का आख़िरी समय आया और मौत का फ़रिश्ता हाज़िर हुआ तो आदम ने कहा, अभी तो मेरी उम्र के चालीस साल बाक़ी हैं। फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि आपने अपनी उम्र के चालीस साल दाऊद को नहीं दे दिए थे। आदम ने उससे इंकार किया। इसलिए आदम की औलाद भी अल्लाह से किए गए अपने वचन से इन्कारी हो गई। आदम अल्लाह से किए गए वायदे को भूल गए इस तरह उनकी औलाद ने भी अपना वचन भुला दिया और उन सबसे ग़लती हुई। (अबू हुरैरह रजि० की रिवायत जिसे तिर्मिज़ी ने नक़ल किया है।)

अल्लाह के वचन (मीसाक़े आदम) को फ़रामोश कर देने के कारण आदम ने वर्जित पेड़ का फल खाया और शैतान के बहकाने में आ गए। उनकी औलाद में से भी अधिकांश ने अल्लाह से किए हुए वचन को कि वह केवल उसी को पालनहार समझेंगे और उसकी ही इबादत करेंगे फ़रामोश कर दिया और ग़ैरुल्लाह की पूजा करने लगे।

उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्ल० ने और इरशाद फ़रमाया : फिर अल्लाह तआला ने औलादे आदम में से कुछ की ओर इशारा करके कहा कि मैंने इन्हें फ़िरदौस के लिए पैदा किया है यह सद कर्म करेंगे और फ़िरदौस के हक़दार होंगे। फिर अल्लाह तआला ने बनी आदम के बाक़ी लोगों की तरफ़ इशारा करते हुए कहा कि मैंने उन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया है यह ऐसे बुरे काम करेंगे जो जहन्नम वाले करते हैं। इस पर एक

सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्ल० फिर सद कर्मों से क्या हासिल होगा? आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : अल्लाह ने अपने जिस बन्दे को फ़िरदौस के लिए पैदा किया है तो वह सद कर्मों को करने में उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है ताकि वह सद कर्मों के द्वारा जन्नत का हक़दार हो जाए और जहन्नम जिनका मुक़द्दर है उनके लिए बुरे कामों की राह आसान कर दी जाती है और ऐसा व्यक्ति बुरे कामों में गिरफ़्तार रहकर मर जाता है और जहन्नम का हक़दार होता है। (हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की रिवायत जिसे अबू दाऊद ने नक़ल किया है) रसूलुल्लाह सल्ल० की इस हदीस का यह मतलब नहीं है कि इंसान को सद कर्म व बुरे कर्म में इख़्तियार हासिल नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हश्र के दिन हिसाब किताब का मामला ही निरुद्देश्य होकर रह जाता। अल्लाह ने जिस व्यक्ति को पैदा किया उसे उसके बारे में उसकी उत्पत्ति से पहले ही मालूम है कि वह व्यक्ति सद कर्मों की राह इख़्तियार करेगा? ईमान और अक़ीदे पर जमा रहेगा और शिर्क व कुफ़्र से बचेगा इसलिए वह अहले जन्नत में से होगा।

जो व्यक्ति अल्लाह पर निष्ठा के साथ ईमान रखता है और सद कर्मों में कोशिश करता है तो अल्लाह तआला उसके अवसर उपलब्ध करता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सद कर्म करे और ईमान व अक़ीदा को और मज़बूत करे। अल्लाह तआला ईमान और अक़ीदा को बर्बाद नहीं होने देता। अगर इंसान अचेत हो जाए तब भी अल्लाह उसकी मदद करता है कि वह फिर सीधी राह पर लौट आए। सीधी राह से भटक जाने वाले को अल्लाह इसी दुनिया में सज़ा देता है ताकि वह अचेतना से बेदार होकर सीधी राह इख़्तियार करे। अल्लाह तआला ऐसे व्यक्ति को सद कर्म करते हुए ही आग़ोशे रहमत में ढांप लेता है ताकि वह उन ख़ुशनसीब लोगों में शामिल हो जाए जो असहाबे जन्नत हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति कुफ़्र का काम करता है और सद कर्म से दूर हो जाता है। तब उसके लिए

बुराइयों की राह आसान कर दी जाती है और वह ज़्यादा सरकश हो जाता है यहां तक कि उन बुरे कामों में गिरफ़्तार रहते हुए उसे मौत आ जाती है और यूं वह जहन्नमियों में से हो जाता है।

फ़ितरत (प्रकृति)

अल्लाह तआला ने जब आदम को पैदा किया तो उनकी पुश्त के तमाम इंसानों (मानव जाति) की रूहों को इकट्ठा करके उनसे अपनी पालन क्रिया का वचन लिया। इस मीसाक़ आदम का नक़्श इंसान की रूह पर उसकी पैदाइश से पहले ही अंकित हो जाता है। जब बच्चा मां के पेट में पांचवें महीने का (जनैन) हो जाता है फिर जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी रूह में अल्लाह के पालन क्रिया का नक़्श होता है। उसे अरबी में फ़ितरत कहते हैं। अगर बच्चे को उसकी फ़ितरत पर छोड़ दिया जाए तो उसे अल्लाह की एकत्व और उसके उपास्य होने का ज्ञान हासिल हो जाएगा लेकिन हर बच्चा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपने माहौल का असर क़ुबूल करता है। एक हदीस क़ुदसी है : हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि मैंने अपने बन्दे को सही दीन पर पैदा किया लेकिन शैतान ने उसे गुमराह कर दिया। (मुस्लिम) रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि हर बच्चा अपनी फ़ितरत पर पैदा होता है लेकिन उसके मां बाप अपने अक़ीदे के मुताबिक़ उसे यहूदी या ईसाई बना लेते हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि जानवर का बच्चा अपनी असली (पूरे आकार) हालत में पैदा होता है फिर लोग उसके अंग काट करके उसे बदनुमा बना देते हैं, क्या तुमने जानवरों के किसी बच्चे को देखा है कि उसके अंग पैदाइशी कटे हुए हों लेकिन तुम उसके अंग काट देते हो। एक इंसान का बच्चा भी अपनी इसी फ़ितरी जिस्मानी हालत पर पैदा होता है जो अल्लाह ने इंसान के लिए मुक़द्दर कर दी है उसकी रूह भी उसी हालत पर होती है। (जो अल्लाह के वचन की पाबन्द होती है) अर्थात अल्लाह उसका स्रष्टा व मालिक है। लेकिन उसके मां

बाप उसे अपने अक़ीदे की पाबन्दी पर मजबूर कर देते हैं। उम्र की उन प्रारंभिक मंज़िलों में बच्चा बौद्धिक रूप से इतना मज़बूत नहीं होता कि मां बाप की इस रविश का विरोध कर सके।

इस उम्र में बच्चा जिस अक़ीदे का पाबन्द हो जाता है वह रस्म व रिवाज और प्रशिक्षण पर निर्भर होता है। अल्लाह तआला बच्चे को उसके लिए पाबन्द नहीं करता न उसे सज़ा देता है। मगर जब वह बच्चा बालिग़ हो जाए और असल दीन की शिक्षाओं से उसे अवगत किया जाए तो उसके लिए यह लाज़िम हो जाता है कि वह फ़ितरत की ओर जाए और उस दीन को इख़्तियार क़रे जो ज्ञान और अक़्ल के मुताबिक़ है। (अलअक़ीदतुत्तहाविया) लेकिन इस मरहले पर शैतान उसे बहकाता और उकसाता है कि वह अपने ग़लत अक़ीदे पर चलता रहे बल्कि उसमें और शिद्दत पैदा करे। इस मक़सद से उसके लिए बुराइयों में कशिश पैदा कर दी जाती है। यही वह मरहला है जब उसे फ़ितरत और इच्छाओं के बीच सख़्त क्शमकश से दोचार होना पड़ता है। ऐसे हालात में उसे सही राह इख़्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वह फ़ितरत को इख़्तियार करेगा तो अल्लाह तआला इच्छाओं को दबाने में उसकी मदद करेगा चाहे उस कोशिश में उसकी तमाम ज़िंदगी ख़र्च हो जाए। यही वजह है कि कुछ लोग ज़िंदगी के आख़िरी दिनों में इस्लाम क़ुबूल करते हैं जबकि कुछ उससे बहुत पहले दीने बरहक़ के दामन में आ जाते हैं।

इन तमाम ताक़तवर तत्वों के होते हुए जो फ़ितरत के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम पूरी सख़्ती से जारी रखते हैं अल्लाह तआला ने अपने कुछ भले बन्दों को चुना और उन्हें ज़िंदगी में सीधी राह से अवगत किया। ये भले लोग जिन्हें रसूल या पैग़म्बर कहा जाता है इसलिए भेजे गए ताकि दुश्मनों से हमारी फ़ितरत का बचाव करें। आज इंसानी समाज में जो भलाइयां और नैतिक उसूल व मूल्य हैं वे उन्हीं पैग़म्बरों की शिक्षाओं के तहत तैयार हुए हैं। अगर उन अंबिया का प्रचार व काम न होता तो दुनिया में कहीं

भी शान्ति व सुख का माहौल न होता। मिसाल के तौर पर पश्चिमी देशों में क़ानून की बुनियाद हज़रत मूसा अलैहि० के आदेश अशरा पर है जो तौरात में मौजूद हैं अर्थात तू चोरी नहीं करेगा, तू किसी को क़त्ल नहीं करेगा आदि। लेकिन इसके बावजूद यह देश अपने सैक्युलर होने का दावा करते हैं, अर्थात उनकी हुकूमतों को मज़हब से कोई सरोकार नहीं है। अतः इंसान का यह फ़र्ज़ है कि वह अंबिया के बताए हुए रास्ते पर चले क्योंकि केवल यही वह राह है जो उसकी फ़ितरत से मिश्रित है। अपने बाप दादा के अक़ीदे और अमल को उसे मात्र इसलिए इख़्तियार नहीं कर लेना चाहिए कि यह उसके पूर्वजों का मसलक है उसे इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। ख़ास कर जब उसे उसका स्पष्ट रूप से पता हो जाए कि यह तरीक़ा और मत ग़लत है। अगर वह हक़ का अनुसरण नहीं करता तो उसका हाल वही होगा जिनके बारे में क़ुरआन अज़ीम में इरशाद है :

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاانْزَلَ اللهُ قَالُوْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَ نَا اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاءُ هُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ. (البقره ١٧٠-٢)

"जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाज़िल किए हुए दीन का अनुसरण करो तो वे कहते हैं नहीं हम तो उसका अनुसरण करेंगे जिसका हमारे बाप दादा किया करते थे। यद्यपि उनके बाप दादा कुछ समझ नहीं रखते थे और न पथ प्रदर्शन प्राप्त थे।" (सूरह बक़रा, 2 : 170)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَّاِنْ جٰهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ، لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. (العنكبوت)

"हमने इंसान को वसीयत की कि वह अपने मां बाप से सद व्यवहार करे लेकिन अगर वे तुम्हें शिर्क पर तैयार करें जिसके बारे में तुम्हें पता न हो (कि वह ग़लत राह है) तो तुम उनका कहना मत मानो।"

(सूरह अनकबूत)

पैदाइशी मुसलमान

जो लोग खुश क़िस्मती से मुसलमान ख़ानदानों में पैदा हुए हैं वे इस ग़लत फ़हमी में न रहें कि वे आप से आप मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक इरशाद के ज़रिए सचेत फ़रमाया है कि मुस्लिम क़ौमों की एक बड़ी संख्या यहूदियों और ईसाइयों की इतनी तेज़ी से पैरवी करेगी कि अगर वे छिपकली के बिल में घुस गए थे तो यह भी उनके बाद उसमें दाख़िल हो जाएंगे।[1]

आपने यह भी फ़रमाया कि क़यामत बरपा होने से पहले कुछ मुसलमान मूर्ति पूजा को भी तरीक़ा बना लेंगे। उन लोगों के मुसलमानों जैसे नाम होंगे और वे मुसलमान होने का दावा भी करेंगे लेकिन उससे उन्हें हश्र के दिन कोई फ़ायदा नहीं होगा।[2] आज दुनिया में हर जगह ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो मज़ारों पर जाकर दुआएं मांगते हैं, अपने मुर्शिदों के मक़बरे बनाते हैं, उनमें मसाजिद तामीर करते हैं और ऐसे अरकान भी बजा लाते हैं जिसे पूजा (इबादत) कहा जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं को मुसलमान कहते हैं लेकिन अली (इब्ने अबी तालिब) को ख़ुदा क़रार देकर उनकी पूजा करते हैं।[3] कुछ लोगों ने क़ुरआन अज़ीम को तावीज़ बना लिया है वह उसे नाज़ुक ज़ंजीरों में सजाकर करके हार की तरह गर्दन में पहनते हैं अपनी गाड़ियों में लटकाते हैं और अपनी कुंजियों (चाबी) की ज़ंजीरों में लगाया करते हैं अतः ऐसे तमाम मुसलमानों को जो अपने मां बाप के अक़ाइद को आंख बन्द करके मानते और अनुसरण करते हैं, सोचना चाहिए कि वे संयोग (चान्स) से मुसलमान बन गए हैं

---

1. इसे हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० ने रिवायत किया है और सही बुख़ारी और मुस्लिम ने नक़ल किया है।

2. इसे हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने रिवायत किया है और सही बुख़ारी व मुस्लिम ने नक़ल किया है।

3. लेबनान के नसीरी, फ़लस्तीन और लेबनान के दरोज़ी।

या उन्होंने सोच समझकर (चुवाइज़) इस्लाम क़ुबूल किया है। उन्हें अपनी मौजूदा कोराना रविश को छोड़ना चाहिए। वे इस बात पर सोच विचार करें कि क्या इस्लाम वह है जो उनके मां, बाप, क़बीला, सम्प्रदाय, लोगों या क़ौमों में रस्म व रिवाज़ के तौर पर प्रचलित है या वह जिसकी शिक्षा क़ुरआन अज़ीम में पेश की गई हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी नसीहत व तब्लीग़ की और सहाबा किराम ने उसे दूसरों तक पहुंचाया।

मीसाक़ (वचन)

इंसानों ने अपनी पैदाइश से पहले अल्लाह तआला से जो वचन किया था वह यही था कि वह उसे अपना स्रष्टा व उपास्य मानेंगे और उसके साथ इबादत आदि में किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे।

शहादत (कलिमा शहादत) के यही असल मायना हैं एक मुसलमान को हक़ीक़ी मायनों में मोमिन बनने के लिए शहादत के मायना को करनी व कथनी में अमल में लाना चाहिए। ला इला-ह इल्लल्लाहु जिसे कलिमा तौहीद भी कहा जाता है अल्लाह की वहदत का ऐलान और स्वीकार है। इस ज़िंदगी में अल्लाह तआला की वहदत को स्वीकारना असल में उस वचन की पाबन्दी है जो इंसान ने अपनी उत्पत्ति से पहले अल्लाह तआला से किया था। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि इस वचन की पाबन्दी कैसे की जाए?

इसकी पूर्ति इस तरह की जा सकती है कि अक़ीदा तौहीद को निष्ठा व संजीदगी से माना जाए और ज़िंदगी में उसकी शर्तों और उसूलों की पाबन्दी की पूरी कोशिश की जाए। तौहीद पर अमली अक़ीदे से तात्पर्य यह है कि शिर्क की हर क़िस्म से मुकम्मल तौर पर बचा जाए और अल्लाह के आख़िरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण किया जाए जिन्हें अल्लाह ने इस्लामी शिक्षाओं का अमली नमूना बनाकर

भेजा क्योंकि इंसान ने अल्लाह से उसकी पालन क्रिया और ईश्वरत्व का वचन किया है, अतः सद कर्मों की तर्तीब और पालन उसी तरीक़े से करना चाहिए जिसकी तालीम क़ुरआन अज़ीम और रसूले अकरम सल्ल० ने दी है क्योंकि वही सद कर्म हैं। इसी तरह बुरे आमाल भी वही होंगे जिनसे बचने की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ताकीद फ़रमाई है। इस तरह मानसिक रूप से इंसान अक़ीदा तौहीद पर अमल करने लग जाता है ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ काम प्रत्यक्ष में अच्छे मालूम होते हैं लेकिन हक़ीक़त में वे काम बुरे होते हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बादशाह से मिलना चाहता है तो पहले उसे किसी शहज़ादे या अमीर से मिलना चाहिए ताकि वह उसकी तरफ़ से बादशाह से बात करे। इसी मिसाल को बुनियाद बनाकर यह दलील पेश की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति अल्लाह से कुछ मांगता है तो उसे पहले अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) या औलिया से दुआ करनी चाहिए कि वह अल्लाह से उसकी सिफ़ारिश करें क्योंकि वह स्वयं एक गुनाहगार व्यक्ति है जिसकी ज़िंदगी गुनाहों से लिप्त है। देखने में यह मंतक़ी दलील सही मालूम होती है लेकिन स्वयं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि अल्लाह से सीधे तौर पर मांगो उस तक पहुंचने या उससे मांगने के लिए किसी वसीला या सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं है।[1]

इसी तरह कोई कार्य देखने में बुरा मालूम होता है जबकि हक़ीक़त में वह सद कर्म होता है। जैसे : कोई व्यक्ति यह कहे कि चोर का हाथ

---

1. क़ुरआन अज़ीम में इरशाद है "और तुम्हारे पालनहार ने कहा मुझसे मांगो मैं प्रदान करूंगा।" (सूरह निसा, 4 : 60)

अल्लाह के रसूल का इरशाद है, "अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो केवल अल्लाह से मांगो अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो सिर्फ़ अल्लाह से ही मदद तलब करो।" (इब्ने अब्बास रज़ि० की रिवायत है जिसे बुख़ारी ने नक़ल किया है।)

काटना ज़ुल्म है और शराबी को कोड़े मारना ग़ैर इंसानी काम है। और कोई व्यक्ति यह भी कह सकता है कि ये सज़ाएं बहुत सख़्त हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ये सज़ाएं लागू की हैं और समाज पर उनके सकारात्मक और भले प्रभाव देखे जा सकते हैं। अतः अल्लाह से किए इस वचन को एक मुसलमान को अमलन इख़्तियार करना चाहिए बिना इसके कि उसके मां बाप मुसलमान थे या नहीं। और इस वचन को ज़िंदगी में लागू करने का मतलब स्वयं इस्लाम को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाना है। इंसान की फ़ितरत ही इस्लाम की बुनियाद है। अतः जब वह इस्लाम की शिक्षाओं पर पूरी तरह अमल करता है तो उसके बाहरी काम इस फ़ितरत से मिश्रित हो जाते हैं जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। जब ऐसा होता है तो इंसान के बाहर व अन्दर में समानता आती है अर्थात इब्ने आदम महानता के इस दर्जे पर पदासीन हो जाता है जिसे अल्लाह ने फ़रिश्तों को सज्दा करने का हुक्म दिया और अल्लाह ने उसे ज़मीन पर शासक बनाया क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो ऐकेश्वरवादी और कारक है अल्लाह की ज़मीन पर अम्न व इंसाफ़ क़ायम कर सकता है।

अध्याय : 4

तावीज़ और शगुन के बारे में

पहले अध्याय में हमने तौहीद की क़िस्म तौहीद पालन क्रिया का बयान किया था अर्थात अल्लाह की एकत्व और यह अक़ीदा कि वह कायनात का स्रष्टा व मालिक है और रोज़ी देने वाला है।

कायनात की उत्पत्ति इसकी बक़ा और अंजाम उसकी समाप्ती सब अल्लाह तआला के हुक्म पर निर्भर है इसी तरह अच्छे व बुरे हालात भाग्यशाली, दुर्भाग्य भी उसी पालनहार की मर्ज़ी के तहत हैं लेकिन इंसान हर दौर में यह सवाल करता आया है कि आया कुछ ऐसे तरीक़े भी हैं जिनसे अच्छे व बुरे हालात व घटनाओं के घटित होने से पहले उनका अंदाज़ा किया जा सके क्योंकि समय से पहले उनका ज्ञान हो जाए तो प्रतिकूल हालात (बदनसीबी) को रोकने की तदबीर की जाए और भाग्यशाली के घटित होने को विश्वसनीय बनाया जाए। ज़माना क़दीम से ही ऐसे लोग रहे हैं जो दावा करते थे कि उन्हें परोक्ष मामलों में दख़ल है और जाहिल लोग उनके गिर्द जमा हो जाते थे, क़ीमती नज़राने पेश करते ताकि उनसे उन छुपे मामलों से संबंधित कुछ बातें मालूम कर सकें। उन आफ़तों और संभावित घटनाओं से बचने के लिए जो तरीक़े निर्मित किए गए उनमें तावीज़ गंडों आदि की अधिकता हो गई और शगुन बदशगूनी के बारे में संबंधित ज्ञान में बहुत कुछ बताया गया और उन मालूमात को आम किया गया। इंसान की क़िस्मत का हाल जानने के वैकल्पिक ख़ुफ़िया तरीक़े ईजाद हुए, हर तहज़ीब में उन अलामतों और निशानियों को देखा जा सकता है। मतलब यह कि इस ज्ञान की ख़ुफ़िया शाख़ भी है जो नस्ल दर नस्ल सीना ब सीना नक़ल होती रहती है जो क़िस्मत का हाल बताने के पोशीदा ज्ञान पर आधारित है।

यह भी एक बहुत अहम बात है कि उन ज्ञानों के बारे में एक स्पष्ट इस्लामी नज़रिया का विकास अमल में आए क्योंकि हर इंसानी समाज में ऐसी बातें प्रकट होती रहती हैं उनको समझना और समझाना इसलिए भी ज़रूरी है कि उनकी असल से नावाक़िफ़ होने के कारण एक मुसलमान शिर्क का शिकार हो सकता है जो उस ज्ञान और तरीक़े की बुनियाद हैं। अगले चार अध्यायों में उन दावों का विशलेषण किया जाएगा जो अल्लाह की पालन क्रिया एकत्व और उसकी विशेषताओं का इन्कार करते और ग़ैरुल्लाह (स्रष्टि) की उपासना का विकास करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेशों और सुन्नत की रौशनी में उनका अवलोकन किया जाएगा और फिर उसके बारे में इस्लामी शरीअत का हुक्म बयान किया जाएगा ताकि पाठक की पूरी तरह रहनुमाई हो सके जो तौहीद की रौशनी में उसका हल जानना चाहते हैं।

तावीज़

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में मुश्रिकीने अरब बाज़ुओं पर तावीज़ बांधते, कड़े पहनते, गले में मालाएं डालते थे ताकि दुर्भाग्य और बुरी रूहों से उनकी हिफ़ाज़त हो और सौभाग्य हासिल हो। दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसे तावीज़ गंडे आदि इस्तेमाल करने का रिवाज विभिन्न शक्लों में मौजूद रहा है जैसा कि बयान किया गया। तावीज़ गंडे तिलिस्म, मंतर आदि तौहीद पालन क्रिया का इन्कार करते हैं क्योंकि यह अल्लाह तआला के गुणों व अधिकार उसकी स्रष्टि से मंसूब करते हैं। यद्यपि भाग्यशाली या दुर्भाग्य का प्रकटन सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से ही होता है, किसी स्रष्टि को उस पर क़ुदरत नहीं है। इस्लाम ने इस प्रकार के अक़ीदों की हर शक्ल और क़िस्म को निरस्त कर दिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक दौर में अरब में प्रचलित और मौजूद थे ताकि उसकी बुनियाद पर उसी क़िस्म के तमाम अन्य अक़ाइद व रस्मों को रद्द किया जा सके। उनका प्रकटन कहीं भी हो

किसी भी शक्ल में हो, इस्लामी शरीअत उन्हें हराम क़रार देती है। यह अक़ाइद असल में किसी समाज में मूर्ति पूजा के लिए बुनियाद उपलब्ध करते हैं और तावीज़ गंडे आदि मूर्ति पूजा की ही एक शाख़ है। शिर्क के इस नमूने को ईसाई मज़हब के कैथोलिक सम्प्रदाय में देखा जा सकता है जहां हज़रत ईसा (यसूअ) को ख़ुदा बना दिया गया है, उनकी मां हज़रत मरयम और अन्य सन्तों की पूजा की जाती है उनकी तस्वीरें मुजस्समे तुग़रे, लोहें आदि जो उनकी शक्लें क़रार दी जाती हैं उन्हें हिफ़ाज़त और ख़ुशहाली व ख़ुशनसीबी के लिए गले में पहना जाता है या कमरों में रखा जाता है।

जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में लोगों ने इस्लाम क़ुबूल किया तो वह इस क़िस्म की बातों में विश्वास रखते थे। अरबी में उन्हें तमाइम (वाहिद तमीमा) कहते हैं। हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की अनेक हदीसों में इस क़िस्म के अक़ाइद और कर्मों के ख़िलाफ़ सचेत किया गया है।

इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक व्यक्ति के बाज़ू पर एक पीतल का कड़ा देखा तो आपने उससे कहा तुम पर अफ़सोस है! यह क्या है? उसने अर्ज़ किया कि यह एक बीमारी से महफ़ूज़ रखने के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया : इसे उतार दो क्योंकि तुम्हारी कमज़ोरी में वृद्धि होगी अगर तुम इसे पहने हुए ही मर गए तो तुम कभी सफ़लता नहीं पा सकोगे। (अहमद, इब्ने माजा, इब्ने हिबान ने इसे नक़ल किया है) इस तरह किसी बीमारी से बचने के लिए किसी धात से बना हुआ कोई छल्ला, कड़ा आदि पहनना शरअन मना है। इस क़िस्म के इलाज के तरीक़े हराम चीज़ों से इलाज के संबंध में आते हैं जिनके बारे में रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि एक दूसरे का इलाज करो लेकिन हराम चीज़ों से किसी बीमारी का इलाज मत करो।

अबू वाक़िद लैसी से आगे रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुनैन की तरफ़ रवाना हुए तो असहाब नबी सल्ल० एक पेड़ के पास से गुज़रे जिसे ज़ाते अनवात कहा जाता था, मुश्किरीन खुश बख़्ती के अक़ीदे के तहत अपने हथियार उस पेड़ की शाख़ों से लटकाया करते थे। कुछ सहाबा जो कुछ समय पहले ही इस्लाम लाए थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि उनके लिए भी कोई ऐसा पेड़ प्रस्तावित कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : सुब्हानल्लाह! यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मूसा की क़ौम ने कहा था कि हमारे लिए भी एक ऐसा ही बुत (देवता) बना दे, उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है तुम सब भी उसी रविश पर चलोगे जो तुमसे पहले की क़ौमों की थी।

इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने न सिर्फ़ अंधविश्वास (तावीज़ गंडे आदि) को निरस्त कर दिया बल्कि यह भविष्यवाणी भी फ़रमा दी कि मुसलमान यहूदी व ईसाइयों के अक़ाइद व तरीक़े इख़्तियार कर लेंगे। तस्बीह पर ज़िक्र मुसलमानों में बहुत आम है यद्यपि यह ईसाइयों की नक़ल है। मीलादुन्नबी की तक़रीबात भी ईसाइयों की नक़ल है। कुछ मुसलमानों का औलिया में अक़ीदा रखना और यह समझना कि वह अल्लाह से उनकी सिफ़ारिश कर सकते हैं यह भी ईसाइयों के अक़ीदे से साभार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो भविष्यवाणी की थी वह सच साबित हो चुकी है।

तावीज़ आदि पहनने की संगीनी इससे भी स्पष्ट है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन लोगों पर लानत फ़रमाई है जो ऐसा करते हैं। उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जो व्यक्ति तावीज़ पहनता है या दूसरों को पहनाता है अल्लाह उसे निराशा और परेशानी से दोचार करे। (अहमद और हाकिम ने इसे नक़ल किया है।)

तावीज़ गंडे आदि के बारे में असहाबुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुज़ूर अकरम सल्ल० के फ़रमान पर सख़्ती से अमल करते थे, वे ऐसी बातों को न समाज में प्रचलित होने देते थे न अपने घरों में किसी को ऐसा करने की इजाज़त देते थे। उरवा ने रिवायत किया है कि हज़रत हुज़ैफ़ा एक बार किसी रोगी की इयादत को गए तो उन्होंने उसके बाज़ू पर कुछ बंधा हुआ (तावीज़) देखा। उन्होंने फ़ौरन उसे खींच कर उतारा और तोड़कर फेंक दिया। फिर हुज़ैफ़ा ने यह आयत तिलावत फ़रमाई, "बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं लेकिन शिर्क करते हैं।" (सूरह यूसुफ़, 106)

एक और मौक़े पर वह एक बीमार की इयादत को गए उन्होंने उसका बाज़ू टटोला तो उस पर धागा बंधा हुआ था। उन्होंने पूछा, यह क्या है? बीमार ने जवाब दिया कि यह एक गंडा है जिस पर उसके लिए कुछ जादूई मंतर पढ़े गए हैं। हुज़ैफ़ा ने उस गंडे को उसके बाज़ू से नोच कर टुकड़े करके फेंक दिया और कहा अगर तुम यह धागा पहने हुए मर जाते तो मैं कदापि तुम्हारी नमाज़े जनाज़ा में शरीक न होता।

(इब्ने अबी हातिम)

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की पत्नी ज़ैनब से रिवायत है कि एक बार उनके पति ने उनके गले में धागे का एक हार देखा तो पूछा, यह क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि एक टोना है उस पर कुछ मंतर पढ़े गए हैं ताकि मुझे उससे फ़ायदा हो। उन्होंने फ़ौरन उस हार को पत्नी के गले से खींच कर तोड़ डाला और कहा : निश्चय ही अब्दुल्लाह के ख़ानदान को शिर्क की ज़रूरत नहीं है। मैंने हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इरशाद फ़रमाते हुए सुना है निःसन्देह जादू, तावीज़, गंडे जैसी तमात बातें शिर्क हैं। इस पर उनकी पत्नी ज़ैनब ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक बार मेरी आंखों में तकलीफ़ थी तो मैं एक यहूदी के पास गई, उसने मेरी आंखों में कुछ मंतर पढ़कर फूंका और मेरी आंख ठीक हो

गईं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने जवाब दिया, बेशक यह शैतान की कारस्तानी थी जब तुम उसके जादू का शिकार हो गईं तो वह ग़ायब हो गया, तुम्हारे लिए यह काफ़ी था कि तुम वह दुआ पढ़तीं जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पढ़ा करते थे :

اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء ک شفاءً لا یغادر سقما.

ऐ कायनात के स्रष्टा व मालिक मेरी बीमारी दूर कर दे और मुझे शिफ़ा कामिल प्रदान फ़रमा क्योंकि तू ही हक़ीक़ी शाफ़ी है और तेरी शिफ़ा के सिवा कोई दूसरा इलाज नहीं है। एक ऐसा इलाज और शिफ़ा जिसके बाद कोई बीमारी नहीं होती। (हज़रत आइशा रज़ि० और हज़रत अनस रज़ि० से भी इस दुआ को रिवायत किया है और बुख़ारी ने इसे नक़ल किया है)

जादू टोना मंतर आदि के बारे में हुक्म

हम पहले ही स्पष्टीकरण कर चुके हैं कि तावीज़ गंडे आदि केवल उसी अरबी अंदाज़ और दस्तूर के नहीं होते जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हराम क़रार दिया है, जहां कहीं भी उन चीज़ों को उल्लिखित उद्देश्यों व अक़ाइद के तहत इस्तेमाल किया जाए उन पर यही हुक्म लागू होगा। (वह हराम क़रार दिए जाएंगे) पश्चिमी समाज में जहां इस समय साइंस और टैक्नालॉजी पर प्रगति का ज़ोर है आज भी जादू टोना आदि जैसी बातों का रिवाज है। तावीज़ आदि की ऐसी अधिकता है कि उनकी क़िस्म के बारे में सोचते भी नहीं लेकिन जब उसकी हक़ीक़त स्पष्ट होती है तो उसकी तह में शिर्क ही नज़र आता है।

पश्चिमी समाज में तावीज़ गंडे और जादू टोना के बारे में निम्न दो मिसालें पेश की जाती हैं :

ख़रगोश का पांव

ख़रगोश का पिछला पंजा या सोने चांदी से बनी हुई उसकी नक़ल

(आकृति) को सुन्दर और नाज़ुक ज़ंजीरों में लटका करके लाखों लोग अपनी गर्दन में पहनते हैं और उसे सौभाग्य की निशानी समझा जाता है। इस अक़ीदे के पीछे यह मुशाहिदा है कि ख़रगोश अपनी पिछली टांगों से ज़मीन थपथपाता है। क़दीम अक़ीदे के मुताबिक़ इस तरह वह ज़मीन के नीचे की आत्माओं से सम्पर्क क़ायम करता है। अतः ख़रगोश के पिछले पंजों को आत्माओं से सम्पर्क के लिए महफ़ूज़ कर लिया जाता है ताकि रूहों तक अपनी दुआएं और तमन्नाएं पहुंचाई जा सकें। इसी के साथ उससे ख़ुशनसीबी की धारणा भी संबंधित कर दी जाती है।

घोड़े की नाल

बहुत से अमेरिकन अपने दरवाज़ों पर घोड़े की नाल टांगा करते हैं, उनकी छोटी छोटी नक़ल बनवाकर तावीज़ की तरह गले में पहनते हैं। चाबियों के गुच्छे में लटकाते हैं और अक़ीदा रखते हैं कि इससे उन्हें ख़ुशबख़्ती और ख़ुशहाली हासिल होगी। इस अक़ीदे की बुनियाद क़दीम अफ़्रीक़ी (यूनानी) देवमालाई कहानियों में तलाश की जा सकती है। क़दीम यूनान में घोड़ों को मुक़द्दस जानवर समझा जाता था। अगर किसी दरवाज़े पर घोड़े की नाल टंगी होती तो उसे ख़ुशबख़्ती का निशान समझा जाता था। नाल का ऊपरी हिस्सा आसमान की तरफ़ रखा जाता था ताकि वह ख़ुशबख़्ती को रोके रखे। अगर ऊपरी हिस्से का रुख़ नीचे की तरफ़ होता तो समझा जाता था कि ख़ुश नसीबी उस घर से विदा हो गई।

जादू टोने, तावीज़, गंडे आदि में अक़ीदा रखना स्रष्टि को स्रष्टा की विशेषताएं व इख़्तियारात प्रदान करना है। ख़ुशबख़्ती और बदबख़्ती अल्लाह के हुक्म से प्रकट होती हैं। जो लोग जादू टोने तावीज को मानते हैं वे अल्लाह तआला की पालन क्रिया को बन्दों से मंसूब करते हैं। ऐसे लोग उन तावीज़ गंडे को अल्लाह से भी ज़्यादा ताक़तवर मानते हैं कि उनके ज़रिए उन आफ़तों व मुसीबतों को रोका जा सकता है जिनका

प्रकटन अल्लाह तआला के हुक्म से होने वाला है। इस तरह तावीज़ टोने गंडे आदि खुला हुआ शिर्क हैं जैसा कि ऊपर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की रिवायत से स्पष्ट होता है। निम्न हदीस से इसका और स्पष्टीकरण होता है :

उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० के पास दस आदमियों का एक प्रतिनिधि मंडल हाज़िर हुआ, आपने उनमें से 9 की बैअत ली लेकिन दसवें की बैअत लेने से इंकार कर दिया। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्ल० आपने हम में एक व्यक्ति को बैअत से महरूम कर दिया। आप सल्ल० ने फ़रमाया, बेशक क्योंकि उसने तावीज़ पहन रखा है, उस आदमी ने उस तावीज़ को उतार कर चाक कर डाला। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे बैअत ली फिर उससे फ़रमाया : जो व्यक्ति तावीज़ गंडा पहनता है वह शिर्क का काम करता है। (अहमद और तिर्मिज़ी ने इसे नक़ल किया है।)

क़ुरआनी आयात से तावीज़ बनाना

सहाबा किराम, इब्ने मसऊद, इब्ने अब्बास, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम सब इसके ख़िलाफ़ थे कि क़ुरआनी आयात को बतौर तावीज़ इस्तेमाल किया जाए। ताबईन में से कुछ के बारे में रिवायत है कि वह इसकी इजाज़त देते थे लेकिन उनमें से अधिकांश इसके ख़िलाफ़ थे लेकिन हदीस के मतन में क़ुरआनी आयात या किसी अन्य इबारत में फ़र्क़ या विभेद नहीं किया गया है और हमारे पास ऐसी कोई रिवायत नहीं है जिससे साबित हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्वयं आयाते क़ुरआनी को तावीज़ की शक्ल में पहना हो या सहाबा को उसकी इजाज़त दी हो। क़ुरआन अज़ीम की आयात को तावीज़ बनाकर पहनने से रसूले अकरम सल्ल० के इस अमल की मनाही होती है जो आप ने जादू के प्रभाव दूर करने के लिए इख़्तियार फ़रमाया। सुन्नत यह है कि ऐसी

हालत में सूरह नास, सूरह फ़लक़ और आयतल कुर्सी की तिलावत की जाए। क़ुरआन अज़ीम से रूहानी लाभ के लिए उसकी तिलावत और उस पर अमल लाज़मी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जो व्यक्ति किताबुल्लाह की तिलावत करता है उसे एक नेकी मिलती है और हर नेकी अपनी क़द्र व क़ीमत में दस नेकियों के बराबर होती है। मैं यह नहीं कहता कि अलिफ़ लाम मीम एक अक्षर है बल्कि ये तीन अक्षर हैं। (अबू हुरैरह रज़ि० की रिवायत जिसे बुख़ारी ने नक़ल किया है) क़ुरआन अज़ीम को लाकिट आदि की शक्ल में पहनना मानो किसी बीमार का डॉक्टर के नुस्ख़े को गले में लटकाना है। बजाए इसके नुस्ख़े को पढ़कर उसमें लिखी दवाएं इस्तेमाल की जाएं इसे कपड़े में लपेट कर गले में पहनना और अक़ीदा रखना कि उससे ठीक हो जाएगा हास्यस्पद बात है। क़ुरआन अज़ीम के किसी भाग को तावीज़ बनाकर पहनने और यह अक़ीदा रखने से कि उससे शिफ़ा हासिल होगी या बदनसीबी से हिफ़ाज़त होगी मानो पहनने वाला उस अमल को रोकना चाहता है जो अल्लाह ने पहले ही उसके लिए मुक़द्दर कर दिया है। अर्थात वह अल्लाह तआला के बजाए किसी दूसरी चीज़ पर भरोसा करता है। तावीज़ गंडे आदि पहनने से शिर्क की यही शक्ल सामने आती है।

ईसा बिन हमज़ा से रिवायत है कि मैं एक बार अब्दुल्लाह बिन अक़ीम की सेवा में हाज़िर हुआ वहां हमज़ा भी मौजूद थे। मैंने पूछा, क्या आप तावीज़ पहनते हैं? उन्होंने कहा, ख़ुदा अपनी पनाह में रखे क्या तुमने सुना नहीं कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया है कि जो व्यक्ति तावीज़ आदि पहनता है वह अल्लाह के बजाए उस तावीज़ पर भरोसा करता है। (अब्दुल्लाह बिन मसऊद की रिवायत जिसे अहमद और तिर्मिज़ी ने नक़ल किया है)

क़ुरआन अज़ीम के इतने छोटे नुस्ख़े तैयार करना जिन्हें नंगी आंख से न पढ़ा जा सके और उन्हें लाकिट के तौर पर गले में पहना जाए यह

भी शिर्क की एक क़िस्म है। इसी तरह ज़ेवरात पर आयतल कुर्सी इतने बारीक और छोटे ख़त में नक़्श करना और उसे गले में या कानों में पहनना भी शिर्क की हौसला अफ़ज़ाई करना है। ऐसे ज़ेवरात पहनने वाली तमाम औरतों को शिर्क का करने वाला क़रार नहीं दिया जा सकता लेकिन उनमें से अधिकांश उन्हें आफ़तों से महफ़ूज़ रहने के लिए पहनती हैं। इस तरह यह भी शिर्क की एक शक्ल इख़्तियार कर लेता है जिसकी इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे अर्थात तौहीद में कोई गुंजाइश नहीं है।

मुसलमानों को इस बारे में बेहद सावधान रहना चाहिए कि वह क़ुरआन अज़ीम को तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल करें। उसे अपनी मोटरगाड़ियों में लटका कर चाबियों के गुच्छे में शामिल करके, हार या कड़े आदि की शक्ल में पहनने से वे ग़ैर मुस्लिमों की तक़्लीद के मुरतकिब होते हैं। विभिन्न क़िस्म के गंडे मंतर तावीज़ आदि इस तरह इस्तेमाल करके मुसलमान शिर्क के लिए दरवाज़े खोलते हैं। अतः शऊरी तौर पर अपने अक़ीदे को सही और ख़ालिस बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस क़िस्म की बातों से पाक होकर उनका अक़ीदा ख़ालिस तौहीद पर पुख़्ता हो।

शगुन

अज्ञानता काल में अरब मुश्रिकीन परिन्दों की परवाज़ के रुख़ और जानवरों के आगे बढ़ने की दिशा को देखकर अच्छे या बुरे शगुन का फ़ैसला करते थे और उसी के मुताबिक़ अपनी ज़िंदगी का प्रोग्राम तैयार करते थे। परिन्दों और जानवरों की परवाज़ और रफ़्तार के इस मुशाहिदे को तय्यारा कहा जाता था। यह शब्द तार से बना है जिसका मतलब है परवाज़ करना। मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति सफ़र पर रवाना होता और कोई परिन्दा उसके सर के ऊपर से परवाज़ करके बायीं तरफ़ मुड़ जाता तो वह व्यक्ति उसे बदशगूनी समझ कर सफ़र रद्द करके घर लौट जाता था। इस्लाम ने ऐसी तमाम बातों को बकवास क़रार देकर

निरस्त कर दिया क्योंकि इस क़िस्म के अक़ाइद से तौहीद इबादत और तौहीद असमा व गुणों पर चोट पड़ती है।

1. अर्थात इस.से अक़ीदा कमज़ोर होता है और बन्दा अल्लाह के सिवा दूसरे (ग़ैरुल्लाह) पर भरोसा करता है।

2. ख़ुशनसीबी या बदनसीबी सुख व दुख के बारे में इंसान की भविष्यवाणी पर भरोसा करने का मतलब अल्लाह की तक़्दीर पर भरोसा न करना है।

तय्यारा के हराम होने की बुनियाद हज़रत इमाम हुसैन (नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से रिवायत करदा यह हदीस है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि जिस व्यक्ति ने तय्यारा किया या किसी दूसरे से अपने लिए करवाया या जिसने भाग्य का हाल मालूम कराया या जादू आदि करवाया वह हममें से नहीं है। (तिर्मिज़ी) यहां हमसे तात्पर्य उम्मते मुस्लिमा है। अतः जो व्यक्ति भी तय्यारा में अक़ीदा रखता है वह दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा।

एक और हदीस के मुताबिक़ जिसे मुआविया बिन हकम ने रिवायत किया है जब उन्होंने हज़रत रसूले अकरम सल्ल० से अर्ज़ किया कि हममें से कुछ लोग तय्यारा में अक़ीदा रखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया, ये सब तुम्हारे ज़ेहन की पैदावार है, तो इस (तय्यारे) पर यक़ीन मत करो। (मुस्लिम) अर्थात तुम जो काम करना चाहते हो उसे तय्यारे के शगून की बुनियाद पर रद्द मत करो क्योंकि इस क़िस्म की तमाम बातें इंसानी ज़ेहन की ख़ुराफ़ात हैं जिनकी कोई असल नहीं है। इस तरह हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह तआला परिन्दों की परवाज़ के रुख़ को किसी बात के लिए शगून नहीं बनाता। उनकी परवाज़ या रफ़्तार से फ़लाह व आफ़ात के प्रकट होने का कोई संबंध नहीं है यद्यपि कभी कभी जाहिली अक़ीदे के मुताबिक़ हालात उसके मुताबिक़ रुख़ इख़्तियार कर लेते हैं।

सहाबा किराम के साथियों या शागिर्दों में से कोई इस क़िस्म की बात करता था तो वह उसे तुरन्त निरस्त कर देते थे। मिसाल के तौर पर इकरिमा का बयान है कि एक बार हम इब्ने अब्बास रज़ि० के पास बैठे थे अचानक एक परिन्दा हमारे ऊपर से उड़ा और चीख़ता हुआ एक तरफ़ को परवाज़ कर गया। इस पर लोगों में से एक ने आश्चर्यचकित होकर कहा अल्लाह ख़ैर करे। इब्ने अब्बास ने उसे सचेत किया और कहा इन बातों में कोई ख़ैर या बुराई नहीं है। इसी तरह हज़रात ताबईन के शागिर्दों में से (जो मुसलमानों की तीसरी नस्ल से संबंध रखते थे) अगर कोई ऐसे शगून की ताईद में कुछ कहता तो वे उसे सख़्ती से निरस्त कर देते थे। मिसाल के तौर पर एक बार ताऊस अपने एक साथी के साथ सफ़र पर जा रहे थे कि एक कौवा बोला। इस पर उनके साथी ने कहा वाह! ताऊस ने नागवारी से कहा, इसमें क्या ख़ैर है जो तुमने वाह वाह कहीं तुम मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकते अलेहदा हो जाओ। (अयज़न)

लेकिन बुख़ारी में एक हदीस है। जिसके मतलब में सन्देह ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, तीन चीज़ों में वदशगूनी होती है : औरत, सवारी का जानवर और घोड़ा। हज़रत आइशा रज़ि० ने उसे निरस्त करते हुए फ़रमाया, उस ज़ात की क़सम जिने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर फ़ुरक़ान (क़ुरआन अज़ीम) नाज़िल फ़रमाया, जिस व्यक्ति ने भी इसे (हदीस को) रिवायत किया उसने झूठ बोला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया था कि दौरे जाहिलियत में लोग कहते थे कि औरत, सामान ढोने के जानवरों और मकानों में बदशगूनी होती है। इसके बाद हज़रत आइशा रज़ि० ने यह आयत तिलावत फ़रमाई :

مَآ اَصَابَ مِنۡ مُّصِيۡبَةٍ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ اِلَّا فِىۡ كِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا. (الحديد ٢٢-٥٧)

"ज़मीन पर या तुम पर जो मुसीबत नाज़िल होती है वह वही होती है जिसे हमने पहले ही मुक़द्दर कर दिया है।" (सूरह हदीद, 57 : 22)

उल्लिखित हदीस सही है लेकिन इसकी एक दूसरी हदीस के परिपेक्ष्य में व्याख्या की जानी चाहिए जो ज़्यादा ख़ास अंदाज़ की है। अगर किसी चीज़ में बदशगूनी की बात होती तो वह औरत, मकान और घोड़ों में हो सकती थी। (बुख़ारी) अर्थात हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने बदशगूनी के वजूद की पुष्टि नहीं फ़रमाई। आपने केवल यह बताया कि अगर इसका वास्तव में वजूद होता तो उसका प्रकटन उन चीज़ों में हो सकता था। उन तीन चीज़ों में बदशगूनी की संभावना की बात इसलिए कही गई कि उस दौर में ये तीन चीज़ें ही एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा क़ीमती धरोहर होती थीं। हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसी लिए ऐसी दुआएं भी तालीम फ़रमाई जो उन चीज़ों को हासिल करने या (मकान में) दाख़िल होते समय पढ़ ली जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया : तुममें से कोई व्यक्ति अगर शादी करे या सेवक लेकर आए तो चाहिए कि उसकी पेशानी पकड़ कर अल्लाह अरहमर्राहिमीन का नाम ले और भलाई व बरकत की दुआ करे। और कहे :

اللهم انی اسئلک خیرها و خیر ما
جبلتها علیه و اعوذبک من شرها و شر ماجبلتها علیه.

या अल्लाह मैं इसके बारे में तुझसे भलाई का तालिब हूं और उसकी प्रकृति में भी भलाई प्रदान कर जो तूने पैदा फ़रमाई। या अल्लाह मैं इसकी बाबत बुराई से तेरी पनाह मांगता हूं और उसकी प्रकृति के उस बुराई से भी जो इसमें हो।

अगर कोई व्यक्ति जानवर ख़रीदे तो भी उसके कोहान या सबसे बुलन्द हिस्से (घोड़े के बाल आदि) को पकड़ कर यही दुआ करे। यह भी रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद

फ़रमाया कि जब तुममें से कोई मकान में दाख़िल हो तो कहे :

اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق. (مسلم)

मैं अल्लाह तआला के कलिमात कामिला के ज़रिए उन तमाम शर (बुराइयों) से पनाह मांगता हूं जो उसने पैदा फ़रमाई हैं।

निम्न हदीस से भी शगुन के बारे में पता चलता है :

हज़रत अनस रज़ि० ने याहया बिन सईद से रिवायत की है कि एक औरत हुज़ूर अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह (सल्ल०) एक घर था जिसमें बहुत से लोग थे और दौलत की अधिकता थी, फिर उसके रहने वाले कम से कम हो गए और दौलत भी ख़त्म हो गई, क्या हम इस मकान को छोड़ दें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया, इसे छोड़ दे उस पर अल्लाह का प्रकोप है। (अबू दाऊद) आप सल्ल० ने यह नहीं फ़रमाया कि इसमें तय्यारा की बदशगूनी (फ़ालबद) है क्योंकि वह मकान बदहाली और एकान्त के कारण उनके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से एक बोझ बन गया था। यह एक स्वभाविक भावना है जो अल्लाह तआला ने इंसान के अंदर पैदा की है जब आदमी को किसी चीज़ में या इस चीज़ से किसी बदशगूनी का भ्रम हो जाता है तो वह उससे बहरहाल दूर रहना चाहता है चाहे उसमें कोई बदफ़ाली न हो। यहां यह बात भी समक्ष रहनी चाहिए कि उस मकान को छोड़ने की विनती उस समय की गई जबकि बदशगूनी से वह मकान प्रभावित हो चुका था, उसके संभावित प्रभाव से पहले ऐसी कोई विनती नहीं की गई थी। किसी स्थान या किसी क़ौम पर बदफ़ाली प्रकट होने पर यह कहना कि अल्लाह का प्रकोप उन पर नाज़िल हुआ है कोई ग़लत बात नहीं है। यह इसलिए कि अपने कर्मों के कारण कुछ क़ौम या स्थान अल्लाह के प्रकोप का शिकार हुए। इसी तरह इंसान इस चीज़ से मुहब्बत करता है और उससे क़रीबतर होना चाहता है जिसके बारे में इसका गुमान है कि वह उसके लिए नेक शगुन है और कामयाबी की अलामत है। अपने

आप में यह भावना तय्यारा नहीं है लेकिन अगर इस ग़लत अक़ीदे के तहत इख़्तियार किया जाए तो शिर्क की तरफ़ ले जाता है। यह भावना उस समय पैदा होती है जब मनुष्य किसी ऐसे स्थान या चीज़ से बचना चाहता है जहां उससे पहले के लोग बदनसीबी का शिकार हुए थे या ऐसी जगह पहुंचना चाहता है जहां ख़ुशबख़्ती के चिन्ह और संभावना हों, वह व्यक्ति इस स्थान या उस चीज़ से भलाई व बुराई का प्रकटन मंसूब करता है और कभी कभी उसकी पूजा तक पहुंच जाता है।

अच्छी फ़ाल व बदशगून

अनस रज़ि० से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि तय्यारा और महामारी का असर कुछ नहीं है।[1]

लेकिन फ़ाल को पसन्द करता हूं इस पर सहाबा ने अर्ज़ किया, फ़ाल क्या है? फ़रमाया, एक अच्छा शब्द। चीज़ों में बदशगूनी को मानना मानो अल्लाह तआला के बारे में बुरी भावना को दिल में जगह देना है। यह एक ऐसी बात है जिसमें शिर्क हो सकता है यद्यपि चीज़ों में नेक शगून देखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में एक सकारात्मक सोच को स्पष्ट करता है लेकिन यह भी शिर्क के क़रीब हो सकता है। क्योंकि इससे अल्लाह तआला के इख़्तियारात सृष्टि से मंसूब करने का अक़ीदा निकलता है। अतः जब हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने उन्हें फ़ाल के

---

1. एक और हदीस हज़रत अबू हुरैरह से रिवायत है और बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है कि एक बद्दू ने हुज़ूर अकरम सल्ल० से मालूम किया, या रसूलुल्लाह सल्ल० इस छूत की बीमारी (मर्ज़) के बारे में क्या फ़रमाते हैं कि एक बीमार ऊंट गल्ले में आता है और उसकी बीमारी से दूसरे ऊंट भी बीमार हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, पहले ऊंट को किसने बीमार किया।

इस हदीस में हज़रत रसूले अकरम सल्ल० अज्ञानता दौर में छूत की बीमारी के बारे में उनके इस अक़ीदे की मनाही फ़रमा रहे थे जिसके तहत वह छूत की बीमारी को बुरी आत्मा का असर क़रार देते थे।

सीमित पहलुओं से अवगत किया जो इस्लामी अक़ीदे की बुनियाद पर क़ायम है और क़ाबिले क़ुबूल है अर्थात रिजाइयत का पहलू लिए हुए शब्दों का इस्तेमाल। जैसे किसी बीमार व्यक्ति को सालिम के नाम से पुकारना या अगर किसी व्यक्ति की कोई चीज़ गुम हो गई तो उसे वाजिद (पाने वाला) का नाम देना। रिजाइयत का पहलू रखने वाले इन शब्दों के इस्तेमाल से कम हिम्मत लोगों में हौसला और उम्मीद पैदा होती है, बीमार में सेहतयाबी का एहसास उभरता है। मोमिनों को चाहिए कि हर अवसर पर अल्लाह के बारे में रिजाइयत की भावना और अक़ीदा रखें।

शगुन के बारे में इस्लामी फ़ैसला (हुक्म)

ऊपर उल्लिखित अहादीस से साबित होता है कि तय्यारे से शगुन के बारे में आम एहसासात व्यक्त होते हैं परिन्दों की परवाज़ के रुख़ से शगुन लेने के नज़रिये को इस्लाम ने पूरी तरह निरस्त कर दिया। जाहिली अरब के लोग परिन्दों से अन्य क़ौमों दूसरी चीज़ों से इस क़िस्म के शगुन लेती थीं। लेकिन दोनों के यहां बुनियादी नज़रिया एक ही था। जब उन शगुन के आरंभ के बारे में निशान देही की जाती है तो उसकी तह में शिर्क ही नज़र आता है। यहां उन असंख्य शगुनों के बारे में कुछ मिसालें पेश की जाती हैं जो पश्चिम में आजकल प्रचलित हैं।

पेड़ों पर हाथ मारना

जब कोई व्यक्ति किसी बात के लिए शुक्र गुज़ार होता है और उम्मीद करता है कि उसकी क़िस्मत में तब्दीली नहीं आएगी (ख़ुश क़िस्मती इसका साथ नहीं छोड़ेगी) तब वह कहता है पेड़ को छुओ और उस पर हाथ मारो, वह उस उद्देश्य के लिए आस पास पेड़ों को ढूंडता है। उसकी बुनियाद वह प्राचीन अक़ीदा है जिसके मुताबिक़ लोग कहते थे कि देवता पेड़ों में रहते हैं। देवताओं से मुरादें मांगने के लिए लोग पेड़ों को छूते थे। अगर उनकी मुराद पूरी हो जाती तो फिर वह उस पेड़ के पास जाते और उसे आस्था के तहत छूते थे।

नमक का बिखर जाना : अगर नमक बिखर जाता तो लोग उसे बदशगूनी समझते थे कि मुसीबत आने वाली है। अतः वह नमक को बाएं कंधे पर छिड़कते थे ताकि आने वाली मुसीबत को दूर किया जा सके। उस शगुन की बुनियाद यह है कि नमक में चीज़ों को ताज़ा रखने की विशेषता होती है। प्राचीन क़ौमें उसे एक जादूई ताक़त का अमल क़रार देती थीं। इसलिए नमक का बिखर जाना मुसीबत का आना समझा जाता था। उसके साथ यह अक़ीदा भी था कि बुरी आत्माएं बाएं कंधे पर क़याम करती हैं अतः नमक छिड़क कर उन्हें ख़ुश और सन्तुष्ट करने की कोशिश की जाती थी।

आईना टूट जाना

कुछ लोग यह समझते थे कि संयोग से आईने का टूट जाना दुर्भाग्य के साथ साल का शगुन है। प्राचीन दौर के लोग यह समझते थे कि पानी में उनका अक्स उनकी रूह का अक्स है। अतः अगर कोई व्यक्ति पानी में पत्थर फेंकता तो यह समझा जाता कि उनकी आत्माएं भी बिखर कर रह गईं। जब आईने की ईजाद हुई तो यह शगुन आईने से मंसूब कर दिया गया।

काली बिल्ली

कुछ लोगों का यह अक़ीदा था कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो यह उनके लिए बुरा शगुन है। मध्यकाल के लोगों का अक़ीदा यह था कि काली बिल्ली भूत प्रेत जानवर है। जादूगरनी (चुड़ैलें) के बारे में कहा जाता था कि वह बिल्ली की खोपड़ी (भेजे) और मेंढक, सांपों और अन्य कीड़े मकोड़े के अंगों को मिलाकर जादू करती हैं। अगर किसी जादूगरनी की काली बिल्ली इसके दवाई मिश्रण में विलीन हुए बिना सात साल तक ज़िंदा रह जाती तो कहा जाता था कि वह चुड़ैल बन गई है।

13 का अदद (अंक)

अमेरिका में 13 का अंक अशुभ समझा जाता है और बहुत सी बिल्डिंगों में 13वीं मंज़िल को 14वीं मंज़िल कहा जाता है। 13 तारीख़ का जुमा ख़ासकर अशुभ समझा जाता है और बहुत से लोग उस दिन सफ़र नहीं करते, न उस दिन अहम उत्सवों का आयोजन करते हैं और अगर उस दिन उन पर कोई आफ़त आ जाए तो उसे वे उसी दिन की नहूसत से मंसूब करते हैं। यह बात वहां के लोगों तक ही सीमित नहीं है जैसा कि कुछ लोग शायद ख़्याल करें। मिसाल के तौर पर 1970 ई० में चांद मिशन के फ़लाइट कमांडर ने जिसका अंतरिक्ष विमान तबाह होने से बाल बाल बचा था, कहा कि उसे यह एहसास होना चाहिए था कि कुछ होने वाला है, जब उससे पूछा कि उसे यह विचार क्यों आया? तो उसने जवाब दिया कि अंतरिक्ष उड़ानें 13 तारीख़ जुमा के दिन शुरू हुई, उसका आरंभ 13वें घंटे (एक बजे) में हुआ और उसका नाम भी अपॉलो 13 था। इस अक़ीदे की बुनियाद यसूअ मसीअ के आख़िरी इशाइया (रात का खाना) की शाम से मानी जानी है जैसा कि इंजील बताती है इस इशाए रब्बानी में 13 लोग (हव्वारी) शरीक थे। उन 13 में जोदा (Juda) भी शामिल था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने यसूअ से दग़ा की और रिश्वत लेकर उन्हें गिरफ़्तार करा दिया। 13 तारीख़ के जुमा को ख़ास तौर पर दो वजह से अशुभ समझा जाता है। मसीही रिवायात के मुताबिक़ यह जुमा का दिन था जब यसूअ को सलीब दी गई और मध्यकाल के अक़ीदे के मुताबिक़ जुमा के दिन शयातीन की सभा होती है।

इन अक़ीदों के तहत शुभ और अशुभ हालात व घटनाओं के घटित होने में अल्लाह की क़ुदरत के साथ उसकी स्रष्टि के अमल दख़ल को भी माना जाता है। इसी तरह आफ़तों से भय और ख़ुशबख़्ती की उम्मीदों में जो अल्लाह तआला से मंसूब की जानी चाहिएं ग़ैरुल्लाह को शामिल कर लिया जाता है। उन्हें भविष्य और परोक्ष के हालात से बाख़बर भी माना

जाता है यद्यपि यह सिर्फ़ अल्लाह तआला की विशेषता है, इस विशेषता को अल्लाह तआला ने आलिमुल ग़ैब (ग़ैब के हालात जानने वाला) का नाम दिया है। क़ुरआन अज़ीम में अल्लाह तआला ने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से भी यह कहलवाया है कि अगर मैं परोक्ष का हाल जानता तो आने वाली आफ़तों से स्वयं को महफ़ूज़ कर लेता।

وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ.

(الاعراف: ۱۸۸)

अतः शगुन (बदशगूनी) में अक़ीदा रखना तौहीद के आम नज़रिये के तहत शिर्क की एक क़िस्म में आता है। इस हुक्म की पुष्टि इस हदीस से भी होती है जिसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने रिवायत किया है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने तीन बार फ़रमाया, तय्यारा शिर्क है। (अबू दाऊद) अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से भी रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : जिस व्यक्ति ने भी तय्यारा के शगुन के तहत किसी काम को अंजाम देने से हेच पेच किया उसने शिर्क किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, उसका कफ़्फ़ारा क्या है? फ़रमाया, लहू।

اللهم لا خير الا خيرک ولا طير الا طيرک ولا اله غيرک.

(احمد اور طبرانی)

ऐ अल्लाह हर भलाई तेरी ही तरफ़ से है और कोई शगुन तेरे शगुन के अलावा नहीं और न कोई तेरे सिवा पालनहार है।

ऊपर उल्लिखित अहादीस से साबित होता है कि तय्यारा केवल परिन्दों तक ही सीमित नहीं था उसमें अन्य तमाम क़िस्म के अक़ीदे और शगुन भी शामिल थे। ज़माना व स्थान के फ़र्क़ से उनमें मतभेद ज़रूर था लेकिन बुनियादी तौर पर उनकी एक ही क़िस्म थी अर्थात शिर्क।

अतः मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वह ऐसी तमाम भावनाओं व आभासों से बचें जो इस क़िस्म के अक़ीदों से पैदा होते हैं, अगर उन्हें

अंदाज़ा हो कि वह बे समझे बूझे उन आभासों से पराजित हो गए हैं तो उन्हें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और ऊपर उल्लिखित दुआ का विर्द करना चाहिए यद्यपि देखने में यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर इतनी सख़्ती से विचार व्यक्त किया जाए लेकिन इस्लाम इस विषय पर इसलिए ज़ोर देता है कि उससे इस क़िस्म का बीज बोया जाता है जो आख़िरकार शिर्क अकबर (शिर्क जली) की फ़सल उगाती है। बुतों, इंसानों, सितारों आदि की पूजा की भावना एक दम पैदा नहीं हो जाती, उसके बढ़ावे में लम्बा समय लगता है। जब शिर्क की भावना और विश्वास को बढ़ावा मिला तो अल्लाह तआला की ज़ात (पालन क्रिया) में इंसान का अक़ीदा कमज़ोर हो गया। अतः इस्लाम जो इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करता है उसकी कोशिश यह है कि इस पौधे (शिर्क) को जड़ पकड़ने से पहले ही उखाड़ दिया जाए।

अध्याय : 5

क़िस्मत का हाल बताना

जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया गया। इंसान में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो परोक्ष और भविष्य की बातें जानने का दावा करते हैं। उन लोगों को अलग अलग नामों से याद किया जाता है। उनमें से कुछ प्रख्यात नाम ये हैं : क़िस्मत का हाल बताने वाला, नजूमी ज्योतिषी पेशगोई करने वाला, रूमाल शगुन बताने वाला, साहिर (जादूगर) हाथ देखने वाला (पामिस्ट) आदि। क़िस्मत का हाल बताने वाले अपने अमल में अनेक तरीक़े और साधन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाथ की लकीरें देखना, ज़मीन या काग़ज़ पर रेखाएं (लाइनें) खींचना, अंक लिखना, चाय की पत्तियां पढ़ना, सितारों की गर्दिश देखना, ज़ाइचा बनाना, हड्डियां चटख़ाना, लकड़ियां फेंकना, साफ़ चमकदार गोले पर नज़र जमाना आदि आदि। इन तरीक़ों के ज़रिए वह मालूमात हासिल करने का दावा करते हैं। इस अध्याय में हम क़िस्मत का हाल बताने के फ़न के विभिन्न तरीक़ों पर वार्त्ता करेंगे सिवाए जादूगरी जिसका हाल बाद को बयान किया जाएगा।

परोक्ष का हाल बताने की महारत पर उबूर रखने वाले या उसे बतौर पेशा इख़्तियार करने वाले लोगों को दो ख़ास क़िस्मों में तक़्सीम किया जा सकता है।

1. ऐसे लोग जो इस फ़न में माहिर और कामिल नहीं हैं लेकिन अपने मरीज़ों (गाहकों) को वह आम अंदाज़ की बातें बताते हैं जिनके होने की संभावना हमेशा या प्रायः रहती है और अधिकांश लोगों की ज़िंदगी पर प्रभावी होते हैं। पहले ये लोग कुछ बेमायना सी हरकतें करते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं, क़यास व क़याफ़ा शनासी से काम लेते हैं। कभी कभी

उनकी बातें सही साबित हो जाती हैं क्योंकि जो बातें वे बताते हैं वे आम क़िस्म की होती हैं। अधिकांश लोग उनकी केवल उन बातों को याद रखते हैं जो सच साबित हुईं लेकिन वह पेशगोइयां जो ग़लत साबित हुईं उन्हें भूल जाते हैं। यह मनोवृत्ति इसलिए उभरती है कि अधिकांश पेशगोइयां बहुत जल्द बड़ी हद तक भूली बिसरी मिसाल बन जाती हैं और उनकी याद दोबारा उस समय आती है जब कोई अहम घटना पेश आती है जो उन बातों को उनके तहत विवेक से बाहर ले आती है। मिसाल के तौर पर उत्तरी अमेरिका में दस्तूर है कि हर साल के आरंभ पर प्रख्यात नजूमियों की पेशीन गोइयां समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। जब उन पेशीनगोइयों के बारे में एक सर्वे किया गया तो पिता चला कि उनमें से केवल 24 प्रतिशत ही सही साबित हो सकीं।

2. परोक्ष की बातें बताने वालों में एक जमाअत उनकी है जो जिन्नात से सम्पर्क क़ायम कर लेते हैं। यह जमाअत इसलिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है कि यह अक्सर शिर्क का काम होते हैं। ये लोग शिर्क के जो काम करते हैं उससे उनकी अक्सर बातें सही साबित हो जाती हैं और उसकी वजह से बहुत से मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम उनकी तरफ़ खिंच जाते हैं और उससे एक नए फ़ितने का आरंभ होता है।

आलमे जिन्नात (जिन्नात की दुनिया)

कुछ लोग जिन्नात के वजूद से इंकार की कोशिश करते हैं यद्यपि क़ुरआन अज़ीम में पूरी एक सूरह (सूरह जिन्न) मौजूद है। शब्द जिन्न के शाब्दिक मायना पर निर्भर करते हुए जिसके मायना छुपाना होते हैं (यह शब्द फ़ेअल जिन्न या जुनून से लिया गया है) वे यह दलील देते हैं कि इससे तात्पर्य अयार बदेसी (विदेशी) हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिन्न से तात्पर्य ऐसे इंसान हैं जिनके सरों में दिमाग़ नहीं होता, वह अग्नि स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन हक़ीक़त में जिन्नात अल्लाह तआला की एक अन्य स्रष्टि हैं जो इंसानों के साथ ही ज़मीन पर रहते हैं।

अल्लाह तआला ने इंसानों से पहले जिन्नात की उत्पत्ति की और उनके उत्पत्ति के तत्व इंसानी तत्वों से भिन्न थे। अल्लाह तआला का इरशाद है :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ۝ (الحجرات: ٢٦-٢٧)

"निःसन्देह हमने इंसान को ख़ुश्क की हुई मिट्टी से पैदा किया काली और साफ़ की हुई मिट्टी से और हमने जिन्नात को इससे पहले एक अग्नि वायु से पैदा किया।" (सूरह हुजुरात, 27 : 26)

उन्हें जिन्न का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह इंसानी निगाहों से पोशीदा रहते हैं। इब्लीस (शैतान) का भी जिन्नात के क़बीले से संबंध है यद्यपि वह फ़रिश्तों में शामिल था जब अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सज्दा करें, तब उसने इंकार किया और उससे वजह मालूम की गई तो उसने कहा :

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝ (ص: ٧٦)

"उसने कहा मैं इस (आदम) से बेहतर हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया जबकि इसे (आदम को) मिट्टी से पैदा किया है। (सूरह सॉद, 76)

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों को प्रकाश से पैदा किया और जिन्नात को बिना धुएं वाली आग से। (मुस्लिम)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، كَانَ مِنَ الْجِنِّ . (الكهف: ٥٠-١٨)

"जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सज्दा करें तो सबने सज्दा किया लेकिन इब्लीस ने अवज्ञा की वह जिन्नात में से था।"

(सूरह कहफ़, 18 : 50)

अतः इसे लानती फ़रिश्ता आदि क़रार देना दुरुस्त नहीं है। जहां तक

जिन्नात के वजूद का संबंध है उन्हें तीन बड़ी क़िस्मों में तक़्सीम किया जा सकता है। हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : जिन्नात की तीन क़िस्मे हैं : एक वह जो हर समय फ़िज़ा में घूमते रहते हैं। दूसरी वह जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में रहती है। तीसरी क़िस्म वह जो ज़मीन पर किसी जगह क़याम करती है या ख़ाना बदोशी की हालत में रहती है। (तबरानी और हाकिम ने इसे नक़ल किया है)

अक़ीदा की बुनियाद पर भी जिन्नात को दो क़िस्मों में विभाजित किया जा सकता है (1) मोमिन (2) काफ़िर।

मोमिन जिन्नात के बारे में अल्लाह तआला ने सूरह जिन्न में इरशाद फ़रमाया है :

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰناً عَجَبًا ۝ يَهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ۝ وَاَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝ وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝

(الجن ۴-۱-۷۲)

"ऐ नबी कहो कि मुझ पर वह्य नाज़िल की गई है कि जिन्नात की एक जमाअत ने (क़ुरआन) सुना और कहा निःसन्देह हमने एक मोहित कर देने वाला क़ुरआन सुना है जो हिदायत की तरफ़ रहनुमाई करता है, तो हम ईमान ले आए हम अपने पालनहार के साथ, किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, हमारा पालनहार जो अत्यन्त महानता वाला है उसके न कोई बराबर है न औलाद है।" (सूरह जिन्न, 72 : 1-4)

हमारे कुछ मूर्ख लोग अल्लाह तआला के बारे में जो कुछ कहते थे वह एक संगीन क़िस्म का झूठ है।

وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝ (الجن: ۱۵-۱۴)

"और हमारे बीच मुसलमान और अन्य लोगों में जो इंसाफ़ पसन्द

नहीं हैं जिसने इस्लाम क़ुबूल किया वह हिदायत की राह पर आ गया जो लोग इंसाफ़ नहीं करते वे जहन्नम का ईंधन बनेंगे।"

(सूरह जिन्न, 72 : 14-15)

जिन्नात में जो काफ़िर हैं उन्हें अरबी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है : अफ़रियत, शयातीन, क़ुरीन। इसी तरह अंग्रेज़ी में Spirts, Devils Demons, Ghost आदि। यह काफ़िर जिन्नात (अफ़रियत) इंसानों को गुमराह करने के लिए विभिन्न तरीक़े इस्तेमाल करते हैं जो व्यक्ति उनकी बात सुनता है और उनका अनुसरण करता है इसे इंसानी सूरत में शैतान (शयातीन इन्स) कहते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है।

وَكَذٰلِکَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ. (الانعام: ١١٣)

"इसी तरह हमने हर नबी के लिए दुश्मन पैदा किए जो शयातीन हैं इंसानों और जिन्नात में से।" (सूरह अनआम, 113)

हर इंसान के साथ एक जिन्न रहता है जिसे क़ुरीन (साथी) कहते हैं। यह इंसान की ज़िंदगी में इसकी एक आज़माइश है। यह जिन्न (हमज़ाद) इंसान की बुरी इच्छाओं को उभारता है और सीधी राह से भटकाने की कोशिश करता है। इस संबंध को हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इस तरह बयान फ़रमाया : तुममें से हर एक के साथ एक जिन्न रहता है, सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) क्या आपके साथ भी? (जिन्न) है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, हां, मेरे साथ भी है लेकिन अल्लाह तआला ने उसके मुक़ाबले मेरी मदद की और उसे मुस्लिम बना दिया, अब वह मुझे सिर्फ़ नेकियों पर ही उभारता है। (मुस्लिम)

हज़रत सुलैमान अलैहि० को उनकी नुबूवत के चमत्कार के तौर पर जिन्नात पर ग़लबा प्रदान किया गया था। अल्लाह फ़रमाता है :

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ.

"और हमने सुलैमान को जिन्नात, इंसानों और परिन्दों पर आधारित लश्कर प्रदान किया और वह क़ायदे के पाबन्द और पद के साथ रहते थे।" (सूरह नम्ल, 27 : 17)

लेकिन किसी दूसरे को ऐसी क़ुव्वत व इख़्तियार प्रदान नहीं किया गया। किसी व्यक्ति को जिन्नात पर विजय हासिल नहीं और न ऐसा करने की इजाज़त है। हज़रत रसूल अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : पिछली रात एक अफ़रियत ने मेरी नमाज़ में ख़लल डालने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ने मुझे इस पर विजय हासिल करने की ताक़त प्रदान की। मैं चाहता था कि इसे मस्जिद के एक सुतून से बांध दूं ताकि सुबह को तुम इसे देख सको। फिर मुझे अपने भाई सुलैमान की यह दुआ याद आई : पालनहार मुझे बख़्श दे और मुझे ऐसी हुकूमत प्रदान कर जो मेरे बाद किसी और को हासिल न हो। (बुख़ारी)

कोई इंसान जिन्नात पर विजय हासिल नहीं कर सकता क्योंकि यह एक चमत्कार था जो एक नबी हज़रत सुलैमान अलैहि० को प्रदान किया गया था। असल में जिन्नात से सम्पर्क संयोग से या वह जिस पर जिन्न आते हों, के अलावा अत्यन्त ग़लत और हराम तरीक़ों से ही हासिल होता है। दीन में ऐसे तरीक़े इस्तेमाल करने की कदापि इजाज़त नहीं है (जिन्नात पर इब्ने तैमिया के लेखों, अज़ अबू अमीना बिलाल फ़िलिप लेखक) इस तरीक़े (हाज़िरात) में बुराई यह है कि शयातीन जिन्न उन लोगों को गुनाहों में फंसाकर अल्लाह तआला पर उनके ईमान को बर्बाद कर देते हैं, उनकी इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस गुनाह में शरीक करें, अल्लाह का साझी ठहराएं या अल्लाह के साथ ग़ैरुल्लाह की उपासना भी करें।

जब क़िस्मत का हाल बताने वालों का एक बार जिन्नात से सम्पर्क क़ायम हो जाता है तो वह उन्हें भविष्य के बारे में कुछ बातें बता देते हैं।

हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने बताया कि जिन्न भविष्य के बारे में ज्ञान कैसे हासिल करते हैं? आप सल्ल० ने फ़रमाया कि जिन्नात आसमानों के निचले हिस्सों तक पहुंच हासिल कर लेते हैं और फ़रिश्ते भविष्य के मामलों के बारे में आपस में जो बातें करते हैं उनमें से कुछ को सुन लेते हैं। ज़मीन पर वापस आकर जिन्नात यह मालूमात अपने इंसानी मुवक्किलों तक पहुंचा देते हैं। (बुख़ारी) हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की रिसालत से पहले तक यह सिलसिला जारी था और क़िस्मत का हाल बताने वाले बहुत सी बातें सच बता देते थे। अपनी इस महारत के सबब उन्हें बादशाहों के दरबार में गौरव हासिल होता था, लोग उनसे अक़ीदत व्यक्त करते थे और कुछ इलाक़ों में तो उनकी पूजा तक की जाती थी।

हुज़ूर अकरम सल्ल० की रिसालत के बाद स्थिति बदल गई। अल्लाह तआला ने आसमाने दुनिया के तब्क़ात सिफ़ली की विशेष हिफ़ाज़त के लिए फ़रिश्तों को नियुक्त फ़रमाया और वह शहाबे साक़िब जैसे सितारों की मार से उनका पीछा करके उन्हें भगा देते हैं।

अल्लाह तआला ने क़ुरआन अज़ीम में इस परिस्थिति को एक जिन्न की ज़बानी यूं बयान फ़रमाया है :

وَانَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَ شُهُبًا ۝ وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مقعد للسمع فمن يستطيع الله ان ا يجدله شهابا رصدا. الجن.

"हम जिन्नात ने आसमानों तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन वहां सख़्त निगरानी व निगहबानी है हम बातें सुनने के लिए बुलन्द स्थानों पर बैठते थे लेकिन अब जो कोई जाता है तो शौले उसका पीछा करते हैं।

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ ۝ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ۝ (الحجر:١٨)

"और हमने आसमानों को तमाम शयातीन मर्दूद की पहुंच से महफ़ूज़ कर दिया है। सिवाए इसके कि कोई वहां से कुछ बात चोरी छुपे

सुन लेता है तो तेज़ शौले उसका पीछा करते हैं।" (सूरह हुजुरात, 18) हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० ने फ़रमाया कि जब हज़रत रसूले अकरम सल्ल० और आपके कुछ सहाबा बाज़ार उकाज़ की तरफ़ गए तो आसमानों पर शयातीन को मालूमात हासिल करने से रोक दिया गया। शहाबे साक़िब के ज़रिए उनका पीछा किया गया तब वह अपने लोगों के पास लौट आए। जब उन लोगों ने उनसे नाकाम वापसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कुछ न कुछ हुआ है, फिर वह कारण मालूम करने के लिए ज़मीन पर हर तरफ़ फैल गए। उनमें से कुछ हज़रात रसूले अकरम सल्ल० और आपके सहाबा तक भी पहुंचे जो उस समय नमाज़ अदा कर रहे थे। उन्होंने क़ुरआन अज़ीम को सुना तब उन्होंने कहा कि यही वह चीज़ है जिसकी वजह से आसमान तक हमारी पहुंच रोक दी गई है। जब वह अपने लोगों के बीच वापस पहुंचे तो उन्होंने उन्हें बताया निःसन्देह हमने एक मोहित कर देने वाला क़ुरआन सुना है जो हिदायत की राह दिखाता है तो हम ईमान ले आए। अब हम कभी अपने पालनहार के साथ शिर्क नहीं करेंगे। (बुख़ारी)

अतः अब शयातीन के लिए आसमान से भविष्य के बारे में मालूमात हासिल करना आसान नहीं रहा जैसा कि नबी सल्ल० की रिसालत से पहले था। अतएव अब उन्होंने अपनी मालूमात में झूठ की मिलावट शुरू कर दी। नबी सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : वह (शयातीन) ज़मीन की तरफ़ भेजते हैं जो अंजाम कार जादूगरों और क़िस्मत का हाल बताने वालों की ज़बान पर आ जाती है। कभी कभी उनकी मालूमात हासिल करने से पहले भी सितारा उनका पीछा करके उन्हें भगा देता है और वह मालूमात अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। अगर वह कुछ ख़बरें देते भी हैं तो उसके साथ सैकड़ों झूठी बातें भी शामिल कर देते हैं। (बुख़ारी) हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल० से क़िस्मत का हाल बताने वालों के बारे में सवाल किया तो आप सल्ल० ने

फ़रमाया कि यह कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने अर्ज़ किया कि क़िस्मत का हाल बताने वाले कुछ ऐसी बातें भी बता देते हैं जो सच्ची साबित होती हैं। नबी सल्ल० ने फ़रमाया यह वह बातें होती हैं जो शयातीन उनके कानों तक पहुंचा देते हैं लेकिन इसी के साथ वह उनमें बहुत सी झूठी बातें भी शामिल कर देते हैं। (बुख़ारी)

एक बार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० बैठे हुए थे कि एक ख़ूबसूरत व्यक्ति उनके क़रीब से गुज़रा। आपने फ़रमाया : अगर मैं ग़लतफ़हमी का शिकार नहीं हूं तो यह व्यक्ति अब भी अपने दौरे जिहालत के अक़ीदे पर क़ायम है। शायद यह वही व्यक्ति है जो लोगों को क़िस्मत का हाल बताया करता था। आपने हुक्म दिया कि उस आदमी को उनके पास लाया जाए। वह हाज़िर हुआ तो हज़रत उमर रज़ि० ने इस बारे में सवालात किए। उसने कहा, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक मुसलमान से इस क़िस्म के सवालात किए जाएं। हज़रत उमर रज़ि० ने फ़रमाया, मैं बहरहाल तुमसे मालूम करना चाहता हूं। तब उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि ज़माना जाहिलियत में वह क़िस्मत का हाल बताता था। इस पर हज़रत उमर रज़ि० ने उससे पूछा, यह बताओ वह सबसे ज़्यादा अजीब व ग़रीब चीज़ क्या थी जो तुम्हारी जिन्नातनी ने तुम्हें बताई। उसने जवाब दिया एक बार में बाज़ार में था कि वह (जिन्नातनी) मेरे पास आई वह बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसने कहा क्या तुमने रुसवाई के बाद जिन्नात की मायूसी को नहीं देखा कि वह ऊंटनियों और उनके सवारों के पीछे दौड़ रहे हैं, हज़रत उमर रज़ि० ने बात काटते हुए कहा, यह सच है। (जब जिन्नात को आसमान से मालूमात हासिल करने से रोक दिया तो वह अरबों की ऊंटनियों के पीछे दौड़ते थे ताकि मालूम कर सकें कि उन्हें मालूमात हासिल करने से क्यों महरूम कर दिया गया)

जिन्नात में यह योग्यता है कि वह अपने इंसानी मुवक्किलों को भविष्य के बारे में कुछ बता दें। जैसे जब कोई व्यक्ति क़िस्मत का हाल

बताने वाले के पास जाता है तो उसका मुवक्किल जिन्न उस व्यक्ति के क़ुरीन (हमज़ाद जिन्न) से मालूमात हासिल कर लेता है कि उसके आने से पहले क्या योजना बनाई गई थी। तब क़िस्मत का हाल बताने वाला उस व्यक्ति को बताता है कि वह ऐसा करेगा वैसा करेगा, यहां जाएगा वहां जाएगा। इस तरीक़े से क़िस्मत का हाल बताने वाला उस अजनबी के अतीत के बारे में विस्तृत मालूमात हासिल कर लेता है वह उस अजनबी (क़िस्मत का हाल मालूम करने वाले) को उसके मां बाप के नाम, उसकी पैदाइश की जगह उसके बचपन की घटनाएं आदि के बारे में भी बताता है। उस विस्तार से अतीत का हाल बताना ज्योतिषी का असली हुनर है जिसने जिन्न से सम्पर्क क़ायम कर रखा है। जिन्नात में लम्बी दूरी पलक झपकने में तै करने, पोशीदा बातों के बारे में मालूमात जमा करने और गुमशुदा चीज़ों का पता लगाने और ऐसी घटनाओं को जानने की योग्यता होती है जो अभी मुशाहिदे में नहीं आई। उसके सुबूत के तौर पर क़ुरआन अज़ीम की हज़रत सुलैमान और मलिका सबा बिल्क़ीस के बारे में आयात को पेश किया जा सकता है। जब मलिका सबा उनके पास आने वाली थी तो सुलैमान अलैहि० ने जिन्नात से कहा कि उसके आने से पहले उसका तख़्त शाही उसके दारुल सल्तनत से यहां ले आया जाए, उस पर जिन्नात में से एक अफ़रियत ने कहा कि आपके उठने से पहले मैं तख़्त ले आऊंगा। निःसन्देह मैं ताक़तवर और इस काम के लिए योग्य हूं।

क़िस्मत का हाल बताने के विषय में शरीअत का हुक्म

क्योंकि इस क़िस्म की बातों में दीन की रुसवाई और कुफ़्र व बिदअत का पहलू नुमायां है इसलिए इस्लाम ने उसके बारे में सख़्त रास्ता इख़्तियार किया है। इस्लाम ने क़िस्मत का हाल बताने वालों से किसी क़िस्म के राब्ते की मनाही की है सिवाए इसके कि उनको नसीहत की जाए कि वह अपने इस हराम पेशे को छोड़ दें।

क़िस्मत का हाल बताने वालों से सम्पर्क

हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने ऐसे उसूल निर्धारित फ़रमा दिए हैं जिनसे क़िस्मत का हाल बताने वालों से सम्पर्क की मनाही मालूम होती है। सुफ़ियान ने उम्मुल मोमिन हज़रत हफ़सा रज़ि० से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जो व्यक्ति भी क़िस्मत का हाल बताने वालों के पास जाएगा और उनसे मालूमात हासिल करेगा उसकी चालीस दिन रात की नमाज़ क़ुबूल नहीं होगी। (मुस्लिम) इस हदीस में उनके लिए सज़ा का ज़िक्र है जो क़िस्मत का हाल बताने वाले के पास जाते हैं और खोज व जानकारी के तहत उससे सवालात करते हैं। इस मनाही की पुष्टि मुआविया बिन हकम की इस रिवायत से भी होती है कि उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम निःसन्देह हमारे बीच कुछ लोग हैं जो ग़ैब की बातें बताने वालों के पास जाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया उनके पास मत जाओ। (मुस्लिम) यह सज़ा केवल क़िस्मत का हाल बताने वालों के पास जाने वालों के लिए है क्योंकि ग़ैबदानी में अक़ीदा रखने की तरफ़ यह पहला क़दम है। जब कोई व्यक्ति दुविधा की हालत में किसी क़िस्मत का हाल बताने वाले के पास जाता है और उसकी बताई हुई कुछ बातें सच साबित हो जाती हैं तो वह व्यक्ति क़िस्मत का हाल बताने वाले का फ़ैन हो जाता है और इस परोक्ष ज्ञान में उसका विश्वास पुख़्ता हो जाता है। वह व्यक्ति जिसने क़िस्मत का हाल बताने वाले से सम्पर्क क़ायम किया उसे चालीस दिन तक अपनी नमाज़ों की पाबन्दी बरक़रार रखना चाहिए यद्यपि इस अर्से में उसे अपनी नमाज़ों के सवाब (जज़ा) से महरूम रहना पड़ेगा, अगर इस दौरान उसने अदाएगी नमाज़ छोड़ दी तो वह एक और गुनाह कबीरा का करने वाला होगा। यह चोरी की हुई चीज़ पर या उसमें नमाज़ पढ़ने के हुक्म की तरह है जिस पर अधिकांश इमामों की सहमति है उनका फ़तवा है कि जब फ़र्ज़ नमाज़ अदा की जाती है तो उसके दो

नतीजे निकलते हैं।

1. व्यक्ति से अदाएगी का फ़र्ज़ पूरा हो जाता है। (क्योंकि वह फ़र्ज़ की अदाएगी से निमट गया)

2. वह सवाब का हक़दार हो जाता है।

अगर किसी चोरी की चीज़ पर या उस चोरी की जगह में नमाज़ अदा की जाए तो फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा लेकिन वह नमाज़ के सवाब से महरूम रहेगा। इसी लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़र्ज़ नमाज़ दोबारा अदा करने की मनाही फ़रमाई है।

क़िस्मत का हाल बताने वालों का श्रद्धालु होना

परोक्ष ज्ञान का दावा करने वालों से सम्पर्क रखना और यह समझना कि वह परोक्ष का हाल जानते हैं इस्लामी शरीअत के मुताबिक़ कुफ़्र के ख़ाने में आता है। अबू हुरैरह और हसन दोनों से रिवायत है कि हज़रत रसूल अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया, जिस व्यक्ति ने क़िस्मत का हाल बताने वालों से सम्पर्क रखा और उनकी बातों पर यक़ीन किया तो उसने उसका इंकार किया जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाज़िल किया गया है। (तैसीरुल अज़ीज़िल हमीद में नववी से नक़ल किया गया) यह अक़ीदा अल्लाह की विशेषता आलिमुल ग़ैब को उसकी स्रष्टि से मंसूब करता है और इस तरह यह नाम एवं गुणों वाली तौहीद की नफ़ी करता है और तौहीद के एक पहलू का इंकार उससे लाज़िम आता है।

कुफ़्र के इस फ़तवा के तहत क़यास की रू से क़िस्मत का हाल बताने वाली किताबें रिसाले आदि पढ़ना, रेडियो पर उनकी बातें सुनना, टेलीविज़न पर उन्हें देखना आदि आते हैं क्योंकि बीसवीं सदी में यही प्रसार साधन क़िस्मत का हाल बताने वालों के लिए अपनी वस्तुओं की पब्लिसिटी का साधन हैं। अल्लाह तआला ने क़ुरआन अज़ीम में उसे

स्पष्ट रूप से बयान किया है कि परोक्ष और भविष्य का हाल सिवाए अल्लाह के और कोई नहीं जानता। स्वयं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी उसमें कोई दख़ल नहीं है।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ. (الانعام: ٥٩-٦)

"और उसी के पास परोक्ष का ज्ञान है और उसके सिवा कोई उसे नहीं जानता।" (सूरह अनआम, 6 : 59)

फिर उसने मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्ल० से कहा :

قُلْ لَّا اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ. (الاعراف ١٨٨-٧)

"आप कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के बारे में किसी लाभ व हानि का इख़्तियार नहीं रखता सिवाए उसके जो अल्लाह चाहे, अगर मैं परोक्ष का हाल जानता तो अपने लिए बहुत सी नेकियां जमा कर लेता और मुझे कभी कोई हानि न पहुंचती।" (सूरह आराफ़, 7 : 188)

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ.(النحل ٦٥-٢٧)

"कह दीजिए कि ज़मीन व आसमान में परोक्ष का हाल अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता।" (सूरह नह्ल, 27 : 65)

अतः ज़मीन पर परोक्ष ज्ञान या क़िस्मत का हाल बताने आदि के जितने तरीक़े और उपाय हैं मुसलमानों के लिए उनसे वास्ता रखना या उन पर विश्वास करना हराम है। हाथ की लकीरों से क़िस्मत का हाल बताना, आई चिंग फ़ॉर्चून कोकी, चाय की पत्तियां, बुरुज समावी का ज्ञान (बुर्ज हमल, बुर्ज फ़ौस, बुर्ज असद, बुर्ज जोज़ा, बुर्ज ख़ोत, 12 बुरूज समावी जो इल्म नुजूम की बुनियाद उपलब्ध करते हैं) कम्प्यूटर के द्वारा भविष्य का गोशवारा तैयार करना आदि ये तमाम बातें जो भविष्य या परोक्ष का हाल बताने का दावा करती हैं इस्लाम में उनकी कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह तआला ने क़ुरआन अज़ीम में स्पष्टता के साथ फ़रमाया है :

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ ، بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝ (لقمان ٣٤-٣١)

"क़यामत के बारे में केवल अल्लाह ही जानता है वही आसमानों से बारिश बरसाता है और मां के पेट में क्या है यह भी वही जानता है कोई नहीं जानता। कल उस पर क्या बीतेगी और न किसी को इसका ज्ञान है कि उसे किस जगह मौत आएगी। सिर्फ़ अल्लाह ही जानता व ख़बर रखता है।" (सूरह लुक़मान, 31-34)

अतः मुसलमानों को ऐसी किताबें रिसाले लेख जो क़िस्मत का हाल बताने से संबंधित हैं का अध्ययन करने या ऐसे लोगों से जो किसी न किसी शक्ल में परोक्ष ज्ञाता होने का दावा करते हैं पूरी तरह दूर रहना चाहिए। हां अगर कोई मुसलमान मौसम का हाल बताए दूसरे दिन बारिश होने, बर्फ़ बारी या मौसम के बारे में कोई और पेशीनगोई करे तो उसे इंशाअल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। इसी तरह जब कोई लैडी डॉक्टर किसी महिला को बताए कि उसके यहां 9 माह में बच्चा होगा या फ़लां तारीख़ तक होगा तो उसे भी इंशाअल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। इस तरह यह पेशीनगोई एक ख़बर बन जाती है जिसका घटित होना अल्लाह की मंशा पर निर्भर है।

अध्याय : 6

इल्म नुजूम के विषय में

अतीत के मुस्लिम विद्वानों ने सितारों की गर्दिश के हिसाब को पूर्ण रूप से तंजीम से संज्ञा दी और इस्लामी शरीअत के मुताबिक़ उसका विशलेषण और दर्जा बन्दी करने के लिए उसे तीन महत्वपूर्ण विभागों में विभाजित कर दिया।

1. पहली क़िस्म इस नज़रिये पर आधारित है कि ज़मीन पर रहने वाले लोग आसमानी सितारों की चलत फिरत से प्रभावित होते हैं और सितारों की गर्दिश का अध्ययन करके भविष्य में उनके प्रभाव की पेशीनगोई की जा सकती है। (तैसीरुल अज़ीज़िल हमीद) इस अक़ीदे की शुरुआत के बारे में यह अंदाज़ा लगाया गया है कि तीन हज़ार साल पहले मसीह में मैसोपोटेमिया (इराक़) में उसका आरंभ हुआ उसे इल्म नजूम कहा गया। यूनानी सभ्यता के दायरा में इस ज्ञान को बहुत बढ़ावा मिला। मैसोपोटेमिया से यह ज्ञान मसीह से छठी सदी पहले चीन और हिन्दुस्तान पहुंचा। चीन में उससे केवल पेशीनगोई का काम लिया जाता था। मैसोपोटेमिया में इस ज्ञान को शाही सरपरस्ती हासिल हुई और सितारा शनासी में बादशाह के मान व महिमा और देश की ख़ुशहाली व कल्पना के बारे में शगुन उन आसमानी सितारों से हासिल किए जाते थे। मैसोपोटेमिया के लोग इस अक़ीदे वाले थे कि यह आसमानी सितारे ताक़तवर देवता हैं। चौथी सदी पूर्व मसीह में जब उन आसमानी सितारे के देवताओं (ताक़तों) को यूनान में परिचित कराया गया तो वहां खगोल विद्या से लगाव का रुझान तेज़ी से बढ़ा। वहां सितारा शनासी का यह ज्ञान दरबार शाही से गुज़र कर उन लोगों और हल्क़ों तक भी पहुंच गया जो उस तक पहुंच की योग्यता रखते थे।

दो हज़ार साल से ज़्यादा के अर्से तक खगोल ज्ञान को उस समय के मसीही यूरोप में मज़हब फ़लसफ़ा और मूर्ति पूजा के अक़ीदे पर ग़लबा हासिल रहा। दांते और सैंट थामस अकीनास जो यूरोप के 13वीं सदी ईसवी के लेखक व फ़लासफ़र थे उनके फ़लसफ़ा व नज़रियात में नुजूम के कारणों को तस्लीम किया गया। प्राचीन काल के सावी भी इसी अक़ीदे वाले थे इनकी तरफ़ हज़रत इबराहीम अलैहि० भेजे गए थे। सावी क़ौम सूरज, चांद, सितारों को उपास्य (देवता) क़रार देती थी और उन्हें सज्दा करती थी उन्होंने ऐसे पूजा स्थल भी निर्माण किए जहां उन आसमानी सितारों की तस्वीरें रखी जाती थीं। उनका अक़ीदा था कि इनमें सितारों की आत्मा उन बुतों में विलीन करती हैं और लोगों की तलब और तमन्नाओं को पूरा करती हैं। (तैसीरुल अज़ीज़िल हमीद) इल्म नजूम के इस पहलू को इस्लाम में कुफ़्र क़रार दिया गया क्योंकि उससे नाम व गुण की तौहीद का अक़ीदा सख़्त प्रभावित होता है। मुश्रिकीन के इस अक़ीदे के तहत आसमानी सितारे कहकशां, सवाबत व सय्यार को कुछ ख़ुदाई इख़्तियारात भी दे दिए गए। उनमें सबसे अहम अक़ीदा भाग्य (तक़दीर) की बाबत था। जो लोग इल्म नजूम (ज्योतिष विद्या) पर अमल करते हैं वह भी काफ़िर हैं क्योंकि वह परोक्ष अर्थात भविष्य का हाल जानने का दावा करते हैं यद्यपि यह गुण सिर्फ़ अल्लाह तआला का है कि वह भविष्य के हालात से परिचित है। परोक्ष ज्ञान का दावा करने वाले यह ज्योतिषी नजूमी उन लोगों को जो उनसे सम्पर्क क़ायम करते हैं ऐसी बातें बताते हैं जिससे वह उस आफ़त से बच सकें जो अल्लाह तआला ने उनके लिए लिख दी है और वह सुख या सुरक्षा हासिल कर सकें जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्रसन्नता हासिल नहीं है। इल्म नुजूम (ज्योतिष विद्या) इस हदीस की रू से भी हराम क़रार पाता है जिसे इब्ने अब्बास रज़ि० ने रिवायत किया है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि सितारा शनाशी (नजूम) के किसी भी क़िस्म का ज्ञान हासिल करना जादू

(सह्र) का ज्ञान हासिल करने जैसा है जो व्यक्ति जितना इस ज्ञान में महारत हासिल करता है उतना ज़्यादा वह गुनाहों में फंसता जाता है।
(अबू दाऊद)

2. इस ज्ञान की दूसरी शाख़ वह है जिसके जानने वाले यह दावा करते हैं कि यह अल्लाह तआला की मर्ज़ी से ही आसमानी सितारों की गर्दिश दुनिया वालों के हालात व कामों पर प्रभावी होती है। (तैसीरुल अज़ीज़िल हमीद) यह दलील वह मुसलमान खगोल विद् पेश करते थे जो यह ज्ञान हासिल करते और उसे पेशा के तौर पर इख़्तियार करते थे। दरबार ख़िलाफ़त में नजूमियों का अमल दख़ल उमवी ख़ुल्फ़ा और ख़ुल्फ़ा अब्बासिया के दौर से शुरू हुआ। हर ख़लीफ़ा के साथ एक नजूमी रहता था जो उसे उसके रोज़मर्रा के हालात से परिचित करता और आने वाली आफ़तों से अवगत करता था। क्योंकि मुस्लिम विद्वान इल्म नजूम को शिर्क व कुफ़्र से मंसूब करते थे। अतः समझौते की एक राह इख़्तियार की गई ताकि उस इल्म को इस्लामी अक़ाइद व नज़रियात के तहत क़ाबिले क़ुबूल बनाकर पेश किया जाए। यह कारस्तानी उन मुसलमान नजूमियों की थी जो उसे पेशा के तौर पर इख़्तियार करते थे। उसके मुताबिक़ नजूमी की पेशीनगोइयों को अल्लाह की मन्शा क़रार दिया गया लेकिन यह अर्थापन भी इस्लामी अक़ीदे की रू से हराम ठहरता है और उस पर यक़ीन रखने और अमल करने वाला काफ़िर क़रार पाएगा क्योंकि उस अर्थापन और पहले अक़ीदे में बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क़ नहीं है जो प्राचीन दौर के मज़ाहिर परस्त मानते थे। इस इल्म में अल्लाह की कुछ विशेषताओं को आसमानी सितारों से मंसूब किया जाता है और जो लोग उनकी गर्दिश का मुशाहिदा करके भविष्य का हाल बताते हैं वे स्वयं को अल्लाह की विशेषताओं वाला समझते हैं क्योंकि भविष्य का हाल केवल अल्लाह तआला ही जानता है। लेकिन बाद के उलमा ने उन विचारो व अक़ाइद पर अहकामे शरीअत का चरितार्थ करने में सुस्ती का प्रदर्शन

किया। शायद इसलिए कि मुसलमानों में आम तौर पर नजूम पर अक़ीदा रखने वाले बहुत से लोग पैदा हो गए थे।

3. इस ज्ञान की तीसरी और आख़िरी क़िस्म वह है जो मल्लाह समुन्द्र में सफ़र की दिशा निश्चित करने के लिए काम में लाते हैं। मरुस्थल में सफ़र करने वाले सितारों की गर्दिश और मुशाहिदे से अपनी मंज़िल का पता मालूम करते हैं और किसान मौसम का हाल जानने की कोशिश करते हैं ताकि फ़सल (बीज बोने) का काम शुरू कर सकें। (तैसीरुल अज़ीज़िल हमीद) इस ज्ञान की यही वह क़िस्म है जिसे क़ुरआन व सुन्नत के मुताबिक़ हलाल (जाइज़) क़रार दिया जा सकता है क्योंकि उसका इस्तेमाल सकारात्मक अंदाज़ से काम की बातों के लिए किया जाता है। क़ुरआन अज़ीम की निम्न आयत से इसका जवाज़ साबित होता है :

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

"यह अल्लाह ही है जिसने खुश्की व तरी के अंधेरों में सितारों को तुम्हारा मार्ग दर्शक बनाया।" (सूरा अनआम, 98)

इमाम बुख़ारी ने प्रख्यात ताबई क़तादा का यह स्पष्टीकरण नक़ल किया है निःसन्देह अल्लाह तआला ने सितारों को दिशा व स्थान की निशानदेही और शयातीन को संगसार करने के लिए मार्ग दर्शक बनाया। अतः जो व्यक्ति उन आसमानी सितारों से उससे ज़्यादा किसी और चीज़ का तालिब होता है वह सख़्त गुमराही का कारक होता है। ऐसा व्यक्ति बदनसीब है जिसने ज़िंदगी की भलाइयों से स्वयं को महरूम कर लिया। और ऐसी बातें कहने और बताने का दावा करने लगा जिनका उसे कोई ज्ञान नहीं है। निःसन्देह जो लोग इस क़िस्म का दावा करते हैं वे अल्लाह तआला के अहकाम से अनभिज्ञ हैं। ये लोग सितारों से परोक्ष ज्ञान का ज्ञान हासिल करने के दावेदार हैं और लोगों को बताते हैं कि अगर शादी करोगे तो फ़लां सितारे के प्रभाव में आ जाओगे। फ़लां समय सफ़र करोगे

फ़लां फ़लां सितारों की गर्दिश तुम पर प्रभावी होगी। सच पूछो तो हर सितारे के साथ एक सुर्ख़ काला लम्बे क़द या ठिगना ख़ुबसूरत या बदसूरत जानवर पैदा होता है। लेकिन उनकी ये सब बातें बेकार हैं न सितारे, जानवर, परिन्दे और वह स्वयं परोक्ष का हाल जानते हैं। अगर अल्लाह तआला वह परोक्ष ज्ञान किसी को सिखाता तो आदम को सिखाता। अल्लाह ने आदम को अपने हाथ से बनाया, फ़रिश्तों से सज्दा कराया और तमाम चीज़ों के नामों का ज्ञान प्रदान फ़रमाया। हज़रत क़तादा ने सितारों से फ़ायदा उठाने की बाबत जो सीमाएं निर्धारित की हैं वह क़ुरआन अज़ीम की सूरह अनआम की आयत 98 पर आधारित हैं जिसका ज़िक्र पहले किया गया। और यह निम्न क़ुरआनी आयात की रौशनी में भी बताई गई थीं।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ.

(الملک:۵)

"बेशक हमने आसमाने दुनिया को चिराग़ों से ज़ीनत प्रदान की और उन्हें शयातीन को संगसार करने के लिए भी साधन बनाया।"

(सूरह मुल्क, 5)

हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए इरशाद फ़रमाया कि शयातीन आसमाने दुनिया तक पहुंच कर फ़रिश्तों की उन बातों की सुनगुन ले लेते थे जब वह दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं के सिलसिले में आपसी बातचीत करते थे। फिर यह जिन्नात ज़मीन पर उतर कर अपने उन इंसान मुवक्किलों को जो भविष्य का हाल बताते थे यह मालूमात पहुंचा दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने और स्पष्टीकरण करते हुए इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने उन शयातीन का रास्ता रोकने के लिए शहाबे साक़िब का इस्तेमाल किया और अब सिर्फ़ कभी कभार ही ये शयातीन आसमान तक पहुंच हासिल कर पाते हैं। उसके बाद आपने फ़रमाया कि क़िस्मत का

हाल बताने वालों की पेशीनगोइयों में थोड़ा सा सच और बहुत ज़्यादा झूठ होता है। (बुख़ारी) अतः मुसलमानों को आसमानी सितारों से सिर्फ़ इसी हद तक लाभ उठाना चाहिए जिसकी इजाज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है और उसकी तीन क़िस्में उस लेख के आरंभ में बयान की गई हैं या फिर वे विभाग जो उनसे संबंधित हैं।

मुसलमान नुजूमियों के तर्क

जो मुसलमान नजूमी इस पेशे में काम करते थे उन्होंने उसको सही साबित करने के लिए कुछ क़ुरआनी आयतों का सहारा लिया। जैसे आज के दौर में मंतक़ितुल बुरूज (Zodiacal signs) का जवाज़ साबित करके क़ुरआन अज़ीम की सूरह बुरूज का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया (अल्लामा अब्दुल्लाह यूसुफ़ मुफ़स्सिरे क़ुरआन) और सूरह की शुरू की आयत 'वस्समा-इ ज़ातिल बुरूज' (उस आसमान की क़सम जिसमें बुरूज बनाए गए हैं) को दलील बनाया। निःसन्देह बुरूज की यह ताबीर और अनुवाद सही नहीं है यह भटकाने वाला है। इस शब्द बुरूज से तात्पर्य सितारों का झुरमुट है न कि मुंतक़ितुल बुरूज। ये शक्लें मुंतक़ितुल बुरूज बाबुल और यूनान के प्राचीन अक़ीदे के मुताबिक़ उन आसमानी सितारों की काल्पनिक आकृतियां हैं जो उन क़ौमों ने सितारों की शक्लें बनाकर तर्तीब दिए थे। अतः इन आयाते क़ुरआनी को किसी भी सूरत में मज़ाहिर परस्त क़ौमों के अक़ीदे सितारापरस्ती और मूर्ति परस्ती का जवाज़ साबित करने के लिए पेश नहीं किया जा सकता। मुंतक़ितुल बुरूज में जो आकृतियां बनाई गई हैं वह उन सितारों की शक्ल व रूप के मुताबिक़ नहीं हैं। इतना ही नहीं समय गुज़रने के साथ उन सितारों की गर्दिश उन्हें उनके इस मक़ाम और रूप को भी तब्दील कर देगी।

पहले दौर में ख़ुल्फ़ा के दरबार में नजूमियों का जवाज़ साबित करने के लिए सूरह नहल की यह आयात पेश की जाती थीं : "अलामात और सितारों के ज़रिए उनकी रहनुमाई की जाती है।" (सूरह नहल, 16)

मुस्लिम नुजूमी यह दलील पेश करते थे कि इस आयत से यह साबित होता है कि सितारे ऐसी निशानियां हैं जो आलिमुल ग़ैब को ज़ाहिर करते हैं। अतः इस ज्ञान के ज़रिए लोगों को उनके भविष्य के बारे में सचेत किया जा सकता है। लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० जिन्हें हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने तर्जुमानुल क़ुरआन की उपाधि दी है, का कहना है कि यह निशानियां जो इन आयात में मौजूद हैं वह सड़कों पर बताए गए मार्ग दर्शक निशानात व निशानियों की तरह हैं उनका सितारों से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने आगे बताया की कि यह आयत कि सितारों से उनकी सही रहनुमाई की जाती है। इसका मतलब यह है कि रात के समय मरुस्थल और समन्दर में उन सितारों से सही दिशा का पता किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस आयत का अनुवाद सूरह अनआम की आयत 98 के भावार्थ के मुताबिक़ ही है।

आसमान के सितारों की गर्दिश का मुशाहिदा करने और फिर उनसे नतीजे निकालने का तथाकथित इल्म नजूम और उसके जवाज़ को आयाते क़ुरआनी से साबित करना किसी भी तरह से सही नहीं है। उससे उन अनेक आयाते क़ुरआनी की नफ़ी होती है जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भविष्य का हाल सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को मालूम है। और वह अहादीस जिनमें इल्म नजूम को हासिल करने और उससे संबंधित दूसरे ज्ञानों की प्राप्ती की मनाही की गई है। जैसे : हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि जिस व्यक्ति ने उलूम नजूम की किसी क़िस्म का ज्ञान हासिल किया उसने जादू की शाख़ का ज्ञान हासिल किया। अबू महजन से भी रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि मैं अपने बाद अपनी उम्मत के बारे में जिस बात से डरता हूं वह उनके रहनुमाओं की नाइंसाफ़ी लोगों का इल्म नजूम में अक़ीदा और अल्लाह की तक़दीर का इंकार है। (इब्ने असाकिर ने इसे नक़ल किया है और सुयूती ने इसकी पुष्टि की है)

अतः इस्लाम में इल्म नजूम में अक़ीदा रखने की कोई बुनियाद नहीं है। जो कोई भी दीन की शिक्षाओं में अपनी इच्छा के मुताबिक़ गड़बड़ी करता है या सहीफ़ा आसमानी की आयात की मनमानी व्याख्या करता है वह असल में यहूदियों का अ़नुसरण करता है जिन्होंने तौरात की आयात को उसके संदर्भ से अलग करके उसके मायना में गड़बड़ी की। (देखिए सूरह निसा)

जन्म पतरी बनाने के बारे में शरीअत का हुक्म

न केवल इल्म नजूम में अक़ीदा रखना हराम है बल्कि इसकी पेशीनगोइयों के बारे में किताबें रिसाले आदि पढ़ना, नजूमियों के पास जाना, उनकी बातें सुनना, उनकी पेशीनगोइयों पर यक़ीन करना या अपने ज़ायचा (जन्मपत्री) को पढ़ना जैसी तमाम बातें शरीअत में नाजाइज़ और हराम हैं क्योंकि नजूमियों का असल काम भविष्य का हाल बताना है। अतः उर्फ़ आम में उन्हें क़िस्मत का हाल बताने वाला कहा जाता है। जो इस पेशे को इख़्तियार करता है और जो कोई नजूमी ज्योतिषी से ज़ायचा बनवाता है उसे पढ़ता है वह भी हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की इस हदीस के दायरे में आता है जिसमें कहा गया कि जिस व्यक्ति ने किसी नजूमी से सम्पर्क क़ायम किया और उससे क़िस्मत का हाल मालूम किया उसकी नमाज़ चालीस दिन तक स्वीकार नहीं होगी। (उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा रज़ि० की रिवायत है उसे बुख़ारी ने नक़ल किया है) जैसा कि पूर्व अध्याय में बयान किया गया यह सज़ा उस व्यक्ति के लिए है जो किसी नजूमी के पास गया और उससे क़िस्मत का हाल पूछा चाहे उस व्यक्ति के दिल में उस नजूमी की बातों के बारे में सन्देह ही क्यों न हों और वह उस दुविधा का शिकार है कि क्या अल्लाह के सिवा दूसरे भी परोक्ष और भविष्य का हाल जानते हैं। इसकी यह दुविधा इसे शिर्क तक पहुंचा देगी क्योंकि अल्लाह तआला का इरशाद है :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. (الانعام: ٥٩)

"परोक्ष का ज्ञान केवल अल्लाह तआला के पास है उसके सिवा कोई दूसरा नहीं जानता।" (सूरह अनआम, 59)

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ. (النمل: ٦٥)

"ऐ नबी आप कह दीजिए कि ज़मीन व आसमान में परोक्ष की बातें अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता।" (सूरह नम्ल, 65)

अगर कोई व्यक्ति अपने ज़ाइचा की बातों में यक़ीन करता है चाहे वह किसी नजूमी ने बताई हों या इल्म नजूम की किताबों में लिखी हों तो वह व्यक्ति सीधे सीधे कुफ़्र करने वाला होगा। हज़रत रसूले अकरम सल्ल० का इरशाद है कि जो व्यक्ति नजूमी से सम्पर्क क़ायम करता है या उसकी बातों पर यक़ीन करता है तो वह उसमें कुफ़्र करने वाला होता है जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर नाज़िल किया गया। (अर्थात क़ुरआन अज़ीम) पूर्व अहादीस की तरह इस हदीस में भी क़िस्मत का हाल बताने का ज़िक्र किया गया है लेकिन इस बारे में नजूमी भी आ जाते हैं जो भविष्य के बारे में बताते हैं। नजूमियों के दावे भी इसी तरह तौहीद के ख़िलाफ़ हैं जिसे क़िस्मत का हाल बताने वालों के। नजूमी यह कहता है कि लोगों की तक़दीर सितारों की गर्दिश पर निर्भर करती है, उनके भविष्य के हालात और ज़िंदगी के काम सितारों में अंकित हैं। क़िस्मत का हाल बताने वाला एक आम ज्योतिषी दावा करता है कि चाय की प्याली की तह में चाय की पत्तियां या किसी व्यक्ति की हथेली की लकीरें उसकी क़िस्मत का हाल बताती हैं। इन दोनों मिसालों में लोग यह दावा करते हैं कि वह अल्लाह की पैदा की गई चीज़ों का अध्ययन व मुशाहिदा करके परोक्ष का हाल बता सकते हैं।

इल्म नजूम में अक़ीदा रखना या ज़ाइचा की तहरीर में यक़ीन करना दोनों बातें इस्लाम की शिक्षाओं और उनकी रूह से सीधे टकराती हैं। यह एक ऐसी मुर्दा रूहें हैं जो ईमान की हरारत से अवगत नहीं हैं, इसलिए उन

रास्तों पर क़दम बढ़ाती हैं। यह रास्ते अल्लाह की तक़दीर से बचने की एक नाकाम कोशिशों की तरफ़ ले जाने के भ्रम का शिकार कर देती हैं। जाहिल लोग यह समझते हैं कि अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि कल क्या होने वाला है तो वह आज से ही सावधानी बरतना शुरू कर देंगे। इस तरह आफ़तों से महफ़ूज़ रहने और भलाई की राह निकल आएगी। लेकिन अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहलवाया :

وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ السُّوْٓءُ. اِنْ اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (الاعراف: ١٨٨)

"आप कह दीजिए कि अगर मुझे परोक्ष का हाल मालूम होता तो मैं अपने लिए बहुत सी भलाई (नेकियां) जमा कर लेता और कोई आफ़त मुझ पर न आती। लेकिन मुझे तो ईमान वालों के बीच डराने वाला और बशारत देने वाला बनाकर भेजा गया है।" (सूरह आराफ़, 188)

अतः पक्का ईमान रखने वाले मुसलमानों पर वाजिब है कि वह उन तमाम चीज़ों से दूर रहें। ऐसी अंगूठियां ज़ंजीरें (चैन) आदि जिन पर बुरूज की काल्पनिक तस्वीरें खुदी होती हैं कदापि न पहनें चाहे वह उन बातों में अक़ीदा न रखते हों फिर भी उन्हें इस्तेमाल न करें। क्योंकि ये चीज़ें इस काल्पनिक अक़ीदा और रिवाज का ज़रूरी अंश हैं जो कुफ़्र को बढ़ाता है। अतः इसे पूरी तरह निरस्त कर देना ज़रूरी है। किसी पक्के अक़ीदा वाले मोमिन को किसी दूसरे से यह नहीं पूछना चाहिए कि मुंतक़तुल बुरूज हैं इसका बुर्ज कौन सा है और न स्वयं अपने बारे में ऐसी खोज करना चाहिए और न किसी मुसलमान मर्द, औरत के लिए ज़ायचा बनवाना, उसे पढ़ना या समाचार पत्रों में क़िस्मत का हाल बताने वाले कालम को पढ़ना या सुनना जाइज़ है। अगर कोई मुसलमान इन बातों पर अक़ीदा रखता है तो उसे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और ईमान का नवीनीकरण करना चाहिए।

अध्याय : 6

सहर (जादू) के बारे में

सहर की ताबीर यूं की जा सकती है कि अलौकिक तत्व से मज़हबी रुसूम की अदाएगी के साथ दुआ करके प्राकृतिक ताक़तों पर काल्पनिक ग़लबा हासिल करना या उनके बारे में खोज करके महारत रखना या यह अक़ीदा रखना कि इंसान कुछ मज़हबी रुसूम अदा करके या कुछ अरकान या कामों की अदाएगी के ज़रिए फ़ितरत पर प्रभावी हो सकता है। (ऐडिज़ डाएजिस्ट ग्रेट इंसाइकिलोपेडियाई डिक्शनरी) फ़ितरी माहौल का अध्ययन जिसे रिवायती तौर पर सफ़ेद जादू या फ़ितरी जादू के नाम से जाना जाता है पश्चिमी समाज में तरक़्क़ी पाकर माडर्न नेचरल साइंस (आधुनिक प्राकृतिक ज्ञान) के तौर पर सामने आया। यह उस कला से प्रमुख है जिसे काला जादू (ब्लैक मेजिक) कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत हित या नापाक मक़सद और इरादे से अलौकिक ताक़तों को पुकारा जाता है। इस कला की परिभाषा में उसे जादू ग़ैब दानी, या मुर्दों से संवाद कहा जाता है जो इस कला और इसके विद्वानों के लिए आम और सामान्य परिभाषाएं हैं। जादूगरी की वह कला जिसे औरतें इस्तेमाल करती हैं इसे Witch craft कहा जाता है। ये औरतें जादूगर्नियां, चुड़ैलें या डायनें आदि के नाम से मशहूर होती हैं। Divinition भविष्य शनासी की वह महारत है जिसे अलौकिक बसीरत से हासिल करने की कोशिश की जाती है। Necromancy मुर्दों को बुलाने और उनसे बातें करने की जादूई कला है इसे ग़ैबदानी Divinition की एक शाख़ भी कहा जाता है।

अरबी ज़बान में जादू के लिए सहर की परिभाषा इस्तेमाल की जाती है और उसके तहत इस फ़न की तमाम शाख़ें आ जाती हैं। अरबी लुग़त

में सहर का मतलब यह बयान किया गया है कि जो पौशीदा या अनदेखी ताक़तों के अमल से प्रकट हो। जैसे : एक रिवायत में हज़रत रसूले अकरम सल्ल० का यह इरशाद बयान किया गया है : निःसन्देह बलाग़त के कुछ तरीक़ों में जादू होता है। (बुख़ारी) एक फ़सीह और करिश्मा साज़ ख़तीब अपने जादूई ख़िताबत से सही को ग़लत और ग़लत को सही बताकर पेश कर सकता है। इसी लिए हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इस क़िस्म के तर्ज़े ख़िताबत को जादूई से ताबीर किया। जादूगरी का अमल रात के समय अंधेरे में किया जाता है।

जादू (सहर) की हक़ीक़त

वर्त्तमान दौर में जादू के बारे में यह विचार लोकप्रियता हासिल कर चुका है कि इसकी कोई हक़ीक़त ही नहीं है। जादू के प्रभावों को मनोवैज्ञानिक बीमारी जैसे हिस्टीरिया आदि से मंसूब करके रद्द कर दिया जाता है। यह भी दलील दी जाती है कि जादू का असर केवल उन्हीं पर होता है जो उसमें अक़ीदा रखते हैं।[1] जादूई करिश्मों के बारे में भी कहा जाता है कि वह अंधविश्वास और फ़रेब का नतीजा होते हैं।

इसके बावजूद कि इस्लाम भलाई व बुराई के अक़ीदे के तहत तावीज़ गंडे आदि के जवाज़ को पूरी तरह निरस्त करता है लेकिन सहर (जादू) के कुछ पहलुओं को ज़रूर मानता है। यद्यपि यह हक़ीक़त है कि आधुनिक दौर में जिसे साहिरी (जादूगरी) कहा जाता है उसमें नज़र का धोखा शोबदाबाज़ी, चाल बाज़ी के करतब, आधुनिक शस्त्रों के इस्तेमाल से आश्चर्यजनक द्योतक पेश करके लोगों को गिरफ़्त में लिया जाता है। लेकिन क़िस्मत का हाल बताने वालों की तरह कुछ ऐसे साहिर भी हैं जो

---

1. मशहूर फ़लसफ़ी फ़ख़रुद्दीन राज़ी (मृत्यु 1210 ई०) ने सूरह बक़रा की आयत 20 की टीका में यह विचार व्यक्त किया। फिर मशहूर इतिहासकार इब्ने ख़ुल्दून ने इसका और स्पष्टीकरण किया।

असल जादू का अमल करते हैं जिसे वे शयातीन के सम्पर्क के ज़रिए बरूए अमल लाते हैं। इससे पहले कि हम जिन्नात की योग्यता का जायज़ा लें। यह बात ज़ाहिर है कि क़ुरआन व सुन्नत से सहर के कुछ द्योतक के हक़ीक़त पर होने की पुष्टि होती है। इस विषय पर क़ुरआन व सुन्नत की तरफ़ रुजूअ करना इसलिए ज़रूरी है कि इस्लाम में किसी बात के झूठ व सच का पता करने के लिए यही दो बुनियादें हैं जिनकी जड़ें वह्य इलाही में मौजूद हैं जो इंसानों की भलाई के लिए भेजी गई।

क़ुरआन अज़ीम में अल्लाह तआला ने सहर क बारे में इस्लाम के बुनियादी नज़रिये को इस तरह पेश किया है :

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۝

(البقرہ: ۱۰۱)

"और जब अल्लाह की तरफ़ से एक रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उनके पास भेजा गया जिसने उन बातों की पुष्टि की जो उनके पास थी (अर्थात तौरात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में पेशीनगोइयां) तो उनमें से एक जमाअत ने जो सहीफ़ा (तौरात) का इल्म रखती थी (यहूदी रब्बी) अल्लाह की किताब को पीछे धकेल दिया। मानो कि उन्हें इस किताब तौरात या इस (मुहंम्मद सल्ल०) के बारे में कोई पता ही नहीं।" (सूरह बक़रा, 101)

तौरात की पेशीनगोइयों के बारे में यहूदी रब्बियों के कपट की तरफ़ इशारा करने के बाद अल्लाह तआला इस झूठ को स्पष्ट करता है जो यहूदी उलमा ने हज़रत सुलैमान अलैहि० के बारे में गढ़ा।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ
الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ
وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ

مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ وَمَاهُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَاشَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (البقرہ: ۱۰۲)

वे उसका अनुसरण करते हैं जो सुलैमान की सल्तनत के बारे में शयातीन ने उन्हें सिखा दिया है लेकिन सुलैमान ने कुफ़्र नहीं किया। यह तो स्वयं शयातीन थे जिन्होंने कुफ़्र किया। जो लोगों को जादू सिखाते थे। और जो कुछ बाबुल में हारूत और मारूत नाम के दो फ़रिश्तों को इल्क़ा किया गया था। ये दोनों फ़रिश्ते किसी को कुछ नहीं बताते थे जब तक कि उसे सचेत न कर देते कि हम आज़माइश में गिरफ़्तार हैं तुम कुफ़्र मत करो। (इसके बावजूद) लोग उन फ़रिश्तों से वह कला सीखते थे जिसके ज़रिए पति व पत्नी में जुदाई पैदा की जाती थी। बहर हाल वह अल्लाह की मर्ज़ी के बिना किसी को नुक़सान नहीं पहुंचा सकते थे। वह केवल अपनी रूह को ही उस कला से नुक़सान पहुंचाते थे। स्वयं उन्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता था। बेशक वह उससे वाक़िफ़ थे क़ि जो व्यक्ति यह सौदा करेगा आख़िरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। काश वह जान सकते कि जो कुछ वे बेच रहे हैं उसकी क़ीमत से वे अपनी रूह को गुनाहों में लिप्त कर रहे हैं।

यहूदी अपने फ़न साहिरी का जवाज़ एक पोशीदा राहिबाना निज़ाम के दायरे के तहत पेश करते थे और दावा करते थे कि उन्होंने यह फ़न सीधे हज़रत सुलैमान से सीखा है। अल्लाह तआला बताता है कि सहीफ़ा रब्बानी (तौरात) को पीछे डाल कर यहूदियों ने अल्लाह के आख़िरी रसूल की नुबुवत का इंकार किया। और इस तिलस्माती निज़ाम को अपना लिया जो उन्हें शयातीन ने सिखाया था। यह शयातीन लोगों को साहिरी सिखाकर पहले ही कुफ़्र कर चुके थे। वे लोगों को साहिरी का एक और फ़न भी सिखाते थे जिसे नजूम कहते थे। प्राचीन ज़माने में इस कला की शिक्षा हारूत व मारूत नाम के दो फ़रिश्ते देते थे जिन्हें बतौर आज़माइश

बाबुल में पहुंचाया गया था। साहिरी की तालीम देने से पहले फ़रिश्ते लोगों को सचेत करते थे कि वे यह फ़न सिखाकर कुफ़्र का काम न करें लेकिन बाबुल के लोग उनकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। वे नजूम के ज़रिए लोगों को हानि पहुंचाने और पति पत्नी में जुदाई कराने के हरबे सिखाते थें और समझते थे कि वे अपने इल्म साहिरी से किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह केवल अल्लाह के इख़्तियार में ही है कि वह यह फ़ैसला करे कि किसको हानि पहुंचेगी किसको नहीं। उन्होंने जो फ़न साहिरी सीखा उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि हक़ीक़त में उन्हें नुक़सान ही पहुंचा। क्योंकि एक साहिर को यह फ़न सीखने या उसे काम में लाने के लिए बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनसे कुफ़्र व शिर्क निकट आता है। तो कुफ़्र व शिर्क करके उन्होंने स्वयं को ही नुक़सान पहुंचाया क्योंकि जहन्नम उनका ठिकाना बन गया।

जो यहूदी फ़न साहिरी की शिक्षा हासिल करते थे वह बख़ूबी जानते थे कि फटकारे हुए होंगे क्योंकि स्वयं उनके सहीफ़े (तौरात) में इसे हराम क़रार दिया गया है। तौरात में आज भी निम्न आयात मौजूद हैं :

जब तुम उस धरती पर पहुंचो जो तुम्हारे खुदावंदा ने तुम्हें प्रदान की है तो तुम उन क़ौमों की बुरी आदतों की पैरवी मत करना। तुममें से कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने बेटे या बेटी को आग के हवाले करके नज़राना पेश करे। कोई व्यक्ति ग़ैबदानी, क़िस्मत का हाल बताने, पेशीनगोई करने, जादू टोना तावीज़ गंडा करने, मुर्दों से हाज़िरात करने आदि जैसे काम न करे क्योंकि ख़ुदा के निकट ये सब बातें मना हैं। जो कोई ऐसे काम करेगा तो ख़ुदावंद तेरा ख़ुदा उसे वहां से निकाल देगा। (इस्तसना तौरात की पांचवीं किताब) लेकिन उन लोगों ने तौरात की चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया। मानो वह इबारत वहां नहीं थी। तौरात में यह भी लिखा था कि जो व्यक्ति जादूगरी इख़्तियार करेगा उसका सर्वकालिक ठिकाना जहन्नम होगा और वह जन्नत की किसी भी नेमत से

मालामाल नहीं हो सकेगा। लेकिन यहूदियों ने इस इबारत को सहीफ़े से पूरी तरह भुला दिया और जादू सीखने और उस पर अमल करने लगे। क़ुरआन अज़ीम की उपरोक्त आयात का समापन अफ़सोस व्यक्त करने पर होता है। यह इसलिए है ताकि सूरते हाल की संगीनी को साबित किया जाए। काश यहूदियों को मालूम होता कि उनके बुरे कर्मों की सज़ा आख़िरत में कैसी यातना भरी होगी और इस कुछ दिनों के जीवन में कुछ बुरे जादूई तरीक़े इस्तेमाल करके वह आख़िरत में अपनी आत्माओं को कैसा सख़्त नुक़सान पहुंचा रहे हैं।

इन आयाते क़ुरआनी से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि जादूगरी हराम है। ये आयात कि जो व्यक्ति यह सौदा करेगा आख़िरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। (सूरह बक़रा, 102) बताती हैं कि ऐसे हराम कामों की सज़ा में जहन्नम ही सदैव का ठिकाना होगा। इन आयात से यह भी साबित होता है कि जादू, फ़न जादूगरी सीखने और सिखाने वाले सब काफ़िर हैं। आयत के यह शब्द 'मा शरव बिही' अपनी गहराई और प्रभाव की दृष्टि से सामान्य हैं उसके तहत वे तमाम लोग आते हैं जो जादूगरी सिखाकर पैसा कमाते हैं, वे जो यह फ़न सीखने के लिए पैसा अदा करते हैं वह व्यक्ति भी जो मात्र इसका ज्ञान रखता है। अल्लाह तआला ने आयात क़ुरआनी में जादू को कुफ़्र क़रार दिया है : हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ितनतुन फ़ला तकफ़ुर और यह आयत वमा क-फ़-र सुलैमा-न वलाकिन्नश्शयाती-न क-फ़-रू युअल्लिमूनन्नासस्सह-र

उपरोक्त आयाते क़ुरआनी से यह साबित होता है कि जादू (सहर) की कुछेक क़िस्में प्रभावी होती हैं। बुख़ारी और अहादीस की अन्य किताबों में मौजूद है कि स्वयं हज़रत रसूले अकरम सल्ल० भी जादू के प्रभाव से प्रभावित हुए। ज़ैद इब्ने अरक़म से रिवायत है कि एक यहूदी लुबैद बिन आसिम ने आप पर जादू किया था, जब उस जादू के प्रभाव ज़ाहिर हुए तो जिबरील आप के पास आए मुअव्विज़तैन (सूरह फ़लक़ और सूरह

नास) आपको अल्लाह की तरफ़ से पहुंचाईं और बताया कि एक यहूदी ने आप पर जादू किया है और जिन चीज़ों के द्वारा जादू किया गया है वह फ़लां कुएं में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अली इब्ने अबी तालिब को भेजा। वह उस कुएं से तावीज़ गंडा आदि निकाल कर ले आए जिससे जादू किया गया था। तब आपने उनसे कहा कि सूरह फ़लक़ और सूरह नास की आयतें पढ़कर उसकी एक एक गिरह खोलो। उन्होंने तमाम गिरहें खोल दीं तो आप सल्ल० इस अंदाज़ से उठकर बैठ गए मानो आपको बंधन से आज़ाद कर दिया गया हो। (बुख़ारी) धरती पर रहने वाली हर क़ौम में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने किसी न किसी शक्ल में जादूगरी की है। यद्यपि उनमें से कुछ मात्र शोबदाबाज़ भी रहे होंगे लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है कि दुनिया की क़ौमों ने जादूगरी और अलौकिक घटनाओं के बारे में इस क़िस्म की हिकायतें लिखने पर सहमति कर ली हो। कोई भी व्यक्ति जो संजीदगी से उन अलौकिक घटनाओं के संग्रेहों को पढ़ेगा और सोच विचार करेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि उन तमाम घटनाओं में हक़ीक़त का कोई न कोई संयुक्त तत्व ज़रूर है। मकान में भूत प्रेत का असर होना, हाज़िरात, हवा में उड़ना या जिन्नात का असर होना आदि उनके लिए एक उलझावा हो सकते हैं जो जिन्नात की दुनिया से परिचित नहीं हैं। ये तमाम तिलस्माती बातें दुनिया के हर हिस्से में विभिन्न अंदाज़ में घटित होती हैं।

मुसलमानों का समाज भी इससे महफ़ूज़ नहीं है ख़ास कर शुयूख़ के हल्क़े जो सूफ़िया के कुछ अतिवादी सिलसिलों से संबंध रखते हैं। बहुत से सूफ़िया से ऐसी करामात मंसूब की जाती हैं जैसे हवा में उड़ना, लम्बी मुसाफ़त बहुत ही कम समय में तै कर लेना, परोक्ष से खाना, रुपया पैसा आदि हाज़िर कर देना आदि उनके जाहिल श्रद्धालु उन करतूतों को उन शुयूख़ की रूहानी करामत क़रार देकर उन्हें बहुमूल्य नज़राने पेश करते हैं और सारी ज़िंदगी उनके क़दमों में बसर कर देते हैं यद्यपि ऐसी तमाम

बातों के पीछे जिन्नात के व्यर्थ के प्रभाव ही होते हैं जैसा कि पूर्व अध्याय में बयान किया गया। जिन्नात एक पोशीदा स्त्रष्टि है वह प्रायः सांप या कुत्ते की शक्ल में प्रकट होते हैं। उनमें से कुछ में यह योग्यता होती है कि जो शक्ल चाहें इख़्तियार कर लें। कभी कभी वह इंसानी शक्ल में भी प्रकट होते हैं। जैसे हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने मुझे माहे रमज़ान में प्राप्त सदक़ात की हिफ़ाज़त पर नियुक्त किया, जब मैं वहां मौजूद था तो एक व्यक्ति आया और खाने की चीज़ें चोरी करने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा वल्लाह तुझे हज़रत रसूले अकरम सल्ल० के सामने पेश करूंगा। उस व्यक्ति ने मन्नत समाजत करते हुए कहा मैं ग़रीब आदमी हूं और अपने बच्चों की किफ़ालत भी नहीं कर सकता, मैं बहुत मोहताज हूं। इस पर मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह को हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया अबू हुरैरह, रात को तुम्हारे क़ैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, उसने कहा था कि मैं बहुत मोहताज हूं और मेरे बच्चे भूखे हैं। इस पर मैंने उसे छोड़ दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया, उसने तुमसे झूठ बोला और वह फिर आएगा। क्योंकि मैं जानता था कि वह फिर आएगा। अतः मैं उसकी ताक में रहा, जब वह आया और खाने की चीज़ें चोरी करने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा मैं ज़रूर तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने पेश करूंगा उस पर उसने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं बहुत ग़रीब आदमी हूं और मेरे बच्चे भूखे हैं मुझे छोड़ दो मैं फिर नहीं आऊंगा। मुझे रहम आया और मैंने उसे छोड़ दिया। दूसरे दिन सुबह को हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अबू हुरैरह रात को तुम्हारे क़ैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उसने कहा कि वह ग़रीब आदमी है और उसके बच्चे भूखे हैं तब मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, निःसन्देह उसने तुझसे झूठ

बोला वह फिर आएगा। अतएव मैं उसके इंतिज़ार में रहा। वह आया और खाने के सामान के गिर्द चक्कर काटने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा वल्लाह मैं तुम्हें ज़रूर हज़रत रसूले अकरम सल्ल० के सामने पेश करूंगा। तुमने तीन बार झूठ बोला और तुम फिर आ गए। इस पर उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूं अल्लाह के करम से तुम्हें फ़ायदा होगा। मैंने कहा, वे कलिमात क्या हैं? उसने कहा, तुम सोते समय आयतल कुर्सी शुरू से आख़िर तक की तिलावत कर लिया करो इससे अल्लाह तआला तुम पर एक निगहबान मुक़र्रर कर देगा और सुबह तक शैतान तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर मैंने उसे छोड़ दिया। दूसरी सुबह हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, अबू हुरैरह रात तुम्हारे क़ैदी ने क्या कहा। तब मैंने तमाम घटना बयान कर दी और अर्ज़ किया कि उसने कहा कि अगर तुम आयतल कुर्सी की तिलावत करके सो गए तो अल्लाह तआला तुम पर एक निगहबान मुक़र्रर कर देगा और शैतान सुबह तक तुम्हें परेशान नहीं करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः कि निःसन्देह उसने सच बोला यद्यपि वह झूठ बोलने का आदी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अबू हुरैरह क्या तुम जानते हो कि पिछली तीन रातों में तुम किससे बातें करते रहे हो? मैंने अर्ज़ किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया, वह शैतान था। (बुख़ारी)

जिन्नात में यह भी योग्यता है कि वह लम्बी दूरी क्षणों में तै कर लेते हैं और किसी इंसान के जिस्म में घुस सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यह हिक्मत है कि उसने जिन्नात को ऐसी अलौकिक क़ुव्वतें प्रदान कीं कि उसने अपनी अन्य स्त्रष्टि को भी कुछ ऐसी योग्यताओं से नवाज़ा है जो इंसान को प्रदान नहीं की गईं लेकिन उसने इंसान को ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का गौरव प्रदान किया।

अगर जिन्नात की इन विशेषताओं और योग्यताओं को ज़ेहन में रखा

जाए तो उनके बारे में जो अलौकिक बातें कही जाती हैं और तिलस्माती घटनाएं मंसूब की जाती हैं जो मात्र फ़रेब और भ्रम नहीं हैं, उन्हें सही तौर पर समझा जा सकेगा। जैसे : ऐसे मकानात जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें जिन्नात का असर है वहां रौशनी (चिराग़) आप से आप जलना या बुझ जाना, सामान का हवा में उड़ना, फ़र्श में दरारें पड़ जाना, दीवारों पर टंगी हुई तस्वीरों का गिरना आदि से स्पष्ट होता है कि जिन्नात पोशीदा रहते हुए भौतिक चीज़ों पर प्रभावी होते हैं। ऐसी बातें आसेब का शिकार भी मालूम होती हैं। जब मुर्दा लोगों की रूहें ज़िंदा इंसानों से बातें करती हैं। लोग जो अपने मुर्दा रिश्तेदारों की आवाज़ें पहचानते हैं ये रूहें उनसे अपनी ज़िंदगी की बीती घटनाएं सुनाती हैं। आमिल अपनी हाज़िरात के ज़रिए उस जिन्न (हमज़ाद) को बुला लेते हैं जो उस मुर्दा व्यक्ति के साथ रहता था और उस व्यक्ति के अतीत की ज़िंदगी की घटनाएं दोहराता है। इसी तरह रूहें सवालात के जवाबात भी देती हैं अगर उचित माहौल उपलब्ध किया जाए तो यह आत्माएं (अर्थात जिन्नात) हैरत नाक नताइज पेश कर सकती हैं। वह जादूगर और आमिल जो हवा में उड़ते हैं या बिना छुए चीज़ों को हवा में लटका देते हैं, असल में ये सारे काम जिन्नात अंजाम देते हैं। जो लोग पलक झपकते में लम्बी दूरी तै कर लेते हैं या तक़रीबन एक ही समय में दो जगह नज़र आते हैं हक़ीक़त में उन्हें जिन्न (हमज़ाद) ले जाता है और कभी कभी वह उस व्यक्ति की शक्ल में प्रकट भी हो जाता है। जो लोग हवा में हाथ बुलन्द करके खाने की चीज़ें या रुपये पैसे हाज़िर कर देते हैं यह काम भी असल में उनका हमज़ाद (जिन्न) ही करता है। (देखिए शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया के मुक़ालात जिन्नात के बारे में) कुछ बेहद आश्चर्यजनक घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। जैसे : हिन्दुस्तान में शान्ती देवी नाम की एक सात साला लड़की जिसने दूसरा जन्म लिया और अपने पहले जन्म के हालात पूरी सेहत के साथ बयान किए। इसने मथुरा में अपने मकान की निशानदेही भी की

यद्यपि वह जगह वहां से बहुत दूर थी जहां वह अब रह रही थी। जब लोग मथुरा में उस मकान का पता लगाने गए तो स्थानीय लोगों ने उसकी पुष्टि की कि वहां उससे पहले इस क़िस्म का मकान मौजूद था जैसा कि उस लड़की ने बयान किया था। उन लोगों ने उस लड़की के बताए हुए कुछ हालात की पुष्टि भी की। कोलन वल्सन की किताब (The occult) (ग़ैब) (न्यूयॉर्क) स्पष्ट है ये सब बातें जिन्नात ने उसकी अवचेतना में रख दीं। हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने उन बातों की स्पष्टीकरण करते हुए फ़रमाया : इंसान सपने में जो देखता है उनकी तीन क़िस्में हैं एक रूया जो अल्लाह की तरफ़ से होता है। एक सपना जो शैतान दिखाता है और तीसरा जो अवचेतना में प्रकट होता है। (अबू दाऊद)

इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि जिन्नात जिस तरह इंसान के दिमाग़ में घुस जाते हैं उसके जिस्म में भी दाख़िल हो जाते हैं। लोगों पर जिन्नात आने की असंख्य घटनाएं पेश आती हैं। यह एक क़िस्म की अस्थाई कैफ़ियत भी हो सकती है जैसा कि कुछ ईसाई और मुश्रिक सम्प्रदायों में होता है। जहां लोग एक रूहानी और जिस्मानी संकट का शिकार होकर बेहोशी के आलम में पहुंच जाते हैं और अजनबी ज़बान बोलने लगते हैं, ऐसी कमज़ोर सूरत में कोई जिन्न ऐसे व्यक्ति के जिस्म में दाख़िल होकर उसके लबों से बोलने लगता है। यही मंज़र कुछ सूफ़िया के वहां भी नज़र आता है। जब वे ज़िक्र की महफ़िलें आयोजित करते हैं या फिर यह एक लम्बे सुलूक व मक़ामात का अमल होता है, जिसमें अहम वैयक्तिक तब्दीलियां होती हैं, जिन पर जिन्नात या आसेब का साया होता है वह अजीब व ग़रीब हरकतें करते हैं या अलौकिक क़ुव्वत का प्रदर्शन करते हैं या फिर जिन्नात उनके ज़रिए सीधे बोलते हैं।

झाड़ फूंक करना (Exorcism)

मध्यकाल के दौरान इस जादूई अमल को पश्चिम में बड़ा सराहा

जाता रहा। ईसाइयों के यहां आसेब के शिकार को आसेब से आज़ाद कराने के लिए यह अमल हज़रत यसूअ मसीह की इस सुन्नत को बुनियाद बनाकर किया जाता था जो उन्होंने आसेब के शिकार को शिफ़ा देने के लिए इस्तेमाल किया और जिनका ज़िक्र इंजील में किया गया है। इसमें एक जगह बताया गया है जब यसूअ और उनके हव्वारी गदरियों के शहर में पहुंचे तो एक आदमी उनके सामने लाया गया जिस पर जिन्नात का असर था। यसूअ ने शयातीन को हुक्म दिया कि वह उस व्यक्ति को आज़ाद कर दें। अतएवं वह उसे छोड़ कर चले गए और ख़िन्ज़ीरों के एक गल्ले में घुस गए जो पहाड़ी के दामन में चर रहे थे। गल्ले के वह जानवर तेज़ी से पहाड़ी की ढलान से नीचे उतरने लगे और नीचे झील में डूब गए। इस घटना के आधार पर सातवें आठवें दशक (बीसवीं सदी) में कई फ़िल्में भी बनाई गईं। (जैसे एगज़ोरसिस्ट, रोज़मेरी का बच्चा आदि) आज भौतिक वादी पश्चिमी समाज में आम रुझान यह है कि हर उस चीज़ को निरस्त कर दिया जाए जो अलौकिक मालूम हो। अतः पश्चिम वालों की नज़र में झाड़ फूंक का यह अमल कोई अक़्ली दलील नहीं रखता और मात्र अंधविश्वास है। यह रुझान असल में अंधकार युग और मध्य युग के यूरोप में चुड़ेलों, भूतों आदि के असर में आए हुए इंसानों को ज़िंदा जलाए जाने की प्रक्रिया के तौर पर उभरा। ऐसे आदमियों को आमिल ज़िंदा जला देते थे ताकि भूतों अफ़रियतों को जलाया जा सके और यह इलाज बहुत आम था। इस्लाम में आसेब के इलाज की इजाज़त है बशर्ते कि उसे हक़ीक़ी मामलात में इस्तेमाल में लाया जाए और उस तरीक़े पर किया जाए जो किताब व सुन्नत के आदेशों के मुताबिक़ हों किसी आसेब के शिकार व्यक्ति के इलाज के लिए तीन तरीक़े हैं।

एक जिन्न को भगाने के लिए दूसरे जिन्न को बुलाया जाए। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। क्योंकि ऐसा करने में कुछ मुशिरकाना अमल करने पड़ते हैं जिससे इस्लाम का अक़ीदा प्रभावित होता है सामान्यता यह

अमल एक जादूगर या जादूगरनी के ज़रिए अपने दुश्मन जादूगर पर किए गए जादू का प्रभाव दूर करने के लिए किया जाता है।

जिन्न को भगाने के लिए उसके सामने कुछ मुश्रिकाना अमल किए जाते हैं। जब वह जिन्न उन मुश्रिकाना रुसूम से ख़ुश हो जाता है तो जादूगर को सन्तुष्ट करने के लिए वहां से रुख़्सत हो जाता है। इस तरह जादूगर सन्तुष्ट हो जाता है कि उसने जो मुश्रिकाना अमल किए वे ठीक थे। यह तरीक़ा ईसाई आमिल इख़्तियार करते हैं जो उस जिन्न को भगाने के लिए यसूअ से दुआ करते हैं और सलीब को इस्तेमाल करते हैं। मुश्रिक क़बाइल में भी जादूगर भूत प्रेत को भगाने के लिए अपने असल उपास्यों को पुकारते हैं।

तीसरा तरीक़ा यह है कि उस जिन्न को भगाने के लिए क़ुरआन अज़ीम की आयात तिलावत की जाएं और अल्लाह तआला को पुकारा जाए। क़ुरआन अज़ीम की आयात तिलावत करने से इस आसेब के शिकार व्यक्ति के गिर्द माहौल बदल जाता है। उसके बाद उस जिन्न को हुक्म दिया जा सकता है कि वह चला जाए। कभी कभी उसके लिए ताक़त भी इस्तेमाल करना पड़ती है लेकिन यह अमल उस समय तक बेकार रहेगा जब तक आमिल का ईमान पुख़्ता और कामिल न हो और अपने सद कर्म और तक़वा से उसे अल्लाह तआला की समीपता हासिल न हो। लेकिन आजकल बहुत से मुसलमान पश्चिमी विचारों के ज़ेरे प्रभाव में और ग़ैर मज़हबी माहौल में रहकर आसेब के वजूद से इंकार करते हैं। कुछ तो इस हद तक जाते हैं कि वे जिन्नात के वजूद के भी मुंकर हो जाते हैं यद्यपि क़ुरआन व सुन्नत से उनके वजूद का स्वीकारण होता है। अनेक ऐसी सही अहादीस हैं जिनसे पता चलता है कि स्वयं हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने आसेब के शिकार व्यक्ति को उसके प्रभाव से निजात दिलाने के लिए यह अमल किया है। ऐसी घटनाएं भी हैं जहां सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इजाज़त से यह अमल किया। यहां

में तीन अहादीस नक़ल की जाती हैं जिनसे तीन विभिन्न तरीक़ों का पता चलता है।

हज़रत याहया बिन मुर्रा से रिवायत है कि एक बार वह हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे उनका गुज़र एक जगह से हुआ जहां एक औरत सड़क के किनारे अपने बच्चे को लिए बैठी थी। उस औरत ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह लड़का आसेबज़दा है हम इसकी वजह से सख़्त परेशानी का शिकार हैं मैं नहीं बता सकती कि इसे दिन में कितनी बार दौरे पड़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, इसे मुझे दे दो। उस औरत ने उसे उठाया और आपके सामने पेश कर दिया। आप सल्ल० ने उसे काठी (ज़ीन) पर अपने साथ बैठा लिया। उस लड़के का मुंह खोला और उसमें फूंका[1] तो फिर आप सल्ल० ने फ़रमाया : बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह का बन्दा हूं, तो अल्लाह के दुश्मन यहां से भाग जा' तब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस लड़के को उस औरत के हवाले कर दिया और फ़रमाया, जब हम सफ़र से वापसी पर यहां आएं तो हमें बताना कि इस लड़के का क्या हाल है? फिर हम सफ़र पर रवाना हो गए। वापसी में वह औरत हमें उसी जगह मिली। हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने मालूम किया, तुम्हारा लड़का अब कैसा है? उस औरत ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, हमने उस समय से अब तक लड़के में कोई बीमारी नहीं देखी वह बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं ये तीन भेड़ें नज़र करने के लिए लाई हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया उतरो और इनमें से एक भेड़ ले लो बाक़ी दो उसे वापस कर दो। (अहमद ने इसे नक़ल किया है)

---

1. इस जगह अरबी में नफ़ख़ का शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसका मायना है ज़बान की नोक होठों तक लाकर फूंक मारना इस तरह यह अमल फूंकने और हल्के से थूकने की तरह है।

उम्मे अबाना बिन्ते अलवाज़ी से रिवायत है कि जब मेरे दादा अपने क़बीले के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ हज़रत रसूले अकरम सल्ल० के पास हाज़िर हुए तो अपने साथ अपने एक बेटे को भी ले गए जो कम अक़्ल था। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया, मैं आपके पास अपने बेटे को लाया हूं जो दीवाना है आप इसके लिए दुआ फ़रमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, इसे मेरे पास ले आओ। मेरे दादा ने उसका वह लिबास जो वह सफ़र के दौरान पहने हुआ था तब्दील करके अच्छा लिबास पहनाया और नबी सल्ल० की सेवा में हाज़िर किया। नबी सल्ल० ने उसके कपड़ों को गिरफ़्त में लेकर उसकी पुश्त पर मुक्के मारने शुरू किए। इस दौरान आप फ़रमाते रहे, ऐ अल्लाह के दुश्मन दफ़ा हो जा, अल्लाह के दुश्मन दूर हो जा। तब उस लड़के ने अपने आस पास देखना शुरू कर दिया मानो वह बिल्कुल ठीक है। फिर आपने उसे अपने सामने बिठाया और पानी मंगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वह पानी उसके चेहरे पर छिड़का। उसके बाद वह नवजवान ऐसा स्वस्थ हो गया कि क़ाफ़िले में कोई उससे बेहतर नहीं था।

ख़ारिजा बिन अस्सलत ने रिवायत किया कि उसके चचा ने बताया कि एक बार जब हम रसूले अकरम सल्ल० के पास से रुख़्सत हुए तो हमारा गुज़र एक बदवी क़बीले में हुआ। उनमें से कुछ लोगों ने हमसे कहा, हम जानते हैं कि तुम उस व्यक्ति (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास से आ रहे हो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इलाज या अमल है जिससे हमारे एक आसेबज़दा भाई को ठीक कर सको? हमने कहा, हां। तब वह एक दीवाने को हमारे पास लाए जो आसेबज़दा था। मैंने तीन दिन तक सुबह व शाम सूरह फ़ातिहा पढ़कर उस पर दम की। उस अमल के दौरान मैं उस पर थुत्कारता भी रहा। उसके बाद वह व्यक्ति इस तरह उठ खड़ा हुआ जैसे उसे ज़ंजीरों से आज़ाद कर दिया गया हो, तब उन्होंने मुझे एक बकरी बदले में पेश की। मैंने कहा, जब तक मैं नबी

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इजाज़त न ले लूं इसे क़ुबूल नहीं कर सकता। आप सल्ल० ने फ़रमाया, इसे ले लो वल्लाह जो व्यक्ति कुफ़्र व शिर्क के ज़रिए इलाज करके कुछ खाता है वह अपने गुनाह का बोझ ढोएगा तुम जो हासिल कर रहे हो अल्लाह के नाम पर है। (अबू दाऊद)

चूंकि जादू सीखना और उसको काम में लाना दोनों बातें कुफ़्र के दायरे में आती हैं।

सहर (जादू) के बारे में शरअी हुक्म

चूंकि जादू सीखना और उसको काम में लाना दोनों बातें कुफ़्र के दायरे में आती हैं। अतः शरीअत ने इसको करने वाले को सख़्त अज़ाब की बात कही है। जो व्यक्ति ज़ादू का अमल करे और उसे तर्क न करे, न उस अमल से तौबा करे उसके लिए शरीअत में सज़ाए मौत है। शरीअत का यह हुक्म निम्न हदीस नबवी सल्ल० पर है जिसे जुंदुब बिन काअब रज़ि० ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जादू की सज़ा यह है कि तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाए।[1] (तिर्मिज़ी) ख़ुल्फ़ाए राशिदीन ने इस फ़रमान नबवी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर सख़्ती से अमल किया। बहाला बिन अब्दा से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने इस्लामी लश्कर को जो फ़ारस और रूम में जंग कर रहा था फ़रमान भेजा कि पारसियों को हुक्म दें कि जिसने अपनी मां, बहन या बेटी से शादी कर रखी है वे सब फ़ौरन यह रिश्ते तोड़ दें। अमीरुल मोमिनीन ने यह हिदायत भी की मुसलमान लश्कर उन पारसियों का बनाया हुआ खाना भी खाएं

---

1. यह हदीस यद्यपि ज़ईफ़ है लेकिन चूंकि इसकी ताईद में शहादतें मौजूद हैं इसी लिए यह हसन के दर्जे में आ गई है। चारों इमामों में से तीन (अहमद, अबू हनीफ़ा और मालिक) इसकी पुष्टि करते हैं जबकि इमाम शाफ़ई का कहना है कि जादूगर को इस सूरत में सज़ाए मौत दी जाएगी जब वह अपने अमल में कुफ़्र व शिर्क करे।

(तफ़्सीरुल अज़ीजिल हमीद)

ताकि उन्हें अहले किताब के ख़ाने में शामिल किया जा सके। आख़िर में उन्हें हुक्म दिया गया कि यदि वह किसी जादूगर (साहिर) या क़िस्मत का हाल बताने वाले को देखें तो उसे क़त्ल कर दें। बहाला ने बताया कि इस हुक्म की बुनियाद पर स्वयं मैंने तीन जादूगरों को क़त्ल किया।

(अहमद, अबू दाऊद, बैहेक़ी)

मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा बिन्ते उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने अपनी एक कनीज़ को इसलिए क़त्ल करा दिया कि उसने उन पर जादू कर दिया था।

जादूगरों के लिए यह सज़ा तौरात में भी मौजूद है। इससे साबित होता है कि यहूदियों और ईसाइयों के दीन में भी जादूगरी हराम है।

कोई मर्द या औरत जो जादूगर के लिए मामूल बनता है/बनती है या स्वयं जादू करता है उसे क़त्ल कर दिया जाए। उसे पत्थरों से संगसार कर दिया जाएगा और उसका ख़ून इसी पर छिड़क दिया जाएगा। तौरात की तीसरी किताब

चारों ख़लिफ़ा के बाद इस अमल की सज़ा में सुस्ती बरती गई। बनी उमैया के खलीफ़ों ने न केवल जादूगरों को खुली छूट दे दी बल्कि अपने दरबार में भी उन्हें आने का अवसर दिया। क्योंकि उन ख़ुल्फ़ा ने उस हुक्म पर अमल तर्क कर दिया था इसलिए कुछ सहाबा ने इस हुक्म पर अमल करने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। अबू उसमान से रिवायत है ख़लीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक (705-715 अहद ख़िलाफ़त) के दरबार में एक व्यक्ति था जो जादू के करिश्मे दिखाया करता था। एक बार उसने एक व्यक्ति का सर उसके तन से बिल्कुल जुदा कर दिया। जब यह हैबतनाक मंज़र देखकर लोग चकित व स्तब्ध रह गए तो उसने उससे भी बड़ा करतब यह दिखाया कि उसका सर दोबारा उसके जिस्म से जोड़ दिया और वह व्यक्ति बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कभी उसका सर तन से जुदा हुआ ही नहीं था। देखने वालों ने ज़ोरदार नारा लगाया सुब्हानल्लाह!

इसने तो मुर्दा को ज़िंदा कर दिया। सहाबी जुंदल असदी ने वलीद के दरबार में इस हंगामा के बारे में सुना तो वह दरबार में आए। जब जादूगर ने अपना खेल शुरू किया तो यकायक वह सहाबी भीड़ में से नंगी तलवार लिए बरआमद हुए और उस शोबदाबाज़ का सर तन से जुदा कर दिया फिर उन्होंने हैरतज़दा लोगों से कहा अगर वास्तव में यह जादूगर सच्चा है तो अब यह स्वयं को इसी तरह ज़िंदा कर दिखाए जिस तरह कल उसके सर बरीदा व्यक्ति को किया था। वलीद ने उन्हें गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया। (बुख़ारी)

शरीअत ने जादूगरी की जो यह कठोर सज़ा मुक़र्रर की है उससे एक मक़सद समाज के उन कमज़ोर अक़ीदे वाले लागों के ईमान की हिफ़ाज़त करना है जो इस क़िस्म के करतब और शोबदे देखकर उन जादूगरों के श्रद्धालू हो जाने में और उनसे अलौकिक गुण मंसूब करके तौहीद असमा व सिफ़ात के दायरे में शिर्क का काम करते हैं क्योंकि यह गुण केवल अल्लाह के लिए ही खास हैं। जो जादूगर बराबर से जादूगरी करते हैं वह न केवल दीन व शरीअत का अपमान करते हैं बल्कि इस अमल से यह जादूगर लोगों को इस ग़लतफ़हमी का शिकार बनाते रहते हैं कि वह अलौकिक शक्तियों के मालिक हैं और इस तरह लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करके अपनी शोहरत का जाल फैलाते हैं।

अध्याय : 8

अल्लाह के अलावा कुछ नहीं

(अल्लाह तआला की ज़ात सबसे उच्च और श्रेष्ठ है)

अल्लाह तआला बुज़ुर्ग व बरतर ने आसमानी सहीफ़ों में और अपने रसूलों के द्वारा अपने बारे में जो कुछ बताया है उससे उद्देश्य और तात्पर्य यह है कि इंसान उसकी ज़ात के बारे में कुछ हद तक यह जान सके कि वह स्रष्टा क्या है? चूंकि इंसानी दिमाग़ और उसकी सोच व योग्यता सीमित है। अतः उसके लिए उस सर्व शक्तिमान को जो सीमाओं व पाबन्दियों और आदिकाल व सदैव से पृथक है समझना संभव नहीं है। तो अल्लाह रहीम व करीम ने कृपा करके यह फ़रीज़ा स्वयं अपने ऊपर लिया कि अपनी ज़ात व सिफ़ात के बारे में लोगों को बताए ताकि अपनी अनभिज्ञता के कारण वे गुण उसकी स्रष्टि से मंसूब न करें जो केवल उसकी ज़ात के लिए ख़ास हैं। जब अल्लाह के गुण उसके बन्दों (स्रष्टि) से मंसूब किए जाते हैं तो नतीजा यह होता है कि इंसान शिर्क का शिकार हो जाता है। अल्लाह के गुण उसकी स्रष्टि से मंसूब करने का अक़ीदा ही मूर्ति पूजा की बुनियाद है जिसने अनेक और विभिन्न शक्लें इख़्तियार कर ली। वे तमाम अक़ीदे और धर्म जो प्राचीन मुश्रिक कौमों में प्रिय हुए उनमें स्रष्टि से यह सिफ़ात मंसूब की गईं और मज़ाहिर को उपास्य बना दिया गया जिन्हें अल्लाह ने इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा किया था।

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनेक नामों में से एक नाम ऐसा है जो स्रष्टि की उपासना के विपरीत स्रष्टा (अल्लाह तआला) की उपासना से संबंधित बड़े महत्व वाला है।

यह अल्लाह तआला का एक गुणवाला नाम है लेकिन मुसलमानों में

यूनानी (अग़रीक़ी) फ़लसफ़याना उलझावों के कारण मुसलमानों का ज़ेहन इस बारे में साफ़ नहीं है और वह भ्रम का शिकार हैं। (मुख़्तसरुल अव, इमाम मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी) अल्लाह तआला का यह नाज़ुक गुणों वाला नाम उलू है जिसके मायना अंग्रेज़ी में इंतिहाई बुलन्दी या सूझ-बूझ होना (Trancscendance) जब इस शब्द को अल्लाह तआला के इस्म सिफ़ात के तौर पर बोला जाता है तो इससे तात्पर्य यह होता है कि अल्लाह रब्बुल अज़ीम की ज़ात जो उसकी तमाम स्रष्टि से बुलन्द और पृथक है वह न तो किसी तरह सृष्टि के वैचारिक घेराव में सीमित हो सकती है और न कोई भी स्रष्टि किसी भी अंदाज़ में उससे बरतर है। अल्लाह अपने तौर पर उत्पत्ति करने का कोई अंश नहीं है और न उसकी उत्पत्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसकी ज़ात से जुड़ी है। निःसन्देह उसकी ज़ात उसकी हर स्रष्टि से प्रमुख व पृथक और बुलन्द है वह कायनात का स्रष्टा है। यह कायनात और उसके तमाम अंश अल्लाह तआला की स्रष्टि का हिस्सा हैं लेकिन उसकी विशेषता उसकी उत्पत्ति में बिना किसी कारण हैं। अल्लाह तआला देखता है सुनता है और जानता है और उसके इस उत्पत्ति में जो कुछ घटित होता है अल्लाह तआला ही उसकी वजह असली है।

कायनात में कोई भी चीज़ उसके हुक्म के बिना घटित नहीं हो सकती। अतः यह कहा जा सकता है कि जहां तक अल्लाह तआला और उसकी स्रष्टि के बीच रिश्ता और संबन्ध के इस्लामी नज़रिये का सवाल है उसकी दोहरी किस्म है लेकिन अल्लाह और उसकी स्रष्टि के बीच जो सबंध है वह केवल और केवल एकत्व का है। अल्लाह और उसकी स्रष्टि के बीच रिश्ते की दोहरी किस्म यह है कि अल्लाह है और स्रष्टि केवल स्रष्टि है। दोनों अलग इकाइयां हैं स्रष्टा और उसकी स्रष्टि असीमित और सीमित, न एक दूसरे की तरह बन सकता है और न दोनों मिलकर एक (एकत्व) बन सकते हैं। इसी के साथ इस्लाम की धारणा पूर्ण रूप से

एकत्व पर आधारित है। अर्थात अल्लाह एक है, न उसके बेटा है, न वह किसी का बेटा है, न कोई उसका शरीक और उसके जैसा है। यह वह नज़रिया है जिस पर किसी समझौते, रद्दो बदल व निरस्त आदि की न कोई गुंजाइश है न संभावना है। अल्लाह तआला अपनी ईश्वरत्व में अनोखा व बेमिसाल है और कोई चीज़ उसके जैसी नहीं है। कायनात में केवल उसी की ज़ात सत्ता व इख़्तियार का सरचश्मा है और हर चीज़ उस पर निर्भर करती है। इसी तरह अपनी स्रष्टि के मुक़ाबले में वह अविभाजित है। कायनात और उसके तमाम अंश तत्व अल्लाह तआला की पैदावार हैं और क्योंकि कायनात और उसके तमाम अंश व तत्व केवल एक ही ज़ात की पैदावार हैं इसलिए उत्पत्ति की दृष्टि से उनका तत्व भी एक ही है अर्थात प्रकृति के उसूलों पर उनकी उत्पत्ति की गई है।

महत्व

अल्लाह तआला की उपासना के संबंध से उसकी विशेषता का उच्च और पृथक होना बड़ा वास्तविक है। इस्लाम से पहले, आख़िरी दौर में इंसान इस ईश्वरीय विशेषता के बारे में गुमराही की आख़िरी हदों तक पहुंच गया था। ईसाइयों ने यह अक़ीदा गढ़ लिया था कि ख़ुदा गोश्त पोस्त (शरीर) का पैकर बनकर यसूअ की शक्ल में बतौर इंसान प्रकट हुआ और फिर उसे सलीब दे दी गई। (मसीही अक़ीदे के मुताबिक़) यहूदियों का अक़ीदा यह था कि ख़ुदा इंसान की शक्ल में ज़मीन पर आया उसने याक़ूब (इसराईल) से कुश्ती लड़ी और दंगल में हार गया। (तौरात पैदाइश) अहले फ़ारस अपने बादशाहों को देवता समझते थे और सारी ख़ुदाई विशेषताएं उनसे मंसूब करते थे और आखिकार कार यह बिगड़ा हुआ अक़ीदा उन्हें बादशाहों की पूजा की तर्ग़ीब देता था। हिन्दुओं ने यह अक़ीदा इख़्तियार किया था कि ब्रहमा सबसे उच्च है और हर चीज़ उसके वजूद का द्योतक है तो वह हर चीज़ की पूजा करते थे। इंसान जानवर

आदि को भी उपास्य समझने लगे थे। हिन्दुओं का यह अक़ीदा इस नाक़ाबिले यक़ीन हद तक पहुंच गया कि वे पवित्र शहर बनारस[1] जाते हैं ताकि वहां शिव देवता के लिंग का दीदार कर सकें यह अंग उनकी परिभाषा में लिंग कहलाता है और हिन्दू इसकी पूजा करते हैं।

हिन्दू धर्म में ब्रहमा के हर जगह हाज़िर व उपस्थित होने के अक़ीदे को पहले ईसाइयों ने इख़्तियार किया फिर उसे मुसलमानों ने भी क़ुबूल कर लिया। हज़रत रसूले अकरम सल्ल० के बाद ख़िलाफ़त अब्बासिया के दौर में जब हिन्दी, ईरानी और यूनानी फ़लसफ़े की किताबों के अरबी में अनुवाद हुए तो यह अक़ीदा कि अल्लाह तआला हर चीज़ में है हर जगह हाज़िर है फ़लसफ़ियाना नज़रियात के लिए बहस का विषय बना और सूफ़िया के सिलसिलों में इसे बुनियादी फ़लसफ़े के तौर पर तस्लीम किया गया फिर उसे फ़लसफ़ियों के इस गिरोह में जिसे मोतज़िला कहा जाता है लोकप्रियता हासिल हुई। इस गिरोह को अब्बासी ख़लीफ़ा मामून (813-832 ई०) के दरबार में बहुत प्रगति व सत्ता हासिल थी।

ख़लीफ़ा मामून रशीद अब्बासी की सरपरस्ती में मोतज़ली फ़लसफ़ियों ने अपने उन अशुभ और गड़बड़ शुदा नज़रियात का हिंसा द्वारा प्रचार व प्रसार किया। जांच अदालतें (Inquision) क़ायम हुईं। मुसलमानों को यातनाओं क़ैद व बन्द की सज़ाओं से गुज़रना पड़ा, कुछ को सूली पर भी लटका दिया गया।

1. शिवा जो दोहरी क्षमताओं का देवता है मारता भी है जिलाता भी है। शिव लिंग पत्थर से लिंग की शक्ल में तराशा जाता है जो देवता की पैदा करने की ताक़त का द्योतक है। मन्दिरों में बड़े बड़े लिंग रखे जाते हैं। यह लिंग एक स्थान में लगे होते हैं जिसे यूनि (ज़नाना शर्मगाह) कहा जाता है। इसे शक्ति से संज्ञा दी जाती है अर्थात शिव का आधा स्त्रिलिंग और समान ताक़त का साधन है। सम्पूर्ण रूप से पर लिंग हिन्दू कायनात की पूर्णांक की निशानी है। मज़हबी उत्सवों में ब्राहमण इस लिंग पर फूल चढ़ाता है उसे मक्खन दूध और पानी से धोता है। बनारस भारत में रौशनियों का शहर है।

(समतारा राव का मुक़ाला)

हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रह० (855-878 ई०) ने दृढ़ता व मज़बूती के साथ मोतज़िला के असत्य अक़ाइद का मुक़ाबला किया और इस अक़ीदे को पेश किया जिस पर सहाबा और पहले दौर के उलमा व विद्वान कायम थे। उन्होंने इस साहस से इस फ़ितने का मुक़ाबला किया कि आख़िरकार उसे विनष्ट कर दिया। अब्बासी ख़लीफ़ा मुतवक्किल (847-860 ई०) की ख़िलाफ़त के दौर में मोतज़िला को हुकूमत के तमाम अहम पदों से हटा दिया गया। दरबार में उनकी सत्ता का प्रभाव ख़त्म हो गया और सरकारी तौर पर फ़लफ़सा ऐतिज़ाल को निरस्त कर दिया गया। यद्यपि मोतज़िला के अधिकांश नज़रियात समय गुज़रने के साथ ख़त्म हो गए लेकिन अल्लाह के हर जगह हाज़िर व नाज़िर होने का अक़ीदा इशाइरा[1] के मकतबा फ़िक्र में ज़िंदा और मक़बूल है। यह मकतबा फ़िक्र उन मोतज़ली उलमा ने क़ायम किया जो ऐतिज़ाल से दूर हो गए थे, उन्होंने फ़लसफ़ियाना बुनियादों पर मोतज़िला के अतिवादी नज़रियात को रद्द करने की कोशिश की।

---

1. इस मकतबे फ़िक्र का नाम अबुल हसन अशअरी (735-873) ई० के नाम पर पड़ा। वे चालीस साल की उम्र तक पक्के मोतज़ली थे और जबाई मोतज़ली के गहरे श्रद्धालू। शैख़ अबुल हसन अशअरी बसरे में पैदा हुए। फिर अहादीस के अध्ययन से उन पर ऐतिज़ाल के इस्लामी उसूल व नज़रियात से दूरी प्रकट हुई और वह इस्लामी नज़रियात के प्रचारक बन गए। मुसलमानों में उन्हें इल्म कलाम का बावा आदम माना जाता है। उनकी किताब मुक़ालात अशअरिया और इबारात उसूल ज़ियारा हैं। उम्र के आख़िरी हिस्से में अशअरी इल्म कलाम से बिल्कुल अलग हो गए थे और केवल अहादीस से रुजूअ करते थे। लेकिन शाफ़ई उलमा ने उनके नज़रियात से लाभ उठाया और इस तरह उनके नज़रियात को नई ज़िंदगी मिल गई। अलबाक़लानी (मृत्यु 1013 ई०) ने अशअरी के दलाइल को एक निज़ाम में तब्दील कर दिया।

अशाइरा के मशहूर हुक्मा में इमाम अल हरमैन जवेनी (मृत्यु 1086 ई०) ग़ज़ाली (मृत्यु 1112 ई०) राज़ी (112) हैं। (मुख़्तसर इंसाइकिलोपीडिया ऑफ़ इस्लाम)

अल्लाह तआला का हर जगह होने (Immanence) के अक़ीदे की ख़राबियां

अल्लाह तआला के हर जगह हाज़िर व नाज़िर होने के इस ग़लत अक़ीदे की बुनियाद पर कुछ लोगों ने दावा किया कि अल्लाह तआला हर चीज़ में मौजूद है। वह जानवरों, वनस्पति, पहाड़ आदि से ज़्यादा इंसान में मौजूद है। इस अक़ीदे का लाज़मी नतीजा यह हुआ कि समय गुज़रने के साथ कुछ लोगों ने यह दावा किया कि अल्लाह तआला दूसरों के मुक़ाबले में उनके अंदर ज़्यादा है और उसके लिए उन्होंने विलीन और इत्तिहाद (एकता) की परिभाषाएं गढ़ लीं। नवीं सदी के मुस्लिम सूफ़िया में एक मज्ज़ूब सूफ़ी हल्लाज (858-992 ई०) था जिसने दावा किया कि वह और अल्लाह तआला एक हैं। (मुस्लिम औलिया व सूफ़िया, ऐ. जे. आर. पैरी) दसवीं सदी में शीओं का एक अलग साम्प्रदाय नसीरी वजूद में आया जो यह अक़ीदा रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दामाद अली इब्ने अबी तालिब ख़ुदाए तआला का अवतार थे। (मुख़्तसर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ़ इस्लाम) शीओं का एक और सम्प्रदाय दरोज़ी दसवीं सदी ईसवी में उभरा। उसका अक़ीदा यह है कि फ़ातमी ख़लीफ़ा हाकिम बिअमरिल्लाह (996-1021 ई०) ज़मीन पर अल्लाह का आख़िरी अवतार था। (मुख़्तसर इंसाक्लोपीडिया ऑफ़ इस्लाम) एक और तथा कथित सूफ़ी इब्ने अरबी (1165-1240 ई०) ने अपने मुरीदों को बताया कि वह केवल अपनी उपासना करें क्योंकि उनके अक़ीदे के मुताबिक़ अल्लाह तआला इंसान के अंदर रहता है। यही अक़ीदा अमेरिका में आली जाह मुहम्मद (मृत्यु 1975 ई०) का था उसका दावा था कि काले लोग अल्लाह (के अवतार) हैं और उसका मुर्शिद फ़र्द मुहम्मद ख़ुदरी ख़ुदाए बरतर था। (हमारा मुक्ति दाता आ गया, अज़ आली जाह मुहम्मद) जिम जोन्स ने अपने 900 श्रद्धालुओं के साथ ग्याना में 1979 में आत्म हत्या कर ली वह वर्तमान युग में ऐसे व्यक्ति की मिसाल है जिसने ख़ुदाई

का दावा किया और लोगों ने उसके दावे को सच माना।

असल में जिम जोन्स ने यह असत्य नज़रियात एक और अमेरिकी से हासिल किए जो अपने आपको आसमानी बाप (Father Divine) कहता था। उसने यह फ़लसफ़ा और तरीक़ा उन मासूम लोगों को बहकाने के लिए इस्तेमाल किया जो उसके पास जमा हो गए थे। आसमानी बाप जिसका असल नाम जॉर्ज बैकर था। 1920 ई० के आर्थिक संकट के दौर में प्रकट हुआ, उसने ग़रीबों की मदद के लिए रेस्टोरेंट खोले। जब पेट के रास्ते वह उन ग़रीबों के ज़ेहनों पर छा गया तो उसने दावा किया कि वह ख़ुदा का अवतार है। उसी अर्से में उसने कैनेडा की एक औरत से शादी कर ली और उसका नाम आसमानी मां (Mother Divine) रखा। तीसरे दशक तक पहुंचते पहुंचते उसके श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच गई न सिर्फ़ अमेरिका (यू. एस. ए.) बल्कि यूरोप में भी उसके श्रद्धालू बड़ी संख्या में मौजूद थे।

इस तरह ईश्वरत्व का दावा करने वाले किसी मुल्क या किसी मज़हब तक सीमित नहीं थे जहां कहीं उन्हें अपने असत्य अक़ाइद व इरादों के लिए नर्म और उपजाऊ ज़मीन मिली वहीं उन्होंने इसका बीज बोना शुरू कर दिया। जहां ज़ेहनों में पहले ही अवतारवाद अर्थात स्रष्टि के ख़ुदा होने की धारणा और अक़ीदा मौजूद था वहां उन्हें आसानी से उन कमज़ोर अक़ीदे के लोगों को शिकार करने का मौक़ा मिल गया।

सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह अक़ीदा कि अल्लाह हर जगह मौजूद है बड़ा ही ख़तरनाक है। एक तो यह ज़मीन पर दीदार इलाही के अक़ीदे (जो बहुत बड़ा गुनाह है) की पुष्टि करता है और उसका बौद्धिक प्रमाण पेश करने की कोशिश करता है और इस तरह स्रष्टि की पूजा की राह समतल करता है। नाम व गुणों की तौहीद के अक़ीदे के तहत भी यह शिर्क है क्योंकि यह अल्लाह तआला से ऐसी विशेषताएं मंसूब करता है जो उससे संबंधित और उसके योग्य नहीं हैं।

क़ुरआन और हदीस (सुन्नत नबवी) दोनों में कहीं भी उन ईश्वरीय गुणों का ज़िक्र नहीं मिलता बल्कि हक़ीक़त में क़ुरआन व सुन्नत इसका खंडन करते हैं।

स्पष्ट सुबूत

क्योंकि अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह यह है कि ग़ैरुल्लाह की पूजा की जाए या अल्लाह के साथ किसी की उपासना भी की जाए। और क्योंकि अल्लाह के सिवा हर चीज़ (ग़ैरुल्लाह) अल्लाह तआला की स्रष्टि है। अतः इस्लाम के तमाम उसूल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका इन्कार करते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। दीन के बुनियादी उसूलों में उसे स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि स्रष्टा कौन है? और उसकी स्रष्टि क्या है? इस क़िस्म के अनेक सुबूत हैं जो दीन के बुनियादी उसूलों पर आधारित हैं। मुस्लिम उलमा ने उन्हें यह साबित करने के लिए पेश किया है कि अल्लाह तआला अपनी स्रष्टि से बिल्कुल पृथक और उच्च है। यहां ऐसे सात सुबूत पेश किए गए हैं।

1. इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक़ इंसान कुछ प्राकृतिक आदतों के साथ पैदा होता है वह मात्र अपने माहौल की पैदावार ही नहीं होता। इसकी पुष्टि क़ुरआन अज़ीम के इस बयान से होती है जिसमें अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि जब उसने आदम को पैदा किया तो उनकी पुश्त से पैदा होने वाली तमाम नस्लों को भी अपने समक्ष हाज़िर किया और उनसे अपनी ख़ुदाई की गवाही ली। (अल आराफ़, 172)

उसकी और पुष्टि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की इस हदीस के भी होती है कि बच्चा अपनी प्रकृति पर पैदा होता है और अल्लाह तआला की उपासना का प्राकृतिक रुझान लिए हुए पैदा होता है लेकिन उसके मां बाप उसे अपने अक़ीदे के मुताबिक़ मजूसी यहूदी या ईसाई बना देते हैं। (बुख़ारी)

अतः इस अक़ीदे (ख़ुदा हर जगह मौजूद है) की बाबत इंसान की प्राकृतिक प्रक्रिया को किसी हद तक उसकी अक़्ल के पैमाने से देखा जा सकता है। अगर ख़ुदा हर चीज़ में मौजूद है तो उसका मतलब यह भी हो सकता है कि गन्दगी और गन्दे स्थानों पर भी वह मौजूद है। जब यह बात कही जाती है तो बहुत से लोग इस विचार से ही अप्रियता महसूस करने लगते हैं। यह बात बिल्कुल प्राकृतिक है कि वे लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि अल्लाह तआला जो इंसान का स्रष्टा और सबसे उच्च व श्रेष्ठ है वह इंसानी फ़ैसले या किसी ऐसी चीज़ या स्थान पर मौजूद हो सकता है जो उसकी महिमा के योग्य न हो।

अतः यह बात पूरे तौर पर कही जा सकती है कि अल्लाह तआला ने इंसान की प्रकृति में यह भावना रख दी कि वह इस अक़ीदे को निरस्त कर दे कि अल्लाह हर जगह हर चीज़ में मौजूद है। इसलिए इस अक़ीदे की सेहत साबित करना मुश्किल होगा। वे लोग जो ख़ुदा हर जगह है का अक़ीदा छोड़ने को तैयार नहीं हैं वे यह दलील पेश कर सकते हैं कि यह अक़ीदा इंसान के मानसिक प्रशिक्षण और माहौल के असर से पैदा होता है और यह प्राकृतिक भावना नहीं है। लेकिन नई नस्ल की भारी अधिसंख्या निःसंकोच इस नज़रिये को निरस्त कर देती है यद्यपि इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनका लालन पालन इसी अक़ीदे के तहत होता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है।

2. उपासना का सुबूत

इस्लामी उपासना के नज़रिया के तहत तमाम मस्जिदों को हर क़िस्म की तस्वीरों आकारों अल्लाह या इसकी स्रष्टि के मुरक़्क़अ या शक्ल या नमाज़ के अरकान रुकूअ, सुजूद, क़याम व क़ाअदा आदि की स्पष्ट तस्वीरों से पूरी तरह पाक होना चाहिए। अगर यह अक़ीदा मान लिया जाए कि ख़ुदा हर जगह है, हर चीज़ में है, हर इंसान में है तो ऐसा अक़ीदा

रखने वाले एक दूसरे की उपासना भी कर सकते हैं क्योंकि उनके अक़ीदे के मुताबिक़ ख़ुदा उनमें मौजूद है जैसा कि बदनाम सूफ़ी इब्ने अरबी ने कुछ तहरीरों में यह नज़रिया पेश किया। इसी तरह एक मूर्ति पूजक या द्योतकवादी को मंतक़ी तौर पर यह समझना बहुत मुश्किल होगा कि इसकी उपासना का तरीक़ा ग़लत है और इसे सिर्फ़ एक अल्लाह की उपासना करनी चाहिए जो इस कायनात का स्रष्टा है। क्योंकि वह व्यक्ति तुरन्त दलील पेश करेगा कि वह बुत या किसी और चीज़ को नहीं पूजता बल्कि उसमें पोशीदा ख़ुदा की पूजा करता है, या फिर इस अवतार की पूजा करता है जिसकी शक्ल इख़्तियार करके ख़ुदा इंसानी या किसी और सूरत में प्रकट हुआ है। लेकिन इस्लाम ऐसे हर व्यक्ति को काफ़िर क़रार देता है जो किसी भी शक्ल या पहलू से ग़ैरुल्लाह की उपासना करता है इसमें कोई मंतक़ या दलील क़ाबिले क़ुबूल नहीं है। हक़ीक़त यह है कि ऐसा व्यक्ति अल्लाह की स्रष्टि को सज्दा कर रहा है जबकि इस्लाम आया ही इसलिए है कि वह इंसान को अल्लाह की उपासना की तरफ़ बुलाए और ग़ैरुल्लाह की उपासना व सम्मान से रोके। अतः इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा यह है और उपासना से संबंधित शरीअत का हुक्म भी यही है कि अल्लाह किसी स्रष्टि में प्रकट नहीं होता वह स्रष्टि से बिल्कुल अलग है। अल्लाह तआला का किसी क़िस्म या अंदाज़ का मुरक़्क़अ बनाने या जानदार की तस्वीरकशी को हराम क़रार दिया जाना भी इसकी और अधिक दलील है।

मेराज का सुबूत

हिजरत मदीना से दो साल पहले हज़रत रसूले अकरम सल्ल० को मेराज हुई अर्थात रात के समय का वह चमत्कारी सफ़र जिसमें आप मक्का से येरूशलम पहुंचे और वहां से सातों आसमानों का सफ़र तै किया। इस चमत्कारी सफ़र पर उन्हें इसलिए ले जाया गया ताकि वह अल्लाह तआला से सीधे सम्पर्क क़ायम करें। इसी मेराज में पांच समयों

की नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं, अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सीधे सम्बोधन किया और सूरह बक़रा की आख़िरी आयात अवतरित हुई। (बुख़ारी)

अगर अल्लाह तआला हर जगह मौजूद है तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कहीं जाने की क्या ज़रूरत थी। और वह ज़मीन पर अपने मकान में ही अल्लाह से बात करने का गौरव हासिल कर सकते थे। अतः मेराज नबवी सल्ल० में यह लतीफ़ नुकता भी पोशीदा है कि अल्लाह तआला हर जगह नहीं है और अपनी स्रष्टि से उच्च व श्रेष्ठ है।

4. क़ुरआन से सुबूत

क़ुरआन अज़ीम में ऐसी आयात जिनमें यह बताया गया है कि अल्लाह तआला अपनी स्रष्टि से उच्च व श्रेष्ठ है, इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी गिनती आसान नहीं हर सूरह में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस नुकते को स्पष्ट किया गया है। ऐसे प्रत्यक्ष हवालों में वह चीज़ें जो अल्लाह की तरफ़ उठती हैं या वहां से अवतरित होती हैं जैसे सूरह इख़्लास में अल्लाह तआला ने अपने लिए अस्समद का शब्द इस्तेमाल किया है अर्थात वह ज़ात जिसकी ओर हर चीज़ रुजूअ करती है कभी कभी उसके शाब्दिक मायना तात्पर्य होते हैं जैसा कि फ़रिश्तों के बारे में कहा गया है :

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

(المعارج: ٤)

"फ़रिश्ते और जिबरील अल्लाह की तरफ़ जाते हैं उस दिन जो पचास हज़ार साल के बराबर है कभी कभी इसका मायना रूहानी होता है जैसे दुआ का ज़िक्र में।" (अल मआरिज, 4)

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. (فاطر ١٠)

"हर पाक चीज़ (अमल) उस तक पहुंचती है।" (सूरह फ़ातिर, 10)

निम्न आयत में :

قَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ وَاِنِّي لَا ظُنُّهُ كَاذِبًا. (المؤمن: ٣٦)

"फ़िरऔन ने हामान से कहा कि मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ ताकि मैं इस माध्यम से आसमानों तक पहुंचूं और (मूसा के) ख़ुदा को देखूं। मेरा विचार यह है कि वह (मूसा) झूठ बोल रहा है।" (सूरह मोमिन, 36) निम्न आयात में अल्लाह की ओर से नुज़ूल (उतरने) की बात कही गई है :

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ اٰمَنُوا. وَهُدًى وَّبُشْرىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (النحل)

"कह दीजिए कि जिबरील रूहुल अमीन अल्लाह की ओर से यह (वह्य) लेकर आए हैं जोकि हक़ है ताकि जो ईमान लाएं उन्हें दृढ़ता हासिल हो पथ प्रदर्शन व बशारत से सरफ़राज़ हों। अल्लाह तआला के दोनों नामों और उसके स्पष्ट इरशादात में प्रत्यक्ष रूप से हवाला देखा जा सकता है। जैसे : अल्लाह तआला ने क़ुरआन अज़ीम में अपने लिए अल अली और अल आला के नाम बयान किए हैं इन दोनों के मायना उच्च व श्रेष्ठ होते हैं। अर्थात उससे उच्च कोई नहीं है। 'अलिय्यिल अलीम और रब्बुकुमुल आला' अल्लाह तआला ने यह भी कहा है कि वह अपने बन्दों पर क़ादिर है :

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ.

अल्लाह तआला अपने बन्दों पर क़ुदरत रखने वाला है।

अल्लाह तआला यह भी फ़रमाता है :

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ.

"वह बन्दे अपने पालनहार से डरते हैं जो उनके ऊपर है।"

अतः जो लोग क़ुरआन अज़ीम की आयात में सूझ-बूझ से काम लेते

हैं उन्हें बताया गया है कि अल्लाह तआला स्रष्टि से उच्चतर है और वह किसी भी तरह उन (स्रष्टि) के बीच या उनके घेराव में नहीं है।

अहादीस से सुबूत

ऐसी अनेक अहादीस हैं जो बताती हैं कि अल्लाह तआला ज़मीन पर नहीं और न वह स्रष्टि में विलीन करता है। क़ुरआन अज़ीम की तरह अहादीस में भी इस विषय पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इशारे मौजूद हैं। सीधे हवाले में क़ुरआन अज़ीम में फ़रिश्तों का आसमानों की तरफ़ उड़ना और हज़रत अबू हुरैरह की हदीस कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : मलाइका की एक जमाअत रात के समय तुम्हारे साथ रहती है और दूसरी जमाअत दिन के दौरान तुम्हारे पास रहती है, अस्र और फ़ज्र की नमाज़ों के दो समय ये दोनों जमाअतें मिलती हैं। फिर मलाइका की वह जमाअत जो रात भर तुम्हारे साथ रही वह आसमान का रुख़ करती है और अल्लाह तआला के समक्ष हाज़िर होती है और अल्लाह तआला तुम्हारे बारे में उनसे सवालात करता है यद्यपि अल्लाह तआला जानने व देखने वाला है। (बुख़ारी)

इन शीर्षकों पर प्रत्यक्ष में हवाला अल्लाह तआला के अर्श पर बिराजमान के बारे में है रब्बुल इ़ज़्ज़त का अर्श हर पैदा की हुई चीज़ से परे है। हज़रत अबू हुरैरह से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि जब अल्लाह तआला कायनात की उत्पत्ति से फ़ारिग़ हुआ तो उसने किताब महफ़ूज़ में लिखा निःसन्देह मेरी दयालुता मेरे प्रकोप पर हावी रहेगी। (बुख़ारी)

इस प्रत्यक्ष हवाले की एक हदीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश की बाबत है जो गर्व के तौर पर अन्य पाक पत्नियों से कहा करती थीं कि उनकी शादियां तो उनके अहले ख़ानदान ने कीं जबकि मेरी शादी (हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से स्वयं अल्लाह तआला ने सातों आसमानों की बुलन्दी पर की। (बुख़ारी)

दूसरी हदीस वह है जिसमें हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने बीमारों को अपने बारे में यह दुआ करने का हुक्म फ़रमाया :

ربنــــا الله الـذى فى السمـــاء قـدس اسمک. (ابوداؤد)

"हमारा पालनहार जो आसमानों की ऊंचाइयों पर है तेरा नाम बरकत वाला है।" (अबू दाऊद)

सीधे सीधे हवाले के लिए निम्न हदीस सबसे ज़्यादा स्पष्ट है : मुआविया इब्ने हकम से रिवायत है कि उनके पास एक कनीज़ थी जो उहुद की वादी में उनकी बकरियां चराया करती थी। वह जगह अल जुवेरिया कहलाती थी। एक दिन मैं उस जगह पहुंचा तो देखा कि एक भेड़ उस गल्ले में से भेड़िया ले गया। एक इंसान की तरह मेरे अंदर भी क्रोध और ग़ुस्सा की भावना है। अतः मैंने पूरी ताक़त से उस कनीज़ के मुंह पर तमाचा मारा।[1] फिर जब मैंने यह घटना हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने बयान की तो आपने फ़रमाया कि तुम संगीन जुर्म कर चुके हो। तब मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क्या मैं इसे आज़ाद कर सकता हूं? आप सल्ल० ने फ़रमाया, इसे मेरे पास लाओ। मैं उसे लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे पूछा, अल्लाह तआला कहां है? उसने जवाब दिया, आसमानों के ऊपर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मैं कौन हूं? उसने अर्ज़ किया, आप अल्लाह के रसूल हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, निःसन्देह इसे आज़ाद कर दो यह तो सच्ची मोमिना है। (मुस्लिम)

---

1. इस बारे में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से एक हदीस मरवी है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : जब तुम किसी को मारो तो चेहरे पर मत मारो। (मुस्लिम) यह भी रिवायत है कि किसी ग़ुलाम या कनीज़ को मारने का कफ़्फ़ारा यह है कि उसे आज़ाद कर दिया जाए।

अगर किसी के मज़हब व अक़ीदे की जांच की जाए तो मंतक़ी तौर पर उससे यह पूछा जाएगा क्या तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसा सवाल मालूम नहीं करते थे क्योंकि इस दौर में तमाम लोग अल्लाह को मानते थे क़ुरआन अज़ीम में इसके अधिकता से हवाले मौजूद हैं।

अगर तुम उनसे सवाल करो कि ज़मीन व आसमान को किसने पैदा किया और सूरज चांद को किसने वशीभूत कर रखा है तो वे कहेंगे कि अल्लाह ने क्योंकि उस दौर के मुश्रिकीन मक्का यह अक़ीदा रखते थे कि उनके बुतों में किसी न किसी शक्ल में अल्लाह तआला मौजूद है और इस तरह वह स्रष्टि का एक हिस्सा बन गया है। अतः हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस कनीज़ के ईमान की जांच करना चाहते थे कि उसका अक़ीदा मुश्रिकाना तो नहीं है जैसा कि मक्का के अन्य मुश्रिकीन का था कि वह अल्लाह के साथ बुतों को भी मानते थे। जब उस कनीज़ ने जवाब दिया कि अल्लाह तआला आसमानों पर है तो मुसलमानों के नज़दीक इस सवाल का कि अल्लाह तआला कहां है का यह बिल्कुल सही जवाब था। अतः इस जवाब की बुनियाद पर हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि यह औरत सच्ची मोमिना है। अगर यह अक़ीदा जैसा कि आज के बहुत से मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह तआला ज़मीन पर है सही होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस कनीज़ के इस जवाब पर कि अल्लाह तआला आसमानों पर है ज़रूर आपत्ति फ़रमाते लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके जवाब को सही माना। इसलिए इस्लामी अक़ीदा यह साबित हुआ कि अल्लाह तआला आसमानों के ऊपर है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी उस अक़ीदा की पुष्टि हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने न केवल उस कनीज़ की बात को क़ुबूल फ़रमाया बल्कि उसके ईमान की जांच के लिए उसे बुनियाद भी बनाया।

6. मंतक़ी सुबूत

मंतक़ी तौर पर देखिए तो जहां दो चीज़ें एक साथ मौजूद हों तो उनमें से एक चीज़ या तो दूसरे पर निर्भर हो सकती है या उसके गुणों का हिस्सा हो सकती है या फिर उसका अपना अलग और स्थाई वजूद होगा। तो जब अल्लाह तआला ने इस कायनात को पैदा किया तो या तो यह उत्पत्ति उसने अपने अंदरून में की या फिर उसे अलग वजूद के तौर पर पैदा किया। पहला नज़रिया इसलिए क़ाबिले क़ुबूल नहीं है कि अल्लाह जो स्रष्टा, सम्पूर्ण, असीमित सबसे पृथक है उसके लिए यह कैसे माना जा सकता है कि उसमें ख़राबी की सीमित विशेषता और कमज़ोरियां हैं। निःसन्देह उसने इस दुनिया को अपने से अलग एक स्थाई वजूद के तौर पर पैदा किया जो अपने अलेहदा और स्थाई वजूद के साथ उसकी मोहताज है। स्रष्टियों को उसने वजूद बख़्शा। अब यह स्रष्टियां या तो उससे उच्च हैं या उससे कमतर। इंसान जितनी दुआएं करता है उसमें कहीं भी वह अपने पालनहार को कमतर नहीं कहता और अपनी स्रष्टि से कमतर होना अल्लाह तआला की महान महिमा के योग्य भी नहीं है। अतः स्रष्टा को हर हाल में अपनी स्रष्टि से उच्च और श्रेष्ठ होना चाहिए।

जहां तक इस परस्पर विरोधी बयान का सवाल है कि अल्लाह न इंसानों से अलग है, न उनसे जुड़ा है, न वह ज़मीन पर है, न उससे बाहर है तो इस क़िस्म का अक़ीदा सिर्फ़ अल्लाह के वजूद से इंकार को व्यक्त करता है बल्कि ग़ैर मंतक़ी भी है। इस क़िस्म के दावे अल्लाह तआला को इस दूसरे दर्जे पर पहुंचा देते हैं जहां विचारों की सूझ-बूझ की दुनिया में परस्पर विरोधी चीज़ें आपसी तालमेल के तौर पर क़रार रह सकती हैं और असंभवता का वजूद भी है। (जैसे एक वजूद में तीन ख़ुदा होने का अक़ीदा)

7. पूर्व उलमा की सहमति

अल्लाह तआला के बरतर व पृथक होने के बारे में पूर्व उलमा के लेख इतनी अधिकता से हैं कि इस संक्षिप्त किताब में उनको ला पाना संभव नहीं है। पंद्रहवीं सदी के प्रख्यात मुहद्दिस ज़हबी ने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक अल उल अल अलि युल अज़ीम है। उसमें उन्होंने 200 से अधिक अतीत के उलमा के कथन नक़ल किए हैं जिससे अल्लाह तआला की पृथकता साबित होती है। उसकी एक मिसाल मुतीअ बल्ख़ी के इस बयान में मिल जाती है कि उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा से मालूम किया कि उस व्यक्ति के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं जो यह कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह तआला आसमानों पर है या ज़मीन पर। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने कुफ्र किया क्योंकि क़ुरआन पाक में है : "और उसका अर्श सातों आसमानों से ऊपर है।" (सूरह ताहा) तब उस (बल्ख़ी) ने कहा कि अगर वह यह कहे कि मुझे मालूम नहीं कि अर्शे इलाही आसमानों पर है या ज़मीन पर। अबू हनीफ़ा ने फ़रमाया कि उसने कुफ्र किया क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि वह आसमानों से ऊपर है। तो जो व्यक्ति उसका इंकार करता है वह कुफ्र करता है। (अक़ीदतुत्तहाविया) यद्यपि आज बहुत से मुसलमान जो फ़िक़्ह हनफ़ी के अनुयायी होने का दावा करते हैं उनका भी यह अक़ीदा है कि अल्लाह तआला हर जगह मौजूद है। इस मसलक के पहले दौर के मुसलमान ऐसा अक़ीदा नहीं रखते थे। वह घटना जिसमें इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द अबू यूसुफ़ ने एक व्यक्ति बशर[1] मरीसी को नसीहत की कि वह तौबा करे क्योंकि उसने इसका इंकार किया था कि अल्लाह तआला अर्श पर है। उस दौर और उसके बाद के दौर की किताबों में इसका ज़िक्र मौजूद है।

---

1. बशर मृत्यु 833 ईसवी बग़दादी मोतज़िला का बड़ा विद्वान था।

सारांश

अतः विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि इस्लाम और उसके बुनियादी अक़ीदे के मुताबिक़ :

1. अल्लाह तआला अपनी स्रष्टि से बिल्कुल अलग है।

2. वह न स्रष्टि के घेराव में है और न स्रष्टि किसी भी तरह से उससे उच्च है।

3. अल्लाह तआला हर चीज़ से उच्च व श्रेष्ठ है।

इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक़ यह अल्लाह की वास्तविक धारणा है। यह बड़ी सादा, पक्की धारणा है और इसमें किसी ऐसे विचार या अक़ीदे की गुंजाइश नहीं हैं जो स्रष्टि की पूजा की राह हमवार करे। बहरहाल इससे यह इंकार लाज़िम नहीं आता कि अल्लाह तआला की विशेषताएं उसकी स्रष्टि का घेराव किए हुए हैं। उसकी नज़र से कोई चीज़ पोशीदा नहीं, जिस तरह टेक्नॉलोजी और साइंस की प्रगति के दौर में एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर दुनिया में घटने वाली घटनाओं से बाख़बर रहता है और उनका मुशाहिदा (टी.वी. आदि के ज़रिए) करता है। इसी तरह अल्लाह तआला कायनात में पेश आने वाली हर बात को बिना किसी वास्ते या वसीले के मुशाहिदा करता है। वह न वहां होता है न उनमें होता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० का कथन है कि यह सारी कायनात, सातों ज़मीन व आसमान, उनमें जो कुछ भी है, उनके तत्वों व अंग अल्लाह के हाथ में ऐसे हैं जैसे तुम्हारे हाथ में राई का दाना (अक़ीदतुत्तहाविया) और जिस तरह टी.वी. की ईजाद को टेक्नॉलोजी के कंट्रोल की बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है। अल्लाह तआला कायनात के हर कण पर अपनी क़ुदरत कामिला से कंट्रोल करता है यद्यपि वह वहां मौजूद नहीं होता है लेकिन उसकी क़ुदरत और उसका हुक्म बिना किसी रुकावट के काम करता है। असल में यह नज़रिया कि अल्लाह स्रष्टि के अंदर रहता

है। तौहीद असमा व सिफ़ात के तहत शिर्क है क्योंकि उसमें अल्लाह की विशेषताएं स्रष्टि से जोड़ दी जाती हैं। और इंसान की कुछ कमज़ोरियां स्रष्टा से जोड़ दी जाती हैं यह इंसान की आदत है कि वह घटित होने वाली घटनाओं को देखने समझने और सुनने के लिए वहां मौजूद होता है जबकि अल्लाह की क़ुदरत और ज्ञान बड़ा व अविभाजित है। इंसान के तमाम एहसासात पर अल्लाह का कंट्रोल होता है बल्कि उसके दिल में जो विचार आते हैं अल्लाह उनसे भी अवगत होता है। इन आयाते क़ुरआनी की रौशनी में अल्लाह की समीपता के बारे में समझा जा सकता है। जैसे :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ (ق : ١٦)

"निःसन्देह हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि उसके जी में क्या वसवसे (विचार) उठते हैं और हम उसकी गर्दन की रग से भी क़रीब हैं।" (सूरह क़ाफ़, 16)

अल्लाह तआला का यह भी इरशाद है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَإِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ (الانفال – ٢٤)

"मोमिनो! जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं तो तुम (उनकी पुकार का) जवाब दिया करो यह तुम्हारे लिए हयात बख़्श है। याद रखो अल्लाह तआला इंसान और उसके दिल के बीच है और तुम्हें (आख़िरकार) उसी के सामने हाज़िर होना है।" (सूरह अनफ़ाल, 24)

लेकिन आयात से कदापि यह तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि अल्लाह तआला आदमी की शह रग के क़रीब बैठा हुआ है या वह उसके सीने के अंदर बिराजमान है। इसका असल भावार्थ यह है कि अल्लाह तआला इंसान के बेहद क़रीब है उसकी हर बात हर अमल बल्कि उसके विचार व आभास जो उसके दिल में उभरते हैं उन्हें भी जानता है, कोई चीज़

उसकी क़ुदरत से अलग नहीं है, वह उन सब पर कंट्रोल करता है, उसकी क़ुदरत यह है कि वह इंसान की भावना व आभासों को बदल भी सकता है।

اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَايُعْلِنُوْنَ (البقره: ۷۷)

"क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तआला वह सब जानता है जो तुम छुपाते हो या प्रकट करते हो।" (सूरह बक़रा, 77)

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا. (آل عمران ۱۰۳)

"(वह समय) याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे अल्लाह तआला ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मुहब्बत पैदा की और उसकी रहमत से तुम लोग आपसी भाईचारा के बंधन में बंध गए।"

(सूरह आले इमरान, 103)

यह दुआ अधिकतर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़बान पर रहती थी।

يا مقلب القلوب ثبت قلبی علیٰ دینک.

ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख।

इसी तरह ये आयात :

مَايَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا. (المجادله:۷)

"जब तीन आदमी आपस में (एकान्त में) बैठकर बात करते हैं तो उनमें चौथा अल्लाह होता है और अगर पांच आदमी ऐसी खुफ़िया बातें कर रहे हों तो उनमें अल्लाह तआला छठा होता है। कमी व अधिकता के बिना वह बहरहाल उनके साथ रहता है वह जहां भी हों।"

(सूरह मुजादला, 7)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ. (المجادلة: ۷)

"क्या तुम नहीं जानते कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है अल्लाह तआला उससे परिचित है।" (सूरह मुजादला, 7)

ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

"क़यामत के दिन उन्हें उनके कर्मों की हक़ीक़त से अवगत किया जाएगा। अल्लाह तआला को हर चीज़ का पता है।" इस तरह अल्लाह अपने ज्ञान और क़ुदरत के बारे में बता रहा है इससे यह मतलब नहीं लिया जाना चाहिए कि वह हर जगह और हर एक के साथ मौजूद है। अल्लाह तआला अपनी स्रष्टि से अलग उच्च और श्रेष्ठ है।

जहां तक इस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का संबंध है कि ज़मीन व आसमान में कहीं भी अल्लाह की ज़ात नहीं समा सकती वह सिर्फ़ सच्चे मोमिन का दिल ही उसका मक़ाम है। यह हदीस ज़ईफ़ है।

लेकिन अगर इसे उसके ज़ाहिरी मायनों के मुताबिक़ लिया जाए तब भी कोई सूझ बूझ रखने वाला इंसान यह नहीं मान सकता कि अल्लाह इंसान के अंदर रहता है। अगर अल्लाह मोमिन के दिल में मुक़ीम है और मोमिन आसमान व ज़मीन के बीच (ज़मीन पर) रहता है तो मानो अल्लाह तआला भी अर्श व फ़र्श के बीच क़याम करता है। मिसाल के तौर पर अगर "अलिफ़" "बे" (बा) के अंदर है और ब "जीम" के अंदर है तो लाज़मी तौर पर "अलिफ़" भी जीम के अंदर (पेट में) होगा।

अतः अल्लाह तआला के दीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षाओं व सुन्नत की हक़ीक़ी ताबीर व व्याख्या के मुताबिक़ अल्लाह तआला कायनात और स्रष्टि से उच्च और श्रेष्ठ है इस अंदाज़ और तरीक़े से जो उसकी महानता व महिमा के योग्य है। वह किसी भी तरह से स्रष्टि में विलीन किए हुए नहीं है और न स्रष्टि इसमें विलीन हो सकती है लेकिन उसका असीमित ज्ञान, दयालुता और कायनात के हर कण का बिना किसी रुकावट या रोक के घेराव किए हुए है।

अध्याय : 9

अल्लाह का दीदार

ज़ाते बारी (अल्लाह तआला की आकृति)

जैसा कि पहले बयान किया गया कि इंसान का दिमाग़ सीमित है जबकि अल्लाह तआला की ज़ात असीमित है। इंसान अल्लाह के बारे में सिर्फ़ इतना ही जान सकता और समझ सकता है जितना अल्लाह तआला ने अपने बारे में (क़ुरआन अज़ीम में) बताया है। इसी में अल्लाह की ज़ात व गुणों का ज़िक्र है। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग़ में अल्लाह की आकृति बनाना चाहे तो वह सीधी राह से भटक जाएगा क्योंकि अल्लाह तआला इंसान की धारणा से बिल्कुल भिन्न और अलग है। इंसान अपनी सोच व कल्पना की तमाम ताक़तें और तरीक़े काम में लाकर भी ज़ात बारी की आकृति की कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान अपने ज़ेहन में अल्लाह तआला की जो आकृति बनाएगा वह किसी न किसी पहलू से इंसानी शक्ल या इंसानी और अन्य किसी स्रष्टि की तस्वीर के समन्वय से बनाई जाएगी। ऐसी स्रष्टि जो उसने देखी है या कहानियों में सुनी है काल्पनिक और फ़र्ज़ी तस्वीर जिसे वह ख़ुदा की शक्ल क़रार देगा मात्र अल्लाह की किसी स्रष्टि के जैसी होगी और उसकी विशेषताएं और उस फ़र्ज़ी तस्वीर या बुत से मंसूब कर दी जाएंगी। मतलब यह कि भावुकता के तौर पर इंसान के लिए यह संभव है कि वह अल्लाह तआला की कुछ विशेषताओं को समझने की कोशिश करे। क्योंकि अल्लाह तआला ने क़ुरआन अज़ीम में अपनी विशेषताओं को बयान किया है। जैसे : क़ादिर अर्थात कोई चीज़ इस कायनात में ऐसी नहीं है जो अल्लाह की क़ुदरत (कंट्रोल) से बाहर हो। या रहमान अर्थात अल्लाह की तमाम स्रष्टि बिना

यह देखे कि वह उसकी हक़दार है या नहीं। अल्लाह तआला उस पर रहमत फ़रमाता है। इन गुणों को समझने के लिए उसे अपने ज़ेहन में अल्लाह तआला की सूरतगरी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी तो यही एक सूरत है जिसके द्वारा इंसान अल्लाह के बारे में कुछ समझ सकता है. अल्लाह की ज़ात व विशेषताओं के बारे में ज़ेहनी उलझाव के कारण ही प्राचीन यूनान व रूम के मसीही हज़रत यसूअ मसीह अलैहिस्सलाम की असली शिक्षाओं से भटक गए। जब उन लोगों ने ईसाइयत क़ुबूल की तो कलीसाओं में खुदा की तस्वीर लटका दी जिनमें ऐसे एक यूरोपीय मज़हबी व्यक्ति की सूरत में दिखाया गया था जिसके लम्बे बाल और लम्बी सफ़ेद दाढ़ी थी।

फ़लस्तीन के प्रारंभिक दौर के मसीही यहूदी पृष्ठभूमि लेकर आए थे दीने मूसवी में स्रष्टा की किसी तरह की तस्वीरकशी मना है। लेकिन यूरोपियन क़ौमों का अतीत का सरमाया वह मूर्तियां और मुजस्समे थे जिनको वह देवता क़रार देकर पूजा करते थे। हज़ारों साल से यही उनका मज़हब और अक़ीदा था कि वह इंसानी शक्ल में देवताओं और देवियों की मूरतें बनाकर पूजते थे, फिर तौरात में की गई हेर फेर से उन्हें और भी हौसला मिला क्योंकि अब यही उनके मज़हबी पथ प्रदर्शन का ज़रिया थी।

तौरात के पहले अध्याय पैदाइश (Genesis) में यहूदियों ने कायनात की पैदाइश के बारे में लिखा :

और खुदा ने कहा कि मैं अपनी सूरत पर इंसान की उत्पत्ति कर दूंगा जो मेरी जैसी शक्ल पर होगा। तो खुदा ने इंसान को अपनी आकृति के मुताबिक़ पैदा किया। उसने इंसान को खुदा की शक्ल पर पैदा किया।

(1 : 26-27)

तौरात की इन आयात और अन्य इसी क़िस्म की इबारतों से यूरोप के प्रारंभिक दौर के ईसाइयों ने यह नतीजा निकाला कि तौरात अर्थात

उनके मज़हबी सहीफ़े में इंसान को ख़ुदा की आकृति पर बनाया गया है और चूंकि वह सदियों से अपने उपास्यों के मुजस्समे इंसानी शक्ल के मुताबिक़ बनाकर पूजा करते थे। तौरात की इबारत ने नहीं उस पर आमादा किया कि वह ख़ुदा की सूरतगरी भी इंसानी शक्ल में करें। अतः उन्होंने पूरी अक़ीदत मंदी से अत्यधिक दौलत ख़र्च करके इंसानी शक्ल के मुजस्समे और मुरक़्क़े बनाए और उन्हें ख़ुदा (उपास्य) क़रार दिया।

ख़ुदा को इंसानी शक्ल में पेश करने की रिवायत बहुत पुरानी और आम है। जब इंसान का सातवें आसमान से सम्पर्क टूट गया जिनमें यह शिक्षा दी गई है कि अल्लाह तआला किसी भी चीज़ के जैसा नहीं है वहीं इंसान गुमराही का शिकार हुआ और उसने स्रष्टि को उपास्य बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी और अपने इस अक़ीदे के तहत उसने इंसानी शक्ल में ख़ुदा की सूरतगरी और चित्रकारी की। क्योंकि ज़मीन पर इंसान ही सबसे बेहतर और श्रेष्ठ स्रष्टि था। मिसाल के तौर पर चीन में चों (CHON) ख़ानदान (402 ई० - 1027 ईसा पूर्व) के शासन के दौरान एक निराकार देवता टाइन (समावात) की पूजा की जाती थी उसे इंसानी शक्ल देकर उसका नाम यू होंग (Yu-Hoang) रखा गया था अर्थात महान शहंशाह शासकों का शासक और न्याय के दिन का हाकिम। (डिक्शनरी ऑफ़ रिलीजेन्स)

क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने स्पष्टता से यह बताया है कि हम जो भी कल्पना करें अल्लाह तआला इससे भिन्न है कोई चीज़ भी उसके जैसी नही है :

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○ (الشوریٰ:١١)

"काई भी चीज़ अल्लाह के जैसी नहीं है और वह सुनने और देखने वाला है।" (सूरह शूरा, 11)

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

"कोई ऐसा नहीं जो उसके समान या उस जैसा हो।"

यह बताने के बाद वह अपनी स्रष्टि के जैसा नहीं है अल्लाह तआला मज़ीद फ़रमाता है कि यह आंख उसे देख नहीं सकती :

لَايُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ. (الانعام-١٠٣)

"कोई आंख उसका मुशाहिदा नहीं कर सकती लेकिन वह हर आंख पर नज़र रखता है।" (सूरह अनआम, 103)

इस आयते करीमा से स्पष्ट हो जाता है कि इंसान अल्लाह तआला का दीदार नहीं कर सकता उसे और स्पष्ट करने के लिए अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में हज़रत मूसा की एक घटना के ज़रिए मिसाल पेश की है :

وَلَمَّا جَاءَ مُوسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِىْ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّاءَ وَخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ (الاعراف: ١٤٣)

"और जब मूसा निर्धारित मक़ाम पर पहुंचे और अल्लाह ने उससे बात की तो मूसा ने कहा, पालनहार मैं तुझे देखना चाहता हूं। (अल्लाह ने कहा) तुम मुझे नहीं देख सकते लेकिन उस पहाड़ की तरफ़ देखो अगर यह अपनी जगह क़ायम रहा तो तुम मुझे देख सकते हो। फिर जब अल्लाह तआला ने पहाड़ पर तजल्ली की तो वह चूरा चूरा हो गया और मूसा बेहोश होकर गिर गए। जब मूसा को होश आया तो उन्होंने कहा, पालनहार तू पाक और श्रेष्ठ है मैं तेरे सामने तौबा करता हूं और मैं पहला मोमिन हूं।" (सूरह आराफ़, 143)

मूसा अलैहि० ने सोचा कि वह अल्लाह तआला को देख सकते हैं क्योंकि पालनहार ने उस दौर के तमाम इंसानों में से उन्हें अपना पैग़म्बर बनाया था लेकिन अल्लाह तआला ने यह बात स्पष्ट कर दी कि वह या कोई और उसे नहीं देख सकता, कोई भी व्यक्ति कायनात के स्रष्टा की

महानता के जलवों की ताब नहीं ला सकता है। उसकी ज़ात का मुशाहिदा करने की ताक़त भला किस में हो सकती है। जब पहाड़ चूरा चूरा हो गया तब हज़रत मूसा अलैहि० को अपनी ग़लती का आभास हुआ और उन्होंने अल्लाह के सामने तौबा की कि एक ऐसी बात कही जिसका पूरा होना संभव न था।

क्या हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) दीदारे इलाही से मुशर्रफ़ हुए?

कुछ मुसलमानों का विचार है कि मेराज की रात अल्लाह तआला ने हज़रत रसूले अकरम सल्ल० के लिए ख़ास आयोजन किया और सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे जहां फ़रिश्तों की भी पहुंच नहीं होती। लेकिन जब एक ताबई हज़रत मसरूक़ ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि० से मालूम किया कि क्या हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह तआला का दीदार किया था? तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस व्यक्ति ने तुमसे यह कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अल्लाह का दीदार किया उसने झूठ बोला। (मुस्लिम) और जब हज़रत अबूज़र ने हुज़ूर अकरम सल्ल० से मालूम किया कि क्या उन्होंने अल्लाह तआला को देखा तो आप सल्ल० ने फ़रमाया, वहां केवल नूर (प्रकाश) था, मैं कैसे देखता। (मुस्लिम) एक और अवसर पर हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने नूर के बारे में स्पष्टीकरण करते हुए फ़रमाया कि यह स्वयं अल्लाह तआला की ज़ात नहीं थी। आपने फ़रमाया, निःसन्देह अल्लाह तआला सोता नहीं है और न यह उसकी शान के योग्य है, वही तराज़ू के पल्ले को बुलन्द और हल्का करता है। बन्दों के रात के कर्म दिन के कर्मों से पहले उसके सामने पेश किए जाते हैं, इसी तरह दिन के कर्म रात के कर्मों से पहले पेश किए जाते हैं और उसकी मर्ज़ी सब पर भारी है। (हज़रत अबू मूसा अशअरी की रिवायत से मुस्लिम ने नक़ल किया)

अतः यह बात विश्वास से कही जा सकती है कि पूर्व नबियों की तरह हज़रत रसूले अकरम सल्ल० भी ज़िंदगी में अल्लाह तआला के दीदार से मुशर्रफ़ नहीं हुए। इसी बुनियाद पर कुछ लोगों का यह दावा कि उन्होंने अल्लाह तआला का दीदार किया है असत्य क़रार दिया है। जब अल्लाह तआला के रसूल जिन्हें उसने अपने पैग़म्बर के पद पर सुशोभित किया वह दीदारे इलाही से मुशर्रफ़ नहीं हो सके तो फिर कोई दूसरा चाहे कितना ही मुत्तक़ी व भला हो अल्लाह तआला का दीदार कैसे कर सकता है। जो कोई इस क़िस्म का दावा करता है वह बिदअत और गुनाह का काम करता है क्योंकि सामान्य तौर पर वह यह दावा करता है कि उसका दर्जा रसूलों से भी ऊंचा है।

शैतान अल्लाह तआला का रूप धारता है

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ सूफ़िया जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने अल्लाह को देखा उन्होंने कुछ न कुछ देखा ज़रूर। वह दावा करते हैं कि उन्होंने नूर के बाले देखे और उनमें कुछ रहस्मय वजूद भी देखे। इस क़िस्म के सूफ़िया जो दीदारे इलाही का दावा करते हैं वह उस काल्पनिक सपने के बाद दीन के अर्कान की अदाएगी छोड़ देते है। इससे साफ़ स्पष्ट होता है कि उन्हें शैतान ने बहकाया है। जो लोग यह कहते हैं कि हमने अल्लाह को देखा है तो वे नमाज़ छोड़ देते हैं और दलील देते हैं कि अब रूहानी तौर पर उनका मर्तबा स्रष्टि से ऊंचा है इसलिए वह उन अर्कान के पाबन्द नहीं जो आम मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं। अतएव वह नमाज़, रोज़े की भी सख़्ती से पाबन्दी नहीं करते। शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी (1077-1166 ई०) जो सिलसिला क़ादरिया के संस्थापक माने जाते हैं उन्होंने अपना एक अनुभव बयान किया। उस अनुभव से इन दोनों बातों पर रौशनी पड़ती है कि लोग दीदारे इलाही से मुशर्रफ़ होते हैं और दीन के अर्कान छोड़ देते हैं। शैख़ ने बताया कि एक दिन वह उपासना में लीन थे अचानक एक बहुत बड़ा तख़्त बरामद हुआ जो रौशनी के घेरे में था।

फिर एक गूंजदार आवाज़ सुनाई दी, ऐ अब्दुल क़ादिर मैं तुम्हारा पालनहार हूं। मैंने तुम्हारे लिए वे तमाम बातें हलाल कर दीं जो दूसरों के लिए हराम हैं। शैख़ जीलानी ने पूछा, क्या तुम अल्लाह वहदहू ला शरीक हो? जब उसकी तरफ़ से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के दुश्मन! दूर हो जा, इस पर वह रौशनी ग़ायब हो गई और अंधेरा छा गया। तब उस आवाज़ ने कहा, अब्दुल क़ादिर तुमने अपने ज्ञान और दीनी सूझ बूझ के ज़रिए मुझे शिकस्त दे दी और मेरी तदबीर को नाकाम कर दिया। मैं इसी तरीक़े से सत्तर ज़ाहिदों को गुमराह कर चुका हूं। कुछ लोगों ने शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी से पूछा कि आपने यह कैसे पहचाना कि वह शैतान है? शैख़ ने फ़रमाया : जब उसने कहा कि अल्लाह ने हर चीज़ जो दूसरों पर हराम है तुम्हारे लिए हलाल कर दी है तो मुझे एहसास हुआ कि अहकाम शरीअत जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाज़िल किए गए उनमें किसी क़िस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती, न उन्हें निरस्त किया जा सकता है और यह भी कि उसने कहा, मैं तुम्हारा पालनहार हूं लेकिन जब मैंने उसकी पुष्टि चाही तो वह ख़ामोश हो गया। (अत्तवस्सुल वल वसीला इमाम इब्ने तैमिया)

इसी तरह अतीत में कुछ लोग यह दावा करते थे कि उन्होंने रोइया (सुबह सवेरे का सपना) में काबा का तवाफ़ किया। और कुछ यह कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ा तख़्त देखा जिस पर एक नूरानी वजूद बैठा था। बहुत से लोग उस तख़्त के गिर्द जमा हैं उनका विचार यह होता है कि यह फ़रिश्ते हैं और उस तख़्त पर बैठा हुआ अल्लाह है यद्यपि हक़ीक़त में वह शैतान और उसके चेले होते हैं। (इब्ने तैमिया अत्तवस्सुल वल वसीला)

आख़िरकार इस क़िस्म के दावों को कि किसी बुज़ुर्ग ने सोते में या जागते में अल्लाह का दीदार किया मात्र शैतान का वसवसा ही क़रार दिया जा सकता है जोकि उसका मनोवैज्ञानिक और भावुक हमला भी है। इस कैफ़ियत में शैतान रौशनी के बाले के साथ प्रकट होता है और अपने

आपको पालनहार बताता है। जो लोग तौहीद के मतलब से पूरी तरह परिचित नहीं हैं वे इस ग़लतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं कि उन्होंने पालनहार का दीदार किया है और इस तरह गुमराही का शिकार हो जाते हैं।

सूरह नज्म के मायना

कुछ लोग इस दावे के सुबूत में कि हुज़ूर अकरम सल्ल० दीदारे इलाही से मुशर्रफ़ हुए। सूरह नज्म की यह आयात पेश करते हैं :

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰی ۝ ثُمَّ دَنٰی فَتَدَلّٰی ۝ فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی ۝
فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَآ اَوْحٰی ۝ مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰی ۝ اَفَتُمٰرُوْنَہٗ عَلٰی مَا یَرٰی ۝
وَلَقَدْ رَاٰہُ نَزْلَۃً اُخْرٰی ۝ عِنْدَ سِدْرَۃِ الْمُنْتَھٰی ۝

"जब वह आसमान पर था तब वह क़रीब आया और उतरा। फिर दोनों के बीच एक कमान के दो हिस्सों के बराबर या उससे भी कम फ़ासला था, फिर उसने अपने बन्दे को वह्य की जो भी वह्य की। जो कुछ उसने देखा उसके दिल ने उसे झुठलाया नहीं, क्या तुम उससे इस बारे में हुज्जत करोगे जो कुछ उसने देखा और निःसन्देह उसने उसे दोबारा भी देखा सिदरतुल मुंतहा के नज़दीक।" ये लोग इसे बतौर दलील पेश करते हैं कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने अल्लाह को देखा लेकिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि० ने मसरूक़ को बताया कि उम्मत में सबसे पहले मैंने इस बारे में हज़रत रसूले अकरम सल्ल० से मालूम किया तो आपने फ़रमाया वह जिबरील अलैहि० थे। मैंने केवल उन्हीं को दो बार उनकी असली शक्ल में देखा है। मैंने उन्हें आसमानों से उतरते देखा उनकी शारीरिक स्थिति का यह हाल था कि ज़मीन व आसमान के बीच जो कुछ था वह सब भर गया था। उसके बाद आइशा रज़ि० ने उन (मसरूक़) से कहा, क्या तुमने क़ुरआन अज़ीम की आयत नहीं पढ़ी : 'ला युदरिकुहुल अबसारु व हु-व युदरिकुल अबसार' और क्या तुमने ये आयतें नहीं पढ़ीं :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ
اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَايَشَاءُ۔(الشوریٰ: ۵۱)

"अल्लाह तआला किसी इंसान से केवल इसी तरह बात करता है कि उस पर वह्य नाज़िल करे या हिजाब के पीछे से बात करे या फ़रिश्ता भेज कर वह्य करे।" (सूरह शूरा, 51)

अतः सूरह नज्म की उन आयात से और स्वयं हज़रत रसूले अकरम सल्ल० के इरशाद से यह साबित है कि आपने अल्लाह को नहीं जिबरील को देखा था। तो इन आयात से यह ग़लत बात निकालना सही नहीं है।

अल्लाह का दीदार न होने के पीछे क्या रहस्य है?

अगर हम इस दुनिया में अल्लाह तआला का दीदार कर सकते तो इसमें बहुत सी आज़माइशें पेश आतीं। इस समय सिर्फ़ यह आज़माइश है कि हम अल्लाह तआला के वजूद पर बिना देखे यक़ीन करें और ईमान लाएं अगर अल्लाह का दीदार इस दुनिया में होता तो हर व्यक्ति उस पर और जो कुछ उसके रसूलों ने शिक्षा दी उस पर ईमान लाता। इस तरह इंसान फ़रिश्तों की तरह हो जाता जबकि अल्लाह ने इंसान को फ़रिश्तों से भी बुलन्द बनाया। उनका ईमान बिना किसी आज़माइश के था। इंसान का कुफ़्र के मुक़ाबले ईमान को इख़्तियार करना एक ऐसी सूरत में है जहां अल्लाह तआला के वजूद पर सवाल उठाया जाता है। तो अल्लाह तआला ने स्वयं को सृष्टि की नज़रों से पोशीदा रखा है और क़यामत के दिन तक ऐसा ही रहेगा।

आख़िरत में दीदारे इलाही

क़ुरआन अज़ीम में अनेक आयात हैं जिनसे मालूम होता है कि आख़िरत में बन्दे अल्लाह तआला का दीदार करेंगे। हश्र के दिन की कुछ घटनाओं का ज़िक्र करते हुए अल्लाह तआला फ़रमाता है :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○ (القيامه: ٢٣-٢٢)

"उस दिन कुछ चेहरे दमक रहे होंगे और अपने पालनहार को देख रहे होंगे।" (सूरह क़ियामह, 22-23)

हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने उसको और स्पष्टीकरण के साथ बयान फ़रमाया जब कुछ सहाबा ने पूछा, क्या हम हश्र में अल्लाह तआला का दीदार करेंगे तो आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया, जब तुम पूरे चांद को देखते हो तो क्या तुम्हारी रोशनी को हानि पहुंचती है। सहाबा ने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : निःसन्देह अल्लाह तआला को इसी तरह देखोगे। एक और अवसर पर आपने फ़रमाया : निश्चय ही जिस दिन तुम अल्लाह से मिलोगे तुम उसे साफ़ साफ़ देखोगे तुम्हारे और अल्लाह के बीच न कोई हिजाब (पर्दा) होगा न माध्यम। (बुख़ारी) हज़रत इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि एक बार हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :

हश्र का दिन वह पहला दिन होगा जब इंसान पहली बार अल्लाह को देखेगा। अल्लाह तआला का दीदार जन्नत वालों के लिए एक ख़ास अल्लाह की दयालुता होगी और दीदारे इलाही उन तमाम नेमतों से बढ़कर होगा जो अल्लाह तआला ने जन्नत में मोमिनीन व भले लोगों के लिए उपलब्ध की हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

لَهُمْ مَايَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ○ (ق: ٣٥)

"(जन्नत में) जो कुछ वे तलब करेंगे वह उन्हें मिलेगा और हमारे पास उससे भी ज़्यादा है।" (सूरह क़ाफ़, 35) हज़रत अली इब्ने अबी तालिब और हज़रत अनस रज़ि० का कहना है कि यहां 'व लदैना मज़ीदुन' से तात्पर्य यह है कि अहले जन्नत अल्लाह तआला के दीदार से भी मुशर्रफ़ होंगे। (तबरी) हज़रत सुहैब रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने यह आयत तिलावत की और फ़रमाया :

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ. (يونس: ٢٦)

"जो लोग सद कर्म करते हैं उनके लिए बड़ा सवाब है और कुछ इससे भी ज़्यादा है।" (सूरह यूनुस, 26)

जब जन्नती, जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में दाख़िल हो चुके होंगे तो एक नक़ीब पुकारेगा, ऐ अहले जन्नत अल्लाह तआला तुमसे एक वायदा पूरा करना चाहता है। वे पूछेंगे, कौन सा वायदा? उसने हमारे चेहरे रौशन किए हमें हमारे सद कर्मों का बदला दिया, जन्नत में पहुंचाया, हममें से कुछ को जहन्नम से भी आज़ाद किया और अब कौन सा वायदा पूरा होना बाक़ी है। इस पर पर्दा हटा दिया जाएगा और वे अल्लाह तआला को देखेंगे। जन्नत की कोई नेमत भी उनके लिए दीदारे इलाही से ज़्यादा मरग़ूब व दिलपसन्द नहीं होगी। और यही वह नेमत है जिसे और ज़्यादा की संज्ञा दी गई है। (तिर्मिज़ी)

पहले यह आयत पेश की गई थी कि :

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ. (الانعام: ١٠٣)

"कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती जबकि अल्लाह की निगाह सब पर है।" (सूरह अनआम, 104)

इससे तात्पर्य यह है कि इस सांसारिक जीवन में कोई व्यक्ति अल्लाह को नहीं देख सकता। लेकिन आख़िरत में यह अल्लाह के पूर्ण वजूद को देखने को नकारता है। जन्नती अल्लाह तआला का आंशिक दीदार ही करेंगे क्योंकि आख़िरत में भी इंसान की आंख की रोशनी सीमित ही होगी और वह अल्लाह को जो अन्तहीन, असीमित, सबका स्रष्टा और सबसे उच्च व श्रेष्ठ है अपनी सीमित आंख से उसके मुकम्मल वजूद का मुशाहिदा नहीं कर सकेंगे। काफ़िरों को अल्लाह के दीदार का गौरव ही हासिल नहीं होगा और यह उनके लिए एक और बदनसीबी और घाटे की बात होगी। अल्लाह तआला का इरशाद है : "उस दिन वे लोग पालनहार के दीदार से महरूम रहेंगे।" (सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, 15)

दीदारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

यह भी एक ऐसा विषय है जो मुसलमानों के बीच किसी हद्द तक बहस व मतभेद का शीर्षक बना हुआ है। कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने (सपने में) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत की और ख़ास पथ प्रदर्शन से माला माल हुए। कुछ कहते हैं कि उन्होंने सपने की हालत में ज़ियारत की जबकि कुछ जागने की हालत में दीदार करने का दावा करते हैं और दोनों की तरफ़ ही अवाम रुजूअ होते हैं। ऐसे लोग विभिन्न बिदआत शुरू करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर उन्हें मंसूब कर देते हैं। इन दावों की बुनियाद पर हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० की रिवायत है कि क़तादा और जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : जिसने मुझे सपने में देखा उसने मुझी को देखा क्योंकि इब्लीस मेरी शक्ल इख़्तियार नहीं कर सकता। (बुख़ारी) निःसन्देह यह हदीस सही है और इसके मायना से भी किसी को मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन उसके मायना में कुछ सूत्र हैं जो विचार योग्य हैं :

1. इस हदीस से साबित होता है कि शैतान विभिन्न शक्लों में सपने में आ सकता है और लोगों को बहका सकता है।
2. शैतान किसी भी हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शक्ल इख़्तियार नहीं कर सकता।
3. इस हदीस से यह भी साबित होता है कि सपने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत की जा सकती है।

हुज़ूर अकरम सल्ल० ने यह बात अपने सहाबा से फ़रमाई जो आपके दीदार से मुशर्रफ़ होते रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शक्ल व सूरत को भली प्रकार पहचानते थे। अतः अगर सपने में ज़ात पाक नबवी सल्ल० की ज़ियारत से उन्हें मालामाल किया गया और शैतान क्योंकि नबवी सल्ल० की शक्ल इख़्तियार नहीं कर सकता।

इसलिए वह सच्चा सपना है। लेकिन वे लोग जो दीदारे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहीं कर सके और यह भी सही है कि शैतान विभिन्न शक्लें इख़्तियार करके इंसानों के सपनों में आकर बहकाता है। इसलिए शैतान सपने में आकर उनको बहका सकता है कि वह रसूले ख़ुदा है और चूंकि वह व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शक्ल पाक से परिचित नहीं, अतः वह भ्रम का शिकार हो सकता है। फिर शैतान इस सपनों में मस्त व्यक्ति को बिदआत की तल्क़ीन करेगा। उसे शुभ सूचना देगा कि वह मेहदी मुंतज़िर है या ईसा मसीह है जो क़यामत के निकट प्रकट होगा, ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने सपनों की बुनियाद पर धर्म में बिदआत शुरू कीं या इस क़िस्म के दावे किए और लोग उनकी तरफ़ आकर्षित हुए क्योंकि उन्हें इस हदीस के सही नतीजों का अंदाज़ा नहीं होता। यह शरीअत का फ़ैसला है कि दीन मुकम्मल हो चुका है। तो अब अगर कोई यह दावा करता है कि उसने सपने में हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की ज़ियारत की और आप सल्ल० ने कुछ नई बातें तालीम फ़रमाईं तो वह झूठ बोलता है। इस क़िस्म के दावों से दो बातें सामने आती हैं : (1) यह कि हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी पवित्र जीवनी में दीन का काम पूरा नहीं किया। (2) यह कि (नऊज़ुबिल्लाह) अल्लाह तआला उम्मत के भविष्य के हालात से परिचित नहीं था। इसलिए उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पवित्र जीवनी में ज़रूरी आदेश जारी नहीं किए। इन दोनों बातों से इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद का इन्कार लाज़िम आता है।

जहां तक रसूलुल्लाह सल्ल० को जागने की हालत में देखने का सवाल है ऐसा मुशाहिदा उपरोक्त हदीस की सीमाओं से बाहर है। इसलिए विश्वसनीय नहीं समझा जाएगा क्योंकि हदीस के हिसाब से यह असंभावना में से है और उसे शैतानी मुशाहिदा कहा जा सकता है चाहे उसके नतीजे कुछ भी हों। मेराज की रात जब हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने

योरोशलम का सफ़र किया तो अल्लाह तआला ने पूर्व नबियों से आपकी मुलाक़ात कराई और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे बात भी की। जो लोग इस क़िस्म का दावा (जागने की हालत में आपका दीदार) करते हैं वे अपने आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समान पहुंचाना चाहते हैं।

इस्लामी अक़ीदे के तहत इस क़िस्म का कोई दावा कदापि क़ाबिले क़ुबूल नहीं हो सकता। अहादीस से भी साबित है कि नबी सल्ल० ने इसकी मनाही फ़रमाई है। हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया कि जिसने कोई ऐसी बात दीन में ईजाद की जो हमसे साबित नहीं वह मर्दूद (अधर्मी) है। (बुख़ारी)

अध्याय : 10

औलिया की पूजा

अल्लाह की कृपा व दया

यह इंसानी प्रकृति की विशेषता है कि वह किसी व्यक्ति को दूसरों पर वरीयता देता है, वह उस व्यक्ति से बड़ी अक़ीदत रखता है और उसके नक़्शे क़दम पर चलने की कोशिश करता है बजाए उसके कि वह अपनी बाबत स्वयं सोचे और फ़ैसला करे, वह उस व्यक्ति पर निर्भर करने लगता है। इसका कारण यह है कि अल्लाह तआला ने कुछ इंसानों को कुछ पर श्रेष्ठता प्रदान की है। यह श्रेष्ठता विभिन्न प्रकार की होती है। मर्द को औरत पर वरीयता हासिल है।

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ.

(النساء: ٣٤)

"इस श्रेष्ठता के हिसाब से जो अल्लाह ने कुछ पर प्रदान की है मर्द औरतों के संरक्षक हैं।" (सूरह निसा, 34) "और मर्द को औरतों पर एक दर्जा श्रेष्ठता हासिल है।" (सूरह बक़रा, 228) और कुछ लोगों को भौतिक दृष्टि से दूसरों पर श्रेष्ठता दी गई है :

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ. (النحل:٧١)

"और आजीविका के मामले में अल्लाह ने तुममें से कुछ को कुछ पर श्रेष्ठता प्रदान की है।" (सूरह नहल, 71)

अल्लाह की हिदायत के तहत क़बाइल बनी इसराईल को बनी आदम पर वरीयता दी गई।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ (البقره: ٤٧)

"ऐ बनी इसराईल मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें प्रदान कीं और तुम्हें सारी दुनिया वालों पर श्रेष्ठता प्रदान की।"

(सूरह बक़रा, 47)

अंबिया को रिसालत के ज़रिए अन्य इंसानों पर श्रेष्ठता प्रदान की गई और अंबिया में भी कुछ को कुछ पर श्रेष्ठता प्रदान हुई :

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ. (البقره:٢٥٣)

"यह अंबिया हैं हमने इनमें कुछ को कुछ पर वरीयता दी।"

अल्लाह तआला ने हमें बताया कि हम ऐसी चीज़ों की तमन्ना न करें जिसके द्वारा अल्लाह ने कुछ को कुछ पर वरीयता प्रदान की है :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ. (النساء: ٣٢)

"ऐसी चीज़ों की तमन्ना मत करो जिसके ज़रिए अल्लाह ने तुममें से कुछ को कुछ पर वरीयता प्रदान की है।" (सूरह निसा, 32)

क्योंकि श्रेष्ठताएं एक तरह की आज़माइश होती हैं जिसके तहत उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां भी आ जाती हैं। इंसान यह श्रेष्ठताएं अपनी कोशिशों से हासिल नहीं करता। इसलिए इस पर घमंड करना बेजा है। इन श्रेष्ठताओं पर अल्लाह हमें सवाब नहीं देगा बल्कि उनके बारे में अल्लाह के दरबार में हिसाब पेश करना होगा कि हमने उन क्षमताओं का क्या इस्तेमाल किया। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिदायत फ़रमाई : अपने से नीचे व्यक्ति को देखो, अपने से श्रेष्ठ को मत देखो। इस तरह तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर सकोगे और उन नेमतों के इन्कारी नहीं होगे। (बुख़ारी)

हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से किसी दूसरे पर वरीयता हासिल है और उसे अपनी उस वरीयता और योग्यता के लिए अल्लाह तआला के सामने जवाबदेही करनी है। हज़रत रसूले अकरम सल्ल० का इरशाद है कि तुममें से हर व्यक्ति ज़िम्मेदार है और उसे अपने निकटतम

लोगों की बाबत अपनी ज़िम्मेदारियों का हिसाब देना होगा। यह ज़िम्मेदारियां ही उस आज़माइश की बुनियाद हैं। अगर हम उन योग्यताओं और श्रेष्ठताओं का सही इस्तेमाल करें और अल्लाह के शुक्रगुज़ार बन्दे बनें तो हम कामयाब हैं वरना नाकामी हमारा मुक़द्दर है। अल्लाह की सबसे बड़ी आज़माइश यह है कि उसने इंसान को सर्वश्रेष्ठ स्रष्टि बनाया। इसी श्रेष्ठता के सबब अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वह आदम को सज्दा करें। इंसान पर यह ज़िम्मेदारी दो क़िस्म की है :

1. यह कि वह अल्लाह का दीन इस्लाम क़ुबूल करे और उसका आज्ञा पालन करे।

2. यह भी एक सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह के दीन को हर तरफ़ फैलाया जाए। अतः अल्लाह के नज़दीक मोमिन का मक़ाम बहुत बुलन्द है क्योंकि वह अल्लाह की तरफ़ से प्रदान की गई ज़िम्मेदारियों को पूरा करता है। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

كُنتُم خَيرَ اُمَّةٍ اُخرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُوْنَ

بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللهِ. (آل عمران:١١٠)

"लोगों के बीच तुम सबसे बेहतर उम्मत (क़ौम) हो, तुम नेकियों की नसीहत करते हो बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो।"

(सूरह आले इमरान, 110)

उन अहले ईमान में भी कुछ को कुछ पर श्रेष्ठता है। यह श्रेष्ठता उन्हें अपने कर्मों के ज़रिए हासिल होती है। यह श्रेष्ठता ईमान की पुख़्तगी और गहराई के कारण होती है। ईमान की यही पुख़्तगी उसे हर उस चीज़ से दूर रखती है जो अल्लाह तआला को नापसन्द है, अरबी में उसे तक़वा कहते हैं। इसका मतलब अल्लाह का भय, पारसाई और अल्लाह तआला और शरीअत के बारे में संवेदनशील होना है। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

إِنَّ اَكْرَمَكُم عِندَ اللهِ اَتْقٰكُمْ. (الحجرات: ١٣)

"तुममें से जो ज़्यादा मुत्तक़ी हैं तो वह अल्लाह के निकट ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं।" (सूरह हुजुरात, 13)

यहां अल्लाह तआला ने स्पष्ट कर दिया कि उसके निकट इज़्ज़त व इकराम का पैमाना मोमिन का तक़वा है। यह तक़वा अर्थात अल्लाह का भय ही है जो इंसान को दूसरों से उच्च करके हैवान नातिक़ से ख़िलाफ़त के दर्जे तक पहुंचाता है। तक़वा अर्थात इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह के भय की भावना में अतिश्योक्ति नहीं करना चाहिए। अल्लाह तआला ने क़ुरआन अज़ीम में तक़वा और उसके स्रोत का 26 जगह ज़िक्र किया है और हर जगह यही बताया है कि दीन की असल रूह तक़वा में ही है। इसके बिना तमाम विश्वास अर्कान व उपासना आदि मात्र आत्महीन कर्म द्योतक हैं। अतः एक मोमिन की ज़िंदगी के सारे कामों में तक़वा को हर चीज़ पर बरतरी हासिल है। हुज़ूर अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि किसी औरत से शादी चार बातों की बुनियाद पर की जाती है : उसकी दौलत, उसके ख़ानदान, उसके हुस्न और उसकी दीनदारी को देखकर। औरत की दीनदारी को देखकर रिश्ता करो कामयाब रहोगे। (बुख़ारी) कोई औरत कितनी ही हसीन, उच्च परिवार और मालदार घर की हो मगर एक ग़रीब, बदसूरत, कमज़ात लेकिन दीनदार औरत से उसका दर्जा कमतर होगा। इसी तरह अगर एक मुत्तक़ी व्यक्ति किसी औरत से शादी का इच्छुक है तो उस औरत के संरक्षकों को यह रिश्ता क़ुबूल कर लेना चाहिए वरना अल्लाह की ज़मीन पर फ़साद फैलेगा। (बुख़ारी)

हज़रत अबूज़र ने एक बार हज़रत बिलाल रज़ि० को काली औरत का बेटा कहा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें डांटा और फ़रमाया : देखो तुममें से किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, सिवाए इसके कि वह उससे ज़्यादा मुत्तक़ी हो। (अहमद) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस बात को बार बार दोहराया। हज्जतुल विदाअ में भी जो वफ़ात से कुछ

समय पहले आपने अदा किया, ख़ुतबे में नस्ली उच्चता की भावना को निरस्त करते हुए तक़वे की श्रेष्ठता पर ज़ोर दिया। अल्लाह तआला के निकट सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी व्यक्ति ही सम्मान का हक़दार है और तक़वे का मक़ाम दिल है। लोग एक दूसरे को उनके बाहरी कामों की बुनियाद पर समझने और जानने की कोशिश करते हैं यद्यपि यह गुमराहकुन भी हो सकता है। निम्न आयात में अल्लाह तआला ने इसे स्पष्ट कर दिया है :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَافِيْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ٥(البقرہ:٢٠٤)

"इस दुनियावी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातें तुम्हें मोहित कर देती हैं और जो कुछ उसके दिल में है उस पर वह अल्लाह को गवाह बनाता है यद्यपि वह सबसे बुरा व्यक्ति है।"

(सूरह बक़रा, 204)

अतः किसी व्यक्ति के लिए यह जाइज़ नहीं कि वह किसी व्यक्ति या लोगों के भय व तक़वा के बारे में एक संभावित हद से ज़्यादा बात करे। हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने कुछ सहाबा को उनकी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत से सुशोभित फ़रमाया। (उन अशरा मुबश्शरा में हज़रत अबू बक्र, उमर, उसमान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साअद बिन अबी वक़्क़ास, सईद बिन ज़ियाद, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, अबू उबैदा बिन जर्राह शामिल हैं। अल अक़ीदतुत्तहाविया) लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह बशारत वह्य की बुनियाद पर दी थी अपने आप उनके दिलों का अंदाज़ा करके नहीं दी। जैसे जब आपने बैअते रिज़वान के अवसर पर फ़रमाया कि जिस व्यक्ति ने उस पेड़ के नीचे बैअत की है वह जहन्नम में दाख़िल नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस आयत क़ुरआनी की टीका फ़रमा रहे थे कि :

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. (الفتح: ١٨)

"जिन लोगों ने इस पेड़ के नीचे तुम्हारे हाथ पर बैअत की अल्लाह तआला उनसे राज़ी हुआ।" (सूरह फ़तह, 18)

इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ उन लोगों के बारे में जिनकी बाबत यह ख़्याल किया जाता था कि वे जन्नतियों में से हैं फ़रमाया कि वह जहन्नमियों में से हैं। ये तमाम बातें वह्य पर आधारित थीं। इब्ने अब्बास रज़ि० ने बयान किया कि उन्हें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने बताया कि जंगे ख़ैबर के दौरान कुछ सहाबा किराम हुज़ूर अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुए और कहने लगे, फ़लां फ़लां व्यक्ति शहीदों में से हैं। जब उन्होंने एक और व्यक्ति के बारे में यही बात कही तो हुज़ूरे अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, कदापि नहीं। मैंने उसे जहन्नम की आग में वह क़बा पहने हुए देखा है जो उसने माले ग़नीमत में बेइमानी करके हासिल की थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः इब्ने ख़त्ताब जाओ और ऐलान कर दो कि केवल मोमिन ही जन्नत में जाएंगे। (मुस्लिम) क़दीम ईसाई रिवायात में कुछ ऐसे रूहानी कमालात वाले थे। उनसे चमत्कार मंसूब करके उन्हें सेंट (वली) के दर्जे पर पदासीन किया जाता था। पूर्व मसीह दौर में हिन्दू और बुद्ध रिवायतों में भी यह मिलता है कि अध्यापक (आचार्य) को जो रूहानी प्रगति हासिल कर लेते थे गुरू और अवतार आदि के लक़ब दिए जाते थे। उनसे अलौकिक करिश्मे भी मंसूब किए जाते थे और रूहानी हिसाब से वे सबसे उच्च समझे जाते थे। अक़ीदत की उन भावनाओं के तहत अवाम या तो उनसे बरकत हासिल करते या फिर (अवतार के तौर पर) उनकी पूजा करते थे। इस तरह यह सन्त लोगों के उपास्य बन गए। इसके विपरीत इस्लाम स्वयं पैग़म्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की प्रशंसा में भी अतिश्योक्ति की मनाही करता है। आप सल्ल० ने फ़रमाया : मेरी निस्बत ऐसी अतिश्योक्ति न करो जैसी कि ईसाई मसीह इब्ने मरयम के बारे में करते हैं। मैं अल्लाह का बन्दा हूं तो यह कहो अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल। (बुख़ारी)

वली या सेंट

अरबी शब्द वली का अनुवाद सेंट किया गया है। (वली का बहुवचन औलिया है) यह वे लोग हैं जो अपने तक़वा और सद कर्मों के कारण अल्लाह की समीपता हासिल कर लेते हैं लेकिन वली का बेहतर अनुवाद क़रीबी दोस्त है क्योंकि वली के शाब्दिक मायना साथी के हैं। अल्लाह तआला ने निम्न आयत में अपने लिए भी यह शब्द इस्तेमाल किया है :

اَللّٰہُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا یُخْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَی النُّوْرِ. (البقرة: ۲۵۷)

"अल्लाह तआला उनका दोस्त है जो ईमान लाए वह उन्हें अंधेरे से रौशनी की तरह लाता है।" (सूरह बक़रा, 257)

एक आयत में अल्लाह तआला ने शैतान के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया है :

وَمَنْ یَّتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِیْنًا ۝

(النساء: ۱۱۹)

"जिसने अल्लाह के बजाए शैतान को अपना दोस्त (वली) बनाया वह अत्यन्त नुक़सान में रहा।" (सूरह निसा, 119)

इस शब्द के मायना क़रीबी रिश्तेदार के भी होते हैं :

وَلَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّہٖ سُلْطٰنًا فَلاَ یُسْرِفْ فِّی الْقَتْلِ. (الاسرا: ۳۳)

"जो भी ग़लत तौर पर क़त्ल किया गया हमने उसके वली को इख़्तियार वाला किया लेकिन क़िसास में हद से मत गुज़रो।"

(सूरह इसरा, 33)

क़ुरआन अज़ीम में उसे दो आदमियों के बीच क़रीब के मायना में भी बयान किया गया है :

لاَ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْکٰفِرِیْنَ اَوْلِیَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ. (ال عمران: ۲۸)

"ईमान वालों को अल्लाह के बजाए कुफ़्फ़ार को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए।" (आले इमरान, 28)

लेकिन हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसके मुताबिक़ औलिया अल्लाह की परिभाषा इस्तेमाल की है जिसके मायना अल्लाह के दोस्त के हैं। क़ुरआन अज़ीम में अल्लाह तआला ने मानव जाति में से कुछ लोगों को जिन्हें वह ख़ास कर अपने क़रीब समझ इस उपाधि का नाम दिया है। सूरह अनफ़ाल में अल्लाह तआला फ़रमाता है :

إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

''निःसन्देह अल्लाह के औलिया (दोस्त) केवल मुत्तक़ी लोग ही हैं लेकिन अधिकांश लोग उसे नहीं जानते।'' और रसूल यूनुस में है :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○ (يونس: ٦٢-٦٣)

''सुनो! अल्लाह के दोस्तों (औलिया अल्लाह) को कोई भय या दुख नहीं होगा। यह वे लोग हैं जो ईमान लाए और तक़वा इख़्तियार किया।''

(सूरह यूनुस, 62-63)

अल्लाह तआला ने हमें बता दिया कि विलायत का मैयार ईमान और तक़वा है और मोमिनों में यह सिफ़ात पाई जाती हैं। जाहिलों में विलायत उस व्यक्ति से मंसूब की जाती है जो साहिबे करामात हो। यह शब्द रसूलों के चमत्कार से अलग है। जो लोग इन बातों को मानते हैं उनके नज़दीक दीन और चमत्कारों का कोई महत्व नहीं होता। उनमें से कुछ जिन्हें सेंट कहा जाता है वह बिदआत पर अमल करते थे, दीन के अर्कान को भी छोड़ देते थे और कुछ तो अनैतिक और अनुचित कामों के करने वाले भी होते थे। लेकिन अल्लाह तआला ने चमत्कार या करामात को विलायत की पनाह या शर्त नहीं बताया। अतः जैसा कि पहले बयान किया गया वे तमाम मोमिनीन जो ईमान और तक़वा वाले हैं अल्लाह के वली हैं और अल्लाह उनका वली है।

अल्लाह का इरशाद है जो लोग ईमान वाले हैं अल्लाह तआला

उनका संरक्षक है। अतः मुसलमानों के लिए जाइज़ नहीं है कि वे कुछ लोगों को औलिया अल्लाह कहें और कुछ को ऐसा न कहें। इस्लाम की इस स्पष्ट शिक्षा के बावजूद सूफ़िया के वहां औलिया का एक मुस्तक़िल दर्जा बन्दी (हाई आरकी) बना दी गई है और जाहिल अवाम आंखें बन्द करके उस पर यक़ीन करते हैं। सूफ़ीवाद की इस तर्तीब के मुताबिक़ अख़यार की संख्या 300 है, अबदाल की संख्या 40 है, 7 अबरार हैं, 4 अवतार और 3 नुक़बा हैं। क़ुतब जो अपने समय का सबसे बड़ा सन्त समझा जाता है इस सूची में ग़ौस का नाम सबसे ऊपर होता है। सबसे बड़ा वली जिसके बारे में कुछ हल्क़ों में यह अक़ीदा पाया जाता है कि वह बन्दे के कुछ गुनाह अपने ऊपर ले लेता है। सूफ़िया के अक़ीदे के मुताबिक़ तीन सबसे बड़े औलिया अदृश्य रूप से मक्का मुअज़्ज़मा में नमाज़ों के समयों में मौजूद होते हैं। जब ग़ौस मरता है तो क़ुतब उसकी जगह लेता है और फिर दर्जा बदर्जा तरक़्क़ी होती है। अर्थात हर वली दूसरे बड़े दर्जे पर पदासीन हो जाता है। (इंसाइकिलोपीडिया ऑफ़ इस्लाम) सूफ़ीवाद में यह लोक कथाई व्यवस्था ईसाइयत से ली गई है। तस्बीह पर ज़िक्र व विर्द अदा करना ईसाइयों की रोज़री (Rosary) की नक़ल है और मीलाद की महफ़िलें क्रिस्मस (मीलाद मसीह) से ली गई हैं।

फ़ना–इंसान का ज़ाते बारी से समन्वय

अगर हम तथा कथित सूफ़िया के हालात का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो उसमें हल्लाज जैसे लोग भी मिलेंगे जिसने ख़ुदाई का दावा किया और अनल हक़ का नारा लगाया उसे सरे आम फांसी पर चढ़ा दिया गया। अल्लाह ने पहले ही फ़रमाया :

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى (الحج: ٦)

"अल्लाह तआला ही हक़ है वही मुर्दों को ज़िंदा करता है।"

(सूरह हज्ज, 6)

इस मजनूं को इस क़िस्म का दावा करने की प्रेरणा कहां से मिली यह असल में उसका वह अक़ीदा था जो इंसान के पूर्ण अंजाम के बारे में है और जो बुद्ध मत के अक़ीदा, नरवान[1] से मिलता जुलता है बुद्ध मत की एक शाख़ के अक़ीदे के मुताबिक़ उससे तात्पर्य अहं का ख़त्म हो जाना और इंसानी रूह और सूझ बूझ का समाप्त हो जाना है। इसी नज़रिये से सूफ़ीवाद का वह फ़लसफ़ा वजूद में आया जिसे इंसान का ज़ाते ख़ुदावंदी से समन्वय कहते हैं। अर्थात इंसानी ज़िंदगी की इंतिहा का ज़ाते बारी में विलीन हो जाना है।

सूफ़ीवाद की बुनियाद यूनानी फ़लसफ़ा से पड़ी, इसमें अफ़्लातून के संवादों को भी दख़ल है जिसमें आध्यात्मिक प्रगति के विभिन्न दर्जे बयान किए गए हैं जो सख़्त मुजाहिदे से तै किए जाते हैं। उन सुलूक व मक़ामात से गुज़रकर ही इंसान की रूह अल्लाह के मिलाप से सरफ़राज़ होती है। हिन्दू धर्म में उसकी समानान्तर धारणा है आत्मा और ब्रहमा, आत्मा (इंसानी रूह) ब्रहमा (सर्वथा ज़ात) से समन्वय। यही रूह की आख़िरी मंज़िल है और यहां पहुंचकर वह बार बार पैदा होने के सिलसिले (आवागमन) से आज़ाद हो जाती है। (कोलन इंसाइकिलोपीडिया) यूनानी सूफ़ीवाद के नज़रियात को ईसाइयों की बातिनी तहरीक के दौर में बढ़ावा मिला जो वेलेंटाइनस (Velentinus) (140 ई० मृत्यु) की तरह दूसरी सदी मसीही में प्रगति को पहुंची। यह नज़रियात तीसरी सदी ईसवी में अफ़्लातूनियत के समन्वय के बाद नई सोच से अवगत हुए जो मिस्री नस्ल से रूमी फ़लासफ़र बतलिमूस (250-270 ई०) ने पेश किए थे,

1. संस्कृत का शब्द है इसके मायना हैं हवा हो जाना। अर्थात तमाम इंसानी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और मुक्ति हासिल होती है, यद्यपि यह परिभाषा वेदान्त भागवत गीता और वेद से ली गई है लेकिन बुद्ध धर्म में इसका ज़िक्र ज़्यादा होता है। बुद्ध धर्म के एक सम्प्रदाय हीनयान के मुताबिक़ इस परिभाषा का मतलब मृत्यु है जबकि दूसरे सम्प्रदाय महायान का नज़रिया यह है कि यह रूहानी आनन्द की एक कैफ़ियत का नाम है। (डिक्शनरी ऑफ़ फ़लासफ़ी एण्ड रिलीजन, डब्ल्यू. एल)

जिससे एक नए मज़हबी आधुनिक फ़लसफ़ा अफ़्लातूनियस का आरंभ हुआ। तीसरी सदी मसीही के राहिबों ने जो सन्यासी थे दीन मसीही में सन्यासवाद की बुनियाद डाली और मिस्र के मरुस्थलों में जा बसे। उन्होंने ख़ुदा से मिलाप के लिए सूफ़ीवाद को इख़्तियार किया जो उस दौर में आधुनिक अफ़्लातूनी फ़लसफ़े ने पेश किया था। यह मंज़िल चिल्लों सन्यास साधना और नफ़्स मारने के द्वारा हासिल की जा सकती थी। यद्यपि सन्त या कोमीटिस (329-246 ई०) ने सबसे पहले ईसाई ख़ानक़ाहें बनाईं। उसने मिस्र के मरुस्थल में 9 ख़ानक़ाहें क़ायम कीं। लेकिन नो रसया का सैन्ट बैंडकट (481-547 ई०) जिसने इटली के मान्टे का सीनो में बेंडकट के उसूल बनाए। इसे पश्चिमी ईसवी ख़ानक़ाहों का असल संस्थापक माना जाता है। सूफ़ीवाद की परम्परा ने ईसाई मज़हब में सन्यासवाद को ज़िंदा रखा और जब आठवीं सदी ईसवी में इस्लाम ने मिस्र व शाम को फ़तह किया और उन देशों के बड़े शहर मुसलमानों के अधीन आ गए जो सन्यासवाद के महत्वपूर्ण केन्द्र थे तो यह व्यवस्था मुसलमानों में भी आ गई।[1] कुछ ऐसे मुसलमान जो उससे सन्तुष्ट नहीं थे जो शरीअत इस्लामिया ने उन्हें प्रदान किया था उन्होंने शरीअत के समानान्तर एक नई व्यवस्था बनाई और उसे तरीक़त का नाम दिया।

---

1. सूफ़ीवाद पर रिसाले लिखने वाले कुछ लेखकों ने सूफ़ीवाद के नज़रिये फ़ना का बुद्ध धर्म के नरवान से तुलना की है लेकिन कुछ पर्यवेक्षकों के निकट यह तुलना ग़लत है क्योंकि नरवान में ख़ुदा की कोई धारणा नहीं है बल्कि आवागमन का अक़ीदा है जिससे नरवान के ज़रिए निजात मिलती है। सूफ़िया के मसलक में आवागमन की कोई धारणा नहीं है। (कि एक रूह जिस्म की मौत के बाद दूसरे जिस्म में प्रकट होती हैं) वहां एक सर्वशक्तिमान अल्लाह की धारणा हर चीज़ पर भारी है। सूफ़ीवाद ने नाश के नज़रिये को ईसाइयत से साभार लिया है। इस धारणा के तहत इंसानी इरादा और इच्छाओं को ख़ुदा की मर्ज़ी व मंशा के आगे समाप्त कर देना है। यही वह नज़रिया है जिस पर ईसाई सूफ़ीवाद की बुनियाद है। (मुख़्तसर इंसाइकिलोपीडिया ऑफ़ इस्लाम)

जिस तरह एक हिन्दू का अक़ीदा है कि उसे आख़िरकार सर्वकालिक आत्मा से मिल जाना है और ईसाई अपनी मंज़िल अल्लाह से मिलाप क़रार देते हैं। मुस्लिम सूफ़िया ने उसके मुक़ाबले में फ़ना की धारणा इख़्तियार की। कुछ के नज़दीक अहं को ख़त्म करना और ज़िंदगी में ही अल्लाह के मिलाप से रूह इंसानी का सरफ़राज़ होना। यह मंज़िल पाने के लिए विभिन्न सुलूक व मक़ामात से गुज़रना पड़ता है सूफ़ीवाद की परिभाषा में उन्हें मक़ामात और हालात कहते हैं। सूफ़ीवाद के किसी सिलसिले में दाख़िल होने वाले व्यक्ति को प्रारंभिक रूप से कुछ आध्यात्मिक साधनाओं के मराहिल से गुज़रना होता है तब ही उसे मिलाप मिल सकता है। उन साधनाओं में से एक ज़िक्र है जिसमें सूफ़ी सर और जिस्म की हरकात के साथ निरंतर अल्लाह के नाम और गुण का अलाप करता है। इस साधना में नाच भी शामिल है जैसा कि झूमने वाले दुर्वेश (Whirling) होते हैं जो तल्लीनता व हाल की कैफ़ियत तारी करके ज़िक्र करते हैं। इन तमाम साधनाओं को भिन्न भिन्न रिवायतों के हवाले से हज़रत रसूले अकरम सल्ल० से मंसूब किया जाता है ताकि उनका जवाज़ साबित किया जा सके लेकिन सही अहादीस के किसी संग्रह से उसकी पुष्टि नहीं होती। फिर सूफ़ीवाद में विभिन्न सिलसिले क़ायम हो गए जिन्हें उनके संस्थापकों के नाम से जाना गया, जैसे क़ादरिया, चिश्तिया, नक़्शबन्दिया और यतजानी आदि। यह भी ईसाइयों के राहिबों के सिलसिलों को देखकर क़ायम किए गए थे। सूफ़ीवाद के उन संस्थापकों से करामात व कश्फ़ मंसूब किए गए। सिलसिले के संस्थापकों और अन्य प्रमुख अरकान के बारे में भी ऐसी ही तिलिस्माती कहानियां गढ़ ली गईं। जिस तरह हिन्दू और ईसाई जोगी और राहिब अपने मुरीदों और चेलों के लिए अलग ख़ानक़ाहें और मठ बनाते थे इसी तरह सूफ़ियों ने भी अपने सिलसिले से जुड़े लोगों के लिए ज़वा या ज़ाविये (अर्थात गोशे या ख़ानक़ाहें बना लीं)।

समय गुज़रने के साथ सूफ़ीवाद के अक़ीदे अल्लाह से मिलाप के नाम पर शिर्क व बिदआत पर आधारित अनेक मत वजूद में आ गए जैसे सूफ़ीवाद के लगभग तमाम सिलसिले इस अक़ीदे वाले हैं कि मक़ाम विसाल (वस्ल) हासिल होने पर अल्लाह तआला का दीदार संभव है लेकिन जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि० ने हज़रत रसूले अकरम सल्ल० से मालूम किया कि क्या मेराज की रात उन्होंने अल्लाह तआला का दीदार किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इंकार किया। (सही मुस्लिम) हज़रत मूसा अलैहि० की घटना से भी साबित है कि वह स्वयं या कोई भी दूसरा अल्लाह तआला के दीदार को सहन नहीं कर सकता। जब अल्लाह ने पहाड़ पर आंशिक जलवा (प्रकाश) किया तो पहाड़ चूरा चूरा हो गया। (अल आराफ़) कुछ तथाकथित सूफ़ी यह दावा करते हैं कि जब विसाल (मिलाप) की मंज़िल मिल जाती है तो फिर शरीअत के खुले अर्कान जैसे पांचों समय की नमाज़ की पाबन्दी ख़त्म हो जाती है। उन सूफ़िया की भारी अधिसंख्या यह दावा करती है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० या सूफ़ी मुर्शिद के वसीले और वास्ते से अल्लाह से दुआ की जा सकती है। कुछ अपने मुर्शिद के मज़ारों का तवाफ़ करते हैं नज़राने और क़ुरबानिंयां पेश करते हैं और इस क़िस्म के अरकान बजा लाते हैं जो उपासना के खाने में आते हैं। मिस्र में आज भी ज़ैनब और सय्यद अलबदावी के मज़ारों के गिर्द तवाफ़ किया जाता है। सूडान में मुहम्मद अहमद (मेहदी) की क़ब्र के गिर्द तवाफ़ किया जाता है। हिन्द व पाकिस्तान में भी असंख्य दरगाहों पर यही सब कुछ होता है।

सूफ़ीवाद में शरीअत को एक ज़ाहिरी तरीक़ा क़रार दिया जाता है जो अपरिचित लोगों के लिए है जबकि तरीक़त वह बातिनी मत है जो चुनिन्दा और रौशन ज़मीर लोगों के लिए ख़ास है। क़ुरआन अज़ीम की ऐसी अनुमानित टीका भी लिखी गईं जिनमें सूफ़ीवाद की बातों का जवाज़ साबित करने के लिए आयात क़ुरआनी के मायना व भावार्थ में हेर फेर

की गई। फ़लसफ़ा यूनान के नज़रियात के विषयों को अहादीस में शामिल करके ऐसा लिट्रेचर तैयार किया गया जो सही इस्लामी अक़ाइद व नज़रियात से टकराता था फिर जन सामान्य में फैलाया गया और उनको सही अक़ीदे से गुमराह किया गया। सूफ़ीवाद के अधिकांश सिलसिलों में मज़ामीर (संगीत) को जाइज़ ठहराया गया और तथाकथित ऊंचे मक़ामात तै करने के लिए जिसकी तलब हर सूफ़ी को होती है मादक पदार्थों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया। बाद के सूफ़िया की नस्लें उस पैतृक अक़ीदे के तहत उभरीं कि इस ज़िंदगी में अल्लाह तआला का दीदार किया जा सकता है। पूर्व सूफ़िया जैसे शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी आदि जिनसे सूफ़ीवाद के सिलसिले मंसूब हैं स्रष्टा व स्रष्टि के बीच फ़र्क़ को समझते थे और उसके महत्व से भी पूरी तरह अवगत थे कि (स्रष्टा व स्रष्टि) दोनों को एक जगह नहीं किया जा सकता एक अन्तहीन व असीमित है जबकि दूसरा समाप्त होने वाला व सीमित है।

इंसान का अल्लाह तआला से मिलाप होना

अल्लाह तआला से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। अतः अक़्लमन्द वह है जो सद कर्म करता है। अल्लाह के नेक बन्दे अल्लाह को अलीम व बसीर मानते हैं और उसके लागू करदा कर्तव्यों की अदाएगी पाबन्दी से करते हैं अगर बे समझे बूझे उनसे कोई ग़लती हो जाए तो कफ़्फ़ारे के तौर पर अनेक अच्छे काम अंजाम देते हैं। यह नफ़ली उपासनाएं फ़राइज़ की हिफ़ाज़त करती हैं। जैसे : कमज़ोरी या ग़फ़लत के कारण कभी कभी एक व्यक्ति फ़राइज़ की अदाएगी में सुस्ती इख़्तियार कर जाता है। नफ़्ली अरकान और उपासना की अदाएगी में कभी कभी ग़फ़लत भी हो सकती है लेकिन फ़राइज़ की अदाएगी पाबन्दी से की जानी चाहिए। अगर उनके पास नफ़्ली उपासना की दौलत नहीं है और वह किसी दौर में रूहानी ग़फ़लत का शिकार हुए और ऐसी हालत में उनसे कुछ फ़राइज़ की अदाएगी में ग़फ़लत हो सकती है या छूट भी सकते हैं। तो जो व्यक्ति

नवाफ़िल की अदाएगी के द्वारा फ़राइज़ की सुरक्षा करता है तो शरीअत से क़रीब होता है जो अल्लाह की प्रसन्नता का रास्ता है। अल्लाह तआला ने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के द्वारा उम्मत को इस उसूल से अवगत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः (अल्लाह तआला फ़रमाता है) मेरा बन्दा उन फ़राइज़ के ज़रिए जो मैंने उस पर लागू किए हैं मेरे क़रीब आ सकता है। मेरे बन्दे नवाफ़िल की अदाएगी के ज़रिए भी मेरी समीपता हासिल करते रहेंगे यहां तक कि मैं उनसे प्रसन्न हो जाऊंगा और जब मैं अपने किसी बन्दे से मुहब्बत करता हूं तो मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वह सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वह देखता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वह पकड़ता है, उसके पांव बन जाता हूं जिनसे वह चलता है अगर वह मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे देता हूं अगर वह मुझसे पनाह का तालिब होता है तो मैं उसे पनाह देता हूं। (बुख़ारी)

अल्लाह का दोस्त वह होता है जो उन चीज़ों को देखता सुनता और उनकी तरफ़ जाता है जो अल्लाह तआला ने हलाल की हैं और ऐसी तमाम चीज़ों से बचता है जो हराम हैं या हराम की तरफ़ ले जाती हैं। यही वह सीधा रास्ता है जिसके लिए इंसान को अपनी ज़िंदगी समर्पित कर देनी चाहिए। इसी मंज़िल की प्राप्ति से इंसान दुनिया में अपने दोहरे किरदार अर्थात अल्लाह तआला का आज्ञा पालक बन्दा और ज़मीन पर उसके ख़लीफ़ा का कर्तव्य अंजाम दे सकता है लेकिन यह मक़ाम अहादीस में बयान किए गए तरीक़े पर अमल किए बिना हासिल नहीं हो सकता। एक यह कि फ़राइज़ की अदाएगी पाबन्दी से की जाए। दूसरे यह कि नवाफ़िल पाबन्दी से सुन्नत के मुताबिक़ अदा किए जाएं। इस बारे में अल्लाह तआला ने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़रिए बन्दों को नसीहत की :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ. (آل عمران:٣١)

"(ऐ नबी आप) कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत करते हो तो मेरा आज्ञा पालन करो अल्लाह तुम से मुहब्बत करेगा।"

(सूरह आले इमरान, 31)

अतः सुन्नते रसूल सल्ल० की पाबन्दी करके और तमाम बिदआत से मुंह मोड़ कर ही बन्दा अल्लाह तआला की प्रसन्नता हासिल कर सकता है। निम्न हदीस में जिसे नजीह ने रिवायत किया है। हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मेरी सुन्नत और मेरे खुल्फ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर क़ायम रहो और मज़बूती से पकड़ो और बिदआत से बचो वह गुमराही है। हर बिदअत गुमराही है और गुमराही जहन्नम के रास्ते पर ले जाती है। (अबू दाऊद) तो जो व्यक्ति इस उसूल पर अमल करेगा वह वही बात सुनेगा जो अल्लाह तआला उसे सुनाना चाहता है। अपने नेक बन्दों के बारे में अल्लाह फ़रमाता है :

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا (الفرقان:٦٣)

"और जब जाहिल लोग उनके मुंह आते हैं तो वे सलाम करके आगे बढ़ जाते हैं।" (सूरह फ़ुरक़ान, 63)

एक और मक़ाम पर अल्लाह फ़रमाता है :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ
اٰيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ
حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ. (نساء:١٤٠)

"अल्लाह तआला ने वह्य के ज़रिए तुम्हें बता दिया है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयात का इंकार किया जा रहा है या उपहास उड़ाया जा रहा है तो उनके साथ मत बैठो यहां तक कि वह किसी और विषय पर बात करें। अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम भी उनकी तरह हो जाओगे।" (सूरह निसा, 140) मोमिन वही बात सुनता है जिसे अल्लाह तआला उसे सुनाना चाहता है। इस तरह उपमा के तौर पर अल्लाह

मोमिन का कान बन जाता है, इसी तरह उसकी आंख, उसका हाथ और पांव बन जाता है। यह इस हदीस का सही भाव है जो पहले बयान की गई कि अल्लाह तआला मुत्तक़ी मोमिन का कान आंख हाथ और पांव बन जाता है। दुर्भाग्य से सूफ़िया ने इस हदीस की ग़लत ताबीर करके उसे अल्लाह से मिलाप क़रार दिया। अल्लाह तआला उन्हें हिदायत नसीब फ़रमाए। (आमीन)

रूहुल्लाह

इंसानी रूह के अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो जाने को भी आयते क़ुरआनी की ग़लत टीका करके पेश करने की कोशिश की गई है। निम्न आयत क़ुरआनी जिसमें अल्लाह फ़रमाता है : "फिर अल्लाह ने आदम को सही किया और अपनी रूह से उसमें फूंका।" (सूरह सज्दा, 9)

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي. (الحجر ور ص: ٢٩)

"जब मैंने उसे बनाया संवारा और उसमें अपनी रूह फूंकी।"

(सूरह हिज्र व सॉद, 29)

इन आयात को अपने इस नज़रिये के सुबूत के तौर पर पेश किया जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर रूहे खुदावंदी का अंश है। अर्थात अल्लाह तआला ने आदम में अपनी रूह फूंकी। अतः बनी आदम को विरासत में इस रूह का अंश हासिल होता है। उसमें हज़रत ईसा की मां का हवाला भी दिया जाता है जिनके बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا

مِنْ رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعٰلَمِينَ (الانبياء:٢١)

"वह पाक दामन (ख़ातून) थी तो हमने उसके अंदर अपनी रूह से फूंका और उसे और उसके बेटे को दुनिया के लिए निशानी बनाया।"

(सूरह अंबिया)

तो सूफ़िया यह कहते हैं कि इंसान के अंदर स्रष्टा की यह आंशिक

रूह अपने असल (स्रष्टा) से मिलाप होने के लिए बेताब रहती है जहां से यह आई थी। लेकिन यह ताबीर सही नहीं है। अंग्रेज़ी की तरह अरबी में भी ज़मीर इज़ाफ़ी (मेरा तुम्हारा) इस (मर्द) का इस (औरत) का (हमारा) भी द्विअर्थी होते हैं और यह उस इबारत के संदर्भ पर निर्भर होता है जिसमें वह इस्तेमाल किए गए हों। वह इस गुण या योग्यता को ज़ाहिर करते हैं जो संबंधित व्यक्ति की ज़ात का हिस्सा नहीं हैं। जैसे अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया :

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ. (طٰه: ٢٢)

"अपना हाथ अपनी अबा में रखो तो यह (बिना किसी ऐब के) चमकता हुआ निकलेगा।" (सूरह ताहा, 22)

हाथ और अबा दोनों का संबंध हज़रत मूसा से है। लेकिन उनके हाथ की एक विशेषता थी कि वह उनके जिस्म का हिस्सा था जबकि अबा (कुरता) एक ऐसी चीज़ थी जो उनके जिस्म का हिस्सा नहीं थी। ऐसा ही मामला अल्लाह तआला और उसकी स्रष्टि की विशेषताओं के बारे में है। जैसे रहमते खुदावंदी के बारे में इरशाद है :

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ. (البقرہ:١٠٥)

"अल्लाह तआला जिसको चाहता है अपनी ख़ास रहमत से नवाज़ता है।" (सूरह बक़रा, 105)

अल्लाह तआला की रहमत उसकी एक विशेषता है और उसकी उत्पत्ति का हिस्सा नहीं है। कभी कभी अल्लाह तआला अपनी स्रष्टि के लिए "उसकी" (अर्थात अल्लाह की) का शब्द इस्तेमाल करता है। उससे तात्पर्य यह होता है कि वह स्रष्टि का स्रष्टा है लेकिन कुछ दूसरों के बारे में भी वह यही शब्द इस्तेमाल करता है ताकि उनके लिए उसके यहां जो सम्मान है वह व्यक्त हो सके। जैसे उस ऊंटनी के क़िस्से में जो हज़रत सालेह की क़ौम समूद की तरफ़ भेजी गई थी अल्लाह तआला हज़रत सालेह के इस कथन को बयान करता है :

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ. (الاعراف:٧٣)

"यह अल्लाह तआला की ऊंटनी है जो उसने एक निशानी के तौर पर तुम्हारी तरफ़ भेजी है। तो उसे छोड़ दो ताकि यह अल्लाह की ज़मीन में चरती रहे।" (सूरह आराफ़, 73)

वह ऊंटनी एक चमत्कार के तौर पर क़ौम समूद में भेजी गई थी। समूद को यह हक़ नहीं था कि उसे किसी जगह चरने से रोकें क्योंकि तमाम ज़मीन अल्लाह की सम्पत्ति है।

इस तरह काबा के बारे में अल्लाह तआला ने हज़रत इबराहीम और इस्माईल अलैहि० से एक वचन लिया :

اَنْ طَهِّرَ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

"कि वे मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, ऐतिक़ाफ़ करने वालों और रुकूअ व सुजूद करने वालों के लिए पाक करें।" (सूरह बक़रा, 125)

और हश्र के दिन सदाचारियों से अल्लाह तआला फ़रमाएगा : "मेरी जन्नत में दाख़िल हो जाओ।"

जहां तक रूह का संबंध है तो यह अल्लाह की उत्पत्ति है। अल्लाह फ़रमाता है :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (الاسرا:٨٥)

"वे लोग रूह की बाबत आपसे सवाल करते हैं कह दीजिए रूह मेरे पालनहार के हुक्म से है और तुम्हें उसके बारे में बहुत कम ज्ञान प्रदान हुआ है।" (सूरह इसरा, 85 : 1)

एक दूसरी जगह अल्लाह तआला फ़रमाता है :

فَاِذَا قَضٰىٓ اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ. (آل عمران:٤٧)

"अल्लाह जब किसी काम की बाबत फ़ैसला करता है तो वह कहता है हो जा और वह काम हो जाता है।" (सूरह आले इमरान, 47)

उसने यह भी फ़रमाया : "अल्लाह तआला ने उसे (आदम को) मिट्टी से पैदा किया फिर कहा हो जा (वजूद में आ जा) और उसका वजूद हो गया।" (सूरह आले इमरान, 59)

सारी स्रष्टि के लिए अल्लाह तआला का हुक्म कुन (हो जा) है अतः रूह भी अल्लाह तआला के हुक्म से पैदा हुई। इस्लाम अल्लाह तआला को अभौतिक रूह के तौर पर नहीं मानता जैसा कि कुछ ईसाई सम्प्रदाय अक़ीदा रखते हैं। वह न साकार है और न बेशक्ल रूह है उसकी ज़ात (शक्ल) उसकी महिमा की शान के योग्य है जिसका उदाहरण न किसी इंसान ने देखा न वह उसकी कल्पना ही कर सकता है। उसका दीदार आख़िरत में (अपनी आंखों के मुताबिक़) अहले जन्नत को नसीब होगा। अतः जब अल्लाह तआला आदम और ईसा अलैहिस्सलाम में रूह फूंकने का ज़िक्र करता है तो उन रसूलों के गौरव को प्रकट करना अभिप्राय होता है। हज़रत आदम को इंसानों पर जो श्रेष्ठता है और हज़रत मरयम के पेट से बिना बाप की निस्बत से हज़रत ईसा की पैदाइश से संबंधित अविश्वास की कैफ़ियत को दूर करना था। रूह फूंकने के अमल को अल्लाह से निस्बत भी उसकी मर्ज़ी और श्रेष्ठतम इख़्तियार को प्रकट करता है यद्यपि रूह फूंकने और इंसानों के जिस्म से रूह निकालने का काम फ़रिश्ते अंजाम देते हैं। यह बात इस हदीस से भी स्पष्ट होती है जिसे हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि० ने रिवायत किया है कि हुज़ूरे अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : निःसन्देह मां के गर्भ में तुम्हारी उत्पत्ति का समन्वय चालीस दिन एक रौग़नी पदार्थ की सूरत में, फिर इतनी ही अवधि तक एक ठोस ख़ून की शक्ल में, फिर एक गोश्त के लोथड़े की तरह इतनी अवधि तक रहता है तब एक फ़रिश्ता भेजा जाता है जो उसमें रूह फूंकता है।

(बुख़ारी)

इस तरह अल्लाह तआला हर इंसान में रूह फूंकने का अमल करवाता है। यह काम फ़रिश्ते अंजाम देते हैं उसने "फूंका" से तात्पर्य

लेना कि अल्लाह ने फूंका सही बात नहीं है। असल उत्पत्ति के हर अमल में अल्लाह तआला मूल कारण होता है जैसा कि स्वयं उसने फ़रमाया :

وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُوْنَ (الصافات: ٩٦)

"अल्लाह ने तुमको पैदा किया और जो कुछ तुम करते हो।"

(सूरह साफ़्फ़ात, 96)

ग़ज़वा बदर शुरू होने से पहले हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने मुट्ठी भर मिट्टी दुश्मन की तरफ़ फेंकी जो सैकड़ों गज़ की दूरी पर मौजूद थे अल्लाह के हुक्म से वह मिट्टी दुश्मन के सिपाहियों की आंखों में पहुंची। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ رَمٰى. (الانفال. ١٧)

"जब तुमने वह मिट्टी (धूल) फेंकी तो वह तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी।" (सूरह अनफ़ाल, 17)

तो रूह फूंकने के अमल को अल्लाह तआला का अपनी ज़ात से निस्बत देना उन रूहों की श्रेष्ठता को प्रकट करता है जो उन्हें अन्य पैदा शुदा रूहों पर हासिल है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तआला की अपनी रूह है और उसमें से उसने हज़रत आदम और ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद में फूंकी। इस नुकते के और स्पष्टीकरण के लिए अल्लाह तआला उस फ़रिश्ते का ज़िक्र करता है जो हज़रत मरयम के पास उसकी रूह की बशारत देने गया था :

فَارْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا.

"तो हमने उस (मरयम) की तरफ़ अपनी रूह (फ़रिश्ते) को भेजा जो एक उचित इंसान की शक्ल में था।"

क़ुरआन अज़ीम एक सम्पूर्ण सहीफ़ा है उसकी आयात अपनी व्याख्या स्वयं करती हैं और अधिक ताबीर व टीका हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की अहादीस से होती है। जब किसी आयाते क़ुरआनी को उसके

संदर्भ से अलग करके देखा जाए तो उसके मायनों में हेर फेर की जा सकती है जैसे : सूरह माऊन की एक आयत 'फ़वैलुल्लिल मुसल्लीन' (बुराई है उन नमाज़ पढ़ने वालों पर)

प्रत्यक्ष में यह आयत क़ुरआन की पूर्ण शिक्षा से टकराती है क्योंकि नमाज़ (सलात) इस्लाम का बुनियादी स्तंभ है और क़ुरआन अज़ीम में उसे फ़र्ज़ क़रार दिया गया है। इरशाद है :

اِنَّنِیْ اَنَا اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکْرِیْ. (طٰہٰ: ١٤)

"निःसन्देह मैं अल्लाह हूं मेरे सिवा कोई उपास्य नहीं तो मेरी उपासना करो और मेरा ज़िक्र करने के लिए नमाज़ अदा करो।"

(सूरह ताहा, 11)

लेकिन सूरह माऊन की आयत में नमाज़ियों पर लानत की गई है मगर उसके बाद की आयत से उसके सही भावार्थ की बात सामने आती है : اَلَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ اَلَّذِیْنَ هُمْ یُرَاءُوْنَ وَیَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

"जो अपनी नमाज़ों में ग़फ़लत करते हैं और दिखावा करते हैं और दूसरों की थोड़ी सी मदद करने से भी इंकार कर देते हैं।" (सूरह माऊन)

अतः अल्लाह की लानत उन कपटियों पर है जो (नमाज़) दिखावा करते हैं तमाम नमाज़ियों पर नहीं है।

इस आयत कि अल्लाह तआला ने आदम को पैदा किया उसमें अपनी रूह में से फूंका का बेहतर अनुवाद यह होगा कि तब उसने उसे (आदम) पैदा किया और फिर अपनी आत्माओं में से एक को दाख़िल किया। सारांश यह है कि क़ुरआन अज़ीम में कहीं भी सूफ़ीवाद के इस अक़ीदे का ज़िक्र नहीं है कि बिना उत्पत्ति के रूह अपनी असल (ख़ुदा की ज़ात) से दोबारा मिलाप करने के लिए बेक़रार रहती है। इस्लाम में इंसान के हवाले से अरबी शब्द रूह (बहुवचन अर्वाह) और नफ़्स (बहुवचन नफ़्स) में कोई फ़र्क़ नहीं है, सिवाए उसके कि जब यह शरीर के साथ

होती है तो उसे सामान्यता नफ़्स कहते हैं। क़ुरआन अज़ीम में अल्लाह तआला फ़रमाता है :

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا.(الزمر: ۴۲)

"यह अल्लाह ही है जो मौत आने पर अनफ़ुस (आत्माओं) को निकालता है। और जिनकी मौत की घड़ी नहीं आती तो नींद में उनकी रूह क़ब्ज़ कर लेता है।" (सूरह ज़ुमर, 42) (अर्थात नींद भी मौत की एक शक्ल है) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि जब रूह निकाली जाती है तो आंखें उसे देखती हैं। (मुस्लिम)

नेक आत्माएं जन्नत में दाख़िल होंगी जैसा कि अल्लाह तआला ने अरवाह मुत्मइन्ना से फ़रमाया :

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ۝ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ۝(الفجر: ٢٧-٣٠)

"ऐ नेक रूह अपने पालनहार की तरफ़ लौट आ। तू भी ख़ुश और तेरा पालनहार भी तुझसे राज़ी, मेरे नेक बन्दों में शामिल हो जा और जन्नत में दाख़िल हो जा।"

तो अरवाह सालेहा (भली आत्माएं) आख़िरकार अल्लाह तआला की ज़ात में विलीन (फ़ना फ़िल्लाह) नहीं होंगी, न उससे मिलाप करेंगी बल्कि एक सीमित रूह एक सीमित शरीर में दोबारा दाख़िल होगी और जब तक अल्लाह चाहेगा जन्नत की नेमतों से लाभान्वित होती रहेगी।

अध्याय : 11

क़ब्रपरस्ती

इंसानी इतिहास के अधिकांश कालों में मुर्दों के कफ़न दफ़न की रस्मों में दिखावा, श्रंगार, साज सज्जा फिर उर्स और अन्य उत्सवों का आयोजन उनकी पूजा करना, नज़रें गुज़ारना, मन्नतें मानना आदि की वजह से दीन में भ्रान्तियां और भ्रम की कैफ़ियत पैदा होती है। इसकी वजह से नस्ल आदम का एक बड़ा हिस्सा क़ब्रपरस्ती का शिकार हो गया है। चीनी क़ौम जो दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनके मज़हब में पूर्वज परस्ती आम है। उनके अधिकांश मज़हबी अर्कान क़ब्र परस्ती और पूर्वजों के द्योतकों की पूजा पर आधारित होते हैं।[1]

हिन्दुओं, बौद्धों और ईसाइयों में साधू सन्तों की समाधियां और क़ब्रें ज़ियारतगाहें बन जाती हैं, वहां मेले लगाए जाते हैं, दुआएं मांगी जाती हैं, नज़रें चढ़ाई जाती हैं और यह सब बड़े पैमाने पर होता है। समय गुज़रने के साथ मुसलमानों ने भी इस्लाम की सही शिक्षाओं से मुंह मोड़कर मुश्रिकों की इन रस्मों को इख़्तियार कर लिया। सहाबी रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जैसे : अली इब्ने अबी तालिब चारों इमामों में इमाम

---

1. पूर्वज परस्ती (Pal Tsu) चीनी धर्मों, परम्पराओं और समाज का बड़ा महत्वपूर्ण और स्थाई तत्व हैं। उनके अक़ीदे के मुताबिक़ अरवाह (The Hun) और रूह असल (P.O.) अपनी ज़िन्दगी और प्रसन्नता के लिए अपनी औलाद व नस्ल के ध्यान और कृपा की मोहताज होती हैं जो नजूर (धुनी) खान पान व पेय आदि के ज़रिए उन्हें राहत पहुंचाते हैं। उसके बदले में यह आत्माएं अपने अलौकिक शक्ति के राब्ते के ज़रिए अपने ख़ानदान वालों को फ़ायदे पहुंचाने के योग्य होती हैं। आम लोगों के सिलसिले में यह सम्पर्क तीन या पांच नस्लों तक मौजूद रहते हैं। फिर उनकी जगह नए मुर्दों की आत्माएं ले लेती हैं। (चीन में आबापरस्ती का मस्लक, इंसाइकिलोपीडिया ऑफ़ रिलीजन)

अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई और मुर्शिद सूफ़िया में शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी, जुनेद बग़दादी आदि के आलीशान मक़बरे निर्माण किए गए। इन्हीं बरसों में सियासी रहनुमाओं जैसे : मुहम्मद अली जिनाह बानी पाकिस्तान और सूडान में तथाकथित मेहदी मुहम्मद अहमद के भी ऐसे ही आलीशान मज़ारात निर्माण किए गए। बहुत से जाहिल मुसलमान बरकत की प्राप्ती के लिए लम्बा सफ़र तै करके इन मज़ारों की ज़ियारत को जाते हैं। तवाफ़ करते हैं और दुआएं मांगते हैं। इन मज़ारों पर जानवरों की क़ुरबानी करके ज़बह की रस्म अदा करते हैं। उन लोगों का यह अक़ीदा होता है कि यह मज़ार वाले अल्लाह तआला से इतने क़रीब हैं कि उनके मज़ार पर पूजा की जो रस्में अदा की जाएं वह अल्लाह के निकट ज़्यादा प्रिय होंगी। अर्थात क्योंकि ये लोग ख़ैर व बरकत वाले थे इसलिए उनकी क़ब्रों पर जो रस्में अदा की जाएं वह भी ख़ैर व बरकत का कारण होंगी। उनके मज़ारात और वह जगह जिस पर यह क़ब्रें बनी हैं वह भी बरकतों के आने से सरफ़राज़ होती हैं। ये लोग उन मज़ारों की मिट्टी (ख़ाक शिफ़ा) भी ले जाते हैं। उनका असत्य अक़ीदा यह है कि मज़ार वाले की बरकत से उस मिट्टी में शिफ़ा का प्रभाव है। शीआ सम्प्रदाय के कुछ लोग करबला से जहां हज़रत इमाम हुसैन रज़ि० शहीद हुए थे मिट्टी लाते हैं, उसे पकाकर उसकी टिकिया (क़ुर्स) बनाते हैं और नमाज़ में उसी टिकिया पर सज्दा करते हैं।

मुर्दों से दुआएं मांगना

जो लोग क़ब्र परस्ती में अक़ीदा रखते हैं वे मुर्दों से दो तरह से दुआएं मांगते हैं। वह उन्हें अपनी दुआओं में माध्यम बनाते हैं जिस तरह कैथोलिक ईसाई अपने पादरी के पास जाकर अपने गुनाहों का स्वीकरण करते हैं। और पादरी उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है। इस तरह वह पादरी इंसान और ख़ुदा के बीच माध्यम बनता है।

अज्ञानता काल में अरब भी अपने बुतों को माध्यम बनाते थे। अल्लाह तआला उनकी बाबत फ़रमाता है। वह कहते थे :

مَانَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللهِ زُلْفٰى. (الزمر: ٣)

"हम इन बुतों की उपासना इसलिए करते हैं ताकि हमें अल्लाह तआला की समीपता हासिल हो जाए।" (सूरह ज़ुमर, 3)

कुछ क़ब्रपरस्त मुसलमान उन मुर्दों से दुआएं करते हैं ताकि वे उनकी हाजतें अल्लाह तक पहुंचा दें और उनकी दुआएं क़ुबूल हो जाएं। उन लोगों का यह अक़ीदा होता है कि सदाचारी लोग मरने के बाद भी उन ज़िंदा लोगों की तुलना में अल्लाह तआला के ज़्यादा क़रीब हैं। वह मरने के बाद भी लोगों की दुआएं और विनती सुनते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। इस तरह ये मुर्दे ऐसे बुत बन जाते हैं जो ज़िंदों की हाजात पूरी करने के योग्य होते हैं।

दूसरे वे हैं जो उन मुर्दों से सीधे बख़्शिश के उम्मीदवार होते हैं। इस तरह वह उन मज़ार वालों से अल्लाह तआला के गुण 'तव्वाब' (तौबा क़ुबूल करने वाला) और 'ग़फूर' (मग़फ़िरत करने वाला) मंसूब करते हैं। अतः उन मुसलमानों और कैथोलिक ईसाइयों के अक़ाइद में बड़ी समानता है। क्योंकि वह भी अपने ख़ास सेंट (औलिया) से अपनी हाजतें पूरी करने के लिए दुआएं करते हैं जैसे : अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए तो वह थबस के सेंट ऐंटोनी से दुआ करता है कि गुमशुदा चीज़ पाने में उसकी मदद करें। सेंट जूले थडाकस को असंभव मामलों का सरपरस्त सेंट माना जाता है और लाइलाज बीमारियों, मुश्किल शादियों आदि जैसे मामलों में उनसे दुआ की जाती है। जब कोई सफ़र पर जाता था तो सेंट क्रिस्टोफ़र से दुआ की जाती थी कि वह सफ़र में उसकी हिफ़ाज़त करे। यह सिलसिला 1949 ई० तक जारी रहा फिर पोप ने सेंट की सूची से उसका नाम निकाल दिया जबकि रहस्य खुला कि वह जाली वली था। (वर्ल्ड बुक इंसाइकिलोपीडिया) आम ईसाई भी इसी मामले के

अन्तर्गत आते हैं जो हज़रत ईसा मसीह को ख़ुदा साकार या अवतार मानते हैं। अधिकांश ईसाई ख़ुदा के बजाए यसूअ की उपासना करते हैं कुछ जाहिल मुसलमान भी हज़रत रसूले अकरम सल्ल० से इसी अंदाज़ से दुआएं करते हैं। इस क़िस्म के तमाम अक़ाइद इस्लामी शिक्षाओं के विरुद्ध हैं। इस्लाम हमें बताता है कि मरने के बाद इंसान की रूह बरज़ख़ में रहती है और मरने के साथ ही उसके कर्मों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। वह ज़िंदों के किसी काम नहीं आ सकता, हां उसके कर्म सही व बुरे का बदला और सज़ा उसे मिलती रहती है और उसके वारिसों पर भी प्रभावी होती है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : जब बन्दा मर जाता है तो उसके सद कर्मों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है केवल तीन चीज़ें बाक़ी रहती हैं उसका वह कर्म जिससे उसके बाद भी दूसरों को फ़ायदा हासिल होता रहे। उसका ज्ञान जिससे दूसरे फ़ायदा उठाते रहें, वह नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। (मुस्लिम) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह बात भी खुलकर बता दी कि वह इस ज़िंदगी में किसी के काम नहीं आ सकते चाहे वह उनसे कितना ही क़रीब क्यों न हो। अल्लाह तआला ने क़ुरआन में हुक्म दिया कि वह कह दें :

قُلْ لَّا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ السُّوْءُ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ (الاعراف: ١٨٨)

"आप कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए भी किसी लाभ व हानि पर समर्थ नहीं हूं। अगर मुझे परोक्ष का ज्ञान होता तो मैं अपने लिए बहुत सी नेकियां जमा कर लेता और मुझे कभी कोई हानि न पहुंचती (लेकिन) मुझे तो (अल्लाह ने) ईमान वालों के लिए डराने वाला और बशारत देने वाला बनाकर भेजा है।" (सूरह आराफ़, 188)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० का कथन है कि जब आयत : (अपने

रिश्तेदारों को सचेत करो) अवतरित हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐलान किया ऐ क़ुरैशियो सद कर्म के द्वारा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। ऐ बनु अब्दुल मुत्तलिब मैं अल्लाह के यहां तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। ऐ मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ऐ मेरी फूफी सफ़िया आख़िरत की फ़िक्र करो मैं वहां तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा तुझे दुनिया में जो कुछ चाहिए मुझसे मांग ले लेकिन अल्लाह के यहां सिर्फ़ तेरे कर्म ही काम आएंगे।" (मुस्लिम)

एक और अवसर पर एक सहाबी ने अपनी बात ख़त्म करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़ौरन उसकी इस्लाह करते हुए फ़रमाया : क्या तुम मुझे अल्लाह तआला के बराबर ठहरा रहे हो, केवल यह कहो कि जो कुछ अल्लाह तआला चाहे। (मुसनद अहमद) इस स्पष्ट सचेत के बावजूद बहुत से मुसलमान न सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुआ मांगते हैं बल्कि सूफ़ियाए मुर्शिदीन का एक लम्बा सिलसिला है जिनसे वह मुरादें मांगते हैं। यह अक़ीदा उन बिदअतों में से है कि निज़ाम कायनात की सुरक्षा सूफ़िया की एक जमाअत के हाथ में है जो रिजालुल ग़ैब के नाम से प्रख्यात हैं जब उन मुक़द्दस हस्तियों में से कोई वफ़ात पा जाता है तो तुरन्त दूसरा उसकी जगह को पूरी करता है। क़ुतब या ग़ौस उस गिरोह में सबसे ऊपर होता है। शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी (मृत्यु 1166 ईसवी) को आम तौर पर ग़ौसुल आज़म कहा जाता है और मुसीबत के समय बहुत से लोग उनसे मदद के लिए फ़रियाद करते हैं या शैख़ अब्दुल क़ादिर अग़सिनी (ऐ शैख़ अब्दुल क़ादिर मेरी फ़रियाद सुनो) यह खुला हुआ शिर्क है जिसको ऐसे लोग भी करते हैं जो दिन रात में कम से कम सत्रह बार अपनी नमाज़ों में "ऐ अल्लाह हम तेरी ही उपासना करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं" की तकरार करते हैं।

इस अंदाज़ से दुआएं या मुरादें मांगना शिर्क और गुनाह है लेकिन मुस्लिम समाज में दोनों तरीक़े से (मुर्दों से) दुआएं मांगने का चलन किसी न किसी शक्ल में आम हो गया है। जो लोग ऐसा करते हैं वे बेसमझे बूझे क़ुरआन अज़ीम के इस कथन के चरितार्थ बन जाते हैं :

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ. (يوسف: ١٠٦)

"उनमें से अधिकांश अल्लाह पर ईमान का दावा करते हैं लेकिन शिर्क करते रहते हैं।" (सूरह यूसुफ़, 106)

इसी के साथ हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की वह चेतावनी जिसे हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० ने रिवायत किया है कि आपने फ़रमायाः तुम अपने से पहले लोगों का इस तरह अनुसरण करोगे कि एक एक इंच उनके नक़्शे क़दम पर चलोगे यहां तक कि अगर वह किसी बिल में घुसे हों तो तुम भी उसमें दाख़िल होगे। सहाबा ने अर्ज़ किया पहले लोगों से आपका तात्पर्य यहूदी और ईसाई हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, "और कौन"। (बुख़ारी)

सोबान से भी रिवायत है कि आप सल्ल० ने फ़रमाया, क़यामत उस समय तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मूर्ति पूजा इख़्तियार न कर लें। (अबू दाऊद)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि आपने फ़रमाया, क़यामत उस समय तक नहीं आएगी जब तक क़बीला दौस की औरतें, ख़लाशा बुत के गिर्द नाच गाना न कर लें। (बुख़ारी)

अतः मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वह मज़हब और उसकी तारीख़ी पृष्ठभूमि व प्रगति का इस्लामी परिपेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस तरह वह इस क़िस्म की शिर्क व बिदआत को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे और उनके बारे में शरीअत के आदेशों से भी सही तौर पर परिचित हो सकेंगे।

मज़हब का प्रगतिशील नमूना

डार्विन के नज़रिये प्रगति के प्रभाव में बहुत से सामाजिक मानव ज्ञान के विशारद यह सोचते हैं कि मज़हब की बुनियाद प्रथम दौर के इंसानों द्वारा क़ुदरत के द्योतकों को उपास्य क़रार देने से पड़ी। डेविड हियूम (1711-1776 ई०) ने थॉमस होलेस (1588-167 ई०) के इस नज़रिये की इशाअत अपनी किताब नेचरल हिस्ट्री ऑफ़ रिलीजन 1757 ई० में की। (डिक्शनरी ऑफ़ रिलीजन) क़दीम दौर का इंसान बिजली, कड़क चमक (बादल की गरज) भूकम्प के भयानक और विनाशकारी प्रभावों से बहुत भयभीत था और उन्हें अलौकिक ताक़तें समझता था। अतः उसने उन ताक़तों को ख़ुश करने के लिए वही तरीक़े अपनाए जो वह अपने सरदारों या ज़्यादा ताक़तवर क़बीलों को प्रसन्न रखने के लिए इस्तेमाल करता था। इस तरह पूजा की प्राचीन रस्मों और जानवरों की क़ुरबानी आदि के तरीक़े प्रचलित हुए। उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन जो दरियाओं, मरुस्थलों आदि की आत्माओं में विश्वास रखते हैं मज़हब के विकास में उनकी मिसाल पेश की जाती है उसे द्योतक परस्ती (Animism) कहा जाता है।

उनका कहना है कि इस प्रथम दौर में हर व्यक्ति का अपना एक उपास्य होता था या अनेक उपास्य होते थे। जब ख़ानदानों में फैलाव हुआ तो उन व्यक्तिगत उपास्यों की जगह ख़ानदानी उपास्यों ने ले ली। हिन्दुस्तान के हिन्दुओं में अनेक उपास्यों की रिवायत को इस सिलसिले में मिसाल में पेश किया जाता है जहां हर ख़ानदान का अपना अलग देवता होता है। आर्थिक ज़रूरतों और जीवन संघर्ष ने ख़ानदानों में और अधिक व्यापकता पैदा की और क़बाइल वजूद में आए, फिर ख़ानदानी देवताओं की जगह क़बाइली देवताओं ने ले ली। जैसे जैसे नस्लें बढ़ती गईं क़बाइल भी फैलते और बढ़ते गए। इसी के साथ उनके उपास्यों की संख्या कम से कम होती गई यहां तक कि दैतवाद (Di-Theism) का अक़ीदा प्रचलित हुआ। उसके तहत तमाम अलौकिक ताक़तें दो पुल्लिंग उपास्यों के सुपुर्द

कर दी गई : एक उपास्य नेकी का द्योतक और दूसरा बुराई का होता था। प्रगतिशील माहिरों का कहना है कि उसकी मिसाल फ़ारस (ईरान) के मज़हब ज़रतुशती (आतिश परस्त) में देखी जा सकती है। फ़ारस के रूहानी पेशवा ज़रतुश्त के आगमन से पहले फ़ारस वाले प्रकृति की ताक़तों और आत्माओं में अक़ीदा रखते थे और क़बाइली उपास्यों की पूजा करते थे। माहिरीन की तहक़ीक़ के मुताबिक़ ज़रतुश्त के दौर में दो उपास्यों की धारणा उभरी एक आहवर अमज़वा। उनके अक़ीदे मुताबिक़ वह दुनिया की तमाम अच्छी चीज़ों का स्रष्टा था। दूसरा अंग्रमानियो जिससे तमाम बुराइयां वजूद में आईं (डिक्शनरी ऑफ़ रिलीजन) जब क़बाइल ने क़ौमों की शक्ल इख़्तियार कर ली तो अब क़बाइली उपास्यों की जगह क़ौमी उपास्यों ने ले ली और उन माहिरीन के नज़रिये के मुताबिक़ एक ख़ुदा (Monotheism) का अक़ीदा विकसित हुआ। अहदनामा क़दीम (तौरात) के मुताबिक़ इसराईल का ख़ुदा उनका क़ौमी उपास्य है जो उनकी तरफ़ से उनके दुश्मनों से लड़ता है और बनी इस्राईल को ख़ुदा की पसन्दीदा औलाद क़रार दिया गया है। चौदहवीं सदी पूर्व मसीह में मिस्र का बादशाह आमन होतिफ़ (चतुर्थ) को भी यह माहिरीन मज़हब के विकास की एक मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। इस दौर में मिस्र में अनेक देवताओं की पूजा होती थी लेकिन उस बादशाह ने सिर्फ़ एक उपास्य "रअ" की पूजा को प्रचलित किया और उसे सूरज की शक्ल में पेश किया। (डिक्शनरी ऑफ़ रिलीजन)

इस तरह उन माहिरीन समाजियात और माहिरीन मानव ज्ञान के नज़रियात के मुताबिक़ मज़हब की कोई ख़ास बुनियाद नहीं है। अतः मज़हब प्राचीन दौर के इंसान की मानसिक रचना है जो अंधविश्वास का शिकार था अलौकिक ताक़तों से डरता था क्योंकि उसे साइंसी मालूमात नहीं थीं। उनका कहना है कि साइंस एक दिन प्रकृति के तमाम रहस्य खोल देगी और फिर मज़हब का वजूद ख़त्म हो जाएगा।

मज़हब का ख़राब नमूना

मज़हब और उसके विकास के बारे में इस्लाम की धारणा उपरोक्त नज़रियात से बिल्कुल भिन्न है। यह विकास का मसला नहीं है बल्कि बिगाड़ (Degeneration) और सुधार (Regeneration) का कार्य है। इंसान ने अपना सफ़र अक़ीदा तौहीद से शुरू किया फिर ख़राब अक़ीदा का शिकार होकर शिर्क की विभिन्न राहों में भटक गया। कभी उसने दैत्तवाद (दो उपास्यों) का अक़ीदा अपनाया, कभी त्रीश्वरवाद को माना और कभी हर चीज़ में खुदा को देखा। (Pantheism) अल्लाह तआला ने उन गुमराह क़ौमों व लोगों की हिदायत के लिए नबियों को भेजा लेकिन समय गुज़रने के साथ उन रसूलों की शिक्षाओं में तहरीफ़ कर दी गई या उन्हें भुला दिया गया। इसका सुबूत यह है कि प्रारंभिक दौर के वे तमाम क़बाइल जिनकी पहचान की गई है उनके वहां एक सबसे ऊंची ज़ात की धारणा मौजूद थी। नज़रिया विकास के मुताबिक़ उनके मज़ाहिब किस मरहले पर रहे होंगे। इससे अलग हटकर यह हक़ीक़त है कि वह अपने देवताओं से भी ऊपर एक सबसे महान हस्ती में अक़ीदा रखते थे। मध्य अमेरिका के मायान का स्रष्टा व्यूना इतज़ामना था सिरे लियून का स्रष्टा कायनात जैव (Ngewo) था। हिन्दू धर्म का ब्रहमा (सर्वशक्तिमान) प्राचीन बाबुल का देवता मरदूक (Murduk) जो सब देवताओं में सबसे बड़ा देवता है। उन सबमें एक सबसे उच्चतर ज़ात को देखा जा सकता है। (हिस्ट्री ऑफ़ रिलीजन) दीन ज़रतुश्ती में जहां दो उपास्य माने जाते हैं उनमें भी आहवर अमज़वा जो नेकी का खुदा है वह बुराई के खुदा अंग्रामानियू से उच्च है। और हश्र के दिन आहवर मज़वा अंगरामानियू को पराजित कर देगा।

विकास का नज़रिया बताता है कि एक खुदा की धारणा सीमित संख्या के देवताओं की धारणा के बाद उभरी और द्योतकवाद के साथ बरक़रार नहीं रह सकती थी यद्यपि असल सूरते हाल यह नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया हर मज़हब और अक़ीदे में एक सबसे उच्च व श्रेष्ठ

हस्ती की धारणा मौजूद थी। इससे स्पष्ट है कि इंसान तौहीद के अक़ीदे से भटक गया जो पैग़म्बरों की शिक्षा थी। उसने अन्य उपास्य तराश लिए और अल्लाह की कुछ विशेषताएं उनसे मंसूब कर दीं उनमें से कुछ छोटे देवता थे और कुछ बड़े जिनसे शफ़ाअत की आशा की जाती थी।

इस असत्य अक़ीदे की दलील की सच्चाई का एक सुबूत यहूदियत है जो तौहीद के अक़ीदे वाला दीन है। ईसाई मज़हब के त्रीश्वरवाद में परिवर्तन होने की तारीख़ी घटना है। हज़रत यसूअ मसीह अलैहि० ने तौहीद की शिक्षा दी लेकिन पहले उसे दैतवाद में बदल दिया गया। अर्थात यसूअ खुदा नहीं है बल्कि खुदा का बेटा है। यूनानियों ने अपने अक़ीदे में यसूअ मसीह को Logos (त्रीश्वरवाद का एक अक़्नूम और कलाम) के तौर पर पेश किया उसे अनकसे ग़ोरस और अफ़्लातून के फ़लसफ़े में तलाश किया जा सकता है।

फिर रोमा वालों ने उसे और बिगाड़ करके त्रीश्वरवाद में बदल दिया और सरकारी तौर पर त्रीश्वरवाद को मान लिया गया।[1] फिर इस अक़ीदे में और बिगाड़ पैदा हुआ। कैथोलिक ईसाइयत या कलीसा ने हज़रत मरयम और अन्य बहुत से तथाकथित सेंट (औलिया) को शफ़ाअत और हिफ़ाज़त व देखभाल के इख़्तियारात प्रदान कर दिए। इसी तरह अगर हम इस्लाम को देखें कि जो पैग़ाम (विशुद्ध तौहीद) अल्लाह के आख़िरी रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लेकर आए थे आज मुसलमान इस अक़ीदे से भटक गए हैं। अक़ीदे और कर्म दोनों में बिगाड़ पैदा हुआ। दीन को विभिन्न मतों में बांट दिया। विशुद्ध तौहीद के अक़ीदे को भुला दिया गया। अल्लाह तआला की विशेषताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जोड़ दी गई। इसी के साथ अन्य मुर्शिदीन और सूफ़िया को

---

1. इन फ़लासफ़रों के नज़दीक नोस (Nous) कायनात का एक अभौतिक प्रेरक उसूल था जबकि कलाम Logos उसका भौतिक मज़हब था या भौतिक द्योतक था। (डिक्शनरी ऑफ़ फ़लासफ़ी एण्ड रिलीजन)

भी अल्लाह के गुणों वाला क़रार दे दिया गया। डार्विन के नज़रिया विकास के मुताबिक़ सतह ज़मीन पर ज़िंदगी एक वाहिद तत्व ऐमोबा (Amoba) के संग्रह से वजूद में आई। फिर जीने के लिए संघर्ष की भावना के तहत सादा ज़िंदगी के नक़्शे ने एक सख़्त और बड़ी पेचीदा शक्ल इख़्तियार कर ली। इस विकासशील नज़रिये की बुनियाद पर मज़हब के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि मज़हब पहले अपनी सीधी और सादा शिक्षा अर्थात तौहीद से शुरू हुआ फिर समय गुज़रने के साथ उसने मूर्ति पूजा की सख़्त और बड़ी पेचीदा शक्ल इख़्तियार कर ली और उसकी सच्ची और असली शिक्षा गुम हो गई। दैत्तवाद, त्रीश्वरवाद उपास्यों की अधिकता (Polytheism) और वहदतुल वजूद (Pantheism) के अक़ाइद व नज़रियात ने विभिन्न स्थानों पर वहां के आर्थिक व सामाजिक हालात के मुताबिक़ विकास पाया।

शिर्क का आरंभ

हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने ख़ुलासे के साथ यह बताया कि किस तरह तौहीद के बाद जिसकी तालीम अल्लाह की तरफ़ से हज़रत आदम अलैहि० ने दी लेकिन मानव जाति ने मुंह मोड़कर शिर्क इख़्तियार कर लिया। सहाबा किराम ने सूरह नूह की आयत 23 की टीका बयान करते हुए इस स्थिति का नक़्शा खींचा है कि जब हज़रत नूह अलैहि० ने अपनी क़ौम को तौहीद की दावत दी तो उन्होंने जवाब दिया :

قَالُوا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ
وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔

---

1. त्रीश्वरवाद का यह नज़रिया जिसे क़ुस्तुनतुनिया की रोमन कौन्सिल ने उसे 381 ई० में स्वीकार कर लिया। अर्थात ख़ुदा एक है लेकिन ख़ारजी तौर पर वह तीन ज़ातों में बंटा है : (1) बाप (2) बेटा (3) रूहुल क़ुदुस।(डिक्शनरी ऑफ़ फ़लासफ़ी एण्ड रिलीजन)

"उन्होंने एक दूसरे से कहा कि अपने उपास्यों को मत छोड़ो। वुद, सुवाअ, यऊक़ और नस्र (ये सब तुम्हारे उपास्य हैं) उन्हें कदापि न छोड़ना।"

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० ने इस आयत की टीका बयान करते हुए फ़रमाया कि ये सब क़ौम नूह के बुत थे। समय गुज़रने के साथ यह अरब में भी रिवाज पा गए। दोमतुल जुंदल में क़बीला कलब का देवता (बुत) बन गया। सुवाअ को क़बीला हुज़ेल ने अपना उपास्य बना लिया। यग़ूस क़बीला ग़तीफ़ का देवता बन गया। यह क़बीला सनआ के नज़दीक जरफ़ के मक़ाम पर आबाद था। नस्र ज़ू इंक़लाअ का खुदा मान लिया गया जो क़बीला हुमैर से संबंधित था। (लिसानुल अरब)

(अज़ मुहम्मद इब्ने ममदूह) उन बुतों के नाम क़ौम नूह के कुछ भले लोगों के नाम पर रखे गए थे। जब ये सदाचारी लोग मर गए तो शैतान ने उनकी क़ौम के लोगों को बहकाया कि उन बुज़ुर्गों के नाम पर बुत बनाएं। यह मूर्तियां उनके चौराहों और अन्य समारोह के स्थानों पर लगाए गए ताकि उनकी पारसाई की याद बाक़ी रहे। उस समय कोई उनकी पूजा नहीं करता था। फिर जब कई नस्लें गुज़र गईं तो नई नस्लों के लोगों ने उन मूर्तियों से जुड़ी पारसाई की दास्तानों को भुला दिया। शैतान ने उन्हें बहकाया कि उनके बाप दादा उन मूरतों की पूजा करते थे क्योंकि उन्हीं के माध्यम से बारिश होती थी। नई नस्ल ने उन बुतों की पूजा शुरू कर दी। (तबरी) उसके बाद यह पूजा नस्ल दर नस्ल होती रही।

इस आयत की इस टीका से अंदाज़ा किया जा सकता है कि किस तरह अक़ीदा तौहीद को शिर्क में बदला गया। हमारे पूर्वज अक़ीदा तौहीद पर अमल करते थे लेकिन उनके बाद की नस्लों ने शिर्क और मूर्तिपूजा इख़्तियार कर ली। इस स्पष्टीकरण से बिगड़े हुए अक़ीदे की पुष्टि होती है और उस तारीख़ी हक़ीक़त की भी कि हमारे पूर्वज तौहीद परस्त थे। इससे इस बात की स्पष्टता भी मालूम होती है कि इस्लाम में मूर्तियों और

तस्वीरें बनाने की क्यों इतनी सख़्ती से मनाही की गई है (क्योंकि मूर्तियां और तस्वीरें आख़िर कार शिर्क और पूजा की राह हमवार करते हैं) मूर्ति बनाने की मनाही उन दस अहकाम में भी की गई थी जो हज़रत मूसा अलैहि० को दिए गए थे जो तौरात में दर्ज हैं। "तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत नहीं बनाएगा या उसके जैसी कोई ऐसी शक्ल नहीं बनाएगा जो आसमानों में है ज़मीन पर है या पानी में है या ज़मीन के नीचे है। (ख़ुरूज 4-21) प्रारंभिक दौर के ईसाई उस पर अमल करते थे लेकिन जब रूम व यूनान के लोकमालाई विचार दीन मसीह में दाख़िल हो गए तो हज़रत मसीह की असल शिक्षा में हेर फेर होने लगी। उसके बाद मूर्तियां और तस्वीरें बनाने का जुनून सवार हुआ। शहीदों सन्तों वलियों मसीह व मरयम यहां तक कि ख़ुदा के बुत भी तैयार कर लिए गए।[1]

उसके विपरीत हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने उन लोगों को जो तस्वीरें बनाते हैं या अपने घरों में लटकाया करते हैं सचेत करते हुए फ़रमाया कि अल्लाह तआला उन पर आख़िरत में सख़्त प्रकोप करेगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि उन्होंने अपने ताक़ में रेशमी पर्दा लगा रखा था जिस पर एक घोड़े की तस्वीर थी जिसके परिन्दों जैसे पर थे उस तस्वीर को देखकर हुज़ूर सल्ल० के चेहरे का रंग बदल गया। आपने फ़रमाया, आइशा हश्र के दिन अल्लाह तआला उन लोगों को सबसे ज़्यादा अज़ाब देगा जो उसकी स्रष्टि के जैसी तस्वीरें बनाते हैं उन्हें अज़ाब दिया जाएग और कहा जाएगा कि उन तस्वीरों में जो तुमने बनाई हैं जान डालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल० ने आगे फ़रमाया : जिस घर में तस्वीर और मूर्तियां होती हैं फ़रिश्ते उस घर में

---

1. 787 ई० में आयोजित दूसरी कोन्सिल ने उन बुतों (Icons) के सम्मान की बाक़ायदा तौर पर मंज़ूरी दी कि वह साकार करने में दीन (मसीही) की अलामत हैं। उनकी राय में Logao (कलाम) मसीह के पैकर में इंसानी शक्ल में साकार हुआ। अतः इस शक्ल में उसकी तस्वीर और बुत बनाए जा सकते हैं। (डिक्शनरी ऑफ़ रिलीजन)

दाख़िल नहीं होते। हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं फिर हमने उस पर्दे को फाड़ डाला और उसके टुकड़ों से तकिये बना लिए। (बुख़ारी)

सदाचारी लोगों की हद से ज़्यादा प्रशंसा करना

हज़रत नूह की क़ौम के बयान में जो कुछ लिखा गया उससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि भले और सदाचारी लोगों की प्रशंसा में अतिश्योक्ति और अक़ीदत में हद से गुज़र जाना ही मूर्ति पूजा के लिए राह हमवार करना है। वर्त्तमान दौर में बुद्ध मत और मसीहियत में गौतम बुद्ध और हज़रत ईसा मसीह के बुतों की पूजा इसका स्पष्ट सुबूत है कि अक़ीदत और मुहब्बत में अतिश्योक्ति इंसान को शिर्क के रास्ते पर ले जाती है। अक़ीदत में ग़ुलू करने से जो ख़तरात पैदा होते हैं उनको देखते हुए, हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने अपने सहाबा और तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि वह उन (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की प्रशंसा में हद से न गुज़रें। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० से रिवायत है कि हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि मेरी प्रशंसा में ऐसी अतिश्योक्ति न करो जैसा कि ईसाई मसीह इब्ने मरयम की शान में करते हैं। मैं अल्लाह का बन्दा हूं पस यह कहो कि अब्दुल्लाह व रसूलुल्लाह। (बुख़ारी) उस दौर के यहूदियों और ईसाइयों का यह दस्तूर था कि वे उन स्थानों पर जहां उनके विचार में उनके सन्तों और वलियों की क़ब्रें थीं शानदार इमारतें निर्माण करते थे। हुज़ूर अकरम सल्ल० ने उन लोगों पर लानत फ़रमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे लोगों पर भी लानत फ़रमाई जो भविष्य में ऐसे काम करें (क़ब्रों पर इमारतें बनाएं) इससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि इस्लाम इस क़िस्म की मूर्ति पूजा जैसी रस्मों की किसी हाल में इजाज़त नहीं देता और ऐसा करने वालों के लिए आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब है। अतः उन्हें अपने भले और सदाचारी लोगों की प्रशंसा व अक़ीदत में अतिश्योक्ति से बचना चाहिए।

एक बार उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० ने[1] हज़रत रसूले अकरम सल्ल० को एक कलीसा (चर्च) के बारे में बताया जो उन्होंने हब्शा में हिजरत के दौरान देखा था उसकी दीवारों पर तस्वीरें अंकित थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जब उनका कोई भला व्यक्ति मरता है तो वह उसकी क़ब्र पर इबादतगाह बना लेते हैं और उसकी तस्वीरें अंकित करते हैं। अल्लाह तआला की नज़र में ये लोग सबसे बुरे हैं। (बुख़ारी)

यहां यह बात स्पष्ट रहे कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ि० ने चर्च की घटना उस समय सुनाई जब हुज़ूर सल्ल० अपने पवित्र जीवन के अन्तिम क्षणों में थे। आप सल्ल० का यह इरशाद कि यह सबसे बुरे लोग हैं स्पष्ट करता है कि किसी मुसलमान को भी इसकी इजाज़त नहीं है कि वह उन जैसे काम करे, उसमें किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। ऐसे लोगों पर लानत इसलिए की गई कि एक तो उन्होंने क़ब्रों के सम्मान की राह अपनाई दूसरे यह कि मूर्ति पूजा को अपनाया और ये दोनों बातें हर पहलू से नाजाइज और हराम हैं क्योंकि यह आख़िरकार शिर्क के रास्ते पर ले जाती हैं जैसा कि हज़रत नूह की क़ौम की घटनाओं से स्पष्ट है।

क़ब्रों की ज़ियारत की शर्तें

यह हक़ीक़त कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस दुनिया से विदा होते हुए जिन बातों की मनाही फ़रमाई उसमें क़ब्रपरस्ती भी शामिल

1. हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० का नाम हिन्द बिन्ते अबी उमैया था और वह क़बीला क़ुरैश से संबंध रखती थीं वह और उनके पति अबू सलमा क़ुरैश मक्का के अत्याचारों से बचने के लिए हब्शा को हिजरत कर गए थे बाद को जब हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने मदीना को हिजरत की तो ये दोनों भी मदीना चले आए। जब हिजरत के चौथे साल में उनके पति का देहान्त हो गया तो रसूलुल्लाह सल्ल० ने उनसे शादी कर ली। हज़रत उम्मे सलमा अपने दौर की बहुत बड़ी विद्वान थीं। रसूले अकरम सल्ल० की वफ़ात के बाद भी वह दीन की शिक्षा में लगी रहीं। आपकी वफ़ात 694 ईसवी (62 हिजरी) में हुई। (इब्ने जोज़ी सिफ़वतुसस्सफ़वा)

है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि यह रस्म उम्मत के लिए कैसे इम्तिहान और आज़माइश की राह बन जाएगी। दीने इस्लाम के निर्माणाधीन दिनों में हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने सहाबा को क़ब्रों पर जाने की भी मनाही फ़रमाई थी और यह मनाही उस समय तक जारी रही जब तक अक़ीदा तौहीद ने उनके दिलों में पूरी तरह जड़ नहीं पकड़ ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था लेकिन अब मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देता हूं क्योंकि इनकी ज़ियारत से आख़िरत की याद ताज़ा होती हैं। (मुस्लिम) लेकिन इस इजाज़त के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों की ज़ियारत के साथ कुछ शर्तें भी बता दीं ताकि क़ब्रों की ज़ियारत बाद में क़ब्रों की पूजा में न बदल जाए।

क़ब्रों की पूजा पर रोक लगाने की मन्शा से क़ब्रिस्तान में नमाज़ अदा करने की मनाही कर दी गई चाहे उसकी नीयत या क़िस्म कुछ भी हो। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि तमाम ज़मीन सज्दागाह है सिवाए क़ब्रिस्तान और बैतुल ख़ला के। (तिर्मिज़ी)

1. हज़रत इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, अपने घरों में नमाज़ें पढ़ो उन्हें क़ब्रिस्तान मत बनाओ। (बुख़ारी) नफ़िल नमाज़ घरों में पढ़ने की नसीहत की गई है ताकि घर के अन्य लोगों को प्रेरणा मिले, अगर घर में कोई नमाज़ अदा न की जाए तो यह क़ब्रिस्तान की तरह हो जाएगा जहां नमाज़ अदा करने की मनाही है। यद्यपि क़ब्रिस्तान में नमाज़ अदा करना अपनी जगह शिर्क नहीं है लेकिन अंदेशा यह था कि जाहिल लोग कहीं यह न समझें कि हम यहां जो नमाज़ अदा कर रहे हैं वह मुर्दों की मग़फ़िरत के लिए नहीं बल्कि उनसे मदद के लिए है। इस तरह इस मनाही से शिर्क की राह बन्द कर दी गई। एक बार ख़लीफ़ा राशिद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने

सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक को देखा कि वह एक क़ब्र के पास नमाज़ अदा कर रहे हैं। इस पर हज़रत उमर ने पुकार कर कहा, क़ब्र है, क़ब्र है।[1] (बुख़ारी)

2. दूसरी पाबन्दी यह आयद की गई कि क़ब्रों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ की मनाही की गई ताकि बाद को जाहिल अवाम यह न समझने लगें कि वह मुर्दों के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं। अबू मुरसिद अलग़नवी से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, क़ब्रों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ मत पढ़ो उन पर न बैठो।[2] (इल्म)

3. इसी तरह क़ब्रों पर क़ुरआन अज़ीम की तिलावत की भी इजाज़त नहीं है क्योंकि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० और आपके सहाबा किराम से यह साबित नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि० ने हुज़ूरे अकरम सल्ल० से पूछा कि क़ब्र की ज़ियारत के समय क्या किया जाए? तो आप सल्ल० ने फ़रमाया, सलाम करो और दुआ की नसीहत फ़रमाई।

---

1. इससे यह भी साबित होता है कि हुज़ूरे अकरम सल्ल० ने क़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने की इसलिए मनाही नहीं फ़रमाई है कि वह जगह नापाक समझी जाती है। अंबिया की क़ब्रें पाक होतीं हैं। हज़रत रसूले अकरम सल्ल० का इरशाद है कि अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह उसके रसूलों की मय्यितों को खाए। अतः आज आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहूद व ईसाइयों पर लानत फ़रमाई कि उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मस्जिद बना दिया तो उससे तात्पर्य यह था कि वह शिर्क करते थे यह नहीं कि वह जगह नापाक थी।

2. इससे साबित हुआ कि क़ब्रों की तरफ़ रुख़ करके दुआ मांगना भी जाइज़ नहीं है क्योंकि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० का इरशाद है कि दुआ इबादत है। (बुख़ारी) अतः नमाज़ की तरह दुआ भी क़िबला रुख़ होकर करनी चाहिए। (नोट) यह स्पष्ट रहे कि इस्लाम में नमाज़े जनाज़ा क़ब्रिस्तान में अदा नहीं की जाती बल्कि मस्जिद से मिली हुई एक व्यापक जगह उसके लिए ख़ास कर दी जाती है। इसी के साथ यह भी है कि चूंकि नमाज़े जनाज़ा में मय्यित इमाम के बिल्कुल सामने होती है इसलिए उसमें रुकूअ व सज्दा नहीं होता ताकि यह ग़लतफ़हमी न हो कि नमाज़ मुर्दा की मग़फ़िरत के लिए नहीं बल्कि उसके सम्मान के लिए अदा की जा रही है।

यह नहीं फ़रमाया कि सूरह फ़ातिहा या क़ुरआन अज़ीम की किसी और सूरह की तिलावत करो। (अहकामुल जनाइज़ अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रह०)[1]

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से भी रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि अपने घरों को क़ब्रिस्तान मत बनाओ। बेशक जिस घर में सूरह बक़रा की तिलावत की जाती है शैतान वहां से भाग जाता है। (मुस्लिम) इन अहादीस से साबित होता है कि घर को क़ब्रिस्तान की तरह न बनाया जाए जहां क़ुरआन अज़ीम की तिलावत की इजाज़त नहीं है (जहां तक सूरह यासीन की तिलावत का सवाल है क़ब्रिस्तान के संबंध से उसका कोई ज़िक्र नहीं है) अन्तिम सांसों में सूरह यासीन की तिलावत की बाबत रिवायत भी ज़ईफ़ है। (अहकामुल जनाइज़)

4. हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इसकी मनाही फ़रमाई है कि क़ब्रों पर सफ़ेदी की जाए (मुस्लिम) या उन पर लिखा जाए (अबू दाऊद) उन पर इमारत बनाई जाए या ज़मीन की सतह से बुलन्द किया जाए। (मुस्लिम)

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिदायत फ़रमाई कि ऐसे ढांचे गिरा दिए जाएं और क़ब्रें ज़मीन के बराबर कर दी जाएं। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने उन्हें हुक्म दिया कि अगर वह कहीं बुत देखें तो उसे तोड़ दें और अगर क़ब्र ज़मीन की सतह से एक बालिश्त से ज़्यादा बुलन्द हो तो उसे सतह के बराबर

---

1. दुआ की इबारत यह है : 'अस्सलामु अला अहलद्दियारि मिनल मोमिनी-न वल मुस्लिमी-न व यरहमल्लाहुल मुतक़द्दिमी-न मिन्ना वल मुस्ताख़िरी-न व इन्ना इन्शाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून' इस दियार क़ब्रिस्तान के मोमिनों और मुसलमानों पर सलामती हो अल्लाह तआला रहमत करे उन पर जो हमसे पहले चले गए और जो हमारे बाद जाने वाले हैं और हम भी इंशाअल्लाह तुम्हारे पास आने वाले हैं। (सही मुस्लिम)

कर दें।[1]

5. क़ब्रों पर मस्जिद बनाने की हुज़ूर अकरम सल्ल० ने सख़्ती से मनाही फ़रमाई है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि जब हुज़ूरे अकरम सल्ल० इस दुनिया से रुख़्सत हो रहे थे तो आपने चादर चेहरा अनवर से हटाई और फ़रमाया, अल्लाह की लानत हो यहूदी व ईसाइयों पर जिन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया। (बुख़ारी)

6. क़ब्रों की पूजा को रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों पर सालाना इज्तिमा (उर्स) या ऐसी किसी तक़रीब की मनाही फ़रमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्वयं अपनी क़ब्र पर भी लोगों के सम्मेलन की मनाही फ़रमाई। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया, मेरी क़ब्र को

---

2. इस हदीस की इबारत यह है कि अबुल हय्याज अल असअदी से रिवायत है कि हज़रत अली इब्ने अबी तालिब ने उनसे कहा कि क्या मैं तुम्हें उस काम के लिए न भेजूं जिसके लिए मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भेजा था कि घरों में जो तस्वीर या मूर्ति हो उसे मिटा दो और जो क़ब्रें ऊंची बनी हैं उन्हें ज़मीन के बराबर कर दो।

(नोट) अधिकांश मुसलमान देशों में इस हदीस को भुला दिया गया है। क़ब्रिस्तान में हर क़िस्म के ढांचे खड़े कर दिए गए हैं। ये सब दूसरी क़ौमों की नक़ल में किया जाता है। कुछ देशों जैसे मिस्र में क़ब्रिस्तान में ऐसी बड़ी चौढ़ी सड़कें बनाई जाती हैं कि वह शहर की तरह मालूम होती हैं। क़ब्रों पर ऐसे आली शान मक़बरे बनाए जाते हैं कि कुछ स्थानों पर ग़रीब लोगों ने उनमें घुस कर उन्हें अपना अड्डा बना लिया है। इस हदीस और इसी विषय पर अन्य अहादीस की बुनियाद पर ऐसे मक़बरों को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। हिन्दुस्तान में ताज महल, पाकिस्तान (कराची) में देश के संस्थापक मुहम्मद अली जिनाह का मज़ार, सूडान में मेहदी सूडानी का मज़ार, मिस्र में सय्यदुल बदावी का मज़ार आदि। इसी तरह उन मज़ारों व मक़बरों के सज्जादा नशीनों की गद्दियां भी ख़त्म की जाएं जो भारी नज़राने श्रद्धालुओं से वसूल करते हैं। यह श्रद्धालू इस अक़ीदे के तहत बहु मूल्य नज़रें चढ़ाते हैं कि मज़ार वालों की ख़ुशनूदी हासिल होगी और उनकी मुरादें पूरी होंगी।

ईद (उर्स) मत बनाना न अपने घरों को क़ब्रिस्तान बनाना और तुम जहां कहीं भी हो मुझ पर दुरूद भेजते रहना क्योंकि यह मुझ तक पहुंचता है। (अबू दाऊद)

7. आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों की ज़ियारत के लिए सफ़र की मनाही भी फ़रमाई। दीगर मज़ाहिब में यह रस्म मूर्ति पूजकों की ज़ियारतगाहों से समानता रखती है। अबू हुरैरह रज़ि० और अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया, तीन मस्जिदों की ज़ियारत के अलावा किसी दूसरी जगह का सफ़र इख़्तियार न करो : (1) मस्जिदे हराम (ख़ाना काबा) (2) मस्जिदे नबवी (3) मस्जिदे अक़सा। (बुख़ारी) अबू बसरा अल गिफ़ारी जब एक सफ़र से वापस आए तो हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से मुलाक़ात हुई। उन्होंने पूछा, कहां से आ रहे हो। कहा कि तूर से आ रहा हूं जहां मैंने नमाज़ पढ़ी। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने फ़रमाया कि अगर मैं जानता तो तुम्हें वहां जाने से रोक देता क्योंकि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया है कि तीन मस्जिदों के अलावा दूसरी जगह का सफ़र न करो। (अहमद)

क़ब्रों को पूजा स्थल समझना

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि० से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि स्रष्टि में सबसे बुरे वे लोग हैं जो उस समय ज़िंदा होंगे जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा और वे लोग जो क़ब्रों को पूजा स्थल बनाते हैं। (अहमद)

हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ि० से रिवायत है कि वफ़ात से पांच दिन पहले हुज़ूर अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, तुमसे पहली क़ौमों ने अपने अंबिया की क़ब्रों को मसाजिद बना लिया था। तुम कभी क़ब्रों को सज्दागाह मत बनाना। बेशक मैं तुम्हें उससे मना करता हूं। (मुस्लिम)

पहली हदीस से यह बात साबित हो गई कि हुज़ूर अकरम सल्ल० ने क़ब्रों को मस्जिद बनाने की मनाही फ़रमाई है। अब यह ज़रूरी है कि इसका स्पष्टीकरण किया जाए कि क़ब्रों को मस्जिद बनाने से क्या तात्पर्य है। अरबी के इस वाक्य से तीन भाव निकाले जा सकते है :

1. किसी क़ब्र पर उसकी तरफ़ रुख़ करके या उसके क़रीब नमाज़ पढ़ना। (रुकूअ व सुजूद करना) हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० की रिवायत की गई हदीस से भी क़ब्रों को मस्जिद बनाने की स्पष्ट मनाही साबित होती है कि हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ब्र पर या क़ब्र की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ मत पढ़ो। (तबरानी) इसी तरह हज़रत अबू मुरसिद की रिवायत से भी यही बात साबित होती है।

2. किसी क़ब्र पर मस्जिद बनाना या मस्जिद में क़ब्र बनाना। क़ब्र पर मस्जिद बनाने की मनाही हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत की गई हदीस से साबित होती है कि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : कि जो लोग क़ब्रों पर मस्जिद बनाते हैं वे अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे दुष्ट लोग हैं। हज़रत आइशा रज़ि० ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आख़िरी इरशाद की जो व्याख्या की है उसकी रू से मस्जिद में क़ब्रें बनाना भी मना है। अल्लाह उन लोगों पर लानत करे जो अंबिया की क़ब्रों को मस्जिद बना लेते हैं। (बुख़ारी) जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मस्जिदे नबवी में दफ़न करने का प्रस्ताव पेश हुआ तो इसी हदीस की बिना पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि० ने उसका विरोध किया था।

3. क़ब्रों पर बनी हुई मस्जिद में नमाज़ पढ़ना। क़ब्रों पर बनी हुई मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की भी मनाही है क्योंकि हदीस में क़ब्र पर मस्जिद बनाने को वर्जित क़रार दिया गया है। एक राह को बन्द करने का मतलब इस राह के दूसरे सिरे पर जो कुछ है उसको रोकना भी होता है। हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने हवा और तारों (Strigs) की मदद से बजाए जाने

वाले संगीत संयंत्रों की मनाही फ़रमाई है। हज़रत अबू मालिक अशअरी से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत रसूले अकरम सल्ल० को फ़रमाते सुनाः मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो ज़िना, हरामकारी और (मर्दों के लिए) रेशम के कपड़े पहनना, मादक पदार्थों का इस्तेमाल और संगीत संयंत्रों को हलाल क़रार देंगे। (बुख़ारी) इन संगीत संयंत्रों को बजाना और उन्हें सुनना दोनों ही मना हैं। सुनना इसलिए कि इनका मक़सद ही दूसरों को सुनाना और आकर्षित करना होता है। इसी तरह क़ब्रों पर या किसी और जगह मस्जिदें बनाने की बात है। मस्जिदों या इमारतों की बात यूं ही मना नहीं है इसके पीछे वह अक़ीदा है जो ऐसी मस्जिदों की तामीर में पोशीदा है अर्थात शिर्क का किया जाना जो क़ब्रों पर मस्जिदों की तामीर का प्रेरक होता है। अतः क़ब्रों पर मस्जिदों की तामीर की मनाही के साथ ही उन मस्जिदों में नमाज़ अदा करना भी मना और नाजाइज़ क़रार पाया।

क़ब्रों के साथ मस्जिदें

यह मस्जिदें दो प्रकार की होती हैं : (1) वह मस्जिद जो क़ब्र पर बनाई जाए। (2) ऐसी मस्जिद जिसमें क़ब्र बना दी गई है। कभी कभी मस्जिद की तामीर के बाद वहां क़ब्र बना दी जाती है। स्पष्ट है इन दोनों क़िस्म की मस्जिदों में नमाज़ अदा करने की मनाही में कोई फ़र्क़ नहीं है, यहां नमाज़ अदा करना हर हाल में मक्रूह है। अगर क़ब्र का ध्यान न किया जाए तब भी और अगर क़ब्र के सामने नमाज़ अदा की जाए तो ऐसी नमाज़ हराम है। मतलब यह कि उन मस्जिदों के सुधार का काम उनकी तामीर के उद्देश्यों के तहत भिन्न हो सकता है।

1. अगर क़ब्र पर मस्जिद बनाई गई है तो उसे ध्वस्त कर दिया जाए और क़ब्र को सतह ज़मीन के बराबर कर दिया जाए क्योंकि यह असल में मस्जिद नहीं बल्कि क़ब्र है। अतः इसे ज़मीन के बराबर कर दिया जाना चाहिए।

2. अगर मस्जिद पहले बनाई गई और फिर उसमें क़ब्र बना दी गई तो मस्जिद अपनी जगह बरक़रार रहेगी लेकिन क़ब्र को वहां से हटा दिया जाए क्योंकि यह मस्जिद बुनियादी तौर पर मस्जिद थी उसमें क़ब्र बाद को बनाई गई। अतः मस्जिद को उसकी असली शक्ल में लौटा दिया जाएगा।

हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की क़ब्र

मस्जिद नबवी में हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की क़ब्र है। लेकिन उसे अन्य मस्जिदों में क़ब्रें बनाने या क़ब्रों पर मस्जिदें बनाने के लिए दलील में पेश नहीं किया जा सकता।

हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी कि उन्हें मस्जिद के अहाता में दफ़न किया जाए, न सहाबा किराम ने मस्जिद में क़ब्र बनाई। असल में यह उनका सूझ बूझ वाला फ़ैसला था कि उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मय्यित को स्थानीय क़ब्रिस्तान में दफ़न नहीं किया। उन्हें अंदेशा था कि बाद की नस्लें इस क़ब्र से बहुत ज़्यादा भावुकता व्यक्त करेंगी। उमर जो ग़फ़रा के आज़ाद किए गए ग़ुलाम थे उनका बयान है कि जब सहाबा किराम हुज़ूरे अकरम सल्ल० की तदफ़ीन के बारे में फ़ैसला करने बैठे तो एक ने प्रस्ताव पेश किया कि उन्हें वहीं दफ़न किया जाए जहां वह नमाज़ अदा करते थे। इस पर हज़रत अबूबक्र रज़ि० ने फ़रमाया, अल्लाह हमें इस बात से बचाए कि हम उन्हें एक बुत बनाकर उनकी पूजा करें। एक और सहाबी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बक़ीअ में दफ़न किया जाए जहां उनके अन्य मुहाजिरीन भाई दफ़न हैं। इस पर हज़रत अबूबक्र रज़ि० ने फ़रमाया कि अगर हम उन्हें बक़ीअ में दफ़न करेंगे तो कुछ लोग उनसे मुरादें मांगने लगेंगे यद्यपि यह हक़ केवल अल्लाह तआला को हासिल है कि उससे ही मदद और मुराद मांगी जाए। अगर हम उन्हें वहां दफ़न करेंगे तो अल्लाह के अधिकार पामाल होंगे। इस पर लोगों ने पूछा, आख़िर

आपकी क्या राय है? हज़रत अबूबक्र ने कहा, मैंने हज़रत रसूले अकरम सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि अल्लाह तआला ने अपने किसी रसूल की रूह क़ब्ज़ नहीं की मगर यह कि उसका जहां इन्तिक़ाल हुआ था उसे उसी जगह दफ़न किया गया। इस पर कुछ लोगों ने कहा, खुदा की क़सम आप जो कुछ कह रहे हैं वह बहुत मुनासिब है। इसके बाद सब लोग हज़रत आइशा रज़ि० के हुजरे में हुज़ूर अकरम सल्ल० की मय्यित के गिर्द जमा हुए और उस जगह जहां आपका पाक शरीर हुआ था क़ब्र खोदी, अली अब्बास, फ़ज़ल और ख़ानदाने रिसालत के अन्य लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मय्यित तदफ़ीन के लिए तैयार की। (अलबानी, तहज़ीर साजिद)

मस्जिदे नबवी और हज़रत आइशा रज़ि० के हुजरे के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई थी उसमें एक दरवाज़ा था उसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे। सहाबा किराम ने उस दरवाज़े को भी बन्द कर दिया ताकि हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की क़ब्र मस्जिद नबवी से बिल्कुल अलग हो जाए। इसके बाद आप सल्ल० की क़ब्र तक जाने के लिए केवल एक रास्ता बाक़ी रह गया था जो मस्जिद के बाहर से था।

खुल्फ़ाए राशिदीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत उसमान की ख़िलाफ़त के दौर में मस्जिद नबवी का विस्तार हुआ। लेकिन उन दोनों ख़लीफ़ों ने इतनी सावधानी की कि हज़रत आइशा या अन्य पाक पत्नियों के हुजरों को मस्जिद में शामिल न किया जाए। अगर हुजरों को मस्जिद में शामिल किया जाता तो हुज़ूर अकरम सल्ल० की क़ब्र मुबारक भी मस्जिद में शामिल हो जाती। लेकिन जब मदीना में तमाम सहाबा वफ़ात पा गए[1] तो ख़लीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक उमवी (दौरे ख़िलाफ़त

1. सबसे बाद में सहाबा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की वफ़ात हुई। उनकी वफ़ात ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक के दौर (ख़िलाफ़त 685-705 ई०) में 699 ई० में हुई।

705-715 ई०) ने मस्जिदे नबवी का विस्तार पूर्वी पहलू की तरफ़ किया। उसने हज़रत आइशा के हुजरे को मस्जिद में शामिल कर दिया जबकि अन्य पाक पत्नियों के हुजरों को ध्वस्त कर दिया। यह विस्तार उमवी गवर्नर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की निगरानी में किया गया। जब हज़रत आइशा रज़ि० के हुजरे को मस्जिद के सेहन में शामिल किया गया तो उसके गिर्द एक गोल दीवार उठा दी गई ताकि मस्जिद के अंदर से यह बिल्कुल दिखाई न दे। बाद को हुजरे के उत्तरी गोशे से दो और दीवारें उठाई गईं जो आपस में इस तरह मिलती थीं कि एक त्रिभुज बन जाता था। यह इसलिए किया गया ताकि कोई व्यक्ति सीधे क़ब्र नबवी की तरफ़ रुख़ न करे।[1] कई साल बाद मस्जिद में सब्ज़ गुंबद बनाया गया और उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के बिल्कुल ऊपर तामीर किया गया।[2]

मस्जिदे नबवी (सल्ल०) में नमाज़ अदा करना

ऐसी तमाम मस्जिदों में क़ब्रें जहां बना दी गई हैं वहां नमाज़ पढ़ना मना है सिवाए हज़रत रसूले अकरम सल्ल० की मस्जिद (नबवी) के। ऐसा इसलिए है कि किसी दूसरी मस्जिद (जिसमें क़ब्र हो) के बारे में ऐसी कोई रिवायत या हदीस नहीं है कि वहां नमाज़ अदा करना बड़े दर्जे की श्रेष्ठता का कारण है। हज़रत रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि तीन मस्जिदों के अलावा किसी दूसरी के लिए सफ़र न करो (1) मस्जिदे हराम (ख़ाना काबा) (2) मस्जिदे नबवी (3) मस्जिदे अक़सा (योरोशलम) (बुख़ारी) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया कि मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच एक जगह जन्नत के बाग़ात का एक हिस्सा

1. तैसीरुल अज़ीज़िल हमीद।

2. सुलतान क़लाऊं अस्सलाही ने यह गुंबद (पहली बार) 282 हि० में तामीर कराया। 1837 ई० में उसमानी ख़लीफ़ा सुलतान अब्दुल हमीद के हुक्म से उस पर सब्ज़ रंग किया गया। (देखिए अली हाफ़िज़ की किताब तारीख़ मदीना की झल्कियां)

है। (बुख़ारी) अगर मस्जिदे नबवी में नमाज़ को मक्रूह क़रार दिया जाए तो इससे मस्जिद से जुड़ी उन तमाम श्रेष्ठताओं का इंकार भी लाज़िम आएगा जो मुस्तनद अहादीस में आई हैं। जिस तरह दिन के कुछ ख़ास समयों में नमाज़ अदा करने की मनाही है लेकिन अगर ख़ास क़िस्म का मामला हो (जैसे नमाज़े जनाज़ा) उसके लिए इजाज़त है। इसी तरह मस्जिदे नबवी की अपवादी हैसियत के कारण वहां नमाज़ अदा करना श्रेष्ठ है। (तहज़ीरुस्साजिदीन, अलबानी) और अगर खुदा न करे मस्जिदुल हराम (ख़ाना काबा) या मस्जिदे अक़सा में भी क़ब्रें होतीं तब भी उन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना श्रेष्ठ होता क्योंकि अल्लाह तआला के नज़दीक उनका मक़ाम बहुत बुलन्द है।[1]

समापन

वह आदर्श अक़ीदा जो अल्लाह तआला के नज़दीक स्वीकार्य है उसकी बुनियाद विशुद्ध तौहीद पर होनी चाहिए जैसा कि इस किताब के पन्नों में स्पष्टीकरण किया गया है। इससे कम जो कुछ भी है वह या तो बुतपरस्ती है या कुफ़्र है इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि ऐसे लोग अपने अक़ीदे के बारे में (जो शिर्क में लिप्त है) कितने पक्के हैं कि वह अल्लाह तआला की महानता व महिमा पर ईमान रखते हैं या यह कि वह अपने ख़राब अक़ाइद के बारे में कैसे अक़्ली दलाइल पेश करते हैं। अल्लाह तआला की वहदत (तौहीद) के अक़ीदे को ज़िंदगी के हर पहलू में अपने सामने रखना चाहिए ताकि उस स्रष्टा व राज़िक की खुशनूदी और प्रसन्नता हासिल हो। तौहीद का जो पैग़ाम हज़रत रसूले अकरम सल्ल० लेकर आए वह मात्र एक फ़लसफ़ियाना नज़रिया या भावुक अक़ीदा नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक ख़ाका है जिसके मुताबिक़ मानव जीवन अल्लाह

1. इस क़िस्से में कोई सच्चाई नहीं कि हज़रत इस्माईल अलैहि० और उनकी मां हाजरा और अन्य अंबिया की क़ब्रें काबा के इस हिस्से में हैं जिसे आम तौर पर हुजरा इस्माईल कहा जाता है।

तआला के यहां माना हुआ अक़ीदा नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक ख़ाका है जिसके मुताबिक़ मानव जीवन अल्लाह तआला के हुज़ूर तस्लीम व रज़ा का हदिया पेश करती है। इसका महत्व इंसान की उत्पत्ति के मक़सद में पोशीदा है। अल्लाह तआला का इरशाद है :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

"मैंने जिन्न व इंसान को मात्र अपनी उपासना के लिए पैदा किया है।"

लेकिन इंसान की पैदाइश भी अल्लाह तआला के समस्त गुणों की द्योतक है। वह स्रष्टा है अर्थात वही है जो इंसान को अनस्तित्व से अस्तित्व में लाता है। वह रहमान है (अत्यन्त रहमत करने वाला है) उसने इंसान को इस दुनिया की नेमतों से सरफ़राज़ फ़रमाया। वह अल हकीम (सबसे बड़ा आक़िल) है उसने ऐसी तमाम चीज़ों को जो इंसानों के लिए हानिकारक हैं हराम ठहराया और जो लाभकारी हैं उन्हें हलाल क़रार दिया। वह ग़फ़ूर (बेहद मग़फ़िरत वाला) है जो व्यक्ति निष्ठा से उसके समक्ष तौबा करता है वह उसे क्षमा से नवाज़ता है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० और हज़रत अबू अय्यूब रज़ि० से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि अगर तुम गुनाह न करते तो अल्लाह तआला तुम्हारी जगह ऐसी क़ौम को लाता जो (गुनाह करती) और अल्लाह से क्षमा याचना करती। (मुस्लिम)

इसी तरह अल्लाह तआला के अन्य गुण भी इंसान की उत्पत्ति में नज़र आते हैं। इंसान अल्लाह तआला की उपासना करता है तो केवल अपने फ़ायदे के लिए करता है, अल्लाह तआला की ज़ात बेनियाज़ है वह इंसान की उपासना का मोहताज नहीं है। इंसान उपासना के द्वारा अपनी सांसारिक और पारलौकिक योग्यताओं से सचेत होता है और सद कर्मों द्वारा अल्लाह तआला के यहां सर्वकालिक राहत व प्रसन्नता का सामान करता है जो उसे इस संक्षिप्त समाप्त होने वाले जीवन के बाद हासिल

होगा। अतः सच्चे दीन अर्थात इस्लाम, इंसान के अमल को चाहे वह सांसारिक रूप से कितना ही तुच्छ क्यों न दिखाई दे अल्लाह के निकट उपासना बना देता है बशर्ते कि उसमें दो बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाए :

1. यह कि कर्म सोच समझ कर अल्लाह तआला की प्रसन्नता के लिए किए जाएं।

2. यह कि कर्म हर हालत में सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुताबिक़ होने चाहिएं।

एक इंसान की ज़िंदगी पूर्ण रूप से अल्लाह की सेवा व उपासना के लिए समर्पित हो सकती है। अल्लाह तआला का इरशाद है :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ۝

(الانعام:١٦٢)

"आप कह दीजिए कि मेरी नमाज़, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है।"

(सूरह अनआम, 162)

लेकिन यह मंज़िल उसी समय हासिल की जा सकती है जब तौहीद के असली भावार्थ व मायना को पूरी तरह समझा जाए और अपनी ज़िंदगी में उसे अमल में लाया जाए और उस तरीक़े से उस पर अमल किया जाए जो अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शिक्षा दी है।

तो हर सच्चे मोमिन के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने सांस्कृतिक ख़ानदानी, क़ौमी या क़बाइली, भावुक रिश्तों और संबंधों से बेनियाज़ होकर तौहीद का सही और अमली ज्ञान हासिल करे। यही तौहीद दीने इस्लाम की बुनियाद है इसी अमल के ज़रिए इंसान निजात हासिल कर सकता है।

ISLAM KA BUNIYADI AQIDA

रियाजुस्सालिहीन

अर-रहीकुल मख़्तूम

इस्लामी जीवन प्रणाली

सहीह मुस्लिम शरीफ़ से

सहीह बुख़ारी शरीफ़ से

ज़कात के मसाईल

इस्लाम की बेटियां

शफ़ाअत का बयान

तलाश-ए-हक़

Jamia Nagar, New Delhi-25
Ph.: 26986973 M. 9312508762

Price 80/-